राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] **पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चालीसवां दिवस** **[संख्या: 21**

सोमवार,

05 अगस्त 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री पब्बाराम।

जोधपुर में स्टोन कटर हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

455. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में कहीं भी, स्टोन कटर स्थापित करने हेतु सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अनुमति लिया जाना आवश्यक है?

(2) क्या सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अनुमति प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में वर्तमान में कितने-कितने और कहां-कहां स्टोन कटर स्थापित हैं और कौन-कौनसे स्टोन कटर मशीन आबादी क्षेत्र से कितनी-कितनी दूरी पर लगे हुए हैं? फर्म के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में ऐसे कितने-कितने और कहां-कहां स्टोन कटर चल रहे हैं, जो आबादी के डेढ़ किलोमीटर के दायरे में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार नार्म्स पूर्ण नहीं करने वाली स्टोन कटर मशीनों के लाइसेंस निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं।

(उद्योग मंत्री)

(2) उद्योग विभाग की ओर से ऐसे दिशा-निर्देश, शर्तें, नियम जारी किये हुए नहीं हैं।

(3) जोधपुर जिले में 590 स्टोन कटर उद्योग स्थापित हैं। इनके आबादी से दूरी बाबत सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। इकाइयों की सूची परिशिष्ट - 'अ' पर संलग्न है।

(4) उद्योग विभाग द्वारा सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

(5) बिंदु संख्या 1 एवं 2 के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पांच खण्ड थे उनमें से तीन प्रश्नों का उत्तर, खण्ड 1, खण्ड 2 और खण्ड 5 का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने सही नहीं दिया। आपने एक नम्बर में कहा है कि प्रदेश में स्टोन कटर स्थापित करने हेतु सरकार से अनापत्ति या अनुमति की आवश्यकता नहीं है जबकि जिला उद्योग केन्द्र इसकी अनुमति देता है, नगरपालिका भी अनुमति देने के बाद में इसको करती है। एक बात।

दूसरा, खण्ड 2 में सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र का है, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र आपका उद्योग विभाग जारी करता है, वो स्वीकृति पत्र जारी करता है तभी जाकर के वो कटर लगा पाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। गलत जवाब के लिए अलग तरीका है। प्रश्न पूछिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि स्टोन कटर, क्रैशर और खनन क्षेत्र में जो कटर लगे हैं उनसे निकलने वाली स्लरी वातावरण और पर्यावरण में घुलकर मजदूरों और मजदूरों ही नहीं जो परोक्ष स्मोकर्स हैं, यानी कि इधर से निकलने वाले हैं उनको भी हो जाती है आम आदमी को होने वाली घातक बीमारी सिलिकोसिस के बचाव व जागरूकता व स्लरी निस्तारण, स्टोन कटर के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने का कष्ट करें। जोधपुर जिले में आबादी क्षेत्र में कितने कटर लगे हुए हैं और उनकी शिकायत आपको मिली है, कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया, तो उद्योग विभाग में आपत्ति, अनापत्ति का

(श्री परसादी लाल)

कोई रिकार्ड नहीं है, न वहां से परमिशन लेने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम नया एक्ट लेकर आए हैं, उसमें तीन साल तक ही परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो पहले के उद्योग लगे हैं उनका कन्वर्जन होता है, कलेक्टर कन्वर्जन करता है, सारे मापदण्ड वहां कलेक्टर के यहां से तय होते हैं। एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जो बिना किसी कन्वर्जन के लगा हो।

जहां तक प्रदूषण की बात है, आपने कहा कि वो प्रदूषण करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनकी निगरानी रखता है और उनको ही यह काम दिया गया है।

तीसरा, इन्होंने कहा कि जोधपुर आबादी में, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में आबादी में लगे हुए हैं। यह सही है स्टोन के छोटे कटर लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने ही उनको रेण्ट पर जमीन दी है और जब रेण्ट की जमीन होती है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको परमिशन नहीं दे सकता है, वो जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन की ओर से ही वहां पर स्थापित हैं। वहां जो कटर का काम है, अध्यक्ष महोदय, वो पानी के द्वारा होता है, उसमें कोई ज्यादा प्रदूषण की संभावना भी नहीं बनती है। जब तक उनके नाम रिकार्ड नहीं हो तब तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको परमिशन भी नहीं देगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, नहीं, उन्हीं का प्रश्न है। आप बोलें, पब्बाराम जी, बोलें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं प्रदूषण नहीं होता परन्तु चरागाहों के अन्दर जगह-जगह स्लरीज के ढेर लगे हुए हैं, आप जाकर पूरे जोधपुर के अन्दर देख लीजिए। जब आंधियां चलती हैं पूरा वातावरण खराब हो जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है उसके अन्दर प्रति वर्ष पैसा इकट्ठा होता है और जोधपुर में 20 से 25 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें आप, प्लीज एक्सप्लेन नहीं करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): वो अधिकतर सिलिकोसिस पीड़ितों और मृतकों की सहायता हेतु दिया जाने लगा है जबकि ये पर्यावरण हेतु है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछें, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही पूछ रहा हूं। यह राशि पर्यावरण को ठीक करने के लिए है तो क्या राज्य सरकार मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था करके यह जो पर्यावरण के लिए प्राप्त होने वाली राशि है...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इसको ठीक करना का इरादा रखते हैं अथवा नहीं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का और सिलिकोसिस के मजदूरों से सम्बन्धित सवाल नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, मैंने विभाग से जानकारी लेकर आपको दी है। अगर इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर आपको दी जाएगी। जो कचरे के ढेर करते हैं, उनका भी सही तरीके से निस्तारण के निर्देश विभाग को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

पालनहार योजना हेतु लम्बित आवेदन पत्र

456. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में असहाय व्यक्तियों के उत्थान हेतु योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो पालनहार योजना हेतु विगत तीन वर्ष में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को लाभान्वित किया गया व कितने शेष हैं तथा उन्हें अब कब तक लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): जी हां। राज्य सरकार द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले निम्न श्रेणी के बच्चों के पालन-पोषण करना वाले एवं निर्धारित आय सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक में आने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा है:-

1. अनाथ बालक/बालिका।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे।
5. एड्स पीड़ित माता-पिता के सभी बच्चे।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के सभी बच्चे।
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।
8. विशेष योग्यजन माता-पिता के सभी बच्चे।
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे।

पालनहार को स्वीकृत अनुदान राशि व अनुदान की शर्तें निम्नांकित हैं:-

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)।
2. 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)।
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)।
4. पालनहार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्राप्त आवेदन, स्वीकृत एवं शेष आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। शेष आवेदनों में आक्षेप पूर्ति उपरान्त स्वीकृति जारी कर लाभान्वित किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना असहाय और अनाथ बच्चों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। आपने मुझे

(श्री बाबुलाल)

जो जवाब दिया है उदयपुर जिले में, यह आंकड़े तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपने जो रिजेक्ट की हैं, आपका रिजेक्ट का आंकड़ा है 846, 503 और 13, इस प्रकार ये रिजेक्ट करना का कारण क्या है?

अध्यक्ष महोदय जी, दूसरा मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपके जो 1, 29 और 406 पैंडिंग हैं, यह कब तक कर देंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह स्वयं आवेदन करता है, उसका जो संरक्षक है, जब आवेदन किया जाता है तो आपको मालूम है कि पहले आफलाइन होता था, अब ई-मेल के जरिये डायरेक्ट होता है और इसमें पालनहार को भुगतान किया जाता है। जहां तक आपने कहा है कि पालनहार के कौन-कौनसे हैं, मैंने आपको लिखित में दे दिया कि पालनहार जो कैटेगरी थी, ये 9 प्रकार की कैटेगरी है। इसके बाद मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में यह भी दिया है कि किसको मिलता है और कितना पैसा मिलता है। सीरीज आपने मांगी है, मैंने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की आपको दे दी।

आपका आखिरी क्वेश्चन था कि कब तक कर दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, यह जो पालनहार के बच्चे हैं, जब यह स्वीकृति के लिए एसएसओ के पास जाते हैं, तो वहां उनके संरक्षक को यह कहा जाता है कि आप ई-मित्र पर जाइए, कियोस्क पर जाइए, गांवों के अंदर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर भी ई-मित्र या कियोस्क हैं, वहां पर जाइए। वहां यह तय किया गया कि जिसको पालनहार बच्चा कहते हैं, एक साल के अंदर उसको यह देना पड़ता है कि यह बच्चा 18 वर्ष को हो गया, यह छोटा स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आंगनबाड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब जाकर के उसको निरस्त करते हैं। हालांकि जो निरस्त कहते हैं, उसमें निरस्त होने का जो कारण है, वह यह भी नहीं है। आपने कहा निरस्त, इसमें निरस्त नहीं होता है। यह स्वत: ही 1 साल बाद, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 2 साल बाद वापस ई-मित्र पर जाकर करेगा, तो उसको डेढ़ साल की, 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की पालनहार को राशि मिल जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने पंचायत समितियों में डेढ़ साल पहले सुरक्षा अधिकारी

(श्री बाबुलाल)

लगाए थे। उनका काम ही यही था कि पालनहार योजना, पेंशन योजना आसानी से उपलब्ध हो जाएं। उनकी कोई कमियां हों तो उनको दूर करें। उन सबको सरकार द्वारा जिला मुख्यालय पर लगा रखा है। क्या आप वह जो सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको पुन: पंचायत समितियों में नियुक्तियां देने का काम करेंगे?

दूसरा, मेरा आपसे कहना है कि जैसे आधार कार्ड उनका लिंक नहीं है तो पालनहार योजना का लाभ नहीं मिलता है। आधार के लिए मशीन पोस्ट आफिस में एक ही जगह है। वहां उसकी वजह से भीड़ बहुत होती है। कई समय तक लिंक नहीं होता है। इस व्यवस्था का आप सरलीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो एसएसओ है, पिछले 2 सालों से राजस्थान के सारे ब्लाकों में एसएसओ जितने भी हैं, उनको लगाया गया है। कई ब्लाक्स के अंदर एसएसओ के पद खाली हैं। जहां के पद खाली हैं तो दूसरे एसएसओ को, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को लगाया गया है। अगर फिर भी वहां कोई नहीं मिलता है तो हमारे जिले का जो अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह 30 दिन के अंदर-अंदर उसकी स्वीकृति जारी करे। हमने यह सरलीकरण किया है कि 30 दिन के अंदर-अंदर वह स्वीकृत नहीं होता है तो तत्काल उसको हाथों-हाथ बताया जाता है कि यह इसमें कमी है। उसका 45 दिन के अंदर-अंदर ट्रेजरी के जरिए भुगतान करना आवश्यक है।

अभी वर्तमान में एसएसओ के पद बहुत ज्यादा खाली पड़े हैं। यह मैं मानता हूं कि झाड़ोल के अंदर भी खाली हैं लेकिन दूसरा जो गिर्वा का अधिकारी है, उसके पास चार्ज है। आज की तारीख में उदयपुर जिले में कुल 17 सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं, उनमें से 5 ही सुरक्षा अधिकारियों के पद भरे हुए हैं। 12 जो रिक्त हैं, दूसरे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको 1-1, 2-2 ब्लाक्स दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास ज्यादा ब्लाक्स हैं तो हमारे जिले का सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सब प्रकार का काम करता है।

आपने जैसा कहा है झाड़ोल में भी पद तो रिक्त हैं। अभी जब नई भर्तियां आएंगी, तब जाकर के यह पद सारे राजस्थान में भरे जाएंगे। पहले जितने ब्लाक्स थे, उनमें लग गए। अभी 295 में से 137 पद खाली हैं। जब पद आएंगे तो झाड़ोल में भी लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने परिशिष्ट 'अ' दिया, इसमें उदयपुर जिले की आपने 2019-20 में अप्रूव्ड एप्लीकेशन 846 लिखी हैं और उसमें से केवल 13 का रिजेक्शन हुआ है। बाकी सारे के सारे इस 846 में से पैंडिंग हैं। इतनी पैंडिंग रहने का कारण क्या है? नंबर एक।

दूसरा, इसी के साथ सम्पूर्ण राजस्थान में अगर 2019-20 की एप्लीकेशन जो आपने अप्रूव्ड कर दी, जिस फार्म को आपने सही पाया है, वह सारा मिलाकर के 6824 है, लेकिन आज की तारीख में 6824 में से आपकी जो पैंडेंसी है, वह 66 परसेंट है। इस वर्ष के भी 4 महीने गुजर गए। उसके बाद भी 66 परसेंट का आपने स्वयं ने मान लिया कि बिलकुल सही केस हैं, तो इनको पेमेंट होने में विलम्ब क्यों हो रहा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विलम्ब के अलग-अलग प्रकार हैं क्योंकि जो शर्तें हैं और वह शर्तें पूरी नहीं करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): शर्तें तो पूरी कर ली हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, वह नहीं हैं। मैं आपको उदयपुर जिले की बात बताना चाहूंगा कि इस जिले में 2005 में यह योजना चालू हुई। 2005 में जब यह योजना चालू हुई तो उस समय जब यह 2017-18 का पूछा गया तो 6585 कुल आवेदन आए थे, 2018-19 के अंदर 3581 आए और 2019-20 के अंदर 1266 आए थे। अब इसमें जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन हैं वह 5736 हैं, उसके बाद में उसका जो रिजेक्शन हुआ है, वह 816 है। उसमें 503 बाकी हैं, उदयपुर के लिए।

श्री अध्यक्ष: 846, प्लीज चैक इट।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 846, जी हां। 503 आक्षेप लगकर पड़े हैं। उनको आक्षेप तो मिटाना ही पड़ेगा। जब आक्षेप पूरा नहीं करेंगे तो पैसे कैसे जाएंगे? अब हमने इसको आनलाइन कर दिया है। वह सरलीकरण किया है। अभी 15 दिन पहले ही इसका सरलीकरण हुआ है। मैं समझता हूं कि अब जो पालनहार बच्चे हैं उनको मिल जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अप्रूव्ड कर दिया तो उसकी एप्लीकेशन ठीक है। सब कुछ आपने जांच कर ली। उसके बाद उदयपुर की आपने 846 ओके मान लीं, फिर भी आपकी पैंडेंसी 66 परसेंट है। यह क्यों है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 3-4 महीनों के अंदर इसका बजट प्रावधान नहीं था। अब यह बजट पास हुआ है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी ही उनको राशि चली जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

स्थगित प्रश्न संख्या 154

(मंगलवार, 16 जुलाई, 2019)

अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री अमीन खां।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में चिकित्सकों के रिक्त पद

457. श्री अमीन खां (शिव): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कितनी सी.एच.सी व पी.एच.सी हैं? जिलेवार, संख्यावार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) प्रदेश के रेगिस्तानी जिलों में कितनी सीएचसी व पीएचसी हैं? जिलेवार, संख्यावार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सीमावर्ती जिले बाड़मेर-जैसलमेर में कितनी सीएचसी व पीएचसी हैं? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(4) उक्त जिलों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(5) उक्त जिलों में ऐसे कितने सब सेंटर है, जिनमें चिकित्साकर्मियों के पद रिक्त हैं? रिक्त चल रहे उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) प्रदेश के ग्रामीण

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

इलाकों में 485 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2088 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के रेगिस्तानी जिलों में 244 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 934 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सीमावर्ती जिला बाड़मेर में 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 94 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला जैसलमेर में 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) बाड़मेर जिले में चिकित्सकों के कुल 133 पद एवं जैसलमेर में चिकित्सकों के 43 पद रिक्त हैं। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने पर विचार किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से यथासम्भव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(5) जिला बाड़मेर में 58 एवं जिला जैसलमेर में 115 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। विभाग में नर्सिंग संवर्ग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, जिसकी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से दो ही सवाल पूछना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में 133 डाक्टरों के पद खाली हैं। इतने खाली पद किसी अन्य जिले में नहीं हैं। कितने समय में इनको भरा जाएगा? यह उत्तर नहीं दिया है। कृपया करके बताएं कि कितने टाइम में इन डाक्टरों के खाली पद भर जाएंगे?

नंबर दो, बाड़मेर जिले में कुल 58 सब सेंटर्स खाली हैं। यह 58 पद 7 विधान सभा क्षेत्रों में हैं। इन 58 में से 24 सब सेंटर्स मेरे शिव क्षेत्र के खाली हैं। बाकी बाड़मेर में 3, सिवाना में 3, गुढ़ा में 4, चौहटन में 3, पचपदरा में 5 और बायतू में 15 खाली हैं। यह मेरे साथ भेदभाव क्यों और यह खाली सब सेंटर्स भरकर समान रूप से न्याय कब तक कर लोगे?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो डा़क्टर्स की बात की गई है कि 133 पद खाली हैं, 737 पदों की अर्थना आरपीएससी को जा रही है। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, इन पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा स्थानांतरण के माध्यम से भी इसका प्रयास किया जाएगा।

दूसरा आपने कहा है कि 58 पद जो खाली हैं, जिसमें से 24 पद शिव विधान सभा क्षेत्र में खाली हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जारी है लेकिन एमबीसी आने की वजह से और ईडब्ल्यूएस आने की वजह से डीओपी ने जो राय दी है उसकी वजह से प्रक्रिया में थोड़ा व्यवधान आ रहा है, अन्यथा उनको भी भर दिया जाता। निश्चित से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम से कम यह जो शिव विधान सभा क्षेत्र के पद हैं उनमें से कुछ पदों को जल्दी ही आने वाले समय में भर दिया जाएगा।

श्री अमीन खां (शिव): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 458

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री बलवान पूनियां।

गोगामेड़ी मंदिर (नोहर) में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

459. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के नोहर में स्थित गोगामेड़ी मंदिर में गत वर्ष में अनियिमतताएं हुई हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): जी हां। उक्त मंदिर में गत वर्ष अनियमितताएं हुई हैं। राज्य सरकार को 1,24,76,687/- रुपये की राजस्व हानि हुई है।

उक्त घोटाले में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

I. श्री सैयद सिराज अली जैदी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर एवं मेला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़,

II. सुश्री दीपिका मेघवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़,

III. श्री ओम प्रकाश जाखड़, उप कोषाधिकारी, भादरा,

IV. श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी, हनुमानगढ़,

V. श्री ओमवीर टाडा, निरीक्षक ग्रेड II,

VI. श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक।

उक्त अधिकारी/कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से प्राप्त हो गए हैं, जो अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं।

उक्त कार्मिकों में से श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II एवं श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक के विरुद्ध सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ द्वारा जिला हनुमानगढ़ थाना गोगामेड़ी में एफआईआर सं. 0216 दिनांक 12.12.2018 दर्ज कराई गई। (एफआईआर की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी एवं श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक को निलंबित किया गया है। (निलंबन आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, एक, जो राजस्व हानि हुई, 1 करोड़ 24 लाख, इसमें से कितने रुपये की बरामदगी हुई? दूसरा, इसमें से जितने मुलजिम बताए गए हैं उनमें से कितने लोगों के खिलाफ चालान हुआ? तीसरा, मौके पर सहायक आयुक्त का तबादला हुए काफी दिन हो गए, उसको रिलीव क्यों नहीं किया गया? मेरे ये तीन छोटे-छोटे प्रश्न हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तीन बातें पूछी हैं, उसमें जो जांच हुई थी वह 11.12.2018 को हुई थी। एफआईआर दर्ज है वह पुलिस का इंवेस्टीगेशन का काम है, हमारे विभाग का काम नहीं है। तीसरा, जो आपने कहा वह नाम बता

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दें, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास में नहीं है कि ट्रांसफर होने के बावजूद भी रिलीव नहीं किया गया हो। आप बताएंगे तो हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): बरामदगी कितनी हुई? बरामदगी का आंकड़ा बताएं। पुलिस यह तो बताएगी कि राजस्व हानि हुई 1 करोड़ 24 लाख 76 हजार 687 रुपये, पुलिस ने इसमें से कितनी बरामदगी की?

श्री गौविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस इंवेस्टीगेशन का विषय है, हमारे विभाग के स्तर पर इसकी बरामदगी का कोई सवाल नहीं उठता। जिनके खिलाफ आरोप पत्र हैं उनका आयुक्तालय से अ, ब, स, द, आ गया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी है, वह प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी की बात से इतना-सा तो इत्तेफाक रखता हूं कि इनको, मेला विभाग को, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यह तो आश्वस्त करें कि राजस्व तो मेला विभाग, मंदिर विभाग का खा गए, सरकार का खा गए। उसमें बरामदगी अब करवा दो। चलो, पिछली साल घोटाला हुआ, अब बरामदगी करवा दो, अब कब बरामदगी करवा दोगे, इतना तो संतुष्ट करना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर विभाग की हमेशा परिपाटी बनी, ऐसा जब कभी गबन होता है तो सामान्यत: ऊपर के सारे अधिकारियों को मुक्त कर देते हैं, जो छोटे कर्मचारी बचते हैं, अब इसमें भी परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी, श्री शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक और इन तीनों को, शिवकिशन, इनको तो निलम्बित किया है इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। आपने सारी जांच में इस घोटाले में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराई है जिसमें सैयद सिराज अली जैदी, उप खण्ड मजिस्ट्रेट, इसी तरह से दीपिका मेघवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, उसके बाद ओम प्रकाश जाखड़, उप कोषाधिकारी का है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में इस प्रकार का गबन हुआ तो वहां सुपरविजन करने वाले अधिकारी हैं, इन लोगों ने क्या किया? ये दोषी क्यों नहीं हैं, केवल और केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर इतिश्री करने का यह मानस विभाग का अब तक क्यों चला?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं पहले जवाब दे दूं, माननीय सदस्य ने पूछा था कि उसको रिलीव क्यों नहीं किया? यह जो दीपिका मेघवाल है, उसको 18.12.2018 को आदेश की प्रतीक्षा में मुख्यालय, उदयपुर थी, वर्तमान में सहायक आयुक्त, ऋषभदेव में कार्यरत है, इनको रिलीव कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो पूछा कि किसी के खिलाफ कार्यवाही, छोटों के खिलाफ हो जाती है, बड़ों के नहीं होती, जो एफआईआर हुई उसका तो इंवेस्टीगेशन पुलिस को करना है, विभाग ने जो इंवेस्टीगेशन किया और जो दोषी पाए गए उसमें एसडीएम भी है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है। भविष्य में नहीं हो, इसके लिए आपके समय में नहीं हो पाया लेकिन हमारी सरकार इसमें चाहती है कि पारदर्शिता से काम हो।

मेले की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त निविदाएं ई-टेंडर के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। अस्थायी भूखण्डों से प्राप्त राशि बीस प्रतिशत नगद और शेष राशि डीडी अथवा बैंकर चैक के माध्यम से ली जाएगी। मेले में दक्ष कार्मिकों को लगाया जाएगा। प्रतिदिन प्राप्त राशि बैंक में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाएगी। मेले की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त, देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक, दिनांक 26.06.19 द्वारा उपायुक्त, सहायक आयुक्त, उप खण्ड अधिकारी, लेखाधिकारी की कमेटी गठित कर दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार के घोटाले नहीं हो, गबन नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: बलवानजी, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एफआईआर है वह 12.12.2018 को ही दर्ज हो गई अर्थात् पिछली सरकार के समय में ही हो गई। मेरा पूछने का अभिप्राय यह था कि अपन केवल और केवल जो मन मानस बना हुआ है विभाग के सब बड़े अधिकारियों का, छोटे-मोटे को बनाकर अपना काम भी पूरा कर लो और बाकी सब लोगों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को इससे मुक्त करके आराम से करने दो। मैं सोचता हूं कि सुपरविजन जिनका था, उनका भी तो दोष बनता है। आपने एफआईआर दर्ज करवाई, उन तीनों छोटे कर्मचारियों के खिलाफ करवाई, बाकी के खिलाफ क्यों नहीं करवाई और क्या अब करवाने की मंशा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने पूछा है, उनके खिलाफ अ, ब, स, द, कमिश्नरेट से मंगवा लिए गए हैं, सम्बन्धित विभाग से और उनके खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की ही जा रही है, पुलिस में जो एफआईआर है, उसमें वाइड स्कोप है और कोई उसके इंवेस्टीगेशन में दोषी पाया जाएगा तो वह चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज ही हमारा विभाग वहां के पुलिस अधीक्षक को लिखेगा कि इसमें पारदर्शिता के साथ में जांच करे और जांच में कोई कितना भी बड़ा अधिकारी दोषी हो, उसके खिलाफ चालान पेश करे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक और।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल मीणा। (पोस्टपोन)

प्रश्न संख्या 460

(स्थगित)

अगला प्रश्न, श्री मोहनराम चौधरी।

नागौर के महाविद्यालयों में एन.सी.सी. बटालियन की स्थापना

461. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नागौर जिले के महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु एन.सी.सी. की बटालियन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी नहीं। नागौर जिला मुख्यालय पर एन.सी.सी. बटालियन खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

वर्तमान में नागौर जिले के 06 महाविद्यालयों में एनसीसी की गतिविधियां जोधपुर ग्रुप मुख्यालय के अधीन संचालित की जा रही हैं व जिले के उप खण्ड डीडवाना मुख्यालय पर नवीन स्वीकृत इकाई "एन.सी.सी. बटालियन डीडवाना" की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस बात की चर्चा और बहस लम्बे समय से है कि विद्यार्थियों के विकास के लिए खेल और एनसीसी पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ समाज सेवा और देशभक्ति का भाव भी जाग्रत हो। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार नागौर सहित पूरे राजस्थान में एनसीसी को पाठ्यक्रम का जरूरी अंग बनाने की मंशा रखती है या नहीं? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एनसीसी की अलग-अलग इकाइयां वर्तमान में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से हमारे यहां एक निदेशालय है और चार ग्रुप हैडक्वार्टर्स- जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में हैं। इनकी दस यूनिट्स हैं और इनके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के, जिलों के कालेज और स्कूल आते हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में एनसीसी के आथोराइज्ड छात्र-छात्राओं की संख्या 52713 हैं और उसमें से नामांकित 46699 हैं।

अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर जिन महाविद्यालयों या विद्यालयों के द्वारा एनसीसी के लिए अलग-अलग ग्रुप हैडक्वार्टर्स पर आवेदन किये जाते हैं, उन आवेदनों के अनुसार वरीयता सूची निर्धारित है और उसके अनुसार एनसीसी का यह क्रम लगातार रहता है और जो महाविद्यालय या विद्यालय प्रायोरिटी में आते हैं, उन्हें हम एनसीसी आवंटित करते हैं।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एनसीसी को राजस्थान में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: नागौर का प्रश्न कीजिए। जनरल प्रश्न इसमें नहीं आएगा।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): चलिए, नागौर का ही बता दीजिए। डीडवाना के लिए कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के उपखण्ड डीडवाना मुख्यालय पर नवीन स्वीकृत इकाई एनसीसी बटालियन, डीडवाना की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है और अतिशीघ्र इस इकाई की स्थापना की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश रावत।

पुष्कर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

462. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितने संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुष्कर शहर की पौराणिकता और आध्यात्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए अध्यात्म की मूल भाषा संस्कृत शिक्षा हेतु पुष्कर में राजकीय ब्रह्म संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालय निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	संचालित विद्यालय
1.	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, पुष्कर
2.	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सराधना
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुष्कर
4.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करकेड़ी
5.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रूपनगढ़

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में अराजकीय संस्था श्री रमा बैकुण्ठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, पुष्कर में संचालित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार क्रमोन्नत किये जाने वाले राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की वरिष्ठ उपाध्याय स्तर की कक्षा में न्यूनतम छात्र संख्या 30-40 होनी चाहिए, किन्तु

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, पुष्कर में वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में छात्र संख्या मात्र 5 है। न्यून छात्र संख्या होने के कारण राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। इसके अलावा एक अराजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय पुष्कर में पहले से संचालित है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संचालित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है? बच्चों के लिए पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? इन विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखते हैं और नहीं तो क्यों?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में जो विद्यालयों में छात्र संख्या है, वह इस प्रकार है- राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, पुष्कर- कक्षा 6 में 4, कक्षा 7 में 10, कक्षा 8 में 10, कक्षा 9 में 32, कक्षा 10 में 14, कक्षा 11 में 15 और कक्षा 12 में 5.

राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सराधना- कक्षा 1 में 7, कक्षा 2 में 5, कक्षा 3 में 9, कक्षा 4 में 5, कक्षा 5 में 4, कक्षा 6 में 3, कक्षा 7 में 4, कक्षा 8 में 1, कक्षा 9 में 0, कक्षा 10 में 0, टोटल 38.

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पुष्कर- कक्षा 1 में 29, कक्षा 2 में 12, कक्षा 3 में 12, कक्षा 4 में 20, कक्षा 5 में 16, कक्षा 6 में 14, कक्षा 7 में 14, कक्षा 8 में 7, टोटल संख्या 124.

राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करकेड़ी- कक्षा 1 में 5, कक्षा 2 में 5, कक्षा 3 में 2, कक्षा 4 में 6, कक्षा 5 में 2, टोटल संख्या 20.

राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रूपनगढ़- कक्षा 1 में 24, कक्षा 2 में 18, कक्षा 3 में 11, कक्षा 4 में 8, कक्षा 5 में 4, टोटल संख्या 65.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने जो बात कही पानी की व्यवस्था के बारे में तो इसे निश्चित रूप से आप बताएं, वैसे तो सभी जगह पानी की व्यवस्था की गयी है, लेकिन फिर भी अगर आप स्पेसिफिक रूप से कहीं बताएंगे तो वहां पानी की सारी व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह पूछा था कि इन विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और रिक्त कितने हैं? जो रिक्त हैं, उन्हें कब तक भर देंगे और नहीं भरेंगे तो क्यों नहीं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी सूची है। वैसे आप चाहें तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: टोटल बता दें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): टोटल मैं बता सकता हूं। वरिष्ठ अध्यापक टोटल 3097 स्वीकृत हैं, कार्यरत 1500 हैं। पूरे राजस्थान का बता रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: पुष्कर का बताएं सिर्फ। Pushkar only.

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): चलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप बाद में उपलब्ध करवा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आराम से बैठें, प्लीज। जल्दी नहीं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की सूची मेरे पास उपलब्ध है, पुष्कर की मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पुष्कर में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वरिष्ठ अध्यापक का एक पद स्वीकृत है, कार्यरत एक है और रिक्त जीरो। अध्यापक एल-1 तीन स्वीकृत, तीन कार्यरत। अध्यापक एल-2 तीन स्वीकृत, दो कार्यरत, एक रिक्त, यह पुष्कर का है। रूपनगढ़ का मैं बताना चाहूंगा, अध्यापक एल-1 दो स्वीकृत हैं, दो कार्यरत हैं, जीरो रिक्त है। इसी तरह से अध्यापक लेवल-2 जीरो स्वीकृत हैं, एक यहां कार्य व्यवस्था में लगाया हुआ है। इसी तरह से बहुत बड़ी सूची है। मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं आप ले लीजिएगा।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में छात्र संख्या मात्र पांच है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुष्कर में एक निजी महाविद्यालय है, तो क्या सरकार नियमों में बदलाव करके पुष्कर में सरकारी संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष

(डा. सुभाष गर्ग)

महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, अभी नियमों में बदलाव की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। जहां तक सवाल है, एक कालेज आलरेडी नोन-गवर्नमेंट सैक्टर में चल रहा है और वरिष्ठ उपाध्याय में संख्या पांच है, तो मैं नहीं समझता कि अभी भविष्य में कोई खोले जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मुझे मिल गया, मैं सीधे ही पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: न, न, आप प्रश्न पूछें।

चूरू के रीको औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं

463. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले के तारानगर, बीदासर एवं सादुलपुर फेज तृतीय औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास यथा पानी और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं होने के उपरान्त भी उक्त क्षेत्रों को रीको द्वारा किस प्रकार विकसित घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट, गन्दे पानी व औद्योगिक अपशिष्ट की निकासी हेतु ड्रेनेज नालियों आदि सुविधाओं की कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हां तो कब व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में दिनांक 01.01.2009 से 30.06.2019 तक रीको द्वारा आबंटियों से प्राप्त किये गये सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज पर टैक्स, धारण शुल्क, धारण शुल्क पर टैक्स, भूखण्ड बहालीकरण शुल्क आदि मदों में कितनी राशि रीको को प्राप्त हुई और कितनी राशियों के मांग पत्र आबंटियों को जारी किये गये व उक्त अवधि के मध्य उक्त तीनों औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व रखरखाव हेतु कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त तीनों औद्योगिक क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं की जांच हेतु वर्ष 2015 में प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट पर रीको विभाग द्वारा क्षेत्र के

(श्री अमित चाचाण)

उद्यमियों को क्या-क्या राहत प्रदान की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) रीको औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी व पर्याप्त स्ट्रीट लाइट उपलब्ध होने पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया जाता है। चूरू जिले के औद्योगिक क्षेत्र तारानगर के आंशिक भाग (भूखण्ड संख्या एफ 9 से एफ 22, जी 23 से जी29, जी 1-29ए से जी 1-36, एच 1-37 से एच 1-41, जी 1-42, से जी 1-45, एच-46 से एच-54, जी1-55 से जी1-62, एफ-63 से एफ-66, एफ-67 से एफ-71, ई-72 से ई-75 तथा ई-79) को दिनांक 01.01.2009 से विकसित घोषित किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र बीदासर को दिनांक 01.06.2011 से विकसित घोषित किया गया था।

औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर फेज तृतीय के आंशिक भाग (भूखण्ड संख्या एच1-120 से एच 1-129, जी 1-130 से जी1-135, ई-136-ई से ई-138, जी1-139 से जी1-141, एच-142 से एच-146, जे-147 से जे-154, जे-155 से जे-162, एच1-163 से एच1-168, एफ-169 से एफ-187 तथा ई-188 से ई-199) को दिनांक 01.01.2009 को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर विकसित घोषित किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र तारानगर व सादुलपुर में जलप्रदाय योजना की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की गयी थी। जल स्रोत में अल्प जल उपलब्ध होने के कारण कालांतर में जल योजना सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पायी। हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को औद्योगिक क्षेत्र तारानगर एवं सादुलपुर की जल योजना सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त धनराशि रुपये 174.76 लाख दिनांक 05.10.2018 को दी जा चुकी है। जलप्रदाय योजना सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

औद्योगिक क्षेत्र बीदासर में जलप्रदाय योजना की व्यवस्था रीको द्वारा की गयी है। वर्तमान में रीको द्वारा संधारित की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र तारानगर, बीदासर एवं सादुलपुर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रीको द्वारा की गयी है एवं वर्तमान में रीको द्वारा संधारित की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र तारानगर, बीदासर एवं सादुलपुर के विकास के लिए जारी प्रशासनिक स्वीकृति में नालियां बनाये जाने का प्रावधान नहीं लिया गया था, जिससे उन क्षेत्रों में नालियों का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(3) उक्त तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में दिनांक 01.01.2009 से 30.06.2019 तक रीको द्वारा आबंटियों से प्राप्त हुए सर्विस चार्ज पर टैक्स धारण शुल्क धारण शुल्क पर टैक्स, भूखण्ड बहालीकरण शुल्क आदि मदों में प्राप्त राशि का विवरण एवं रखरखाव पर खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की जांच हेतु जिला कलेक्टर चूरू द्वारा जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र बीदासर के लिए गठित कमेटी द्वारा दिनांक 17.06.2015 को निरीक्षण किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर के लिए गठित कमेटी द्वारा दिनांक 25.06.2016 को तथा औद्योगिक क्षेत्र तारानगर के लिए गठित कमेटी द्वारा दिनांक 24.07.2015 को निरीक्षण किया गया। उक्त कमेटियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसार इकाई कार्यालय द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण के आवश्यक कार्य करवाये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित घोषित करते समय सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी थीं। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित घोषित करना के उपरांत सर्विस चार्ज निगम द्वारा वसूल किये जाते हैं। प्राप्त सर्विस चार्जेज से उस औद्योगिक क्षेत्र में रखरखाव का कार्य किया जाता है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को रीको नियमानुसार प्रदत्त सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने बताया कि 1.1.2009 को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर विकसित घोषित किया गया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां आज भी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो माननीय सदस्य।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सर, यह प्रश्न का ही है। जिस तरह से इन्होंने कमेटी का हवाला दिया है कि कमेटी कलेक्टर महोदय ने बनाई थी उस कमेटी ने स्पष्ट कहा है- परन्तु आज तक उपरोक्त पेयजल स्रोत चालू नहीं

(श्री अमित चाचाण)

करवाये गये, मौका निरीक्षण पर स्ट्रक्चर खराब पाया गया, क्षेत्र में पाइप लाइन नहीं डाली गई पाई गई। औद्योगिक क्षेत्र में एक भी स्ट्रीट लाइट.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, यह तो पढ़ लिया। प्रश्न क्या है आपका?

श्री अमित चाचाण (नोहर): प्रश्न ही है मूलभूत सुविधाओं का। ये कह रहे हैं कि उपलब्ध करवा दी गई लेकिन जब कमेटी 2015 में कह रही है कि उपरोक्त सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गईं और इन्होंने 2009 में ही विकसित घोषित कर दिया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उद्यमियों के द्वारा बार-बार मांग उठती रही है कि क्षेत्र में किस तरह से उद्योग लगाएं, रोजगार दें, जबकि आज तक वहां सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

श्री अध्यक्ष: आप पूछो, कब तक? आप प्रश्न पूछो न, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं तो आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि ये मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि 2015 में कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि सड़कें टूटी-फूटी हैं, पानी की व्यवस्था कमजोर है उसके लिए 2017 में ही 174 लाख रुपये की राशि पीएचईडी को दी गई है, उसका काम प्रगति पर है। सड़कों के लिए भी काम करवाया गया है, बिजली की स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज विभाग से जानकारी ली है, अभी कोई इस तरह का प्रस्ताव पैण्डिंग नहीं है। अगर वहां के तीनों औद्योगिक क्षेत्रों से प्रस्ताव आएंगे तो उनकी शीघ्र स्वीकृति करके कार्य करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये काम 2017 में करवाये गये हैं तो उद्यमियों से 2009 से जो शुल्क लिए जा रहे हैं, वह शुल्क जब तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो तब तक का माफ किया जाए। धन्यवाद।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने जवाब में बताया, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के बाद ही सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है। पूरी तरह से विकसित कर दिया गया उसके बाद कोई

(श्री परसादी लाल)

औद्योगिक क्षेत्र रहा तो तीनों खण्डों में एक खण्ड का विकसित कर दिया, फिर दूसरे का किया और उसी के अनुसार विकसित करके वहां पर विकसित घोषित किया गया और उसके बाद ही सर्विस चार्ज वसूल किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आपके सर्विस चार्ज से ज्यादा राशि इन तीनों इलाकों में खर्च की गई है। और भी प्रस्ताव आएंगे तो रीको द्वारा उनको स्वीकृत कर देंगे। आप तो प्रस्ताव भिजवाएं, जो आएंगे उनको स्वीकृत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में वृद्धावस्था पेंशन में विलम्ब

464. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वृद्धावस्था पेंशन नियत तिथि पर दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पेंशन जारी होने में विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): जी हां। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान समय पर दिया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वृद्धावस्था पेंशन (माह मई, 2019) का भुगतान बैंक द्वारा Electronic Clearing Service में तकनीकी समस्या के कारण समय पर नहीं दिया जा सका। वर्तमान में दिनांक 25.06.2019 को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2018 आचार संहिता के कारण और जनवरी, 2019 में जांच के नाम पर काफी बन्द कर दी, क्या उनको चालू करोगे? जांच के नाम पर बन्द कर दी जबकि उन पर कोई रोक नहीं है और पूर्व में उनको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा क्या वृद्धावस्था की उम्र सरकार 58 वर्ष करेगी?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पेंशन महिला के लिए 55 साल और पुरुष के लिए 58 साल है और इससे नीचे करना का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा,

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

इन्होंने पूछा कि जितनी भी पेंशन हैं वह बन्द हो गई। पेंशन बन्द नहीं होती है, उसमें कोई न कोई कारण होता है। या तो उनका भौतिक सत्यापन है जैसे अंगूठे के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा, ई-मित्र के द्वारा, वह नहीं होने की वजह से यह पेंशन मिलती नहीं है। अब हमने इसका बहुत सरलीकरण कर दिया और उसका एक महीने तक भी सत्यापन नहीं आएगा तो उसको एक महीने की राशि भी दी जाएगी। पहले से जो पेंशनधारी था और बन्द हो गई तो वह पेंशन तो रहेगी, उसका खाता तो रहेगा लेकिन जो चीजें हमारे रिकार्ड के हिसाब से मांगी जाती है कि यह-यह चीज का सत्यापन होना चाहिए तो उस आधार पर करेंगे तो कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले काफी खामियां थीं और 15 दिन पहले ही हमने सारा सरलीकरण किया है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके पीलीबंगा क्षेत्र में आज की तारीख में केवल 5 ही वृद्धावस्था पेंशन है जो बाकी है और ज्यों ही उनकी आक्षेप पूर्ति हो जाएगी, यह भी चालू हो जाएगी। अगर पहले बन्द हो गई और अब आक्षेप निकाल देंगे तो वह भी चालू हो जाएगी। वह बन्द नहीं होगी तथा उसका एरियर भी मिलेगा, यह भी हमने तय कर दिया है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): बायोमैट्रिक में बुजुर्गों के निशान नहीं आते हैं जिसकी जांच के कारण रोकी हुई है और वह काफी है। उन्होंने आपको गलत सूचना दी है और आप कहो तो मैं आपको आंकड़ा उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ-साथ वृद्धावस्था के फार्म सरकार ले रही है या नहीं ले रही है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): फार्म भी लेते हैं और रोज कोई न कोई पेंशन पोर्टल पर देने वाले आ जाते हैं। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि केवल 45 व्यक्ति हैं जिनका पेमेंट पैण्डिंग है। उनकी पूर्ति होते ही उनको पेंशन मिल जाएगी। इसलिए इसकी चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। यह पेंशन बन्द भी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। पीलीबंगा का प्रश्न है, नोट अलाउड।

घी एवं खाद्य तेलों के उत्पादन में पाम ऑयल के उपयोग पर पाबन्दी

465. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित विभिन्न घी एवं खाद्य तेल उत्पादक कंपनियां उत्पादन के दौरान पाम आयल का उपयोग घी तथा अन्य खाद्य तेलों में मिलाकर कर रही हैं? यदि हां, तो उक्त का मिश्रण किस मानक पर किया जाता है? मानदण्डों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त रासायनिक पदार्थ के मिश्रण हेतु कोई नियम एवं मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों द्वारा पाम आयल के खाद्य सामग्री में उपयोग लेने पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाई जा चुकी है? यदि हां, तो क्या कारण है कि प्रदेश में अभी तक पाम आयल का उपयोग घी एवं खाद्य तेल जैसे महत्वपूर्ण खाद्य सामग्रियों में मिश्रण के रूप में किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों में पाम आयल के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम प्रोहिबिशन एण्ड रेस्ट्रिक्शनस आन सेल्स रेगुलेशन 2011 के विनियम 2.1.1(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घी उत्पादन के दौरान कोई भी तेल नहीं मिलाया जा सकता है। अन्य खाद्य तेलों में पाम आयल का उपयोग मिश्रण के रूप में ब्लेण्डेड वेजीटेबल आयल्स पर रेगुलेशन 2.2 (24) में निर्धारित मानक के अनुसार किया जा सकता है। उक्त विनियम की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। अन्य खाद्य तेलों में पाम आयल का उपयोग मिश्रण के रूप में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ब्लेण्डेड वेजीटेबल आयल्स पर रेगुलेशन 2.2 (24) में निर्धारित मानक के अनुसार किया जा सकता है। उक्त विनियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) भारत में खाद्य पदार्थों के मापदण्ड केन्द्र सरकार के अधिकरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा लागू किये जाते हैं और

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

इस एक्ट के अनुसार वर्तमान में पाम आयल की ब्रिकी में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अन्य खाद्य तेलों में पाम आयल का उपयोग मिश्रण के रूप में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ब्लेण्डेड वेजीटेबल आयल्स पर रेगुलेशन 2.2 (24) में निहित मानक के अनुसार किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम फूड प्रोडक्ट्स स्टैण्डर्ड्स एण्ड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन 2.2(19) के अन्तर्गत पाम आयल एक खाद्य पदार्थ है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं विनियम केन्द्रीय एक्ट है। उक्त विनियम की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रश्न के क्रम संख्या 3 में पूछा गया है कि क्या सही है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पाम आयल की खाद्य सामग्री का उपयोग लेने पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाई जा चुकी है, लेकिन इसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया है, इसका स्पष्ट उत्तर दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई प्रतिबंध नहीं है, लिखा है न इसमें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या यह सही है कि विभिन्न सर्वेक्षणों में पाया गया है कि पाम आयल उच्च वसा की मात्रा, दूसरों तेलों से कहीं ज्यादा होती है इसकी मिलावट वाले तेल को रोज खाने से दिल की बीमारियों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, लीवर, किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। यह मानव शरीर के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। क्या सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने का नियंत्रण का विचार रखती है? यदि हां तो कब, नहीं तो क्यों?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि डब्ल्यूएचओ एक आर्गनाइजेशन है जो सुझाव देती है। It’s not a binding, जो एक्ट है उसके नियम प्रावधान लागू होते हैं, उसमें क्लियरकट स्पेसिफिकेशन जो मैने बताया, परिशिष्ट उपलब्ध है उसे आप पढ़ें। मैं पढ़कर भी सुना सकता हूं जिसमें लिखा - “Palm oil means the oil obtained from fleshy mess crop of fruits of the oil palm,

(डा. सुभाष गर्ग)

trees by the method of expression or solvent extraction. It shall be clear free from rancidity suspended or other foreign matters separated water, added coloring and flavoring substances or mineral oil. It shall confront to the following standards namely:-" पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जिसके तहत अगर ये चीजें हैं तो पाम आयल का मिश्रण अन्य खाद्य तेलों के साथ किया जा सकता है, जिसके लिए मैं यह बताना चाहूंगा, जैसा घी का मैंने बताया इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हिन्दी में भी बता देना चाहूंगा, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, FSSAI-Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011, regulation 2.2 (19) के पाम आयल एक खाद्य पदार्थ है, पाम आयल के मानक 'Butyrometer' में 50 डिग्री सेन्टीग्रेड पर रीडिंग 30.5 से 44 के बीच होने चाहिए व आयोडीन वैल्यू की मात्रा 45 से 56 होनी चाहिए। इस तेल में किसी भी तरह का रंग व सुगंध नहीं होना चाहिए। अन्य खाद्य तेलों में पाम आयल का उपयोग मिश्रण के रूप में किया जा सकता है, जिसके मानक खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम फूड (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 के regulation 2.224 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। Blended Vegetable Oils के level पर पूर्व जानकारी एक ही शर्त है जो भी आपने blend किया है तेल, उसकी पूरी जानकारी जो आयल टिन, पीपा या पैक्ड है उसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए कि इसमें कौनसा कितना किस स्टैंडर्ड के साथ मिलाया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाम आयल या मिलावट आज की तारीख में हर सामग्री में, हर तेल हर जगह इसके लिए सरकार कोई ऐसा कानून नियम भी बनाए, क्या सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले अखाद्य पाम आयल पर रोक लगाने का विचार रखती है क्योंकि इससे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, चर्म रोग आदि आज जो बीमारियां हो रही हैं, ये मिलावट के कारण हो रही तो सरकार ऐसा सोचे और इस पर पाबन्दी लगा दे और यह मिलावट बंद हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहती है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से हम सब, पूरा सदन इस बात से वाकिफ है और जैसा कि मैंने बताया कि यह एक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक्ट है। गवर्नमेंट आफ डंडिया इम्पोर्ट पर कोई प्रतिबंध लगाएगी तो निश्चित रूप से वह कंट्री पर लागू हो जाएगा।

दूसरा आपने कहा कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और आपको ध्यान हो, हमारी सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला, 11 फरवरी, 2019 से 20 फरवरी, 2019 तक मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान राज्य में चलाया गया, जिसमें कुल 865 संस्थानों, प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाकर 642 नमूने लिए गए। दिनांक 6 मार्च, 2019 से 20 मार्च, 2019 तक होली के शुभ अवसर पर विशेष अभियान राज्य में चलाया गया, जिसमें कुल 537 संस्थाओं, प्रतिष्ठानों को निरीक्षण किया जाकर 403 नमूने लिए गए। 1 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2019 तक 4520 संस्थानों/ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाकर 2986 सैम्पल लिए गए, जिनमें से 380 सब स्टैण्डर्ड, 2011 मिस ब्रांडेड एवं 156 अनसेफ प्रकृति के पास गए। 131 सब स्टैण्डर्ड प्रकरणों को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा 5 असुरक्षित प्रकरणों को संबंधित न्यायालय एसीजीएम,/ सीजीएम में पेश किया जा चुका है तथा शेष प्रकरणों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. राजकुमार। एक मिनट राजकुमार जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, पिछले लम्बे समय से, पिछली गवर्नमेंट में और इसमें भी नकली घी का बहुत बड़ा प्रचलन और बहुत बड़ा उत्पादन है, उसके बारे में राजस्थान में कई केस पकड़े गए और बड़ी मात्रा में टिन भी पकड़े गए, सब सामान, लेकिन उनमें से कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि नकली घी बनाने वाले किसी एक को भी पिछले चार-पांच साल में कभी सज़ा मिली है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा, सारे प्रकरण न्यायालय के प्रक्रियाधीन हैं। न्यायालय जो भी फैसला करेगा, उससे अवगत आप भी हो जाएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): न्यायालय तक तो पहुंचाते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं, लेकिन उसके बाद कोई पैरवी की चिंता नहीं करता है। इसलिए एक ऐसा संदेह हो गया कि बड़े आदमी को पकड़ते तो जरूर हैं, कुछ केस बनते भी हैं, लेकिन इनमें से एक को भी सज़ा नहीं हो पाती।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और पूर्ववर्ती सरकार की तरह किसी भी केस को विदड्रा करने की कार्यवाही नहीं करेगी और अंतजाम तक पहुंचाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, डा. राजकुमार।

गोचर भूमि के संरक्षण हेतु गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन

466. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गोचर हेतु कुल कितनी भूमि निर्धारित की हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवैध अतिक्रमण व कब्जों के कारण प्रदेश में गोचर भूमि निरंतर कम होती जा रही है, जिसके कारण गायों व अन्य पशुधन के लिए चारे का संकट होता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार गोचर भूमि के सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोचर भूमि के संरक्षण व संवर्धन के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन करना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 6 के तहत प्रति पशु ½ बीघा भूमि गोचर रखे जाने के प्रावधान हैं। राज्य के जिलों में स्थित चरागाह भूमि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 लागू होने के समय चरागाह भूमि का प्रदेश में 1297886.26 हैक्टेयर क्षेत्रफल से बढ़कर दिनांक 01.07.2017 तक 1422013.32 हैक्टेयर क्षेत्रफल हुआ है। इस प्रकार चरागाह के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

(राजस्व मंत्री)

चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें परिपत्र दिनांक 11.09.2017 एवं परिपत्र दिनांक 20.05.2019 सम्मिलित है। इन परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजस्व विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने भी इस बोर्ड के गठन की बात कही थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में और हमने भी 7 महीने पहले जो घोषणा पत्र बना था, चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन होगा और आपको पता है सदन के अंदर माननीय सदस्य शकुन्तलाजी गोमाता पर संकल्प लेकर आईं, ये लोग तो गौमाता को यूज करते हैं, चुनाव के लिए...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): प्रश्न ही है मेरा सीधा, आप गोमाता का नाम लेते ही ऐसे हो जाते हो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सात माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक हमने इसके गठन का प्रस्ताव भी तैयार नहीं कराया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन कब तक कर दोगे? और दूसरा साथ में पूछ लेता हूं, क्योंकि समय कम है कि राज्य में भूमाफियाओं ने हजारों रुपयों का गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके बड़े-बड़े संस्थान बना लिए। क्या आप कोई अभियान चलाकर गोचर भूमि वापस सरकार के रिकार्ड में दर्ज करना चाहते हैं तथा क्या गोचर भूमि पर वैध या अवैध माइनिंग भी चल रही है क्या और ऐसे अवैध माइनिंग वालों को या किसी सरकार ने अधिकारियों से मिलीभगत करके कोई गोचर भूमि का आबंटित कर दिया माइनिंग के लिए भी? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही करने का विचार रखती है सरकार?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि के संरक्षण के बोर्ड के संदर्भ में राजस्थान सरकार के अंदर विचार के बाबत आपके सुझाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जल्दी फैसला किया जाएगा।

(12.00 बजे)

दूसरा, आपका सवाल था कि क्या गोचर भूमि के ऊपर किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है? राजस्थान के अन्दर गोचर भूमि के ऊपर किसी गरीब ने या तो मजबूरी या अज्ञानता के कारण छोटे स्तर पर अगर कोई अतिक्रमण किया है तो उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसके सन्दर्भ में आने वाले समय में नीति बनाई जा रही है और बड़े स्तर पर किसी भू-माफिया ने अगर किया है तो उसके खिलाफ सख्ताई की जाएगी।

तीसरी, आपने बात की है कि गोचर भूमि के अन्दर किसी प्रकार की माइनिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है? अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर, 2011 के परिपत्र के अन्दर यह साफ आदेश दिया गया कि किसी भी गोचर भूमि के अन्दर माइनिंग नहीं की जाएगी। अगर किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्तर पर इस तरह की कार्यवाही के अन्दर परमिशन दी है तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, चाहे वह अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

सूचना

नागौर में बालिका की मृत्यु से जन आक्रोश

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं और मेरी इसमें मंशा है कि जिसके साथ भी घटना हुई उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं कि नागौर की जो घटना हुई जिसके कारण से पिछले दो-तीन दिन से धरना और प्रदर्शन चल रहा है और उसकी डैड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जो बच्ची उस निजी शिक्षण संस्था में पढ़ती थी उस बच्ची ने सुसाइड किया, ऐसा उनका कहना है। मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन डैड बॉडी को उतारना और उतार करके होस्पिटल पहुंचा देना बिना पुलिस की जानकारी के, यह कभी भी कानून में उसको माफ नहीं किया जा सकता। चाहे उसने क्या किया, क्या नहीं किया, पुलिस को सूचना देनी थी। डैड बॉडी को उतारने में पुलिस की प्रजेंस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होनी चाहिए और फिर डैड बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस पाइंट पर निश्चित रूप से जो भी आज आंदोलनरत हैं या धरना लगाए बैठे हैं, पोस्टमार्टम 2 तारीख से लेकर अब तक नहीं हुआ है तो यह एक निश्चित रूप से, फिर दूसरा यह कि जब एफआईआर लिखा दी उन्होंने 386 कोतवाली, नागौर में और यह एफआईआर आपकी 3 तारीख को दर्ज हो गई और इसको आपने धारा 302, 201 और 120बी में दर्ज किया तो अब तक इसमें किसी को भी मुलजिम क्यों नहीं माना? क्यों नहीं आपने उसमें गिरफ्तारी की? उसके कारण से यह जो सारा झगड़ा दो समाज और दो जातियों के बीच में आकर खड़ा हो रहा है, जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उन हालातों को समय पर समझने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि इसमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और जातीय विद्वेष इतना अधिक फैलेगा कि उसके कारण से हमको कई प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि या तो इसकी जांच सीबीआई को दें। उन लोगों की जो मांग है कि कोई न कोई सीनियर अधिकारी यहां से भेजकर तुरंत इसमें गिरफ्तारी करना का काम करें। कम से कम उसे बुलाकर पूछें तो सही कि तुमने यह डैड बॉडी उतारी कैसे। अगर उसने सुसाइड किया है तो उसका कमरा खुला कैसे, उसका गेट टूटे बिना वह डैड बॉडी बाहर कैसे आई। यह सारा संदेह पैदा करती है और उसके पहले उसके घरवालों को सूचना नहीं दी। घरवाले केवल बॉडी को मोर्चरी में जाकर देखें, यह अगर आपके और मेरी बच्ची के साथ भी हो जाए तो हमको इसकी पीड़ा नहीं होगी क्या? मैं सोचता हूं कि इसके बारे में मंत्री महोदय जवाब दें और जवाब के साथ व्यवस्था दें। जवाब से संतुष्टि नहीं होगी। अगर लोगों को वास्तव में शांत करना है तो कोई जिम्मेदार आदमी जाकर उनके साथ बैठ करके, बातचीत करके जिन विषयों पर उनका गतिरोध है उसको तोड़ने का प्रयास करे। जांच किसी अच्छे अधिकारी से जाकर तुरंत कराएं और तुरंत जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर एक्शन करें। एक बात।

राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन से उत्पन्न अंसतोष

दूसरा, मेरा एक विषय और था जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। चूंकि आज आपने जीरो आवर नहीं किया और जीरो आवर नहीं करने के कारण से एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के सामने आ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रही है पंचायत पुनर्गठन से। हम लोगों ने कई अलग-अलग प्रस्ताव दिए हैं, मैं सोचता हूं कि इस विषय के बारे में, यह जो हम लोगों ने इसका ...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पंचायतों का पुनर्गठन आज तो चालू नहीं हुआ। एक महीना हो गया। एक महीने में आखिरी रोज जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि यहां पर आज जीरो आवर नहीं होगा तो फिर आप चार-चार, पांच-पांच इश्युज पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक मिनट। आप बैठें, एक मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जीरो आवर के लिए आपने मना किया है। आपकी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठें आप। मैं चेयर पर हूं। मैंने अलाउ किया है उनको। उन्होंने यील्ड नहीं किया है। Let him speak.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि इस विषय पर चूंकि इसका पुनर्गठन, आब्जेक्शन, उसकी तारीखें चल रही थीं और आब्जेक्शन का भी समय समाप्त नहीं हुआ। अभी तक वह निर्णय होने की स्थिति में है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो 1992 में पहली बार हुआ, वह 1991 की जनगणना के आधार पर 1992 में हमने पंचायत पुनर्गठन का काम किया। उसके बाद 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 में, यहां भी इस रिपोर्ट के आधार पर 2014 में इसका पुनर्गठन हुआ। आज कौनसी जनगणना नयी हो गई जिसके कारण से आपको पुनर्गठन करना पड़ा और पुनर्गठन करने का भी कोई औचित्य तो समझ में आना चाहिए। मतलब मैं यह सोचता हूं कि चाहे जिस पंचायत को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। कोई अगर पंचायत समिति में नई पंचायत समिति बनने की स्थिति हो वहां एक्सरसाइज करें तो कोई समस्या नहीं। कोई ऐसी समस्या आ गई कि जिसमें पंचायत में यह भाग किसी दूसरी जगह मिल गया और उस समय जो लोगों के आब्जेक्शन पड़े हैं उन पर विचार कर लेने में किसी को कोई हर्जा नहीं, लेकिन सारी पंचायतों को डिस्टर्ब करके उनको तोड़ना-मरोड़ना, उसके कारण से असंतोष फैल रहा है और मैं सोचता हूं कि सारी पंचायत समितियों के अब तक जो मेरे पास सूचना है पचास हजार से अधिक लोगों ने इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुनर्गठन की कम्प्लेंट की है। अब इतने लोगों में असंतोष पैदा करके आप करना क्या चाह रहे हो? मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि ये जो पिछली बार आपकी रिपोर्ट थी इसमें भी 2011 के बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। अगर उसके बाद कोई जनगणना होती और उसके आधार पर आप नयी पंचायतें बनाएं तो आप नियम से बना सकते हैं कोई एतराज नहीं है लेकिन आज की तारीख में जो 2011 के आधार पर 2014 में पंचायत समितियां 47 और 723 नयी पंचायतें बन गईं। अब आपको अगर कहीं लगता है कि कोई पंचायत समिति उस समय बनने से रह गई और आज वह मापदंड को पूरा कर रही है पंचायतों के आधार पर तो वहां तो आप एक्सरसाइज करें तो वहां तो समझ में आता है लेकिन सारी पंचायतें, राजस्थान की 9-10 हजार पंचायतों को डिस्टर्ब करके आपने एक नया खाता खोल दिया और परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, मैं आपको आज भी कह रहा हूं आपने जितने एफर्ट्स किये हैं न, सब बैक हुए हैं और यह पहली बार, दो ही बार पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, या तो भैरोंसिंह जी के टाइम पर हुआ या वसुंधरा जी के टाइम पर हुआ। आपने कई अटैंप्ट किए लेकिन सब अटैंप्ट आपके फेल हुए यह अटैंप्ट भी फेल होगा। मैं सोचता हूं कि लोगों को जबर्दस्ती परेशानी में डाल करके आप इसमें कुछ ले नहीं पाओगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। आप अजीब आदमी हैं। प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। प्लीज बैठें। आप सुन नहीं रहे क्या? प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: I will name you. बहुत सीनियर मैंबर होकर भी आप, जब कटारिया जी बोल रहे हैं फिर भी खड़े हो गए। अजीब हैं। मैं रूलिंग भी नहीं दूंगा, खड़े हो जाएंगे आप। क्या परम्परा डालना चाहते हैं आप? कम से कम मेहरबानी करके सदन में आप सीनियर लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, परम्पराओं का निर्वहन करें। पार्टी का लीडर बोल रहा है, सीएलपी लीडर बोल चुका है। कोई पाइंट आउट, आप बोलें, आप बोल लें, आप ध्यान खींच लेंगे सरकार का? आप खींच लेंगे बिना अध्यक्ष के? आप नीचे बैठें प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अनुमति नहीं है। Don’t impose your अनुमति।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है नागौर के संबंध में, मैं सरकार से कहूंगा कि तथ्यों का करके और जो माननीय विपक्ष के नेता ने कहा, गम्भीर प्रश्न है कि दो समाज के बीच टकराहट नहीं हो और जो कानून की खामी हुई है उसको देखने के लिए किसी अधिकारी को भेजकर शाम तक आप इसके बारे में सदन को अवगत कराएं।

पंचायत के संबंध में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, सरकार इस बारे में ध्यान दे। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

पाइंट आफ आर्डर, आज जीरो आवर इसलिए नहीं रखा कि दो इम्पोर्टेंट बिल और एक स्टेटमेंट जो पहले का ड्यू था इसलिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी सदस्य बिल पर बोलें वह कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें और यदि रिपीट नहीं करें और चर्चा करें तो हम अच्छी गम्भीर चर्चा कर पाएंगे। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं सभी सदस्यों को अलाउ नहीं करूंगा। पुखराज जी कुछ बोलना चाहें तो बोलें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो विपक्ष के नेता जी ने नागौर का मुद्दा उठाया, मैं उसी संदर्भ में... सर, मैं उसी संदर्भ में...

श्री अध्यक्ष: माननीय पुखराज जी, मैंने कहा न, एक मिनट सुनें आप। एक मिनट बैठें। जब मंत्री जी जवाब दें तब आप अपनी बात को पूरी कहें। मंत्री जी शाम को जवाब देंगे। आपकी भावना को समझ लिया, विपक्ष के नेता ने कहा है। जब मंत्री जी जवाब देंगे तब आप और कोई बात जो आप ध्यान में लाना चाहें वह लायें। अभी बैठें आप।

माननीय सदस्य, मेरे पास तीन..., प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप नहीं सुन रहे हैं क्या? मैं खड़ा हुआ हूं आप क्या परम्परा डालना चाहते हैं। मेरे को तीन माननीय सदस्यों ने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए समय मांगा है। माननीय सदस्य, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

131 माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण मीणा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बस्सी (जयपुर) के विद्युत निगम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 131 में बस्सी के ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाबत राजस्व को नुकसान होने की स्थिति के बाबत जो बात कही है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 33/11 केवीए विद्युत केन्द्र लालगढ़ व संबंधित 33 केवीए लाइन व 11 केवीए लाइन के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश 17,19,027 रुपये का मैसर्स वैष्णव एंटरप्राइजेज को दिया गया था, न कि 50 लाख का।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जवाब तो आ गया था...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, प्लीज। सुनें पहले, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप सीखिए कुछ बात को। माननीय मंत्री जी जवाब दें, उसके बाद आप पूछिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसके सापेक्ष में 33 केवीए लाइन व 33 केवी का सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परंतु 11 केवीए में 3 में से 1 फीडर का कार्य पूर्ण हुआ है और शेष 2 फीडर का कार्य किसानों के विरोध के कारण अवरुद्ध हो गया है। आपने जैसा बताया कि 50 लाख, तो 50 लाख के बाबत तो मैं आपको बता चुका हूं, जबकि रनिंग बिल के अनुसार भी कुल मिलाकर 6,33,724 रुपये का ही अभी तक उसको भुगतान हुआ है। जो 33 केवीए लाइन खींची गई थी, वह आज चालू नहीं है। यह बात सही है कि वह चालू नहीं है, जैसा आपने बताया है। लाइन चार्ज कर दी गई थी परंतु 33 केवीए लाइन में केबल फाल्ट आने की वजह से वह लाइन अभी बंद है। परंतु 33 केवीए लालगढ़ सब स्टेशन को दूसरी लाइन से जोड़कर चालू कर रखा है। विस्तृत जांच कराने के बाबत जो आपने कहा है, तो विस्तृत जांच कराने के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

विभाग ने निर्देश दे दिये हैं, शेष कार्य एक माह में पूरा करने के भी निर्देश दे दिये हैं और जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश दे दिये गये हैं।

जहां आपने जेडीए के कल्पना नगर की बात की, कल्पना नगर आवासीय योजना में जेडीए के द्वारा 33 केवीए सब स्टेशन भवन व विद्युत तंत्र स्थापित किया गया था और वह विद्युत वितरण निगम को हैंड ओवर कर दिया गया था परंतु वहां कोई मकान ही नहीं बना हुआ है। अब जब कोई मकान ही नहीं बना हुआ है तो कनेक्शन किसको देंगे और न ही कोई आवेदन आया है। जब मकान ही नहीं है तो आवेदन भी क्यों आएगा। सामान चोरी गया है परंतु एफआईआर नहीं हुई। आपका यह कहना सही है कि सामान चोरी होने के बाद एफआईआर नहीं दी गई, उसके भी निर्देश दे दिये गये हैं। यह भी सही है कि विद्युत लाइनों के तार इत्यादि वगैरह टूट गये, खुर्द बुर्द हो गये और विभाग को जो जांच के निर्देश दिये गये हैं उसमें यह सब चीजें हैं, एफआईआर भी दर्ज कराने का है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियमानुसार कार्यवाही करने के जो निर्देश दिये गये हैं, विभाग उनको वक्त पर पूरा करवाने का प्रयत्न करेगा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत दो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे। एक यह था लालगढ़, श्रीरामनगर तथा आसपास के गांवों में लो वोल्टेज की प्रोब्लम थी। उसको ध्यान में रखते हुए 30 जून, 2011 में ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिनको बात करना हो, वे बाहर जाएं।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): श्रीरामनगर तूंगा 132 केवी जीएसएस है श्रीरामनगर के लिए और दूसरी एक लालगढ़ के लिए इन्होंने लाइन खींची। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 8 साल बाद तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन्होंने लाइन बिछा दी, पार्ट पेमेंट भी कर दिया और करीब 80 लाख रुपये खर्च कर दिये उसके बावजूद कोई नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह तो बिलकुल अनसैटिस्फैक्टरी है, तथ्यों के विपरीत है। वस्तु स्थिति यह है जो मैं बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से जानना चाहता

(श्री लक्ष्मण मीणा)

हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में एक कल्पना नगर आवासीय योजना है, उसका विद्युतीकरण करने के लिए जेडीए को काम दिया गया था। जेडीए ने वह काम करके जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हैंड ओवर कर दिया। वहां 33 केवी का एक सब स्टेशन बनाया गया। वहां आज तक न तो 51 ट्रांसफार्मर है, न 51 आरएमयू है, न पिलर बाक्स है। वहां इन्होंने कागजी कार्यवाही करके टेक ओवर और हैंड ओवर किया है। इसमें करीबन 4-5 करोड़ का घपला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां मौके पर एक भी चीज नहीं है। मंत्री जी बताएं कि जेडीए ने काम करके जयपुर विद्युत वितरण निगम को हैंड ओवर कर दिया, वह सामान कहां है? वहां 51 ट्रांसफार्मर, 51 आरएमयू और 44 केवी एलटी लाइन और 5 किलोमीटर की वह लाइन थी, इनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसकी आप एसीबी से जांच करवाइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यह 5 करोड़ का घपला है।

श्री अध्यक्ष: हो गया माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जितनी भी बातें आपने यहां बताई हैं, आपके उसमें यह नहीं था।

श्री अध्यक्ष: कल्पना नगर वाला जो इनका इश्यू है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कल्पना नगर के बाबत आपने बताया था। कल्पना नगर के बाबत मैं आपको निवेदन कर चुका कि वहां पर एक भी मकान बना हुआ नहीं है। जेडीए के द्वारा पूरा का पूरा विद्युत तंत्र विकसित कर दिया गया था। वहां न ही कोई आवेदन आया कि हमें कनेक्शन दे दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, यह प्रश्न नहीं है। इनका प्रश्न यह है कि जेडीए ने वहां पर करोड़ रुपये खर्च करके ट्रांसफार्मर लगा दिये, सब कुछ कर दिया और फिर हैंड ओवर कर दिया और आज वहां कुछ भी नहीं है, यह उनका प्रश्न है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि वहां पर चोरी हुई है और निश्चित तौर पर जो चोरी हुई है उसके लिए निर्देश दे दिये गये हैं। एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दे दिये गये हैं और प्रशासनिक इन्क्वायरी के भी निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं इसकी एसीबी से जांच कराएं आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यह 5 करोड़ का घपला है, सदन को यह आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अगला 131, श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया में मकानों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा क्षेत्र संगरिया में विद्युत विभाग की समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विद्युत लाइन सुरक्षा मापदंडों के बाबत जो बात उठाई है, विद्युत लाइनें बिछाने की निर्धारित दूरी के बाबत जो बात उठाई है, उसमें मेरा यह निवेदन है कि विद्युत लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के अनुसार रिहायशी मकानों से निर्धारित दूरी पर और ऊंचाई पर खींची जाती है, तथापि विद्युत लाइनें खींचने के बाद कालांतर में आमजन द्वारा विद्युत लाइनों के नीचे और पास में ही अवैध रूप से निर्माण कर लिया जाता है। लाइन पहले बिछ जाती है, लाइन बिछने के बाद कई लोग नीचे निर्माण करते हैं और लाइन के पास में भी निर्माण करते हैं और फिर यह मांग आती है कि यह लाइन हटवाओ, यह लाइन हटवाओ। यह आपके ही यहां की प्रोब्लम नहीं है, पूरे प्रदेश की प्रोब्लम है। यद्यपि विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु निगम प्रावधानों के तहत कार्यवाही करता है। कार्यवाही करने के लिए यह होता है कि विद्युत लाइन को शिफ्ट करने का 50 परसेंट खर्चा तो विद्युत विभाग बर्दाश्त करता है और 50 परसेंट खर्चा या तो आपके यहां के नगर निकाय से दिलवाएं या आपके विधायक फंड से दें या किसी से भी दिलवाएं, 50 परसेंट का भुगतान आपको उधर से करवाना पड़ता है तो वह लाइनें शिफ्ट हो जाती हैं। ऐसी विद्युत लाइनें जिससे मानव जीवन और सम्पत्ति को खतरा हो, उन्हें किसी व्यक्ति, संस्थान के द्वारा शिफ्टिंग करवाने हेतु निगम में नियमानुसार आवेदन करने पर तखमीना की 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा कराने पर तथा शेष 50 प्रतिशत राशि निगम के द्वारा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वहन कर अन्यत्र लाइनें शिफ्ट कर दी जाती हैं। संगरिया विधान सभा क्षेत्र में जिन स्थानों, घरों, आबादी के क्षेत्रों से 33 केवी और 11 केवी की विद्युत लाइनें गुजरी हैं, उनमें गांव रतनपुरा, वशीर संतपुरा, किशनपुरा, शेरका गूढ़िया, सलीवाला, माणक तिब्बी, सहरणी व 10 सीजीआर की ढाणी हैं जिसमें 10 सीजीआर की ढाणी व किशनपुरा में लाइन शिफ्ट करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन पर कार्यवाही करते हुए 50 प्रतिशत की राशि जमा कराने पर मांग-पत्र भी जारी कर दिये गये थे। किशनपुरा गांव से लाइन हटाने हेतु मांग-पत्र की राशि जमा हो चुकी है और लाइन हटाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 994 विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में 172 विद्युत कनेक्शन लंबित हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है वह माह अक्टूबर, 2019 तक जारी किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत डबलीखुर्द, डबलीकलां, मिरजावाली, मेड़, घुरनावाल, केहरवाला, रामपुरिया, मसीतावाली आदि में विद्युत भार के अनुरूप वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये गये हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मिरजावाली, मेर में स्थापित 33/11 केवी सब-स्टेशन पर एक अतिरिक्त 3.15 एबीए का पावर ट्रांसफार्मर भी स्वीकृत किया जा चुका है। टिब्बी पंचायत समिति के अंतर्गत मसीतावाली, मिरजावाली, मेड़, चहूंवाली, डबलीकलां, केहरवाला, रामपुरा में विद्युत आपूर्ति और बिलिंग का कार्य अभी रावतसर उपखण्ड से ही किया जा रहा है। उपरोक्त ग्राम पंचायतों को टिब्बी उपखण्ड से जोड़ने का आपने जो प्रस्ताव दिया है, वह प्रक्रियाधीन है। मतलब वह टिब्बी से जुड़ जाएंगी।

माह दिसम्बर, 2018 से लेकर 13.07.19 तक कृषि श्रेणी में 923 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी, विशेष श्रेणी और अनुसूचित जाति के शामिल हैं। वर्तमान में केवल 210 पत्रावलियां जिनके मांग-पत्र जमा हैं, उनके कनेक्शन करना शेष हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के 131, स्पेशल श्रेणी के 45, अनुसूचित जाति के 34 हैं और उनका कार्य प्रगति पर है। उक्त कनेक्शनों को शीघ्र ही जारी किया जाना प्रस्तावित है। जब कोई किसान ढाणी या ट्यूबवैल का कनेक्शन लेता है और बीच में किसी किसान की जमीन पड़ जाती है। बीच में जब जमीन पड़ जाती है और वह किसान

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अलाउ नहीं करता है तो उसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि वह किसान हां नहीं करे। यह नहीं हो सकता कि उस किसान की जमीन को एक्वायर करके वहां से लाइन निकाल दी जाए। वह किसान अपनी भूमि पर पोल व तार नहीं लगाने देता, इसलिए रास्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आवेदक के ऊपर होती है। आबादी भूमि के साथ लगते हुए घरों के लिए आबादी क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी तक नियमानुसार राशि जमा कराने पर विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। प्राइवेट कालोनियों में कालोनाइजर, डवलपर द्वारा प्राइवेट कालोनी का विद्युतीकरण नहीं करवाने पर निगम नियमानुसार निर्धारित दर जमा कराने पर कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। नगरपालिका में 150 रुपये प्रति वर्गगज और ग्रामीण क्षेत्र में 130 रुपये प्रति वर्गगज निर्धारित है जिसमें 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय लक्ष्मण जी, इनका प्रश्न है। आप कहां आ गये? प्लीज बैठें। आपका हो चुका है। चर्चा समाप्त हो गयी। आप बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। माननीय गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 11 हजार और 33 हजार लाइन की शिफ्ट की बात की और आपने जिन गांवों का नाम लिया है उनमें पहली बात तो यह है कि विभाग ने आपको जो सूचना दी है, वह अधूरी है। यह सिर्फ तहसील की दी है, पूरे विधान सभा क्षेत्र की नहीं दी है। मेरे यहां ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 11 हजार और 33 हजार की लाइन नहीं गुजरती है। आपने जो 50 प्रतिशत राशि की बात की है कि यह विभाग देगा, 50 प्रतिशत राशि या तो गांव वाले खुद दें या विधायक कोष दे। विधायक का इतना कोष नहीं है कि वह हर गांव के लिए इतनी राशि दे। आबादी भूमि के ऊपर जो लाइनें गुजरी हैं, वह एससी, एसटी के गरीब लोगों के मकानों से गुजरी है। उनकी क्षमता नहीं है कि वे 50 परसेंट पैसा जमा करा दें इसलिए यह गलती विभाग की है कि जहां पर रोड थी वहां से लाइन निकालनी चाहिए थी और उन्होंने प्लाट्स के ऊपर से लाइन निकाली है, यह गलती विभाग की है। विभाग को खुद ही लाइन हटवानी चाहिए।

(श्री गुरदीप सिंह)

आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के बारे में कहा कि इसके अंतर्गत सिर्फ 172 कनेक्शन बाकी हैं, आपकी यह सूचना भी अधूरी है। यह सिर्फ संगरिया तहसील की है। टिब्बी और आठ गांव जोड़ने के लिए मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट किया है और रावतसर की इन्होंने सूचना नहीं दी है। आपने बताया कि टिब्बी के जो गांव रावतसर के अंदर आते हैं, उसमें मैंने आपसे निवेदन किया था। आपने उसमें कार्यवाही चालू की है। आपने आश्वासन दिया है कि रावतसर से हटाकर टिब्बी में जोड़ देंगे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपने जो ट्यूबवैल कनेक्शन की बात की। मैं सिर्फ स्पेशल श्रेणी की बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया, एक ही इश्यू है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, जो स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन हैं, उनका पूरा खर्चा किसान वहन करता है। किसान की हालत यह है कि ब्याज पर पैसे लेकर और किसी बैंक से लोन लेकर वह राशि जमा कराता है। स्पेशल श्रेणी का मतलब होता है कि एक महीने के अंदर उसको कनेक्शन मिलना चाहिए। एक-एक साल से पैसे जमा करा रखे हैं और 65 कनेक्शन बाकी हैं और 47 कनेक्शन जो एससी के हैं, वे बाकी हैं। एससी के कनेक्शन एक महीने में होने चाहिए इसलिए आपसे निवेदन है कि स्पेशल श्रेणी के और एससी श्रेणी के कनेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती सफिया जुबेर।

मत्स्य विश्वविद्यालय (अलवर) में भर्ती प्रक्रिया में और संघटक महाविद्यालयों में अनियमितता

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत अलवर जिले के मत्स्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया तथा संघटक महाविद्यालयों में हुई कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, माननीया विधायक द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय एवं संघटक कालेजों में

(श्री भंवर सिंह भाटी)

अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में वर्ष 2018 में हुई अनियमितताओं, पेपर लीक प्रकरण में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत तथा विश्वविद्यालय व संघटक कालेजों में अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति इस प्रकार है। विश्वविद्यालय में माह अगस्त, 2018 में लिपिक ग्रेड-द्वितीय पद पर 10, सहायक कर्मचारी पद पर 10, सहायक कुल सचिव पद पर 2 और विधि सहायक के पद पर 1 अभ्यर्थी सहित कुल 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी। उक्त नियुक्तियों में भर्ती प्रावधानों के अनुसार विज्ञप्ति जारी करके, शैक्षणिक योग्यता, आयु व श्रेणी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित करके की गयी है। लिपिक ग्रेड-द्वितीय व सहायक कर्मचारियों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से एवं सहायक कुल सचिव व विधि सहायक की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा की गयी है। विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल, बोम के अनुमोदन की पालना में नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। भर्ती के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर सरकार द्वारा जांच करवाये जाने हेतु पृथक से विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 द्वारा प्रथम बार संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा का आयोजन किया गया। सत्र 2015-16 में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 2016-17 में एक पेपर लीक प्रकरण सामने आया, जिसकी जांच हेतु तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा जांच समिति गठित की गयी तथा रिपोर्ट के आधार पर कुलपति महोदय के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण में विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी संलिप्त नहीं पाया गया। उक्त प्रश्न-पत्र की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा पुन: आयोजित की गयी। सत्र 2017-18 में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 20.03.19 के अलवर सिटीजन समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार मत्स्य विश्वविद्यालय की परीक्षा के साथ ही शरारती तत्व सक्रिय थे। प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 19.03.19 को

(श्री भंवर सिंह भाटी)

आयोजित बीए भाग-प्रथम के राजनीतिक विज्ञान (प्रथम प्रश्न-पत्र) की परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व फोटो लेने से संबंधी समाचार के आधार पर परीक्षा की गोपनीयता भंग किये जाने का प्रयास करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 22.03.19 के द्वारा घटना की पुलिस जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की परिवेदना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत की गयी।

दिनांक 30.04.19 को बीएससी भाग प्रथम के भौतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्नपत्र के लीक होने का समाचार राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सहित अन्य समाचार पत्रों में 15.03.19 को प्रकाशित होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत परिवेदना दिनांक 22.03.19 के आधार पर पुलिस द्वारा जांच टीम गठित की गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रश्न पत्रों की मोबाइल से फोटो खींचने के आरोप में अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं जिनकी पुलिस द्वारा क्रमांक 64 दिनांक 01.05.19 के द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

अध्यक्ष महोदय, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के अभी तक कोई संघटक महाविद्यालय नहीं हैं। इस विश्वविद्यालय से 90 स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय व 66 बी.एड. महाविद्यालय, 16 बी.ए,बी.एड. या बी.एस.सी,बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम और 4 विधि महाविद्यालय संबद्ध हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान किये जाने के उपरांत और बी.एड. महाविद्यालयों को एनसीटी और राज्य सरकार की एनओसी के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता जारी की जाती है। निरीक्षण मंडल, डीओआई एवं प्रबंध मंडल, बोम में लिए गये निर्णयानुसार निर्धारित मापदंडों की निरीक्षकों द्वारा जांच करने के उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर संबद्धता जारी की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, जो मुद्दा उठाया गया है, इसी संबंध में हमारे सदन के माननीय तीन और सदस्यों द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय में भर्तियों से संबंधित, पेपर लीक से संबंधित और अन्य कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन शिकायतों के आधार पर दिनांक 31.07.19 को विभाग के द्वारा राजभवन को प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने के लिए पत्र लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सही है, साहब। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य आज जीरो आवर नहीं है लेकिन माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। दो-दो मिनट में अपनी बात कहें। सबसे पहले रामलाल जी।

सूचना

प्रतापगढ़ में बाढ़ राहत का मुआवजा

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिला अरावली पहाड़ियों में स्थित है। वहां पिछले तीन-चार दिन से बारिश ज्यादा हो रही है। कल सुरजा पुत्री जालम चंद लड़की पानी में बह गई। उसकी मृत्यु हो गई। इससे 15 दिन पहले भी भगवाना पिता देवा बह गया था, मृत्यु हो गई थी। कुछ समय पहले भी हुई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर गोताखोर उदयपुर से आते हैं। एक, प्रतापगढ़ में गोताखोर की व्यवस्था कराएं। दूसरा, बाढ़ राहत के तहत उनको मुआवजा दिलाए। यह मैं सदन से मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

बिरला हास्पिटल, जयपुर की दीवार गिरने से हुई मृत्यु का मुआवजा

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो भारी बारिश आई। उस बारिश के कारण बिरला हास्पिटल जो जयपुर के सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में बना हुआ है, उस बिरला हास्पिटल की दीवार गिरने के कारण वहां पास में ही रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के सांसी परिवार के सुरेश सांसी की मृत्यु हो गई और 12 व्यक्ति गंभीर घायल हुए। उसके बाद बिरला हास्पिटल कहता है कि यह दीवार हमारी नहीं है। जेडीए ने कब्जा ले लिया। जेडीए कहता है कि बिरला हास्पिटल और हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और कलेक्टर मुआवजा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इनका कोई सर्वे नंबर नहीं है।

द्रव्यवती नदी, जयपुर में डूबने से दो बच्चों की मृत्यु का मुआवजा

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह गूलर बांध पर द्रव्यवती नदी का काम

(श्री अशोक लाहोटी)

रुकने के कारण वहां रेलिंग नहीं लगी हुई है और दो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे उसमें डूब कर मर गए। उनको भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि यह गंभीर मामला है। ये गरीब लोग हैं। सरकार ने प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। इनको पांच-पांच लाख रुपये मुआवजे के लिए आदेश फर्माएं जिससे इनको मुआवजा मिल सके और उस दीवार को पूरी गिरवाई जाए। वह क्षेत्राधिकार कोर्ट में तय होगा लेकिन जेडीए यह पूरी गिरा दे अन्यथा सैकड़ों लोगों के उसमें दबने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

पंजाब की ओर से राजस्थान की नहरों में छोड़ा जाने वाला दूषित पानी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के प्रबुद्ध नागरिक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड, जयपुर के बाहर धरने पर बैठे हैं। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि इस सदन में दर्जनों बार जिस बात को कई माननीय सदस्यों ने कहा, आज भी पंजाब के अंदर जालन्धर, फगवाड़ा, लुधियाना, कपूरथला इन शहरों का गंदा पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और उसके साथ गंग कैनाल और भाखड़ा सिस्टम में डाला जा रहा है जिसको लोग पी रहे हैं, लोग काल-कवलित हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर कई दशकों से चर्चा हो रही है। एक सर्वदलीय शिष्टमंडल बने जो केन्द्रीय सरकार के मंत्री महोदय से मिले, पंजाब के मुख्य मंत्री जी से मिले। आज वहां से चलकर प्रबुद्ध लोग, जिस वक्त मैं अपनी बात कह रहा हूं तो धरने पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता जी भदेल।

राजस्थान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पुलिस की संलिप्तता

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा मामला अभी इन दिनों जी-मीडिया द्वारा ध्यान में लाया गया है। उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाह रही हूं। यह जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस संलिप्तता के कारण से यह पूरी घटना हुई है। यह घटना हुई जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

पकड़ में आई, लेकिन राजस्थान के 17 जिले ऐसे हैं जहां उनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा जाल राजस्थान प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और पुलिस उसमें इंवाल्व होकर बेटियों को, तीसरी बात स्टाम्प पेपर पर बच्चियों को बेचा जा रहा है। बच्चियों को जवान दिखाने के लिए हार्मोन्स दिये जा रहे हैं, इंजेक्शन दिये जा रहे हैं। उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हुई है। जी-मीडिया को तो धन्यवाद है ही लेकिन माननीय मंत्री महोदय संवेदनशीलता के साथ में इस पर काम करें, पुलिस काम करे। पुलिस में ऐसे जो अधिकारी हैं, जो लिप्त हैं, सिर्फ जहाजपुर थाने, हनुमान नगर थाने की बात ही नहीं है, बाकी के थाने के लोग भी इसमें सौ प्रतिशत इंवाल्व होंगे। इस वजह से पूरे राजस्थान भर में यह जाल फैला हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस पर सख्त कार्यवाही हो और सदन को भी यह अवगत कराएं कि वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री मदन जी दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिले में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि छोटी-छोटी दो साल, तीन साल, चार साल की बच्चियों को उठाते हैं। उनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वह उम्र से पहले जवान दिखने लग जाएं फिर उनको वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं। इसका एक उदाहरण है स्टांप पेपर पर लिखकर देते हैं कि मैं इस बच्ची को इतने लाख में दे रहा हूं। मैं नाम बताना चाहता हूं 27.04.17 को एक लड़की को बेचा लक्ष्मण पुत्र धारिया ने। मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा। शबाना देवी ने उसको खरीदा दस लाख रुपये में, 70 हजार रुपये पहले ही दे दिए, 2 लाख 30 हजार नगद जब लिख रहे हैं तब दिए और 5 लाख रुपये चार माह के बाद उनको देंगे। इसी प्रकार से शबनम ने खरीदा 07.12.16 को, साई पेटे 50 हजार रुपये दिए, 4 लाख 50 हजार रुपये एक महीने के बाद देंगे और पांच लाख रुपये 6 महीने के बाद देंगे। इसी प्रकार से टीना ने श्यामा को खरीदा, 50 हजार रुपये ले लिए। बीस लाख में बेची, 19 लाख 50 हजार रुपये, ये कह रहे हैं कि तुमने कहा था उसको पहुंचा दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं सरकार के, पुलिस के ध्यान में न हो, ऐसा नहीं है। मैं

(श्री मदन दिलावर)

धन्यवाद भी देना चाहता हूं पुलिस को क्योंकि इन्होंने कल एक हैड कांस्टेबल को संलग्न पाया है और उसको सस्पैंड किया है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया है, लेकिन यह सज़ा पर्याप्त नहीं है। पता चलते ही उसको लाइन हाजिर करना कोई दंड नहीं है। उसको भी सस्पैंड करना चाहिए था। जितने अधिकारी इसमें इंवाल्व हैं, यह बहुत बड़ा रैकेट है। पूरे की जांच करना चाहिए। इसमें चाहे हमारे जैसे सफेदपोश हों, चाहे अधिकारी-कर्मचारी हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे चोर-लुटेरे बच्चों को उठाने वाले हों, पूरे रैकेट का पर्दाफाश करके सबको सज़ा देनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में गौशाला की भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्ति

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि ब्यावर शहर में गौशाला की 86 बीघा 9 बिस्वा जमीन जिसकी आज अरबों रुपये की कीमत है, उसको गौशाला के नाम से सादे पेपर पर प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 28.11.2001 तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 1328 दिनांक 02.01.2002 करा लिया, सादे पेपर पर, जो पूर्ण रूप से अवैध है। इसे निरस्त कर गौशाला की भूमि को भू-माफिया के चंगुल से मुक्त कराने का सरकार विचार रखती है अथवा नहीं?

नंबर दो, क्या यह सही है कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पत्र क्रमांक भूअ/2017/1184 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा राजस्व मंत्री महोदय के यहां अवैध नामान्तकरण निरस्त कर भूमि को पुन: सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु धारा 83 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निगरानी याचिका दायर कर रखी है? क्या राजस्व मंत्री इस निगरानी याचिका को स्वीकार कर सरकार के पक्ष में गौशाला की अरबों रुपये की भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर पुन: राजकीय प्रयोजनार्थ उस भूमि को दर्ज करने का विचार करेंगे? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

साथ ही जिन अधिकारियों ने वर्ष 2002 और 2004 के बीच उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर, रिकार्ड में हेराफेरी कर भू-माफियाओं की मदद की, उन अधिकारियों को दंडित करने का विचार रखेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या मंत्री महोदय, जब तक सरकार के पक्ष में उक्त जमीन का फैसला नहीं होता है, तब तक मौक़े पर तथा रिकार्ड में किसी तरह का फैसला नहीं करने के लिए जिला कलेक्टर अजमेर को तत्काल निर्देश देंगे? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अविनाश।

अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक-प्रशिक्षकों की समस्या का निस्तारण

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कि राजस्थान में सत्र 2014-15 से स्किल डवलपमेंट के रूप में केन्द्र की योजना से कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं जिसमें एनजीओ के माध्यम से शिक्षक, प्रशिक्षक लगे हुए हैं। राजस्थान के 905 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना चलाई जा रही है जिसमें लगभग 1810 व्यावसायिक शिक्षक आउटसोर्सिंग माध्यम से कार्यरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले कुछ दिनों पहले राज्य सरकार द्वारा इनका आवेदन अनुबंध था, उसको रद्द कर दिया गया। एक डेलीगेशन ने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारा अनुबंध बढ़ाया जाए। शिक्षा मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम एक सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण कर देंगे। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उसका निस्तारण नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले35 दिनों से 1810 शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। आज की तारीख में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षा संकुल में धरने पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि उनका लगभग 8 से 22 महीने का वेतन बाकी है। अनुबंध भी ठीक करें और राज्य सरकार कम से कम, जो गरीब आदमी हैं उनका वेतन दे दे, ताकि उनकी आजीविका ठीक रह सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंजीत धर्मपाल।

बाबा खेतानाथ गौशाला, मुण्डनवाड़ा खुर्द में अनियमितता

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, मेरे यहां बाबा खेतानाथ गौशाला मुण्डनवाड़ा खुर्द में हो रही अनियमितताओं के बारे में अवगत कराना चाहूंगा।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार अनुदान देती है तो कलेक्टर महोदय के आदेश पर, 29 मार्च को वहां पर अधिकारियों ने जाकर जितने भी गौवंश टैगिंग वाले थे, उनकी जांच की। उस समय 2463 गौवंश वहां पर थे। वहां एक भी गौवंश बिना टैगिंग वाला नहीं था। दुबारा जब सरकार को अनुदान देना था तो पिछले माह की 17-18 तारीख को, वापस अधिकारियों ने जाकर टैगिंग वाले गौवंश की जांच की, तो कुल मिलाकर वहां 1406 गौवंश थे जिसमें 668 टैगिंग वाले और 738 बिना टैगिंग वाले थे। यानी तीन महीने के अंदर 1800 गौवंश कहां गए, कहां नहीं गए, किसी को पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि पिछले माह भी, जो कार्यकारिणी उस गौशाला की बनी हुई है, उन्होंने वहां पर चारा था, उसको बेचने का काम भी किया है, लेकिन जिसने चारे के संबंध में उजागर किया, लोकल दबाव के कारण, उस बात को वहीं दबा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जांच करवाकर सरकार अपनी बात रखे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

अधिसूचनाएं, वित्त विभाग। शांती धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की सात अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-43 दिनांक 31.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-44 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

31.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/2019-45 दिनांक 1.8.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-46 दिनांक 1.8.2019 जिसके द्वारा माता या पिता द्वारा पुत्र या पुत्री के पक्ष में पैतृक सम्पत्ति के व्यवस्थापन विलेख पर पंजीयन शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-47 दिनांक 1.8.2019 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति के विभाजन पत्र पर पंजीयन शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-48 दिनांक 1.8.2019 जिसके द्वारा पत्नी के पक्ष में निष्पादित दान विलेख पर पंजीयन शुल्क में रियायत प्रदान की गई है; एवं

7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त/कर/2019-49 दिनांक 1.8.2019 जिसके द्वारा कम्पनी के अमलगेशन/डीमर्जर के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। शाले मोहम्मद।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग की संपरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2007-08 से 2016-17

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-13(4) के अन्तर्गत राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग की संपरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2007 -08 से 2016-17; एवं

(श्री शाले मोहम्मद)

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2009-10 से 2017-18

2. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2009-10 से 2017-18.

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019. श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री पुखराज (भोपालगढ़) अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट बैठें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे...

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, एक मिनट बैठें।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या बोलना है?

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नागौर प्रकरण, जिसको अभी माननीय विपक्ष के नेता जी ने उठाया, उसके बारे में सरकार की क्या मंशा है, जवाब नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। मंत्री जवाब देंगे, उसको गंभीरता से लिया है। आपकी भावना से अवगत हैं। लाडनूं के सदस्य भी बोलना चाहते हैं। मंत्री जी जब जवाब देंगे तब सारे तथ्यों के बारे में आप भी बोलना।

जो माननीय सदस्य विधेयक पर अपने विचार रखेंगे उनसे निवेदन है कि कृपया संक्षेप में रखें। जो दो माननीय सदस्य हैं पार्टी के, वे अपनी बात को रखें, लेकिन बाकी माननीय सदस्य रिपीट नहीं करें जिससे ज्यादा अच्छी चर्चा हो सके। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 सरकार यह बिल लाई है। जो परिस्थितियां समाज में बन रही हैं, राजस्थान में भी, उसका कहीं न कहीं असर देखने को मिलता है। उसको देखते हुए आप यह बिल लाए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। यह बिल आवश्यक था।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कानून विज्ञ नहीं हूं, एक ले-मैन की हैसियत से मैं कुछ दृश्य आपके सामने खड़े करना चाहता हूं जिसके बारे में इस कानून को लागू करते समय विचार किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा।

उदाहरण के लिए, मेरे घर में चोर घुस गया, मैं जाग गया और मैंने उसको पकड़ लिया। हल्ला मचाया, पड़ौस के लोग आ गए, उसको घेरकर खड़े हो गए। पुलिस के आने तक मुझे उसको रोक कर रखना है। वह निश्चित रूप से भागने की कोशिश करेगा। उस दौरान हाथापाई होती है। उस हाथापाई के बाद, उस आदमी पर चोरी का मुकदमा कितना स्ट्रांग बनेगा यह तो पता नहीं, लेकिन मेरे और मेरे पडौसियों पर मॉब लिंचिंग का केस बन जाएगा। वह बहुत खतरनाक होगा, जिसमें सात साल, दस साल, इतनी सारी सजाओं का आपने प्रावधान कर लिया।

दूसरा दृश्य, मेरी बेटी के साथ मैं बाजार जा रहा हूं, किसी मनचले ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, मैंने उस पर एतराज किया। एतराज करने पर मेरे पड़ौस में खड़े लोगों ने भी मेरा साथ दे दिया और उसको चार थप्पड़ मार दिए। मेरी बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उस पर उस मनचले को सज़ा मिलेगी या नहीं पता नहीं, पर मुझे और मेरा साथ देने वाले लोगों को, इस कानून में जरूर सज़ा मिलेगी। यह दो दृश्य तो मैंने मेरी कल्पना से सोचे हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। ऐसी और कई परिस्थितियां बन सकती हैं। उनसे बचाव के लिए सरकार ने कुछ सोचा है या नहीं, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

हत्या के अपराध में भी निर्णय करते समय, न्यायालय यह देखता है, कि हत्या किस परिस्थिति में हुई, किस उद्देश्य से हुई। मुझ पर हमला हुआ और मैंने अपनी जान बचाने के लिए प्रयास किया और उसमें अगला मर गया, उसमें न्यायालय नर्मी का व्यवहार रखता है। किसी स्त्री की आबरू पर हमला हो गया और उसने अपनी आबरू बचाने के प्रतिकार में जो कार्यवाही की, उससे कोई मर गया, उस पर भी उसमें न्यायालय नर्मी का व्यवहार रखता है। उस चीज का प्रावधान इस कानून में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। वह किया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जाना चाहिए, वह अत्यंत आवश्यक है वर्ना जो बदमाश है, वह इस कानून की आड़ लेकर, अपनी मनमानी कर जाएंगे और शरीफ आदमी जेल जाएंगे। यह खतरा मुझे साफ नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इतने सख्त कानून को लागू करने से पहले, तीन-चार महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। जनता की राय भी जान ली जाए, विशेषज्ञों की राय भी जान ली जाए, यह मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह सदन राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 पर चर्चा कर रहा है। उसमें देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ गया। वर्षों से धारा 370 और उन सारी बातों का निपटारा हो गया। मैं उस पर आगे नहीं बढ़ना चाहता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धारा 370 का लिंचिंग से क्या ताल्लुक है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चलिए, इस पर बधाई ....

श्री अध्यक्ष: इनके तर्क तो सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं समझता हूं कि सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज लेह और लद्दाख अलग राज्य ....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर आपके पास लिंचिंग पर बोलने के लिए मैटीरियल नहीं है, तो इधर-उधर की बातें मत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इस मॉब लिंचिंग पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वकील को जज यह नहीं कहता कि आर्ग्यूमेंट क्या देना है, let him propose his argument.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मॉब लिंचिंग पर पूरे देश में चर्चा चल रही है। पूरे देश में इसलिए भी चर्चा चल रही है कि हिन्दुस्तान के 49 नामचीन लोगों ने लिंचिंग पर पक्ष और प्रतिपक्ष में, देश के प्रधान मंत्री के नाम खुला पत्र जारी किया जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(12.50 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, यह सही है कि यह विधेयक पारण के बाद कानून का रूप ले लेगा पर मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। मैं बड़ी गम्भीरता से कह सकता हूं कि इसकी जो विधि रचना की गई है, उसमें, सभापति महोदय, बेयर मिनिमम सावधानी भी नहीं बरती गई। इस पूरे बिल पर सरकार और सरकार के अन्दर बैठे लोगों ने अगर चिंतन किया होता, मनन किया होता और अगर विद्वान प्रभारी मंत्री ने इसका पठन किया होता तो शायद इस रूप में यह बिल यहां नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बिल के अन्दर उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपने उद्देश्य और कारणों के कथन के अन्दर यह उद्धृत किया है कि उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 17.07.2018 को यह निर्णय दिया था कि इस प्रकार का बिल अधिनियमित किया जाए। यानी इस बिल को लाने के पीछे जो बुनियाद आप रख रहे हो, एस. पूनावाला का वह निर्णय, जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। सभापति महोदय, मैं उस निर्णय के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि मालूम पड़ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय की आड़ के अन्दर किस प्रकार का काला कानून यह सरकार ला रही है, जिसके दूरगामी परिणाम, अभी नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां तक भोगेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मंत्री महोदय, मैं उसका आपरेटिंग पार्ट पढ़ रहा हूं-

"Apart from the directions we have given hereinbefore and what we have expressed, we think it appropriate to recommend to the legislature, that is, the Parliament, to create a separate offence for lynching and provide adequate punishment for the same." यह फैसला यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुस्तान की संसद को यह कहा कि लिंचिंग के लिए अलग से एक कानून लेकर आओ, अलग से सजा का प्रावधान करो कि केन्द्रीय बिल आए, पूरे देश में लागू हो, देश में समानता से लागू हो। अलग-अलग राज्यों के अन्दर कानून जब बनता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, क्योंकि यह सब्जैक्ट, जिस पर यह बिल आया है, यह कान्करेंट लिस्ट का सब्जैक्ट है। सरकार कानून बनाएगी, कानून राष्ट्रपति महोदय की असेन्ट के लिए जाएगा। मंत्री महोदय, ऐसी क्या बात थी। मणिपुर के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है। मतलब आप राजस्थान की जनता में अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए इस प्रकार के बिल को लेकर आ रहे हैं।

मैं समझता हूं, इस बिल में जब आगे पढ़ते हैं, सभापति महोदय, इस बिल की बुनियाद क्या है, कहां से प्रारम्भ होती है। इस बिल के अन्दर, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019; जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जाएगा, पहला वाक्य है, 'दुर्बल व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करना', अब यह दुर्बल व्यक्ति कौन है, मंत्री महोदय, बताओ जरा, किस जगह इस पूरे बिल के अन्दर 'दुर्बल व्यक्ति' को आपने, अगर कहीं परिभाषित किया गया है तो मुझे बताएं। इसके केन्द्र बिन्दु, इस बिल का आधार बिन्दु 'दुर्बल व्यक्ति' है। अब 'दुर्बल' कौन होगा? दुर्बलता, उसमें मानसिकता होगी, यातायात मंत्रीजी, शारीरिक दुर्बलता होगी, आर्थिक दुर्बलता होगी? कौनसी दुर्बलता, जिस आधार पर आप यह बिल लेकर आ रहे हो। मैं समझता हूं कि हमें हिन्दुस्तान के संविधान में आर्टिकल 14 के अन्दर फंडामेंटल राइट दिया है। समानता का अधिकार दिया है, सभापति महोदय, और समानता के अधिकार में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय प्राप्त करने का, समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है। आप 'दुर्बल व्यक्ति' कहां से ले आए बीच में अभी। मैं समझता हूं, आप जब बात करें तो निश्चित तौर पर बताएं।

मंत्री महोदय, इसी विधेयक के अन्दर सैक्शन 2 (ग), ''प्रतिकूल परिवेश'', ''होस्टाइल एन्वायर्नमेंट'' आपने परिभाषित किया है। मैं समझता हूं, इसके साथ अगर आप जोड़कर पढ़ लें, आई.पी.सी. की धारा 195(ए), तो अगर आप इन दोनों को पढ़कर देखेंगे तो आई.पी.सी. की धारा 195 (ए) में इस होस्टाइल एन्वायर्नमेंट के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। आप उसमें संशोधन ले आते, आप इसके अन्दर नया क्यों लेकर आए। इसके साथ ही 2 (ग) के अन्दर जो आपने 6 कम्पोनेंट लिखे हैं, एक, दो, तीन, चार,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पांच, छह लिखे हैं आपने। उन सबकी मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से यह गवाह को धमकाने की प्रस्तुति का प्रकटीकरण करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें भी आप देख लें। आप एविडेंस एक्ट भी देख लें और इसी आई.पी.सी. की धारा को, जो मैंने कोट की है, उसको देख लें आप, उसमें इन सारे कम्पोनेंट की इससे ज्यादा विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, मैं समझता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं थी।

अब, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान विधेयक के पृष्ठ चार और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जिम्मेवारी से कह सकता हूं। मैं इनकी वर्षों से आदत जानता हूं। इनके पास, इस समय, जब मैं बोल रहा हूं न, विधेयक नहीं होगा, अगर विधेयक है तो, मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कितने सुधरे हैं, सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं। 'हम नहीं सुधरेंगे' पिक्चर फ्लाप होगी अब। धन्यवाद मंत्री महोदय।

अब इसका पृष्ठ चार निकालें, चैप्टर-दो, और उस चैप्टर दो की धारा 3 और 4, और चैप्टर तीन की धारा 6, अब इसमें क्या है, सभापति महोदय, ये क्या लेकर आए हैं। धारा-3 में इन्होंने लिखा है कि डी.जी.पी. है, वह लिंचिंग रोकने के लिए एक आई.जी. को नोडल अफसर बनाएगा। चलो बना दिया आपने। धारा 3(2) में क्या लिखते हैं कि, जिले के अन्दर एस.पी. लिंचिंग को रोकने के लिए कोर्डिनेट करेगा, समन्वयक बनेगा और उसके साथ एक डिप्टी एस.पी. होगा। उसके बाद, यह सब लिखने के बाद, अब धारा-4 में क्या लिखते हैं। धारा-4 में लिखते हैं, प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो सीधे रूप से किसी क्षेत्र में लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए इंचार्ज हो, लिंचिंग और उसको भड़काने के लिए, किसी कृत्य को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठायेगा और इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास करेगा। मॉब लिंचिंग रोकने का कार्य अपनी शक्तियों के अनुसार करेगा। सभी सम्भव प्रयास इस बाबत करेगा और किसी व्यक्ति या सम्मुख के विरुद्ध प्रतिकूल प्रवेश बनाने से रोकेगा। अच्छी बात है, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितना सुपरफिशियल लेकर आये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, आपने 2007 के पुलिस एक्ट को पढ़ा होगा। 2007 का पुलिस एक्ट यह कहता है कि किसी पुलिस का कोई भी भार साधक अधिकारी है, उसकी जिम्मेवारी है, वह अपने क्षेत्र के अन्दर, यह तो मॉब लिंचिंग के लिए ला रहे हैं, सिर्फ एक धारा सैक्शन-4, उस पुलिस एक्ट के अन्दर पुलिस अफसर को यह माना गया है कि वह 24 घण्टे ड्यूटी पर रहेगा। यह भी माना गया है कि वह सारे अपराधों की रोकथाम करने के लिए, उसके कर्तव्यों में है, यह कहा गया है। फिर ये क्यों लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि आप उसको पढ़ लेते और आप उसको यह कहकर, उसकी शक्तियां बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप यह लिख रहे हैं कि वह यथा सम्भव कार्यवाही करेगा।

अब होगा क्या, सभापति महोदय, कहीं मॉब लिंचिंग हो गई। किसी पुलिस अधिकारी को बचाना है, मंत्री महोदय के बहुत सारे जानकार हैं। लोग कहेंगे कि इसने माकूल कार्यवाही नहीं की है, तो ये कह देंगे कि एक्ट में लिखा है कि यथा सम्भव कार्यवाही करेगा, उसने कर दी और किसी अधिकारी को टांगना है तो कहेंगे कि आपने यथा सम्भव कार्यवाही नहीं की। यथा सम्भव कार्यवाही कहां परिभाषित है, इसका क्या पैमाना है, मंत्री महोदय, आप मुझे बताएं, जरा अच्छा लगेगा।

मैं निवेदन करूं, अब आपने बिल ड्राफ्ट किया है। अब बिल ड्राफ्ट में धारा-2 को पढ़कर देखो आप। किस लापरवाही से लिखते हैं, जिसमें जिले में से पुलिस अधीक्षक में से, मतलब जिले में से पुलिस अधीक्षक-एक, मॉब लिंचिंग के लिए आपका बिल कोई पढ़ेगा तो यह मानेगा कि उस जिले के अन्दर एस.पी. साहब के साथ जो एक डीवाई.एस.पी. नामजद होगा, वह मॉब लिंचिंग रोकने का काम करेगा। मतलब ड्राफ्ट करने से पहले मैं नहीं समझता कि आपकी मंशा होगी। पर जब एक-एक चीज की व्याख्या माइन्यूटली होगी, जब कोर्ट में जाएगा तो क्या इसकी व्याख्या होगी। मैं समझता हूं कि बाकी सारे डिप्टी एस.पी. को आप मुक्त कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अब मंत्री महोदय, इसकी धारा-21 में देखें। आपने उसमें लिंचिंग में पीड़ितों के कम्पनसेशन का प्रावधान रखा है। उसमें आपने क्या लिखा है, कम्पनसेशन कौनसा दोगे आप, जो राजस्थान विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम में दिया है। क्यों जी, मेरे घर में डकैती हो गई। मेरे घर के अन्दर पांच डकैतों ने आकर डकैती कर ली और चोरी कारित कर दी। मुझे कम्पनसेशन नहीं मिलेगा पर आप आगे जाकर उसकी वह देखेंगे, सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, 2 (ड.) के अन्दर जो इन्होंने लिंचिंग को डिफाइन किया है, कोई दो व्यक्ति, सभापति महोदय, यह लिंचिंग तो अभी हो जाएगी। यातायात मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी बाहर जाकर मेरे से किसी तरह का व्यवहार जब करते हैं, मैं कहूंगा कि ये दो व्यक्ति, दो लोगों ने मिलकर इस तरह का व्यवहार किया है, लिंचिंग हो गई मेरे साथ। सात साल की बामशक्कत कैद आपको, यातायात मंत्रीजी। क्या लेकर आए हैं ये? मतलब धारा-21 में कम्पनसेशन भी दे रहे हैं, इसमें इस तरह का भेदभाव क्यों?

(13.000 बजे)

यह भेदभाव की शुरुआत हो गयी थी कि थानागाजी के अंदर दुष्कर्म हुआ, हमारा सबका सिर झुका। हमारी उस बच्ची को आपने कांस्टेबल बनाया, हमें कोई तकलीफ नहीं पर उसको ही क्यों? सबको क्यों नहीं? आपको ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दे रखा है। आप इस प्रकार से अगर लाओगे, इस लिंचिंग के अंदर पीड़ित को कम्पन्सैट करोगे और आपने इसी का नाम ले दिया, बाकी को क्यों नहीं? असामाजिक तत्वों ने किसी के साथ कोई भी घटना कर दी, उसको क्यों नहीं मिले? मैं समझता हूं कि यह जो पीड़ितों का राजनीतिकरण, पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, किस ट्यूबलर, उस चश्मे से देख रहे हो, मंत्री महोदय, आप इनको? पीड़ितों का राजनीतिकरण शोभाजनक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब धारा-20 में आपने क्या लिखा है कि कोई भी पीड़ित होगा, उसका उपचार होगा। नि:शुल्क उपचार होगा और प्राइवेट हास्पिटल को भी नि:शुल्क उपचार करना पड़ेगा। प्राइवेट हास्पिटल को, यह आपने कहीं नहीं खोला कि इस नि:शुल्क उपचार के लिए प्राइवेट हास्पिटल को राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्राथमिक उपचार होगा, कितना होगा, क्या होगा? बस आपको तो यह बनावटी प्रावधान बनाकर एक खाना पूर्ति करनी थी, वर्ना एक्ट बने कैसे? इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, पहले मैंने एलएल.बी. की तब मैंने कानून की किताबें कम पढ़ीं पर जीवन के एक इस घटना चक्र ने मुझे किताबों की तरफ मोड़ दिया और अब मैं थोड़ा-सा पढ़ने लग गया।

मैं समझता हूं कि सीआर.पी.सी., आई.पी.सी. के अंदर हालांकि, सैक्शन-26 में यह कह रहे हैं कि इसमें जो प्रावधान है, अतिरेक है, उसमें सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. लागू रहेगी। सारी की सारी वह की वह हैं, मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, आप क्या लेकर आए हैं, यह मेरे समझ में नहीं आया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सैक्शन-22 में आपने Displacement की बात कही है। लिंचिंग से कोई व्यक्ति घायल हो गया, कोई मर गया और किसी व्यक्ति का घर, निवास उसके पास नहीं है तो सरकार उसको निवास देगी। आप कहां से निवास दोगे? सरकार नि:शुल्क निवास देगी, सशुल्क निवास देगी, कितना मकान देगी? अब इनको ही क्यों देंगे आप, बाकी को क्यों नहीं देंगे? आज गांव के गांव, जगन डकैत ने आपके राज के अंदर आपकी आंख के नीचे पूरा गांव खाली करवा दिया, उन लोगों को कहीं पर रहना था, उनको मकान नहीं देंगे आप? अगर आप लेकर आए हैं तो जिस प्रकार का राजस्थान का परिवेश आपके रहने पर बन गया है, आपको देखना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन करूं कि आपने इसकी धारा-15 में इंस्पेक्टर इसकी जांच करेगा, यह कर दिया। आपको मालूम है कि आपकी सी.आर.पी.सी. के अंदर जो एक भार-साधक थानाधिकारी है, जो भी अगर संज्ञेय अपराध है, कोग्निजेबल ओफेंस है, अपराध की सूचना मिलते ही वह अपराध स्थल की ओर रवाना होगा, रोकेगा, मौका नक्शा बनाएगा, साक्ष्य इकट्ठा करेगा। अब आपके जिन थानों के अंदर एस.एच.ओ., सब इंस्पेक्टर अधिकांश थानों में है, वहां पर क्या होगा? मतलब, मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहकर आप क्या कहना चाहते हैं?

अब आपने सैक्शन-6 में पुलिस को लिंचिंग रोकने की शक्तियां दी हैं, आप पढ़ लो। सी.आर.पी.सी. का चैप्टर-5 आप पढ़ लो, उसके अंदर पहले से ही शक्तियां हैं और, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सैक्शन-7 में मॉब के विरुद्ध कार्यवाही यह करेंगे। क्यों जी? 129 सी.आर.पी.सी. में आप तो वकील हो और आपके खिलाफ तो बहुत कार्यवाही हुई है। कई बार आप भीड़ में गये हो, 129 में गिरफ्तार हो-होकर दूर गये हैं, छोड़ा गया है, आपको छोड़ा गया है, हमें छोड़ा गया है, आप इसको क्यों लेकर आए? मॉब के विरुद्ध कार्यवाही सी.आर.पी.सी. के सैक्शन 129 में पहले से ही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से नहीं लाएं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, जिस बात का मैंने जिक्र किया था, यह ऐसा काला कानून है, बाकी हमारे अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे, मैं थोड़ा सा पांच मिनट में इसको खतम करने की कोशिश करूंगा पर आने वाले हमारे लोग जो इस रिकार्ड को पढ़ेंगे कम से कम वह यह तो कहेंगे कि एक मंत्रीजी वह थे जो बिना चिंतन-मनन, बिना पढ़े इस विधेयक को ले आए, ब्रूटल मैजोरिटी से इसको पारित करवा लिया और उस दिन करवा लिया जिस दिन हिन्दुस्तान की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। हिन्दुस्तान के माथे से धारा-370 हट गई। हिन्दुस्तान में लेह-लद्दाख दो नए राज्य बन गये, उस दिन यह कानून, यह इतिहास के पन्नों में तारीख के रूप में लिखा जाएगा, मंत्री महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह 2(e) में आपने क्या परिभाषित किया है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संविधान में धारा नहीं होती है, आर्टिकल होते हैं। धारा नहीं होती है, आर्टिकल होते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठें। माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं, आप विराजिए। माननीय उप नेता अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, 2 (e) के अंदर मॉब को जो परिभाषित किया है, कमाल ही कर दिया। मैं निवेदन करूं, यातायात मंत्रीजी, यह लिंचिंग का बिल, इसमें पहला मुकदमा कायम होगा तो आपके विरुद्ध हो सकता है। आप और मेरे को, दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। दो आदमी मतलब, दो आदमी कोई भी होकर मॉब, इसमें परिभाषित कर दिया आपने। मॉब को परिभाषित कर दिया दो आदमियों में।

माननीय सभापति महोदय, आई.पी.सी. में 141 में पांच और पांच से अधिक अनलाफुल असैम्बली की बात कही गयी है। मतलब, क्या कर रहे हो, यह मेरे समझ में नहीं आया और आपने इस विधेयक के 26 में यह लिख दिया कि- 'इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत न हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे', मैं समझता हूं कि अगर आप पूरा पढ़ें तो सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. में यह सारे के सारे प्रावधान हैं।

अब आपने इसके सैक्शन 2(क) के अंदर- 'हिंसा का कृत्य', इसको परिभाषित किया है और धारा-8 के अंदर आपने दंड का प्रावधान किया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इतना डिस्क्रिमिनेशन है? माननीय सभापति महोदय, कोई दो आदमी मिलकर किसी आदमी को अगर थोड़ी चोट, साधारण चोट पहुंचाते हैं, दो आदमी हो तो सात साल की कैद और एक लाख का जुर्माना और अगर पांच आदमी मिलकर मेरी पिटाई करते हैं, 323 का मुकदमा बनता है तो एक साल की सज़ा और एक हजार रुपये का जुर्माना आई.पी.सी. में है। क्या कर रहे हो आप?

इसी तरह से 8(2) के अंदर अगर grievous hurt कर दिया, किसी ने मेरी टांग तोड़ दी, किसी ने मेरे गंभीर चोट कर दी तो मंत्री महोदय, दस साल की कैद और तीन लाख का जुर्माना है और आज आई.पी.सी. के अंदर 12 आदमियों ने मिलकर मेरी पिटाई कर दी तो सात साल की सज़ा जरूर है पर पैनल्टी अकार्डिंग टू कोर्ट है। इसी तरह से 8 (ग) के अंदर मृत्यु, ठीक है मृत्यु हो गई, मृत्यु दंड भी है, आजीवन कारावास भी है, आप पांच लाख जुर्माना और कर रहे हो। दो आदमी मिलकर मृत्यु करेंगे तो कहेंगे लिंचिंग है, लिंचिंग है, मुझे मारने से पहले मेरी जाति का नाम लेकर कहा कि इसको मारना साले को, लिंचिंग की परिभाषा में यह लेकर आएंगे, माननीय सभापति महोदय, एक नया दौर प्रारम्भ हो जाएगा। मैं यह समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का वह फैसला, आप लिख लो, रमन्ना दयाराम सेठी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी, उसके अंदर साफ कहा गया है कि हरेक को फंडामेंटल राइट है। एक ही तरह के गुनाह की, एक तरह की सज़ा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आई.पी.सी. के अंदर धारा-299, धारा-311 में अलग-अलग जगह मृत्यु होने के, अलग-अलग कारणों के साथ उसको डिफाइन किया गया है कि मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? पर यहां पर तो, माननीय सभापति महोदय, इस अधिनियम में न दलील, न वकील, चलो आजीवन करावास है, पांच लाख का जुर्माना मैं समझता हूं कि यह Doctrine Of Natural Justice के खिलाफ है।

आप यह कानून ला रहे हो, कितना दुरुपयोग होगा, कैसा हथियार आप दे रहे हो? आप याद कर लो कि आज आप और हम सब लोग जाते हैं, चाहे एन.डी.पी.एस. का मामला हो, अफीम रखो और पकड़वाओ सालों को, चाहे पोक्सो का मामला हो, किस प्रकार के कानून हैं। आप एक नया Pandora box खोल रहे हो और मैं समझता हूं कि आपको याद होगा, मंत्री महोदय, कि यह जब बार-बार चैक बाउंस हो रहे थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आई.पी.सी. में धारा-138 जोड़ी गई। आज नहीं हो रहे क्या चैक बाउंस? आपने जब इतना बढ़ा दिया, सज़ा-ए-मौत है, आज हत्याएं नहीं हो रही हैं क्या?

मैं समझता हूं कि इस प्रकार से करके आप क्या कहना चाहते हो इसलिए, माननीय सभापति महोदय, अब आपने इसी एक्ट में धारा-7(3) में कोई अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से सोशल मीडिया पर कोई प्रचार-प्रसार करेगा, कोई मॉब लिंचिंग को प्रोत्साहित करेगा तो आपने उसमें लिख दिया कि इसको भी सज़ा दो। आई.टी. एक्ट में पहले से है न अपने पास। मतलब, क्यों लेकर आए, यह मेरे समझ में नहीं आया और धारा-11 के अंदर आपने मंत्री महोदय, offensive material की बात कही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं वह बात कह रहा हूं जो इसमें है। offensive material की बात कही है। offensive material कौनसा है जी? मेरे कौनसे लेख को आप कह देंगे कि इससे लिंचिंग accelerate हो रही है मतलब, आपने एक ऐसा प्रावधान, आपकी निगाह कहां पर है? यह बताओ मेरे को, सच्ची बताना मेरे को बोलो जब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी तरफ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरी तरफ है न? मतलब, यह सारा, मेरे दल की तरफ है यह। यह इस प्रकार का कानून लाकर, हम वह दिलेर लोग हैं, जो मां भारती के लिए कहां से कहां चले जाते हैं? इसीलिए आज कश्मीर जो इस देश का मुकुट है, उसको हमने आज एक तरह से उस मुकुट के अंदर कोहिनूर हीरा जड़ने का काम किया है। हम आपसे घबराएंगे नहीं, इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल के अंदर मुझे कहना तो बहुत था पर इसमें क्या-क्या बात आपने कर दी। यहां तक कह दिया इसके अंदर एक तो, माननीय सभापति महोदय, 18(8) में गवाह को दो बार से ज्यादा नहीं बुला सकते इसमें। एक गवाह है न, दो बार आएगा, तीन बार नहीं बुला सकते। क्यों जी? आप तो वकील हो, जिरह चल रही है और जिरह इन-कमप्लीट रह गयी तो क्या गवाह को नहीं बुलाओगे आप? अब होगा क्या, यह सेवन शिड्यूल में है। यह सेवन शिड्यूल में यह कान्करेंट लिस्ट की एण्ट्री एक और दो पर आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. है। आप कानून ले आना, जाएगा तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वहीं न राष्ट्रपति महोदय के पास 256(2) में। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, आप जो कह रहे हो, वह बहुत-सी बातें रह गयीं। इन्होंने धारा 19(6) के अंदर कह दिया कि इसकी पैरवी अभियोजन पक्ष की तरह कोई भी वकील कर ले। क्योंकि, यह सी.आर.पी.सी. 301 में क्या लिखा है, पी.पी. और ए.पी.पी. के बिना कोई नहीं करेगा। कैसे करोगे आप? आप कंट्राडिक्ट सारे प्रोविजन ला रहे हो, सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. के सामने कहां टिकेगा यह कानून? इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मंत्री महोदय, आप इस कानून को लेकर आए, यह कानून सामाजिक तौर पर विघटन करने का काम करेगा। यह कानून हम जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं न, चुनाव में छोटी-मोटी बात को लेकर कोई पांच आदमी खड़े हो जाएंगे कि प्रचार के दौरान इन्होंने जाकर मेरे मौहल्ले के अंदर मुझे यह कहकर धक्का मार दिया। हम चुनाव लड़ेंगे कि सात-सात साल के लिए सबको अंदर करने का विचार है क्या? कुछ भी कर लेना, अब यह समय बताएगा, अब हिन्दुस्तान की राजनीति जिस तरह करवट ले रही है न, दिल्ली का घटनाचक्र देख लो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप तो जेल में जाकर आए हो, क्यों डर लग रहा है अब। देखकर आए हो, कहां क्या चीज है जेल में।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): निश्चित तौर पर जाकर आया हूं। यह पूरा देश जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, क्या कहना चाहते हो आप? जिस तरह से मुझे कोप-भाजन बनाया, उसी तरह औरों को बनाना चाहते हो आप? इसीलिए बिल लेकर आए हो। मैं समझता हूं कि इसी तरह का गैर-जिम्मेदाराना तरीके का बिल है और मंत्री महोदय, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अब अपना रखा क्या है, हम उस दौर पर हैं, जो दौर कहीं और पहुंचेगा इसलिए खड़े होकर इस बिल को वापस लो और राजस्थान के लोगों को इस भय से मुक्त कराओ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंहजी। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखेंगे आप। पांच मिनट में बोलना है आपको।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस विधेयक में भीड़ में शामिल होने वाले सभी लोगों अथवा खड़े रहने वाले सभी साक्षियों, प्रत्यक्षदर्शियों को दोषी माना गया है जिनके लिए दण्ड का प्रावधान रखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि किसी भी प्रकार की भीड़, जो साक्षी या प्रत्यक्षदर्शी होना किसी अपराध का परिचायक नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें संशोधन किया जाना अति-आवश्यक है, क्योंकि इसमें आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी निर्दोष को इसमें फंसाया जा सकता है।

मैं कल का ही एक उदाहरण दूं। मेरे सीमलपुरा एक पंचायत है, वहां आए दिन चोरियों की घटनाएं होती रहती हैं। कल एक चोरी की घटना हुई थी। किसी चोर ने बकरी चुरायी पर सब गांव वालों ने उसको घेर लिया और इस तरह की छीना-झपटी भी हो गयी। उसके कपड़े वगैरह भी फट गये। पर आज उस घटना के कारण से गांव के कम से कम 15-20 लोग बंद हैं और इस तरह का कानून बनने के बाद काफी तरह की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गांव का माहौल बिलकुल अलग है। वहां पर छोटी-मोटी वारदात भी होती हैं, कोई छोटी-मोटी घटनाएं भी होती हैं, पर गांव के सब लोग एक मंच पर, एक साथ खड़े हो जाते हैं। छोटी-मोटी घटना के बेस पर ऐसा बड़ा कानून लागू हो जाएगा तो उससे काफी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि, सभापति महोदय, आज के वातावरण में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग एक्सीडेंट वाले को खड़ा करना की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि मुझे थाने का चक्कर काटना पड़ेगा या मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे पेशियों में जाना पड़ेगा इसलिए लोग देखकर निकल जाते हैं पर गाड़ी रोककर उसको उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं, उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस कानून से और भी ज्यादा इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, एक्सीडेंट या इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। इसके अलावा आज गांवों में सामूहिक समाज की सभाएं भी होती हैं, वह मंदिर पर होती हैं। वहां पर सब लोग बैठकर बातें भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, पर सामाजिक तौर पर ऐसे झगड़े के फैसले होते हैं पर इस तरह की अगर बात हो गयी समाज में और इस तरह का कानून लागू हो गया तो पूरा समाज एक साथ जेल में जाएगा, क्योंकि हमारे गांवों में इस तरह के नियम बने हुए हैं कि थाने में जाने से पहले कोई भी धार्मिक मंदिर

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

पर या किसी चबूतरे पर बैठकर उसकी चर्चा करते हैं, उस बात को सामने लाते हैं और उसके बाद कोई बात होती है तो डांट-डपटकर उसको वहीं खतम करने की कोशिश करते हैं पर यह कानून बन जाने के कारण कोई भी इस तरह का मुलजिम होगा, या इस तरह का कोई आदमी होगा तो वह सोचेगा कि सरकार का इस तरह का कानून बना हुआ है, मैं इन सबको जेल में भेज सकता हूं तो वह आदमी या वह लोग, जो बदमाशी करने वाले हैं, या चोरी-डकैती करने वाला है या कोई भी दुष्कर्म करने वाला है, इस तरह का कोई भी आदमी होगा तो वह उन सबके खिलाफ केस दर्ज करवाएगा और सौ प्रतिशत इस तरह से गांव के गांव जेल में चले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि सरकार को इस कानून को लाने से पहले एक बार इस पर विचार करना चाहिए। इस पर चाहे चुनाव का लो, चाहे धार्मिक कार्यों का लो या कोई वार-त्योहार का लो, कोई छोटी-मोटी घटना भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तब एकदम-से बीस-पचास आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, पर इस कानून के बनने से काफी दिक्कतें आएंगी। मेरा तो यह विचार है कि इस कानून को बनाने से पहले एक बार जनमत के लिए परिचालित करना चाहिए। सब लोगों के साथ बैठना चाहिए और फिर उसके बाद इस कानून को बनाते हैं तो इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मेरा तो मानना है कि इसको जनमत जानने के लिए छह महीने के लिए परिचालित करें फिर उसके बाद इस कानून को लाएं। इस कानून को बाद में पास करें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब जब बोल रहे थे, कई बार ...(व्यवधान).. बोलने तो दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कहां बीच में आ गये?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं बोल रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हो, सीनियर हो मेरे से, बैठो। माननीय सभापति महोदय, मुझे एक ही बात का दु:ख है, मैं राजनीति पर नहीं बोल रहा हूं। वास्तव में मुझे दु:ख है, वही बोल रहा हूं। राजस्थान का एक भी आदमी, कल जब टी.वी. पर कहीं की खबर आती है और भीड़ किसी को मारे और राठौड़ साहब उधर से गुजर रहे हों, क्या राठौड़ साहब उस भीड़ का साथ देंगे या एक आदमी जो

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

भीड़ से पिट रहा है, उसका साथ देंगे? आप उसको बचाओगे। किसी का बचाव करने के लिए कानून आ रहा है। इसमें कांग्रेस-बीजेपी कहां से आ गयी? न धर्म है, न जाति है, कोई दलित पिटे, कोई भी पिटे, आपको दया नहीं आएगी? मारने दें उस भीड़ को? रो रहे हैं लोग, टी.वी. पर देख-देखकर आंसू आ जाते हैं लोगों के, कि यह इंसान कहां जा रहा है? आप खुद कह रहे हो मेरा दल, इसमें मेरा और अपना-पराया दल क्या हो गया? यदि मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ मार रही है किसी को, उसको बचाना आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है, आप तो उस ड्यूटी से पीछे हट रहे हो। आप कह रहे हो मारने दो, खुलेआम यह आतंक होता रहे, मारते रहें लोग, खुलेआम भीड़ मारती रहे। यह तो आज अपने को भी दस लोग मिलकर मारते हैं तो भीड़ की गलती है। यह कोई धर्म और जाति पर तो हो नहीं रहा। धर्म-जाति का कानून नहीं आ रहा। फिर भी, माननीय सभापति महोदय, इस वक्त मॉब लिंचिंग के कानून में तो सदन का हर सदस्य खड़ा होकर समर्थन करता तो हिन्दुस्तान की जीत होती और मां-भारती के बच्चे हम कहलाते। आज यदि कोई कहता कि मैं मां-भारती का बेटा हूं और फिर वह यह कह रहा है कि भीड़ मार सकती है। यह मैं आज कह रहा हूं, यह क्षत्रियों का भी अपमान है। हमेशा राठौड़ों ने, क्षत्रियों ने उस व्यक्ति की मदद की है, जिसको भीड़ ने अकेला समझकर मारा। आप तो आपकी परम्पराओं से, धर्म और संस्कृति से पिछड़ रहे हो, आप क्षत्रिय हो। आपको तो आज खड़े होकर कहना चाहिए कि कांग्रेस कानून ला रही है, अलग इश्यू है, लेकिन यदि सत्ता पक्ष कानून ला रहा है, दु:खी होकर ला रहा है तो उस कानून पर तो सब सदस्यों की एक राय होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, औरतें रोने लग जाती हैं। मैं सच कह रहा हूं, मेरी मां देखती है, मेरे पिताजी देखते हैं कि आज तो हद हो गयी, ये क्या हो रहा है? मेरी वाइफ देखती है, वह घबरा जाती है। लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं और यह कोई राजनीति की बात नहीं हो रही, यह तो ऐसा कानून है, जिस पर मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपके नेता भी यह कहेंगे कि गलत है। पचासों बार आपके नेता का बयान आ गया, सबका बयान आ गया। इसके बाद यदि राजस्थान की सरकार इस तरह की पहल कर रही है तो आपको समर्थन करना चाहिए था। राजस्थान देख रहा है, आप सीनियर आदमी हैं राठौड़ साहब, आपको खड़े होकर धन्यवाद देना चाहिए सरकार का, तब माना जाएगा कि आप असली क्षत्रिय हैं और आप अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जुर्म के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। एक बच्चे को नंगा करके मार रहे थे कल, देख रहे हैं लोग। हम कह रहे हैं बकरा लेकर भाग रहा है, आप कौन होते हो, उसको सज़ा देने वाले? खड़े होकर कम से कम उसकी मदद तो करें। नंगा करके मार रहे हैं, लोगों को लाठियों से मार रहे हैं, लेकिन आप उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मामला मॉब लिंचिंग का नहीं है। यह कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। सरकार जो कानून लेकर आएगी न..(व्यवधान)

श्री सभापति: यह दो क्षत्रियों के बीच का आपसी मामला है, आप दोनों क्षत्रिय बैठकर तय कर लेना कि आपको क्या फैसला करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आज कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, यह बात रिकार्ड में चली जाए। आई.पी.सी. में सर्वाधिक मुकदमे दर्ज होंगे तो मॉब लिंचिंग के होंगे। सारी बातें एन.डी.पी.सी. एक्ट की तरह, पाक्सो एक्ट की तरह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह सवाल उप-नेता का नहीं, अभी सवाल यह है कि शेखावतों ने राठौड़ों को ललकारा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी आपको।

श्री सभापति: माननीय उप-नेता महोदय, शेखावतों ने राठौड़ों को ललकारा है कि आप किसके साथ हो?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं कसम खाकर कह रहा हूं, जिसने पैदा किया, दूध की सौगन्ध खाकर कह रहा हूं कि मैं राजनीति से नहीं बोल रहा था। मेरी आत्मा रोती है, जब टी.वी. पर आदमी पिटता है, दया नहीं आएगी। आदमी उतरकर उसकी मदद नहीं करेगा। एक आदमी को मार रहे हैं, हम उधर से गुजर रहे हैं, यह अपमान है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कानून में प्रावधान है पहले से ही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): कहां प्रावधान है कानून में?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज, सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आई.पी.सी. में प्रावधान है। कामन इन्टेन्शन से लोगों को फांसी तक हुई है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या बात कर रहे हो, पहले कानून पढ़कर आओ।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैंने पढ़ा है कानून। आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि। विराजिये, विराजिये। शांत रहें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 पर मैं विरोध में मेरा मत देने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर हो सकता है कि भावना अच्छी हो लेकिन इसके अन्दर बहुत सारी कमियां रह गईं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उन कमियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों पर हमें पुन: विचार करना आवश्यक है।

अभी माननीय सदस्य बहुत विस्तार से बता रहे थे लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल के अन्दर जो दो व्यक्तियों वाला पाइंट है यह बहुत गम्भीर है। सही कह रहे हैं कि कोई भी दो व्यक्ति यदि कहीं पर भी भीड़ मान लिए जाएं तो निश्चित रूप से किसी भी तरह से कुछ इसके अन्दर हो नहीं सकता है। किसी के घर के अन्दर रात को कोई व्यक्ति बदनीयती से चला गया और परिवार के लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस आए तब तक उस व्यक्ति को वहां पर रोककर रख लिया, अब यह लिंचिंग हो गई। कोई व्यक्ति, चोर परिवार के अन्दर घुस गया, कोई डकैती की नीयत से घुस गया और यदि उस व्यक्ति को वहां पर डिटेन कर लिया और पुलिस को सूचना की, पुलिस आने तक यदि उस व्यक्ति को रोक करके रख लिया तो यह लिंचिंग हो गई। आदमी जब बदनीयती से घुसता है, चोर घुसता है, डकैत घुसता है तो उसके साथ में एकाध कोई थप्पड़ देने की कार्यवाही भी हो जाती है, अब उस व्यक्ति को इतनी बड़ी सज़ा दे दी जाए। एक तो इसके अन्दर यह सबसे बड़ी कमी है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

अध्याय एक के पाइंट 9 में एक बात लिखी है, जिसको मैं बहुत संक्षेप में आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, "Punishment for conspiracy or abetment or aides or attempts to lynch- Whoever takes part in a conspiracy or conspires to lynch another person, or abets or aides or attempts an act of lynching shall be punished in the same manner as if he had himself committed lynching."

यह जो 120 (बी) धारा पहले से बनी हुई है, आप किसी भी व्यक्ति को जो मैंने पढ़ा है इसके अन्दर शामिल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस टारगेट करके और इस एक्ट के तहत उसको लेकर के कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बिल के अन्दर जो गम्भीर खामियां हैं, बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कमियां हैं इन कमियों के लिए इसको जनमत के लिए भेजना चाहिए।

बाकी सारी चीजें हैं, अभी सदस्य महोदय मन से बातें कर रहे थे। मैं भी मन से यह बात कह रहा हूं कि कोई भी अपराध हो, उस अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़ा कानून तो बनना चाहिए लेकिन जो कड़े से कड़ा कानून बनाएं, इसके अन्दर किसी को टारगेट करके कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। उस कानून के अन्दर सख्ती तो होनी चाहिए लेकिन जो लैकुनाज छोड़ दिये जाते हैं उन लैकुनाज के तहत यदि कोई व्यक्ति उसको टारगेट बना ले, जैसे कहा कि, साहब, इसके अन्दर पुलिस का अधिकारी यथा-शक्ति, अब उसके अन्दर यह नहीं है कि वह क्या करेगा, किसी को टारगेट करना है तो उसको उसके अन्दर जोड़ देगा नहीं करना है तो उसको उसके अन्दर जोड़ देगा। मैं यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं कि इसके अन्दर जो खामियां हैं उन खामियों को ठीक करके इसको जनमत के लिए भेजा जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का यह आग्रह कि भीड़ द्वारा लोगों को

(श्री बिहारीलाल)

जान से मार दिये जाने पर केन्द्र सरकार को इस तरह का कोई बिल लाना चाहिए, इस तरह का कोई कानून पारित करना चाहिए।

माननीय सभापति जी, चूंकि यह कृत्य घृणास्पद और प्रकृति में अक्सर साम्प्रदायिक होते हैं इसलिए इन्हें धारा 153 (ए) के साथ देखना चाहिए और केन्द्र सरकार ने एक मंत्रिमण्डलीय कमेटी भी बना रखी है, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। केन्द्र सरकार इस पर कानून बनाये या 153 (ए) में संशोधन लाए, यह विचार हो सकता है।

राजस्थान की सरकार यह विधेयक लेकर आई है और उप-नेता प्रतिपक्ष ने जो बात, जो भावना अवगत करवायी तो उसमें संशोधनों की बात कही गई। साथ ही, माननीय परिवहन मंत्री ने जो बात कही, जो दर्द बयान किया, अगर असल में सरकार के मन में, दिल में ऐसा दर्द है तो पहले से बहुत कानून बने हुए हैं आई.पी.सी. में सभी तरह के कानून बने हुए हैं, सभी गलत हरकतों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अगर सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और अभियोजन पक्ष मजबूत हो तो निश्चित तौर पर उन प्रावधानों का पालन करते हुए हम प्रत्येक अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं।

हमारी भावना, सरकार जो विधेयक लेकर आई है, इस पर हम कुछ संशोधन देना चाहते हैं और सबसे पहला संशोधन कि लिंचिंग शब्द को इस विधेयक में आप हिन्दी में परिभाषित नहीं कर पाये, लिंचिंग शब्द की आप हिन्दी में व्याख्या ही नहीं कर पाये तो इस शब्द को समझने में ही बड़ी दुविधा रहती है।

इसमें भीड़ की बात कही गई, भीड़ द्वारा हिंसा, तो भीड़ को भारतीय विधि के अनुसार परिभाषित किया जाए और भारतीय विधि कहती है, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह, आपने दो व्यक्तियों की बात की है। इस पहले संशोधन में तो माननीय परिवहन मंत्री हमारे साथ खड़े हैं और अभी कह रहे हैं कि दस व्यक्ति मिलकर किसी निरीह आदमी के साथ मारपीट करें, मारें तो कितना दर्द होता है, उस दर्द से हम सब इत्तफाक रखते हैं तो इसलिए पहले संशोधन में तो माननीय परिवहन मंत्री की भी सहमति है कि विधि के अनुसार भीड़ की परिभाषा पांच या पांच से अधिक है, उसको दस तक की बात कही है कि दस व्यक्ति, तो यह संशोधन माननीय मंत्री जी इसमें लेकर आये हैं।

(श्री बिहारीलाल)

हिंसा को भी परम्परागत रूप से परिभाषित किया जाए। इस बिल में बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका दुरुपयोग पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान किये जाने का डर रहेगा इसलिए इसको भी परम्परागत रूप से परिभाषित किया जाए।

प्रतिकूल परिवेश की जो आपने बात कही है, बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका दुरुपयोग निश्चित रूप में देखने को होगा। जैसे पीड़ित, उसका कुटुंब, अब कुटुंब का दायरा कितना विस्तृत होता है इसलिए यहां परिवार शब्द होना चाहिए था, कुटुंब की जगह परिवार शब्द जोड़ा जाए।

साक्षी, पीड़ित अथवा साक्षियों की सहायता करने वाले सबको सम्मिलित किया गया है जो बिलकुल स्वीकार्य नहीं है, माननीय महोदय, यह विधि के भी प्रतिकूल है। चाहे कृत्य स्वाभाविक हो या योजनाबद्ध हो, यह बात भी बहुत अविधिक है। केवल योजनाबद्ध तरीके से की गई हिंसा को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। बोनाफाइड और मैलाफाइड के अन्तर का यह विवेक हम में होना चाहिए। मैलाफाइड और बोनोफाइड का अन्दर भी इसमें देखना चाहिए।

भौतिक, शारीरिक अथवा आर्थिक हानि तक तो समझ में आता है पर मनोवैज्ञानिक हानि का मापदण्ड क्या होगा? पीड़ित के वारिस को किस विधि के अन्तर्गत पीड़ित माना जाएगा, आप स्पष्टत: इस विधेयक में बताते।

हिन्दू लॉ, मुस्लिम लॉ अथवा अन्य, इनके अन्तर्गत इस पीड़ित को माना जाएगा क्योंकि यह बिल केवल किसी समुदाय विशेष के लिए तो लाया नहीं जा रहा, विधि के समक्ष समानता के मूल सिद्धांत को हर हालत में माना जाना चाहिए।

दंड की व्यवस्था भी समानुपातिक नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

एक ही अपराध के लिए धर्म के आधार पर अलग-अलग दंड की व्याख्या नहीं की जा सकती। भारत एक धर्म व पंथ निरपेक्ष देश है। यह बिल संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, इसमें समाज में विद्वेष एवं अलगाव

(श्री बिहारीलाल)

को बढ़ावा देंगे। पीड़ित व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाता है, यह स्थापित ट्रेंड है। यह प्रस्ताव विधि के विरुद्ध है कि एक पीड़ित व्यक्ति किसी निजी वकील को भी करता है तो उसका व्यय भी सरकार उठाएगी, यह बिलकुल अव्यावहारिक बिंदु है।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में, आधे मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

वकील भी अगर धार्मिक आधार पर किये जा सकेंगे, इनका व्यय सरकार वहन करती है तो कैसी धर्म निरपेक्ष सरकार है?

राहत शिविरों का प्रावधान गलत और नये विवादों को जन्म देने वाला होगा, माननीय महोदय। इसलिए हमारे ये संशोधन एवं कुछ सुझाव हैं, सरकार इसमें शामिल करें और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कानून को खाली लेकर आना, बिल पास कराना तो संविधान में बहुत सी व्यवस्था है, यह भी एक कागज का टुकड़ा भर न रह जाए, इसलिए सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, हमारा अभियोजना पक्ष मजबूत हो और निष्पक्ष पुलिसिंग की कार्यवाही हो तब जाकर इस मूल भावना के अनुसार हम बात कर पाएंगे। हमारा आग्रह है कि इन संशोधनों के साथ इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए और जनता के भी सुझाव इसमें मांगे जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह लिंचिंग बिल जो आज कांग्रेस की सरकार लेकर आई है, 14 मार्च, 1891 में अमेरिका में इटालियन लोगों के खिलाफ पहली बार यह लिंचिंग की शुरुआत हुई। उसके 130 साल बाद अचानक सरकार जगती है और इस सत्र में जब बिल पर बिल लाए जा रहे हैं, तो यह बिल इस प्रकार से तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है, जिस बिल की न तो सींग है और न पूंछ है।

सभापति महोदय, इस बिल को यदि आप पूरा देखो तो इसमें लिंचिंग वर्ड का जो अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, भीड़ हत्या, भीड़ तंत्र न्याय, आप कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड डिक्सनरी में पढ़ लें "The act of killing (someone) without a legal trial" और उसमें आगे लिखा हुआ है 'usually

(श्री अशोक लाहोटी)

by hanging' यानी फांसी पर लोग बिना ट्रायल के चढ़ा देते हैं। वह लिंचिंग का व्यापक अर्थ है। इसका दूसरी डिक्शनरियों में भी यही अर्थ है कि "The act of killing (someone) without a legal trial, usually by hanging." हैंगिंग वर्ड को विशेष रूप से लिंचिंग से शुरूआत से जोड़ा गया है।

सभापति महोदय, इस बिल के पीछे क्या राजनीति है, यह सारी दुनिया देख रही है। यह बिल लाने वाले भी जान रहे हैं और हम बहस करना वाले भी जान रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि शायद सरकार यह भूल रही है कि इस बिल को जितनी जल्दबाजी में आप ला रहे हो, यह वैसा ही घातक कदम आप उठा रहे हो, जो कि इस लोक सभा चुनाव में आपने जल्दबाजी में पुलवामा पर अपना बयान दिया और उसका परिणाम पूरे देश की जनता ने आपको दिया। यह वैसा ही घातक परिणाम आप फिर भुगतने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देश की संसद में संवैधानिक गौरव बढ़ाने के लिए कई प्रकार के बिल लाए जाते हैं, लेकिन जब भी बिल लाते हैं तो उस बिल की कोई व्यापक व्याख्या होती है। अभी वर्तमान में जो आप लेकर के आ रहे हैं, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह बिल पेश कर रही है। एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कहूं या गृह मंत्री जी कहूं, कि न तो पूर्णकालिक मुख्य मंत्री जी हैं और न ही पूर्णकालिक गृह मंत्री हैं, उनके बीच में ही यह राजस्थान प्रदेश झूल रहा है। यहां की कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। कानून व्यवस्था खतम हो चुकी है। पूरे प्रदेश में जीवाणु और कीटाणु जैसे लोगों को सरकार के माध्यम से संरक्षण मिल रहा है। कारों के शीशे तोड़ने वालों को संरक्षण देने का काम मॉब लिंचिंग बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इस मॉब शब्द को ठीक से उल्लेखित करना मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। यह बिल मूल रूप से यदि मैं कहूं तो जाति, धर्म, खाने-पीने की चीजों को आधार बनाकर जेल में ठूंसने का काम किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन होगा। संविधान की धारा 14, 19 और 21 का यह बिल पूर्ण रूप से उल्लंघन करता है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपने इसमें कुछ गैर ज़मानती प्रावधान भी किये हैं। उस गैर ज़मानती प्रावधान में इस बिल की धारा 2 की

(श्री अशोक लाहोटी)

उप धारा 'ड' में आपने 2 लोगों को मॉब और भीड़ बताया है, जो कि बाकी सदस्यों ने भी कहा है। How it is possible? मैं अभी बोल रहा हूं और सत्ता पक्ष के 4 लोग खड़े हो गए, मैं कह दूं राजनीतिक रूप से, कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा उपहास कर रहे हैं। यह क्या मॉब लिंचिंग में आएगा? इस तरह के क्या शब्द हम डाल रहे हैं? बिल को कड़ा किया जाए। इस तरह का जरूर सरकार ने आदेश दिया होगा, लेकिन कितना कड़ा किया जाए? सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि थोड़ा ध्यान इस पर दे लें। बाकी सरकारी काम तो हरीश मीणा जी, बाद में भी निपटा लेंगे, आप तो डी.जी. रहे हो। एक बार हमारा मामला निपट जाए, आप फिर कर लेना।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भीड़ की श्रेणी को जरूर परिभाषित करें। निश्चित रूप से यह मंत्री जी को ध्यान में आएगा तो वह इस पर जरूर विचार भी करेंगे और भीड़ को परिभाषित भी करेंगे। इतना ही बिल में जिस प्रकार के शब्द प्रयोग में लिए हैं, वह पूर्ण रूप से जाति, धर्म, खान पान, पहनावे और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर लिए गए हैं। इससे गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में अस्थिरता आएगी। प्रदेश पूरा अस्थिर हो जाएगा। हर छोटी-छोटी बात में 2 लाइनें एक्स्ट्रा जुड़वाकर लिंचिंग के कानून में फंसाने का काम किया जाएगा। ब्लेकमैलिंग का कार्य इस प्रदेश में पुलिस के संरक्षण में शुरू हो जाएगा। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसमें आईपीसी की धारा वर्णित क, ख और ग में जो आपने लिखा है, इसमें सैक्शन 4 में आईपीसी में इसका ऑलरेडी प्रावधान है। इसको मॉब लिंचिंग के दायरे में लाना न्यायसंगत नहीं है। आपने सज़ा के प्रावधान धारा 8 में लिखे हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष नहीं, सभापति हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हम तो अध्यक्ष और सभापति एक ही मानते हैं। आप अलग-अलग मानो।

सभापति महोदय, जैसे कि किसी को हर्ट करने पर आपने सारे कानूनी प्रावधानों के बाद, आपने लिख दिया कि 1 लाख रुपये का जुर्माना और देना पड़ेगा। वह 1 लाख रुपये का जुर्माना इसमें ब्लेकमैलिंग की शुरुआत करेगा। इसको रोकना अति आवश्यक है। इसमें आपने लिख दिया, धारा 10

(श्री अशोक लाहोटी)

की उप धारा 'ए' में कि 'कोई समाज में उसका साथ न दे', यह 10 में उसका सीधा-सीधा उदाहरण है। यानी मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाए, आपके खिलाफ कुछ भी हो जाए, इनके खिलाफ कुछ भी हो जाए, उसका समाज में कोई साथ नहीं देगा।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपने इसके 2 'जे' में लिखा है कि इसके परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हानि को सहन किया है। मैंने लिख दिया कि मुझे आर्थिक हानि हुई मॉब लिंचिंग में आ गया, मुझे मानसिक पीड़ा हुई मॉब लिंचिंग में आ गया। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? मैं समझता हूं कि इसमें आपके इंटरवीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, झगड़ा देखने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। अभी बड़े-बड़े उदाहरण दे रहे थे, राठौड़ों और शेखावतों की बातें हो रही थीं। रुककर के साथ देने की तो बाद में बात होगी, झगड़ा देख लिया तो भी आपको मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ेगा। यह इस बिल की धारा में आपने लिखा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, 2 मिनट और लूंगा। मैं विषय से विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। आईपीसी की धारा 141 विधि विरुद्ध जमा, 319 में क्षति, 320 में घोर आघात, 302 में हत्या, 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र, जब सब कुछ आपकी आईपीसी में है तो इसमें आपने नई बात क्या जोड़ी? नई बात यह जोड़ी कि किसी व्यक्ति को जबर्दस्ती लिंचिंग में कैसे फंसाया जाए।

सभापति महोदय, आपने इसका कानून बनाया तो काम किसको दिया? पुलिस को दिया। कल जैसे पूरा सदन गौ माता को बचाने के लिए बात कर रहा था, आज मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह बिल गौ तस्करों के पक्ष में लाया जा रहा है। यह बिल गौ माता की रक्षा करना वाले लोगों के खिलाफ लाया जा रहा है। जो काम पुलिस नहीं कर रही है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। हम किसी मॉब लिंचिंग के पक्षधर नहीं हैं, हम हत्या के पक्षधर नहीं हैं, हम फांसी पर लटकाने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन यदि पुलिस काम नहीं कर रही और समाज का कोई सभ्य वर्ग मिलकर के जनहित के

(श्री अशोक लाहोटी)

काम करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको मॉब लिंचिंग में फंसाने का गलत काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, जब आपकी पुलिस काम नहीं कर रही। मैंने कहा कि सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। यदि कांग्रेस पार्टी को मॉब लिंचिंग लाना था तो 1947 में क्यों नहीं लेकर आए? जब हजारों हिन्दू देश की आजादी के लिए मारे गए। 1984 के सिख दंगों में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई। उस समय क्यों नहीं लेकर के आए? 1977 में जब आपातकाल लगाया गया, जब इंदिरा गांधी जी कानून लेकर आई, तब मॉब लिंचिंग कहां चला गया था? आज यह मॉब लिंचिंग कैसे याद आ रहा है? यह मॉब लिंचिंग एक समाज विशेष के दबाव में, एक समाज विशेष को फायदा देने के लिए और बहुसंख्यक लोगों को परेशान करने के लिए और गौ माता की रक्षा करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। मैं इस कानून का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इस कानून को जनमत जानने के लिए, कानूनविज्ञों से राय लेकर के, उसके बाद इस कानून को लाया जाना चाहिए अन्यथा इस कानून के दुष्परिणाम कितने भयानक और घातक होंगे, यह शायद जन प्रतिनिधि समझ रहे हैं, लेकिन पार्टी के दबाव में बोल नहीं रहे हैं। मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं, कि उधर 70 साल की आजादी मिली है। 370 खतम हुई है और यहां कांग्रेस सरकार आपातकाल लगा रही है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, राजस्थान लिचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 के संबंध में मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के व्यापार या कारोबार का बहिष्कार करना अथवा उसके लिए आजीविका अर्जन को कठिन बनाना, यानी मैं और 2 व्यक्ति मिलकर के किसी दुकान से सामान लाते थे और अब हमने लाना बंद कर दिया है, तो मैं अपराधी हो जाऊंगा क्योंकि मैंने

(श्री मदन दिलावर)

उसे आर्थिक हानि पहुंचाई है। क्या मेरे ऊपर यह कानून लागू होगा? क्या मुझे इसकी सज़ा मिलेगी? क्या यह मैंने अपराध किया है कि मैं किसी के यहां से सामान खरीदूं या नहीं खरीदूं?

सभापति महोदय, ऐसे व्यक्ति या उस कुटुंब को जो उस परिक्षेत्र से, या उस कुटुंब जहां सामान्यत: स्थाई निवासी के रूप में निवास करता रहा हो, या बाहर कर देना, अब मान लो किसी को बाहर जाना ही हो, मेरे से लड़ाई है पहले से, वह कहे कि इसने मुझे बाहर भगा दिया है। वह 2 महीने के लिए बाहर जाता है और रिपोर्ट कर दी कि साहब, इन्होंने मुझे बाहर भेज दिया है, मुझे गांव से निकाल दिया है, घर से निकाल दिया है, यह मुझे परेशान कर रहा है, क्या मैं अपराधी घोषित होऊंगा? इनकी यही मंशा है क्या?

सभापति महोदय, मैं तो गांव का आदमी हूं, 2 आदमी मेरे खेत की रखवाली कर रहे हैं, मेरे खेत में एक आदमी 4 भैंसे लेकर के आ गया, मैंने कहा कि भगाता हूं, तो मेरी तरफ लट्ठ लेकर के दौड़ता है। मैं क्या करूं? अब भैंस की तरफ, मैं उसको न मारूं, भैंस को मारने के लिए, भगाने के लिए लट्ठ तो लाना पड़ेगा न, मैं लट्ठ लेकर जाता हूं तो वह कहता है कि ये दो लोग मुझे मारने के लिए आए, मेरा तो लिंचिंग हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं अपराधी हो गया। मेरी फसल को खराब होने दूं? उन भैंसों को नहीं भगाऊं? मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्या आप मेरे बच्चों को भूखों मरने देखना चाहते हो? क्या धारीवालजी, आप मेरे बच्चों को भूखों मारना चाहते हैं? क्या भूख से मरते देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं इस बिल को लाकर के, क्या कहना चाहते हैं आप?

माननीय सभापति महोदय, मेरे घर में डकैत आ गए रात को, मैं चिल्लाया, पड़ौस वाले भागकर आए चार-पांच लोग, उन डकैतों पर पत्थर फेंके, डकैत के लग गई, पकड़ लिया उसको हमने, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई तो उसने कहा, साहब, हमको तो इन लोगों ने मारा है, यानी डकैत को संरक्षण देने के लिए यह कानून आ रहा है, चोरों को संरक्षण देने के लिए यह कानून आ रहा है। गौ माता को सरेआम काट रहे हैं, हम मना करते हैं तो छुरे फेंक कर हमको देता है, हम दो पत्थर फेंकते हैं, उसके सिर में लग जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? गौ माता को सरेआम कटता हुआ देखें? यही चाहते हैं धारीवालजी? क्योंकि आप तो पूजा नहीं करना चाहते उसकी। आपके हिसाब से वह जानवर है, उसकी पूजा करना अपराध है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरे से बार-बार कहलवाना चाहते हो, यह मैंने नहीं दामोदर सावरकर ने लिखा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह बिल तस्करों के संरक्षण के लिए, डकैतों के संरक्षण के लिए, चोरों के संरक्षण के लिए, बलात्कारियों के संरक्षण के लिए और गौ हत्यारों के, गौ मांस खाने वालों के संरक्षण के लिए लाया जा रहा है धारीवालजी। गौ माता की ज्यादा हत्या मत करवाओ धारीवालजी, इस बिल को ला करके। मेरे घर में डकैत आ जाएंगे, आपके घर में कभी डकैत आया और आपने हल्ला किया और मुझे बुलाया तो मैं कभी भी आपको छुड़वाने के लिए नहीं आऊंगा। यह गारंटी देता हूं क्योंकि यह बिल है, मेरे को अपराध लग जाएगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आना पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ...(व्यवधान) मैं आपको बताऊं सन् 1965 की बात? लिंचिंग लगाना उस पर, फिर कहोगे, मत बोलो मदन दिलावर। मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं आपकी बात को मान गया, बीच में आपने कहा था कि ऐसा मत बोलना।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): नहीं तो मुझे पता है, सन् 1965 में जो कुछ हुआ था, सारा का सारा मुझे पता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय धारीवालजी ने मुझसे निवेदन किया हुआ है क्योंकि जिस जिले से वे आते हैं, उसी जिले से मैं भी आता हूं, इसलिए मैं चर्चा नहीं करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर में घुसकर दो लोग आए और मेरी पत्नी को पकड़ रहे हैं, झपट्टा मार रहे हैं, उसको मार पीट कर रहे हैं, उस घर में हम चार-पांच भाई रहते हैं, मेरी बहनें भी रहती हैं, सारे लोग उसे छुड़ाने लगे तो हमने गुस्से में उसको मारा भी, उसको थोड़ी खरोंच आ गई, हम सबको जेल जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये महिलाओं के भी खिलाफ हैं ताकि बलात्कारियों को कोई रोके नहीं, महिलाओं का अपमान करवाना चाहते हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जितने रेपिस्ट हैं वह खुले घूमें, किसी महिला के साथ कुछ भी करके आ जाएं, पांच लोग मारें उसको, पांच लोग पकड़ें तो साहब यह मॉब लिंचिंग हो गई।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसलिए मेरे को भी, मेरी बहन को भी, मेरी मां को भी सज़ा होगी, जिसने देखा उसको भी सज़ा होगी।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वह दुकान लगाता है, मैं उसकी दुकान से सामान नहीं लाया तो भी मुझे सज़ा होगी?

श्री सभापति: आप कोई तैयारी करके नहीं आए, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह इस तरह से अन्यायपूर्ण है, अंग्रेजों के समय भी ऐसा बिल नहीं आया धारीवालजी।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह अत्याचार, अनाचार बंद करो, कोई सा भी बिल ले आओ, सरेआम गौ माता को कटने नहीं देंगे, फांसी की सज़ा भी हो जाएगी तो फांसी की सज़ा भी खाएंगे लेकिन गौ हत्यारों को सबक सिखा कर रहेंगे, किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, कानून से फांसी पर लटकवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं।

श्री सभापति: कुर्ता मत फाड़ना, बाकी सब कुछ करना। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कहीं ऐसा न हो कि कुर्ता ही फाड़ बैठें। (व्यवधान) पुरानी प्रैक्टिस रही है आपकी।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 जो बिल राजस्थान सरकार ने आज पेश किया है। 18 पन्नों के इस विधेयक में बहुत सी ऐसी बातें कही गई पर विस्तृत रूप से इस विधेयक के अंदर कोई वर्णन नहीं, इसलिए मैं इस विधेयक के कुछ संशोधनों के पक्ष में और इसे छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस विधेयक की हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं, यह मॉब लिंचिंग इसमें जितने भी सज़ा के प्रावधान किए गए

(श्री अविनाश)

हैं, इस अपराध को रोकने के लिए, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या न हो, किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वह किसी भी समाज का हो, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, इंसान होने के नाते हम सबकी यह जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि उसको सामाजिक सुरक्षा मिले और उस सामाजिक सुरक्षा में इस तरह के सख्त से सख्त कानून बनें ताकि इस अपराध की रोकथाम पूर्ण रूप से हो। जिस विधेयक की बात हम कर रहे हैं, उसमें आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के अंदर बहुत पहले से सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, व्यक्ति विशेष को समानता का, दैहिक स्वतंत्रता का, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह विधेयक लाकर उनके हनन का सबब यह आगे जाकर बनेगा।

गौ तस्करों के पक्ष में और गौ रक्षकों के खिलाफ में इस विधेयक को काम में लिया जाएगा। आज मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपनी बात रखी कि अगर किसी समाज विशेष में, किसी जगह विशेष पर अगर कोई चोर हो, चाहे कोई डकैत हो, चाहे कोई असामाजिक तत्व हो, अपराध करना की नीयत से उस जगह पर आता है लेकिन हमारी सूझबूझ से, हमारी सावचेती से वह पकड़ा जाता है, उसको पता है कि मुझे सज़ा मिलेगी लेकिन उस दरमियान वह मॉब लिंचिंग का केस बनाकर उस समय उसके खिलाफ जो हैं उनके खिलाफ वह केस लगाएगा तो निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ में जो उसके बचाव करने के लिए आए हैं वह उनके खिलाफ भी जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चोर हों, चाहे डकैत हों, चाहे लुटेरे हों, बलात्कारी हों, ऐसा घिनौना काम करते हैं, उनको भी संरक्षण देने का काम यह विधेयक करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना कोई जुर्म नहीं माना जाता है लेकिन ऐसे विरोध जब किसी भीड़ में अपराध कारित करता है, उस अपराध को रोकने के लिए भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होती है लेकिन उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय अगर कोई होगा तो मॉब लिंचिंग का केस उन निर्दोष लोगों पर मढ़ा जाएगा। आपने इसको अजमानती अपराध करार दिया है, नोन बेलेबल यह भी सख्त से सख्त सज़ा है। एक छोटे से केस के लिए अगर गैर जमानती अपराध गिना जाएगा तो निश्चित रूप से मैं इसके खिलाफ हूं। भीड़ द्वारा

(श्री अविनाश)
अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसकी सज़ा धारा 302 के अंदर हो, चाहे 307 में हो, यह बहुत से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। अगर रास्ते में रोककर मारपीट की जाती है तो 323, 341 के अंदर सज़ा का प्रावधान है। हत्या हो तो 302 के अंदर है, बलात्कार होता है तो 376 के अंदर है, इस प्रकार के बहुत से ऐसे कानूनी प्रावधान हैं, आदमी को उसके अपराधों की रोकथाम के लिए, जो उसने अपराध कार्य किए हैं उनकी सज़ा मिलती है। इसलिए इसमें नया कुछ भी नहीं है। अभी माननीय सदस्य, अशोकजी लाहोटी ने कहा था, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं बिलकुल उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि समाज विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले समय में अगर इसको लागू किया गया तो निश्चित रूप से राजस्थान में इसके बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। इस विधेयक में कहा गया कि मॉब में सिर्फ दो व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। दो व्यक्ति मिलकर ऐसी किसी घटना को, इतने संज्ञेय अपराध को कभी कारित नहीं कर सकते जो कुल मिलाकर इस मॉब लिंचिंग की परिभाषा में आता है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा मानना है कि इस विधेयक को पारित कराने से पहले छह महीने के लिए जनता का जनमत जानने के लिए, कानूनी विशेषज्ञों की राय जानने के लिए इसको भेजा जाए। उसके बाद में अगर इसे पारित करें तो कुछ संशोधनों के साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक, 2019, मैं इसके सम्बन्ध में इतना तो विशेषज्ञ हूं नहीं पर मैं एक बात अवश्य समझ गया कि 'दुर्लभ प्राणी' किसका नाम होगा? कोई चोर आया चोरी करने और उसको मान लो घरवालों ने पीट दिया, वह भी 'दुर्लभ' हो सकता है तो यह 'दुर्लभ' की जो परिभाषा है, ... (व्यवधान) 'दुर्बल', आपको सौ बार कहा है कि मैं इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं। 'दुर्बल', मेरा कहने का यह भावार्थ है, माननीय सभापति महोदय, इस देश के अंदर पहले भी कानून बने हुए हैं।

श्री सभापति: आप इससे आगे की व्याख्या करें कि इस कानून के लागू होने से जो 'दुर्बल' है वह 'दुर्लभ' हो जाएगा मिलना ही।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, हां, यह ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा क्या है? मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस कानून के सम्बन्ध में तरह-तरह की आशंकाएं प्रकट की हैं। कहां इस कानून की राजस्थान में आवश्यकता पड़ गयी? ऐसी कौन-सी विपत्ति आयी हुई थी कि इस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी सरकार को? सभापति महोदय, इस कानून का सरेआम दुरुपयोग होगा। इसमें कतई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है और व्याख्या नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? इसमें माप-तोल क्या होगा? हरेक कानून में पूरी डिटेल्ड व्याख्या की जाती है, पर इसमें शब्दों का ऐसा जाल बुना है कि आम आदमी तो इसे समझ ही नहीं पाता।

सभापति महोदय, यही आग्रह है कि अगर कानून ही बनाने हैं तो किसी के भले के लिए बनाएं। आपको और हमें यहां चुनकर इस तरह के कानून बनाने के लिए नहीं भेजा गया है। जनता इस कानून से परेशान होगी। आए दिन आपस में सामाजिक टकराव होंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। मैं यहां पर सिर्फ यह संकेत करना चाहता हूं कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस कानून को लागू करने से पहले छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए इसे परिचालित करें और राजस्थान की जनता से राय मांगें और इस कानून की व्याख्या पूरी खुलकर बताएं कि यह क्या बीमारी है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह काला कानून है। एक तरफ तो बड़ा अच्छा कानून आया है और दूसरी तरफ आप उसके बदले यह काला कानून जो आज लेकर आए हैं, इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करें। यही मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हम सभी किसी न किसी अदृश्य शक्ति को मानने वाले लोग हैं, चाहे भगवान को मानें, चाहे खुदा को मानें, चाहे ईसा मसीह को मानें, चाहे गुरू को मानें। इस नाते जब हम यह मानते हैं कि हमें परमात्मा ने पैदा किया है तो हम यह क्यों नहीं सोच पाते कि वह जो दूसरा नागरिक है, उसे भी पैदा करने वाला वही परमात्मा है, खुदा है। हमारे अंदर वह सोच क्यों नहीं बनी रहती?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, ये घटनाएं क्यों समाज में हो रही हैं? इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? स्कूल का रिजल्ट आया, उसमें प्रतिस्पर्धा का, ईर्ष्या का भाव, कम्पीटिशन का भाव पैदा कर दिया गया। हम उसे सिखाते हैं, तू डाक्टर बन, इंजीनियर बन, आईएएस अफसर बन, पर तू अच्छा इंसान बन, यह सिखाना हम भूल जाते हैं। यही कारण है कि आज समाज इस विद्रूप स्थिति में पहुंच गया है और वे बच्चे जो इन लिंचिंग की घटनाओं में शामिल हैं, आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए, वे किस तरह के लोग हैं। पढ़ने का वातावरण नहीं मिला, शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। इस पृष्ठभूमि में जो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वे इस तरह की घटनाओं में इन्वाल्व होते हैं। यह कानून उन्हीं को पकड़ने के लिए है, लेकिन उनके पीछे जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं, जो संगठन हैं, उनकी असलियत और उन संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम कैसे होगा? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस पवित्र सदन में मानवता को समर्पित एक लोक कल्याणकारी बजट पारित करने के बाद राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने पीड़ित मानवता की सेवा में उसके अधिकारों की रक्षा के लिए एक अत्यंत उपयोगी और जरूरी कानून इस सदन में पेश किया।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग पिछले कुछ साल से टीवी पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर क्या नहीं देख रहे हैं? कैसे फोटो आ रहे हैं, कैसे मैसेज आ रहे हैं, कैसे वीडियो आ रहे हैं, देख नहीं सकते हम? मन इतना विचलित हो जाता है कि बंद करना पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, गुजरात की वह ऊना की घटना, जहां हमारे दलित नौजवान मरे हुए जानवरों की चमड़ी निकलना चाह रहे थे। किस तरह से घेराबंदी करके उन पर हमला किया गया? किस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया और उस एक घटना ने पूरे देश के दलित समुदाय को ही नहीं, देश के हर संविधान और कानून में आस्था रखने वाले आदमी को झकझोर दिया था।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक वक्ता कह रहे थे, जब ये मॉब लिंचिंग का इतिहास बता रहे थे तो कोई इतिहास में भारत की घटना उन्हें नहीं मिली। सौ साल से भी ज्यादा पहले की अमेरिका की घटना उन्होंने

(श्री संयम लोढ़ा)

बतायी। पिछले सत्तर साल में हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। ये घटनाएं क्यों शुरू हुई हैं? किस कारण हुई हैं? किसके प्रभाव में हुई हैं? कौन उन्हें मोटिवेट कर रहा है? इन सारी बातों पर विचार करने की जरूरत है।

सरकार द्वारा जिस रोशनी में यह बिल लाया गया है और अपने उद्देश्य और कथन में जिस तहसीन पूनावाला बनाम गवर्नमेंट आफ इंडिया एंड अदर्स के फैसले का जिक्र किया है, जिसके प्रभाव में यह लाया गया। नोर्थ ईस्ट का एक स्टेट सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन की पालना में कानून लाया। शायद मणिपुर या मिजोरम, लेकिन उन्होंने भी रूल्स नहीं बनाये। राजस्थान देश में पहला राज्य होने जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन पर यह बिल लाया है। माननीय सभापति महोदय, एक साल तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चलती रही है, बहस होती रही है। हर चीफ सैक्रेटरी से हर महीने सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी।

भारत सरकार के Additional Solicitor General भी इसमें भारत सरकार की ओर से पेश होते रहे और जब यह पिटीशन दाखिल हुई, उसके बाद जब राज्य सभा में चर्चा थी तो अरुण जेटली साहब ने इसमें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रिप्लाई किया और साफ मना कर दिया कि हम किसी तरह का कोई कानून इस पर नहीं लाएंगे। उसके बाद विवश होकर सुप्रीम कोर्ट को 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की तीन सदस्यीय बैंच ने यह निर्णय दिया और उसी की पालना में सरकार यह कानून लायी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, कुछ बातें आपने उसमें छोड़ दीं। मैं उसका पोर्शन आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो कि सबसे जरूरी है। आपने करने वालों के ऊपर, उससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रावधान कर दिया, लेकिन कोई अधिकारी अपने कर्तव्यपालन में लापरवाही करेगा, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिये, उसका आपने इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा। माननीय सभापति महोदय, मैं उसका रेलेवेंट पोर्शन सुनाना चाहता हूं। पेज नम्बर 42, जो 45 पेज का फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का-

preemptive measures, “wherever it is found that a police officer or an officer of the district administration has failed to comply with the aforesaid directions in order to prevent and/or investigate and/or facilitate expeditious trial of any crime of mob

(श्री संयम लोढ़ा)

violence and lynching, the same shall be considered as an act of deliberate negligence and/or misconduct for which appropriate action must be taken against him/her and not limited to departmental action under the service rules.

Departmental action shall be taken to its logical conclusion preferably within six months by the authority of the first instance."

और सैकण्ड पार्ट में क्या कहा है-

"In terms of the ruling of this Court (in Arumugam Servai V/s Sate of Tamil Nadu), the sates are directed to take disciplinary action against the concerned official, if it is found that such officials didn't prevent the incident despite having prior knowledge of it or where the incident has already occurred, such official didn't promptly apprehend and institute criminal proceeding against the culprits."

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, अरूमुगम सरवई बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु जो एक दूसरी ब्रांच का फैसला है, जस्टिस मार्कण्डेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा ने जो निर्णय किया है, उन्होंने क्या कहा है-

"we direct the administrative and police officials to take strong measures to prevent such atrocious acts. If any such incidents happen, apart from instituting criminal proceedings against those responsible for such atrocities, the State Government is directed to immediately suspend the District Magistrate/Collector and SSP/SPs of the district as well as other officials concerned and charge sheet them and proceed against them departmentally if they do not (1) prevent the incident if it has not already occurred but they have knowledge of it in advance, or (2) if it has occurred, they do not promptly apprehend the culprits and

(श्री संयम लोढ़ा)

others involved and institute criminal proceedings against them, as in our opinion they will be deemed to be directly or indirectly accountable in this connection.” आप यह पूरा पोर्शन खा गये। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने जिस सोच के साथ यह कानून लाया है उसके अन्दर आपका इस प्रोविजन को नहीं रखना, सबसे बड़ी बाधा बनेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे खुद के होम टाउन में देखा है। एक पर्टिकूलर मौहल्ले में पहुंच गये, डीवाईएसपी साथ हैं, मोटर साइकिल तोड़ रहे हैं, उसको सूचना दे रहे हैं पर वह कुछ नहीं कर रहा है। वह जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और इसलिए बैठ जाता है कि मेरा तो साल भर बाद रिटायरमेंट है, अभी डीवाईएसपी सर्किल में तो लगा हुआ हूं, अगर ये नाराज हो गये तो हटा देंगे, जो कमाई हो रही है वह बन्द हो जाएगी और वे मोटर साइकिलें टूटती रहती हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि आपके पास समय है, सैक्शन 25 में आपने पावर ले रखी है, आप इसमें और दो साल तक प्रोविजन कर सकते हैं तो आप इस पर वापस विचार करके इसमें इनको भी जोड़ें।

दूसरा, मैं आपका ध्यान सैक्शन 8 (a) की तरफ दिलाऊंगा। आप पूरी तरह से इसको गैर जमानती करना चाहते हैं लेकिन आपने इसमें सात साल का प्रावधान सैक्शन 8 (a) में रखा है, वह आपको ‘more than seven years’ करना चाहिए ‘over seven years’ नहीं, अगर आप इसको पूरी तरह से गैर जमानती रखना चाहते हैं तो।

इसके अलावा, सैक्शन 9 में जो आपने प्रोविजन रखे हैं वे सारे मामलों में लागू हो जाएंगे तो इसको भी आप उस लाइट में देखें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कानून के जरिये परिवर्तन हम नहीं ला सकते। हम अपराध को रोक सकते हैं और जैसा मार्टिन लूथर किंग ने कहा है- “love cannot make you love him, but it can definitely if you away from crime.”

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये घटनाएं कब से चालू हुई हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री जी के 2012 में अहमदाबाद में जितो के एक फंक्शन में दिये हुए स्टेटमेंट की तरफ-गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है और

(श्री संयम लोढ़ा)

हम बैठे हुए हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि लोग चुप क्यों हैं I'm unable to understand, why are you silent? बाद में 2016 में महाराणा प्रताप की जयंती के फंक्शन में गये तो वहां क्या कहा? महाराणा ने अपना जीवन गौरक्षा को समर्पित किया, बलिदान किया गया गाय की रक्षा के लिए। ये 2013 के स्टेटमेंट हैं - आज गौ मांस के द्वारा डालर बनाये जा रहे हैं, ऐसे क्षण में हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि 2014 में यह कब्रिस्तान और श्मशान के भाषण किसने दिये? क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह किसने कहा कि रमजान पर तो बिजली आती है और दीपावली पर बिजली नहीं आती है? समाज में यह डिवीजन करने का काम एक लोक कल्याणकारी सरकार के दृष्टिकोण से भी यह किसने किया? माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के 6 अगस्त, 2016 के स्टेटमेंट की तरफ भी मैं ध्यान दिलाऊंगा। I'm so angry at those, who are in Gau Raksha business. रात को ये अलग काम करते हैं, दिन में ये गौरक्षक बन जाते हैं। यह जो हो रहा है यह सही नहीं हो रहा है, Gau Bhakti is different, Gau Seva is different. लेकिन इसके ठीक बाद में हरियाणा के एक गौरक्षा दल के आचार्य +++ क्या स्टेटमेंट देते हैं? जब राजा अपना काम नहीं करेगा तो प्रजा को करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, 2014 से पहले हमारे लिए घटना गिनाना मुश्किल होगा और इस साल 2019 में मॉब लिंचिंग की खाली झारखण्ड स्टेट के अन्दर 12 घटनाएं हुईं। सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब सरकार में बैठे हुए लोग संवेदना नहीं दिखाते। 6 जुलाई, 2018 को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने उन 8 लोगों को माल्यार्पण किया जिनका एक पशु व्यापारी के लिंचिंग मामले में कन्विक्शन हुआ था। अभी भारत सरकार ने लिंचिंग के मामले में चार सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसको भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैड कर रहे हैं तो अब बताइये कि यह वैसा ही है जैसा आप ओसामा बिन लादेन के लिए कह दो कि यह शांति दूत है। माननीय सभापति महोदय, अलीबाबा के हाथ में आप चोरी खोलने की कमान सौंप दो तो देश में नागरिक अधिकारों का क्या हश्र होगा, वह हमें समझने जैसा है। बहुत साधारण भाषा में मैं कहूं तो कोई बच्चा जो क्लास में सबसे ज्यादा शोर करता हो उसको मानीटर बना दो आप, यह वैसा ही हैड बनाने जैसा काम है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि राजस्थान की इस सरकार से भारत सरकार प्रेरणा ले। हम लोगों में चेतना पैदा करने के लिए योग को माध्यम बनाते हैं, हम पूरे देश के विद्यार्थियों को उससे जोड़ते हैं, हम योग से उनको शिक्षित करना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें। समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम स्वच्छ भारत का अभियान चलाते हैं, हम पूरे देश के नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। सभापति महोदय, लिंचिंग जैसे अपराध को रोकने के लिए, जनमानस में चेतना पैदा करने के लिए क्या भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे-कैसे मामलों में लोगों को मारा गया है। पशु चोरी हो गई, लोगों ने हत्या कर दी। मैं उत्तर प्रदेश की एक घटना आपको बताता हूं कि कोई पशुओं के मरने का एक मामला हुआ, 400-500 लोगों की भीड़ ने जाकर पुलिस के एक इंस्पैक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। इसी तरीके से त्रिपुरा के अन्दर पशु चुराने के एक मामले में.....

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): राजस्थान के बारे में बोलो आप तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की मैं सुनाऊंगा तो आप सब खड़े हो जाओगे क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता नहीं है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप। समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों को नोटिस दिया है। 10 राज्य इस पिटीशन में थे, यह पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पालना की है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी आदमी को धर्म के आधार पर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, अक्षरधाम का हमला हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनका क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, 11 साल तक वे जेल में सड़ते रहे और बरी हुए। हमारे यहां जयपुर में भैरोंसिंह जी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे, बस में ब्लास्ट की घटना हुई जयपुर से आगरा के बीच में, क्या हुआ? जितने लोग गिरफ्तार हुए, 23 साल जेल में सड़ते रहे, किसी को पैरोल नहीं मिला।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, वे सब बाइज्जत बरी हुए। माननीय सभापति महोदय, वे 23 साल कौन लौटायेगा?

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और आज, 2 मिनट में खतम कर रहा हूं। आज कैसा समय आ गया है। माननीय सभापति महोदय, जो +++ को देश भक्त कहते हैं, उनको भारत की लोक सभा का टिकट दिया जा रहा है। वे भारत की लोक सभा में जाकर बैठ गए हैं, जो आतंकवाद की घटना के अंदर आरोपी है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इससे सोच का पता चलता है।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप में साहस है तो खड़े होकर के कहिए कि +++ है, आज तक 70 साल में आपने नहीं कहा कि +++ है।

श्री सभापति: विराजिए, अब सहयोग करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि क्या कहते हैं, these are the over reported incidents.

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भीड़ हमला कर रही है। लोग मर रहे है, तभी व्हाइट रिवोल्यूशन आई थी...

श्री सभापति: सभी सहयोग करिए। विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी। आप किसी व्यक्ति को बांधकर मार रहे हो, रस्सियों में बांधकर मार रहे हो, इसमें कोई बहादुरी है? गाय इस देश में अहिंसा का प्रतीक है और गाय इस धरती पर सबसे अहिंसक प्राणी है लेकिन उसके नाम पर जो नफरत का कारोबार कर रहे हो, घृणा का कारोबार कर रहे हो, आज वो पूरे देश की चिंता का विषय है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए, आगे देखें) श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, सरकार जो राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक, 2019 लाई है। मैं सरकार की भावना की पूर्ण कद्र करता हूं। मैं इससे सहमत हूं मगर इस विधेयक को और मजबूत बनाने के लिए मैं निम्नलिखित संशोधन पेश कर रहा हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, लिंचिंग बिल 2019 से राजस्थान का प्रस्तावित संशोधन धारा 3 में, एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। हालांकि धारा 3 खण्ड 2 स्पष्ट है और कहती है कि भीड़ की हिंसा की घटना को रोकने के लिए नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे, तहसील के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में एक नोडल अधिकारी की भूमिका पर विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। महीने में निवारक उपाय खण्ड 4 और खण्ड 5 पर, उपचारात्मक उपाय खण्ड 3 और 4 देखें। विधेयक में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं रखी गई है। प्रस्तावित संशोधन धारा 3 खण्ड 3 नामित नोडल अधिकारी जिले के सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों के साथ जिले में स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ नियमित बैठें, महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा, ताकि प्रवृत्ति के अस्तित्व की पहचान की जा सके। जिला में हिंसा, भीड़ हिंसा ऐसी प्रवृत्ति को भड़काने के लिए भिन्न-भिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म या किसी अन्य माध्यम से आक्रामक सामग्री के प्रचार पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारी कदम उठाए, ऐसी घटना के लक्षित किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ सतर्कतापूर्ण माहौल को खतम करने के लिए भी प्रयासित करेंगे। धारा 3 खण्ड 4 पुलिस महानिदेशक संबंधित राज्यों के गृह विभाग सभी नोडल अधिकारी और राज्य पुलिस खुफिया प्रकोप के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कम से कम एक चौथाई में हो, लगे हुए नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर हिंसा व अहिंसा संबंधित मुद्दों में निपटने के लिए राजनीति तैयार करने के लिए किसी भी अन्तर जिला समन्वयक मुद्दे को डीजीपी के माध्यम से लाएंगे। धारा 3 खण्ड 5 स्टेशन हाउस अधिकारी का कर्तव्य होगा, जिससे पुलिस स्टेशन में प्राथमिकता दर्ज की जा सके, जिसके तहत जिले में नोडल अधिकारी का अंतरंग किया जा सकता है, बदले में ये सुनिश्चित करें। माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): महोदय, राज्य सरकार राजस्थान लिंचिग संरक्षण विधेयक, 2019 को लेकर आई है, इसको हम कुछ संशोधनों के साथ, जो संशोधन, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मेरे साथी ने रखे, उन संशोधनों के साथ हम इसका समर्थन करते हैं। दरअसल यह बिल सरकार लेकर आई है। इसकी भावना ये है कि देश में कानून का राज स्थापित हो और जनता खुद भीड़ खुद न्याय करने के लिए सामने नहीं आए। जैसे शंभू रैगर के मामले में भीड़ इकट्ठी हुई और जिला जज के कार्यालय पर जाकर के भगवा झंडा फहरा दिया गया। जिस अदालत के अंदर अशोक स्तम्भ लगा हो, सत्यमेव जयते की बात पढ़ाई जाती हो, जहां कानून की बारीकियों की चर्चा मिलते हुए देश की जनता के साथ न्याय होता हो, वहां से राष्ट्रीय ध्वज उतारकर के, भीड़ द्वारा दूसरा ध्वज चढ़ा दिया जाए, मैं समझता हूं इससे बड़ी घटना और कुछ नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, जब आदमी यह तय कर ले कि कोई जज नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, कोई राज नहीं, हम खुद फैसला करेंगे तो समझते है कि राज्य की सद्भावना, राज्य की पराभावना, राज्य का नाम संकट में आ जाता है। हम संविधान के अन्तर्गत रहने वाले लोग हैं, हमारा एक राज्य है, लोक कल्याणकारी है जैसा कि मेरे पूर्व मंत्री महोदय ने बात की, रूह कांप जाती है। अगर आदमी देखें, स्पष्ट पता है, चोरी के प्रावधान हैं, चोर पकड़ा जाएगा, चोर थाने में जाएगा, प्रावधान छेड़छाड़ के हैं, प्रावधान हत्या के हैं, कानून-सम्मत सारे प्रावधान हैं, फिर भी भीड़ डिसीजन करने लग जाए और देश के नेतृत्वकारी लोग उनको सम्मानित करने लग जाएं तो ऐसे बिलों को लाना जरूरी है। ऐसे बिल लाने पड़ेंगे, अगर ये बिल नहीं लाए गए तो फिर दिक्कत यह होगी कि धीरे-धीरे जो आपने कानून पहले बनाए हुए हैं, वे कानून ऐसे जाहिल लोगों के हाथों में चले जाएंगे जो अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या भी ऐसे-ऐसे अनपढ़ लोग जो पेट के दर्द का इलाज कोई मांगने जाएगा तो टांग काटकर कहेंगे, यहां से तेरा इलाज शुरू होगा। ये व्यवस्थाएं टूट रही हैं, ये सिंहासन डोल रहा है, कानून का सिहांसन डोल रहा है। जैसे उन्होंने याद कराया कि हमारे यहां हिन्दुस्तान के रीति रिवाज रहे, हमारे यहां लोग बड़े मान-सम्मान से जीते हैं। हमारी यहां की परम्पराएं कभी हिंसक नहीं रहीं, वसुधैव कुटुम्बकम् का हमारा नारा रहा, जो लोग संस्कृति बचाने की बात करते हैं, वे हमारी संस्कृतियों को तोड़ने का काम करते हैं और जिस गाय के नाम से हिंसा की जाती है, सभापति महोदय, एक माह के विधान सभा के

(श्री बलवान पूनियां)

कार्यकाल में इस सत्र में गाय की बार-बार बड़े सम्मान के साथ चर्चा हुई लेकिन जो गाय के नाम पर लोग हिंसा करते हैं, वो कभी भी गाय के रक्षक नहीं हो सकते, वे गांव की मूल अवधारणा को बदलना चाहते हैं। गाय के नाम पर राजनीति कीजिए, कोई नहीं रोकता, मुद्दों पर कीजिए लेकिन लोगों को मारकर राजनीति मत कीजिए। ये इस कानून का, लेकिन कानून भी बहुत बने हैं, जैसा कि उपनेता जी भी कह रहे थे, विपक्ष के नेता, हमारे चूरू के विधायक महोदय कह रहे थे कि कानून तो हैं, उनको लागू नहीं करोगे तो फिर इस कानून को लाने का क्या मतलब है। इसी तरीके से इस कानून को सख्ताई से लागू करना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार से कि न सिर्फ कानून को लागू किया जाए, पहलू खान के मामले में क्या हुआ, उसकी गाय कहां गई? बड़ी मुश्किल से एक आदमी गाय और पशु खरीदता है, हटवाड़ा का, डेयरी का कागज था, उस कागज को नहीं माना गया, भीड़ ने उसको मार दिया। उसकी क्षतिपूर्ति का क्या हुआ? इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं देश और प्रदेश में, इन घटनाओं से सभ्य समाज को संकल्प लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि यह जो सात साल की सज़ा का प्रावधान है अगर हम इसको गैर जमानती बनाना चाहते हैं तो इस सज़ा को सात साल से ऊपर का नाम देना पड़ेगा यह संशोधन इस कानून में करना पड़ेगा। सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि हमारा राजस्थान प्रदेश जिस बात के लिए जाना जाता है, यहां विदेशी पर्यटक आते हैं, यहां हैरिटेज सिटी के नाम पर पूरी दुनिया में हम ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले समय में इस कानून को गंभीरता के साथ राजस्थान की सरकार लागू करवाये और राजस्थान के दो सौ के दो सौ विधायक...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, दो सौ के दो सौ विधायक इस कानून को लागू करवाने में सहयोग करें। हम चाहते हैं जो चीज पाजिटिव होगी, जो भी सत्ता लेकर के आएगी उसका सारे लोग स्वागत करेंगे। अभिनेश महर्षि जी बहुत खुशीखुशी स्वीकार कर रहे थे कि कानून तो ठीक है आदमी आदमी को मार नहीं सकता। यह हक किसी को नहीं है। यह तो उस पुराने जमाने में भी नहीं था।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह जो कानून सरकार लेकर आई है, मंत्री महोदय लेकर के आये हैं राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 इसको मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन किया है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस कानून के लिए जो लिखा है, उद्देश्य तो बहुत अच्छे बताये हैं, लेकिन उद्देश्यों के पीछे की जो भावना है वह भावना बहुत ही भयावह है और यह उसी प्रकार का कानून लगता है मुझे जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय में रोलेट एक्ट था और बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कानून वही है जो यूपीए की चैयरपरसन 2009 में लायी थीं धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, जिसके अन्दर इतने सारे प्रावधान थे और भारी विरोध हुआ और उन्होंने उसको लाया नहीं और उस डर के कारण से उन्होंने उसको वापस ले लिया। इस कानून में जो कुछ चीजें उल्लेखित की गई हैं वो वही की वही हैं। माननीय उप नेता जी ने, जो सदन के हमारे हैं प्रतिपक्ष के उप नेता जी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं।

माननीय मंत्री महोदय, समाज परिवर्तनशील है। समाज में नयी-नयी चीजें आती रहती हैं। समय के साथ समाज आगे भी बढ़ता रहता है और नये-नये प्रकार के अपराध भी समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज बदल रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि यह कानून लाने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि आईपीसी की समस्त धाराओं में हर प्रकार के अपराध के लिए दण्ड है। जब राजा ठीक प्रकार से न्याय नहीं करता है तो प्रजा खुद ही न्याय करने लग जाती है। जब शासन ठीक प्रकार से नहीं चलता है तो प्रजा खुद ही शासन को अपने हाथ में ले लेती है। जब पुलिस खुद रक्षक होकर के भक्षक बन जाती है तब जाकर के खुद ही लोग काम करना लगते हैं। जब पुलिस के पास ये अधिकार हैं कि वो अपराधी को सज़ा दिलाए, अपराधी ने जो भी अपराध कारित किया है उसको बिना भ्रष्टाचार के वो कोर्ट तक लेकर जाए, न्यायपालिका तक उसको लेकर के जाए और न्यायपालिका उसको दण्ड दे। यह जो सिस्टम बिगड़ा है न, इस सिस्टम के कारण से आप नया कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन यह नया

(श्रीमती अनिता भदेल)

कानून भी उसी सिस्टम की भेंट चढ़ने वाला है। हमें आवश्यकता है इस सिस्टम को बदलने की। इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। आज मैंने जिस घटना का उल्लेख किया है जिसको जी-मीडिया ने उजागर किया, वह गुड़िया उस पुलिस के पास जाती है कि मुझे बचाओ और वह पुलिस सूचना उन्हीं दलालों को दे देती है कि तुम्हारी लड़की भागकर आ गई है, ले जाओ इसको वापस तो जिस पुलिस के पास यह जिम्मेदारी है वह पुलिस ठीक ढंग से इसको कर पाएगी क्या? और जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत जो यह लेकर आ रहे हैं जिस चीज के लिए आपने लिखा है इसके अन्दर, उसमें आपने आधी चीजों को तो गायब ही कर दिया है। यदि आपकी यह भावना थी कि आप उसके तहत इसको लेकर आ रहे हैं तो आप फिर उसमें यह भी शामिल करते कि जिनको इसकी पालना करानी है यदि वो उसकी पालना नहीं कराते हैं तो उनके लिए क्या-क्या प्रोविजन हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से मैंने जैसे पहले कहा कि समाज बदल रहा है और तकनीक के कारण से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेस बुक, ट्विटर इतनी तेजी से चीजें वायरल होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सच्चाई है और कितनी सच्चाई है इसमें तो हमें चाहिए कि हम उन चीजों पर कंट्रोल कर पाते, हम उन चीजों को किसी कानूनी दायरे में लेकर आ सकते थे, उनको कहीं न कहीं सीमित कर पाते। जहां चीजें हमको करना हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह का यह कानून हम लेकर के आ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से, माननीय सभापति महोदय, यह कहती हूं आपको कि 2023 में जब चुनाव होगा, न तो कांग्रेस के चार लोग जीतकर आएंगे इस बिल के कारण क्योंकि इस बिल का इतना दुरुपयोग पुलिस करने वाली है और जब दुरुपयोग होगा न और लोग प्रताड़ित होंगे, लोगों को पता पड़ेगा कि इस तरह का सरकार ने कानून बनाया है तो निश्चित रूप से यह कानून जनमत जानने के लिए परिचालित करना चहिए।

मैं कोई दूसरी चीजें रिपीट नहीं करना चाहती इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इस कानून को आप वापस लें और इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें और जैसा जनता का सुझाव हो वैसे संशोधन लेकर के आप इसमें आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई भीड़ किसी को मारे, यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

कोई नहीं चाहता है, लेकिन चाहते हैं कि उसको सही दायरे में वे लेकर के आएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए परिचालित किया जाए, इस ओर मैंने कहा था लेकिन आज इसके लिए चर्चा में भाग लेते हुए मैं यही कहूंगी कि मॉब लिंचिंग और आनर किलिंग की घटनाएं जिस प्रकार राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और इसमें ये घटनाएं कहीं न कहीं से कभी प्रेरित होकर और जब आरोप-प्रत्यारोप से ज़ुड़कर इन घटनाओं को देखा जाता है तो इसके अन्दर यह बहुत ही भयावह हो जाती है और इसमें जो संविधान है, उसके अन्दर पूरी तरीके से आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से न्याय देने की व्यवस्थाएं आलरेडी बनी हुई हैं। भारतीय दण्ड संहिता में हत्या के लिए धारा-302, सदोष मानव वध के लिए धारा-304, हत्या के प्रयास के लिए धारा-307 और कई व्यक्तियों के द्वारा एक समान उद्देश्य के लिए अपराध करने पर धारा-34 में दण्ड के प्रावधान आलरेडी हैं। अब इस प्रकार के प्रावधानों को सख्ती से और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना यानी भीड़ हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऐसा जो यह विधेयक लाया गया है, इस विधेयक को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें कई सारी चीजें ऐसी आती हैं कि इसमें क्या इसका अर्थ निकालना चाहते हैं, इसका बहुत भयावह होगा। जब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अध्याय-1 के अन्दर 2 (ग) में 'प्रतिकूल परिवेश' से अभित्रासकारी या प्रपीड़क ऐसा परिवेश अभिप्रेत है जो पीड़ित या पीड़ित के कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध अथवा किन्हीं साक्षियों या साक्षी अथवा पीड़ित को सहायता देने वाली किसी व्यक्ति के विरुद्ध बनाया जाता है, तो यह इससे ज्यादा और खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। इसको पूरा जिस तरीके से उल्लेखित किया गया है यह बहुत ही भयावह है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बियोंड द लाइन्स जाकर किसी को भी गिरफ्तार करने की बात आपने इसमें लिखी है। इसमें जो मॉब वर्ड है माननीय सभापति जी, मॉब का मतलब होता है बहुत सारे लोग क्योंकि इसको अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो मॉब, यहां इन्होंने लिखा है मॉब का अर्थ यहां पर दिया है दो या अधिक व्यक्ति जबकि मॉब का अर्थ दो या अधिक नहीं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मॉब का अर्थ है बहु त सारे व्यक्ति किसी चीज के लिए विरोध करते हु ए आते हैं तो उसको मॉब कहा जाता है और इन्होंने इसका जो अर्थ यहां पर इस बिल पर दिया है इसमें मॉब या मॉब से दो व्यक्ति तो दो व्यक्तियों के अन्दर तो, माननीय सभापति जी, कभी भी छोटा-मोटा झगड़ा हो जाएगा और उसको लिंचिंग की परिभाषा में ले लिया जाएगा तो यह तो उनके साथ में बड़ा अन्याय होगा और यह इस विधेयक से एक तरह से लोकतंत्र के ऊपर यानी हमेशा से इनकी नीति रही है कांग्रेस की कि लोकतंत्र को दबाना है कैसे भी करके हम लोगों को, लोकतंत्र इन्हें पसंद नहीं है तभी आपातकाल भी लागू किया था इन्होंने और आज भी इस प्रकार का बिल लाकर और यह कहना क्योंकि प्रतिकूल परिवेश को स्पष्ट रूप से इसमें परिभाषित नहीं किया गया इसलिए इस प्रकार से कहना।

दूसरा इन्होंने इस एक्ट के अन्दर सैक्शन-2(C)(III) में जो बात कही है 'indignity', 'any act of indignity' अब 'any act of indignity' यानी सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। अब इससे इसका क्या तात्पर्य है यह समझने से बाहर है क्योंकि व्यक्तियों के मध्य सार्वजनिक वाद-विवाद यह सामान्य-सी बात है। आपसी बोलचाल को क्या हम लिंचिंग जैसे गंभीर अपराध में ले लेंगे या कोई भी कृत्य जो प्रतिकूल एवं संतापकारी, आपने इसके 'च' में दिया है संतापकारी सामग्री से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसके लिए युक्तियुक्त रूप से यह अर्थ लगाया जा सके कि उसे धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक संबद्धता, नस्ल के आधारों पर, यह सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं यह हास्टाइल और आफेंसिंव लग रहा है। इस तरीके का वातावरण बनेगा, इसकी क्या व्याख्या है, इसको कहीं स्पष्ट नहीं किया। इसमें लिखा है कि पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। वातावरण कैसा होगा, कैसा बनेगा, इसमें विशेष परिस्थितियों का प्रतिकूल वातावरण कहा जाएगा। इस विधेयक की धारा 2 (एफ) है, जिसमें आफेंसिव मैटेरियल, यह सारी चीजें जो इन्होंने कहा है यह शब्दों का मायाजाल है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसमें निर्दोष लोगों को, इस प्रकार का मॉब लिंचिंग का कानून लाए हैं, मैं मानती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कहा कि कड़े से कड़े कानून बनने चाहिये लेकिन जो कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं, उनकी ही पालना नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो यह कहूंगी कि जिस तरीके से हम यहां कोई कानून बना लेते हैं लेकिन उस कानून की पालना करानी है, उसमें अगर मॉब लिंचिंग में हम देखते हैं, पुलिस देखती रहती है, किसी को पीट रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, पीटते-पीटते वह आदमी मर गया लेकिन पुलिस तो मूक दर्शक बनकर बैठी है। यहां पर पुलिस पर तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस किसी को भी मॉब लिंचिंग में फंसाने की बात तो कर रही है लेकिन पुलिस पर क्या कार्यवाही होगी, इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ऐसे अपराधों के विरुद्ध न्यायालय में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिये, इसके संदर्भ में यहां पर कुछ दिया नहीं है। माननीय सभापति जी, मेरा सजेशन है महिला अत्याचार, पाक्सो एक्ट तथा एससी, एसटी एक्ट की तरह मॉब लिंचिंग और आनर किलिंग की सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय बनना चाहिये जिसमें अलग से सुनवाई हो। इसमें किस प्रकार से मॉब लिंचिंग की घटना बोलकर किसी को भी फंसाने का जो इन्होंने बनाया है, उसको कहीं छोड़ा नहीं है कि अगर किसी को ट्रैप करना है तो इसमें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि मॉब में इन्होंने दो व्यक्ति ही दिया है, मॉब को Group of People नहीं दिया है। इसलिए मैं समझती हूं कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। राजस्थान सरकार यह बिल लेकर आई लेकिन इस बिल में जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को इन्हें देखना चाहिये। इस बिल के पीछे जो मंशा है, उस मंशा को इन्हें क्लियर करना चाहिये क्योंकि मॉब लिंचिंग के नाम पर निर्दोष लोगों को सज़ा देने की बात यह सोच रहे हैं! अगर हमें कहीं कोई विरोध करना है, कोई बात ऐसी हुई है जहां पर गलत हुई तो उसकी अभिव्यक्ति का क्या रहेगा। अभिव्यक्ति करने जनता आएगी तो उसे वह मॉब लिंचिंग में ले लेंगे। धरना प्रदर्शन की इस प्रकार से कोई बात होगी तो उसको भी यह तो कभी भी ले सकते हैं। यह जो विधेयक बनाया है, इस विधेयक में किसी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं दिया है कि किस प्रकार की घटना को मॉब लिंचिंग में लेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मॉब लिंचिंग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। हमारे यहां गांवों में पहले न्याय पंचायत होती थी। गांव के सुलटारे गांव में होते थे। अब वह न्याय पंचायतें समाप्त हो गईं। मुझे लगता है आज हजारों केस न्यायालयों में विचाराधीन हैं और आप नया कानून लाकर उनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि इसको वापस ले और जिस प्रकार से इसके पीछे भावना है, अभी एक माननीय सदस्य ने माननीय प्रधान मंत्री जी का उदाहरण दिया। हमारे एक सीनियर मंत्री महोदय ने वीर सावरकर का, गो माता के लिए खुद तो कह नहीं सकते इतने सीनियर मंत्री हैं, वीर सावरकर का नाम लेकर उसको पशु बताया, यह यहां इस सदन में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, गो माता का नाम लिया, हमारे यहां देश में सबसे बड़ा बूचड़खाना माननीय +++ का है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करती हैं।

श्री सभापति: जो सदन में नहीं है उन किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, पहले भी हुआ है।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): आपकी सरकार दिल्ली में है, अब सारे बूचड़खाने बंद कर दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): आपकी सरकार दिल्ली में है सारे बूचड़खाने बंद करवा दो आप।

श्री सभापति: विराजिए, सहयोग कीजिए। आप थर्ड स्टेज पर बोलिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। धर्मनारायण जोशी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, +++ और आज वह किसी राज्य के मुख्य मंत्री बन कर बैठे हैं।

श्री सभापति: ऐसा कोई शब्द अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप इधर-उधर मत भटकिये, सीधे-सीधे आज के बिल पर आइये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, यहां +++ नाम लिया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए आप। एक मिनट सुनिए आप, सदन में उत्तेजना मत फैलाइए, आप सीधे सीधे बिल पर चर्चा करें। इसमें आपको कुछ कहना है तो कहिए वर्ना मैं आगे चलूं।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने एक माननीय सदस्य जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): वह बार-बार सदन में उत्तेजना फैला रहे हैं, उनको आप रोकते नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। या तो अपनी बात कहिए या विराजिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है यह सरकार जो चैन स्नैच कर रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, जिसके घर में चोर घुस गया, उसको पकड़ा, भीड़ इकट्ठी हो गई, उससे मारपीट की, ऐसे लोगों को बचाने के लिए और केवल दो लोगों का, मेरी आपसे प्रार्थना है इनको इस कानून को वापस लेना चाहिये। इसके अध्याय 7 में आपने उनको बसाने के लिए प्रावधान दिये हैं। कश्मीर में साढ़े तीन लाख हिन्दू 1989-90 में रबड़ते फिरे, 16 परिवार हमारे उदयपुर में रहे, 6 महीने तक उन परिवारों को मैंने रखा। उस समय किसी को दया नहीं आई, आज 370 पर बवाल खड़ा कर रहे हैं। आज 70 साल पुरानी हमारी वह समस्या समाप्त हुई है। मेरी प्रार्थना है इन सत्ताधारी लोगों को कहिए इस कानून को वापस ले और इस कानून को जनमत के लिए भेजे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मॉब लिंचिंग पर सारे सदस्य अपने अपने विचार रख रहे हैं। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि मॉब लिंचिंग का मतलब भीड़ इकट्ठी होकर किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देना, यह कानून तो हमारे देश में पहले से विद्यमान है। आप यह काला कानून लाकर पुलिस के हाथ में एक और नया शस्त्र दे रहे हैं। हमारे देश में कानून है, कोई भी अपराध होता है तो उसकी सुनवाई भी होती है और उसकी पैरवी भी की जाती है। आप यह नया कानून ला रहे हैं। मणिपुर के बाद राजस्थान मॉब लिंचिंग का कानून बनाने वाला दूसरा राज्य हो गया। मॉब लिंचिंग की पहली घटना नागालैंड के दीमापुर में 2015 को हुई और पूरे देश में 134 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। हमारे राजस्थान में तो मात्र 10-12 केस ही हैं। हमारा यह मानना है कि इस काले कानून की आवश्यकता नहीं है। इस कानून को लाने से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए तो मेरा मानना है कि वह भी मॉब लिंचिंग की घटना में आ जाएगा। इस कानून में कई दुरुपयोग होने की भी शंका है। जैसे कोई पुलिस को सूचना दे दे, कोई दुर्भावनावश भी सूचना दे सकता है, इसलिए आई विटनैस को भी इसमें जोड़ा जाए। मॉब लिंचिंग कानून की आवश्यकता पहले भी थी, 1984 में स्वर्ण मंदिर में 292 निर्दोष लोग मारे गये, तब यह कानून क्यों नहीं लाए?

(14.39 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

14 सितम्बर, 1989 को कश्मीर में पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, करोड़ों की सम्पत्ति की छोड़कर आज भी वे विस्थापित कैम्पों में रह रहे हैं तो उस समय इस कानून की याद क्यों नहीं आयी? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी, 2008 को मुंबई में 164 निर्दोष लोग मारे गये और तीन सौ के करीब घायल हुए, तब इस कानून की याद क्यों नहीं आयी? अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का निवेदन है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 27, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 27 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 27 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून आप बना रहे हैं, इस कानून से भविष्य में क्या होगा, इस पर ठंडे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमने नहीं किया तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसका परिणाम यह देश और आने वाला प्रदेश भुगतेगा, यह मैं आज कह रहा हूं। मैं इस बारे में बहुत इत्मीनान के साथ कह रहा हूं कि भावावेश में किसी कानून को इतना सख्त नहीं बना देना कि लोग उस कानून की अवहेलना करें।

मैं सोचता हूं कि जो राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक, 2019 है, इसके आने का जो कारण बना, वह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण से आया। उसके कारण आप यह बहाना ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यह चाहता था कि इस प्रकार का लिंचिंग के ऊपर कोई कानून बने। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की सारी घटनाएं जो अब तक विभिन्न थानों में पिछले दस सालों में दर्ज हुई हैं, उन सबको निकालकर उनकी संख्या का एक आंकड़ा यहां रखिए कि वास्तव में ऐसी-ऐसी घटनाएं ये-ये हुई हैं, जिनके कारण हमको इतना सख्त कानून लाना और इसे रोकना बहुत आवश्यक हो गया है। दस-पांच घटनाएं हुई होंगी। निश्चित रूप से उसे जो सज़ा देनी है, वह सजा देने का प्रावधान पहले से ही आईपीसी में है, लेकिन हम इस कानून को केवल दिखाने के लिए ला रहे हैं। हमारा ही यह कानून हमको खाएगा, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उसके बाद भी अगर मंशा है तो लाइये, कोई दिक्कत नहीं।

यह कानून हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण से लाए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन हुई थी, सचिन पूनावाला बनाम यूनियन आफ इंडिया। इसका फैसला 17.07.18 को हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डाइरेक्शन दिये थे कि मॉब लिंचिंग के बारे में क्या-क्या करना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि उसने जो बाकी गाइडलाइन बतायी, उनका तो हम पालन नहीं करना चाहते। उनकी केवल एक मंशा थी कि हमारी संसद इसके बारे में कोई कठोर कानून बनाए। इतनी-सी गाइडलाइन थी, उसका आपने उपयोग किया है? थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। उसके बाद भी अगर आपकी मंशा है, पास करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन कम-से-कम रिकार्ड पर एक चीज आ जाए कि हम किस तरह से कानून को बना रहे हैं और किस ढंग से कानून का दुरुपयोग करने की मंशा रखते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ बिंदु हैं। भीड़ की हिंसा और लिंचिंग को रोकने हेतु प्रत्येक राज्य सरकार हर जिले के लिए एसपी स्तर का एक नोडल अधिकारी मनोनीत करेगी, जिसकी सहायता के लिए एक डीएसपी स्तर का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारी भी होगा। तत्संबंधी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विशेष कार्य बल भी बनाया जाएगा। यह गाइडलाइन है, क्या-क्या करना है? मॉब लिंचिंग के बारे में जो घटनाएं हो रही हैं। दो इसमें दिये हैं। राज्य सरकारें अमूमन गत पांच वर्षों में घटित भीड़ की हिंसा व लिंचिंग वाले जिलों, उपखंडों और गांवों की पहचान तुरंत प्रभाव से करेगी। तीन सप्ताह का समय दिया। तीसरा, राज्य के गृह सचिव नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करेंगे कि वे थाना अधिकारी को उनके क्षेत्र में गठित होने वाली इस प्रकार की वारदातों के क्रम में अतिरिक्त सतर्कता बरते। चार, नोडल अधिकारीगण अनियमित रूप से कम-से-कम हर माह थाना अधिकारी और खुफिया प्रकोष्ठ के साथ बैठकर लिंचिंग की प्रवृत्ति मौजूद होने या न होने की समीक्षा करेंगे। यदि आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर या अन्य किसी तरीके से प्रसारित हों तो उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। किसी जाति या समुदाय को लक्ष्य बनाकर उसके विरुद्ध उत्तेजक वातावरण निर्माण के प्रयास को समाप्त करेंगे। राज्य के डीजीपी भी अपने राज्य के नोडल अधिकारी के साथ नियमित कम से कम तीन माह में एक बार बैठक करेंगे, जिससे इस तरह की हिंसा के निवारण हेतु अंतर-जिला समन्वय के मुद्दों का भी हल निकाला जाए। छठा, हर पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह 129, थोड़ा-सा इसे समझने का प्रयास करें। हम इसको बीच में से उठा रहे हैं, 129 सीआरपीसी के तहत भीड़ को तितर-बितर करे, जिससे भीड़ हिंसा से लिंचिग की संभावनाओं को निर्मूल किया जा सकेगा। सात, भारत सरकार का गृह मंत्रालय पहल करे और राज्यों के साथ समन्वय करते हुए कानून व्यवस्था की एजेंसियों को संवेदित करते हुए सभी हित बंध पक्षों को साथ लेकर जाति, समुदाय के विरुद्ध निर्देशित हिंसा, लिंचिंग की संभावनाओं को रोकने के उपायों को चिह्नित करे और इस प्रकार सामाजिक न्याय तथा कानून के शासन संबंधी संवैधानिक लक्ष्यों का क्रियान्वयन करे। डीजीपी सभी एसपी के लिए एक परिपत्र जारी करेगा कि इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए। मैं सोचता हूं कि इसमें सिर्फ एक सिफारिश थी, वह यह थी कि संसद इस प्रकार का कोई ऐसा कानून लाए, जिससे इस प्रकार के अपराध पर कोई सख्त कानूनी सज़ा का प्रावधान किया जाए, लेकिन राज्यों को यह नहीं कहा था कि आपको यह कानून बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सुझाव दिये। आप जो कानून लाए, उसे आप थोड़ा गौर से पढ़ना और इसे समझने का प्रयास करना। आपकी जिद हो, आपकी मर्जी हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो कर देना, आगे जो कुछ भी परिणाम होगा, देश भुगतेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने दिया है, मॉब से, दो या दो अधिक व्यक्तियों का कोई समूह अभिप्रेत है। दो या दो अधिक लोगों का अभिप्रेत है। यह कानून जहां बना है या जहां बनने वाला है। मणिपुर में यह जो कानून बना है। उसमें इसकी धारा 2 (e)- "mob, (means as a group of two or more individuals, assembled which common intention of lynching)", जो उत्तर प्रदेश में सजेस्ट किया, कानून अभी नहीं बना है, लेकिन उन्होंने 2(c) में डाला "mob, (means a group of two or more individuals, assembled which common intention of lynching." हम क्या ला रहे हैं। हम 2 (ई) में ला रहे हैं "mob, means a group of two or more individuals" दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ कर दें तो वह मॉब मानना है। इसका मतलब यह है कि मैं और आप चल रहे हैं और किसी ने मुझे मोटर साइकिल से टक्कर दी और मेरे साथ में भलमानसता रखकर टक्कर मारने वाले को दो थप्पड़ मार दिये और हम तीन लोग इकट्ठे हो गये तो हम इस कानून की गिरफ्त में आ गये। इस बारे में हमको बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हम चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं? विभिन्न डिक्शनरियों में मॉब के बारे में कि मॉब किसे मानते हैं? Black's law dictionary है जो वर्ल्ड की मानी हुई डिक्शनरी है-

"an assemblage of many people, acting in a violent and disorderly manner, defying the law, and committing, or the threatening of commit, depredations upon property or violence to persons" यह उन्होंने डेफिनेशन की। आपने इसमें मॉब की डेफिनेशन कहां से निकाली और क्या मॉब को माना है? इसी तरह से आपने देखा होगा कि मॉब की डेफिनेशन में यह जो आक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसमें मॉब की परिभाषा को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है "a disorderly riotous crowd" पहला "the ordinary people, masses. Ordinary or disordinary people forming a crowd" इसको कहा है उन्होंने मॉब, "an assemblage of people, a large crowd or a group" इसको मॉब कहा है। हमने मॉब की परिभाषा कहां से निकाली? मैंने जो दो आपको बताया, मणिपुर ने जो कानून पास किया, कामन इंटेंशन अगर हो उन दो लोगों का तो उन्होंने मॉब में डाला। बाकी हिन्दुस्तान में यह कानून कहीं नहीं बना। मध्यप्रदेश ने भी सोचा और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने पढ़ा था, उसने भी अभी इसको दफ्तर दाखिल कर दिया। उन्होंने एक छोटा-सा कानून बनाया था, गो रक्षा के ऊपर। उस कानून को भी उन्होंने डिस्कशन करने के बाद जब उसमें कई पाइंट्स खड़े हुए तो उन्होंने सलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उत्तर प्रदेश ने भी इसका ड्राफ्ट बनाया जरूर लेकिन उसको पास नहीं किया।

आप देखें कि आपने जो परिभाषा दी, उसको किसी ने भी गौर से पढ़ने का प्रयास नहीं किया। माननीय सदस्यों, मेरा निवेदन है कि इस तरह का कानून बनाएंगे तो यह कब क्या करेगा? इसके बारे में थोड़ा-सा विचार करें। लिंचिंग में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार-व्यवहार, लैंगिक अभिविन्यास, राजनैतिक सम्बद्धता, नस्ल के आधार पर मॉब द्वारा हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की श्रृंखला अथवा हिंसा के कृत्य में सहायता करना या उसके लिए उकसाना या हिंसा करने का प्रयास करना, चाहे वह कृत्य स्वाभाविक हो अथवा योजनाबद्ध हो, अभिप्रेत है। इसमें उन सब चीजों को मिला लिया कि कभी-भी यह पुलिस चाहे तो इनमें से किसी को, किसी के बहाने इस कानून के तहत मुलजिम बना देगी। मैं सोचता हूं कि कभी-भी लिंचिंग का यह अभिप्राय नहीं रहा। लिंचिंग की जो परिभाषा है, जो उसका शब्द है लिंचिंग माने, to take the law into its own hands and kill (someone) in a punishment for a real or punishable crime. एक क्राइम के साथ जो कुछ मॉब का है, उसको उन्होंने लिंचिंग माना। इस लिंचिंग में जाति, भेद वर्ण, जितने हो सकते थे, हिन्दुस्तान के आदमी, उन सब आदमियों को आपने शरीक करके इस कानून को बना दिया। यह जो आपकी मंशा है, यह आपको स्वयं को भी बहुत तकलीफ देने वाली है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जो मंशा है, इस कानून की, मैं थोड़ा-सा समय जरूर लूंगा, मैंने कोशिश की है, उसके बाद भी आप पास करना चाहें तो मैं और मेरी पार्टी इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे हम इसको करा सकें या न करा सकें, उसकी कोई बात नहीं।

राजस्थान सरकार द्वारा लिंचिंग से संरक्षण अधिनियम, 2019 के बाबत जो बिल पेश किया है, उस संबंध में हमारा यह विनम्र निवेदन है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कोई भी समुचित कदम उठा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकती है लेकिन यह भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपनी अकर्मण्यता, इच्छा शक्ति की कमी और सही प्रशासन नहीं कर पाने को छिपाने के लिए इस तरह का मुखौटा ओढ़कर आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उसके पैरा नंबर 40 में निर्देश क्रमांक 2 पर स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि राज्य सरकार को इस संबंध में यह पहचान करनी चाहिए कि किन गांवों, उपखण्डों तथा जिलों में इस प्रकार की मॉब लिंचिंग घटनाएं हुई हैं। पहले यह तो पता करें, इतना बड़ा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें सारे राजस्थान के हर व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। ऐसी कोई सौ-दौ सौ या पांच सौ घटनाएं रोज होती हैं या पांच साल में बीस-पच्चीस हुई हैं। केवल यह कहना कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं इसलिए मणिपुर के बाद कोई कानून बनाने वाले हैं तो हम हैं। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। इतने दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, अलवर जिले में दो घटनाएं थीं, जो किसी भी गांव और शहर में घटित नहीं हुई बल्कि वह नेशनल हाईवे पर हुई। वह भी गो तस्करी के संबंध में थी। मैं सोचता हूं कि गो तस्करी के संबंध में भी कानून हमको आईपीसी में जो अधिकार देता है, उन अधिकारों का प्रयोग करके उस सारे मॉब को हमने जेल में डाला जो चार-चार महीने तक रहने के बाद जमानत पर बाहर आए। किसी को भी उसमें हमने मुक्त करने का काम नहीं किया।

सैशन प्रकरण के अनुसार समीक्षा किए जाने का प्रावधान है तो क्या राज्य को प्रयासों के रूप में गो तस्करी को पूर्णतया रोकना नहीं चाहिए? क्या आप यह सोचते हो कि आपके इस कानून को बनाने के बाद, मैं भी इस डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हूं, अगर कोई गो तस्करी करने वाला ठेठ बांसवाड़ा से चलता है और अलवर पार करके, मेवात पार कर रहा हो, फिर उसको पकड़ा जाए तो यह पुलिस की नाकाबिलियत को साबित नहीं करता है? उसको भी सड़क पर जाने वाले लोगों ने पकडकर कहा, यही नहीं मुकदमा भी बना, मुकदमा बनने के बाद चालान पेश हुआ। उसके पुराने सारे केस निकालकर, परिवार के सारे केस, जब उस केस के साथ लगाए तो एक बार नहीं तीन-तीन बार गो तस्करी में केस उसके खिलाफ बना है। समाज का कोई व्यक्ति अगर गो तस्करी को रोकने का प्रयास करता है तो उसको आप इस कानून के तहत लाकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह विषय आपका ठीक नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश क्रमांक 6 से 11 में विद्यमान क़ानूनों तथा धारा 129 और 153 के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी इस आईपीसी की जो धाराएं हैं, इनमें हर प्रकार के जुर्म को सज़ा देने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि 141 से लेकर 150 तक आप पढ़ लें तो उसमें भी मॉब का मतलब पांच या पांच से अधिक लोगों को उन्होंने माना और उसमें भी उन्होंने दो साल की सज़ा दी। इसमें तो यहां तक है कि अगर एक आदमी ऐक्शन करता है तो भी उस मॉब में जितने लोग हैं, वह सब सज़ा के भागी बन जाते हैं। इस तरह का कानून होते हुए भी, हमारे पास कानून की कमी नहीं है लेकिन हम पता नहीं क्यों करते हैं? धारा 357 में पूर्व में भी विद्यमान है जिसका उल्लेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिशा-निर्देश क्रमांक 4 में भी किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपने आदेश का पैरा संख्या 41 पर यह अंकित किया है कि राज्य सरकारें चार सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस अनुपालना रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए ताकि राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया और गंभीरता को समझे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पार्लियामेंट को यह निर्देश दिया है, यह है इसका मुख्य बिंदु, जिसमें से आपने उठाया है, निर्देश दिया है कि वह लिंचिंग के अपराध को अलग से कोर्डिफाई करते हुए, उसके लिए अलग से दंड का प्रावधान रखे जो कि भारतीय दंड संहिता में ही संशोधन से सहज रूप से संभव है। उनका भी यह कहना है कि हमारी आईपीसी में इस प्रकार की धारा है। अगर आप उसमें भी चाहें तो तरमीम कर सकते हैं। कहीं आपको सज़ा कम लगती है तो सज़ा बढ़ा सकते हैं। परंतु आपने तो जिस प्रकार का कृत्य किया है उससे तो ऐसा लगता है कि एक बेगुनाह को भी आप अंदर ठोक देंगे और उसकी जमानत भी नहीं होगी। उसको किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। यह बनाकर दुरुपयोग करने की पुलिस को पूरी छूट मिल जाएगी। पुलिस मन चाहेगी वैसा प्रयोग करेगी। हम और आप तो कहीं दूर रह जाएंगे। जैसे आपने बंदर को उस्तरा दे दिया और पता नहीं वह किसकी दाढ़ी बना दे। वैसा ही कानून बनाकर आप पुलिस को हाथ में दे रहे हैं। पहले से ही आप और मैं, हम सब इतने सालों से भुगते हुए लोग हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जो यह कानून लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसको लाने के पीछे भाव क्या है? मेरी तो समझ के बाहर है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 141 से लेकर के 150 तक आप पढ़ लीजिए। इसमें इस प्रकार के सब अपराध को रोकने के लिए व्यवस्था की है। हम क्या काम कर रहे हैं? हम कोई सामान्य काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया कि मॉब लिंचिंग क्या है और इसकी सज़ा क्या है? इसको आप देखिए। आपका जो सैक्शन 8 है, इसमें लगभग सज़ा का प्रावधान वो ही है, मणिपुर में भी वो ही है। उत्तर प्रदेश का जो ड्राफ्ट है, उसमें भी ये ही है। अब हमारे यहां क्या कानून हम बना रहे है और इस पर क्या सज़ा देंगे? इस पर भी आप थोड़ा ध्यान डाल दीजिए। पनिशमेंट 8 में है-

Punishment for offense of lynching:- whoever commits an act of lynching-

(a) where the act leads to the victim suffering hurt, चोट लगी, hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years,

(15.00 बजे)

सात साल तक मिलेगा और उसमें भी बेलेबल नहीं है, नोन बेलेबल आफेंस है। इसमें कोई जमानत नहीं होगी। हर्ट का मतलब, मैंने एक घूंसा मारा और उसका एक दांत टूट गया, हो गया काम पूरा। अब कोई सड़क पर जा रहा है, किसी की बहन के साथ कोई छेड़खानी की, दो दुकानदार उतरकर आ गए, छेड़खानी करने वाले के दो घूंसे-थप्पड़ मार दिए, इस कारण से उसको हर्ट पहुंच गई तो यह सात साल की सज़ा में चला जाएगा।

दो या दो से अधिक आदमी का आपने मॉब के बारे में निर्णय किया है। यह मॉब में आ गया। अगर इस कानून का उपयोग पुलिस करेगी तो किसी को भी अंदर करने का काम करेगी। हम इसको revengeful attitude से काम करेंगे तो अलग बात है।

इसका (b) है- "where the act leads to the victim suffering grievous hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees and may extend to three lakh rupees." 3 लाख रुपये तक का फाइन भी उसको किया जा सकता है। अब grievous चोट का मतलब, अगर मेरे घर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चोर घुसा और मेरे घर के ही पांच आदमी निकलकर आ गए, उसको पकड़ लिया और दो डंडे मार दिए। मान लीजिए उसके सिर में लग गया, तो यह grievous हर्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए भी काम नहीं कर सकता हूं।

समाज का कोई व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़कर नहीं रख सकता। अगर कोई किसी प्रकार का कुकृत्य कर रहा है, जिसके कारण लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने उसके खिलाफ इस प्रकार की वारदात कर दी, तो वह दस साल की सज़ा में चला गया। सज़ा के साथ-साथ आपने इसमें प्रोविजन डाला, वह यह डाला कि वह जमानत के लिए भी एप्लाई नहीं कर सकता, एक तरह से वह नोन बेलेबल ओफेंस हो गया।

आपने सी में लिखा- “where the act leads to the death of the victim, shall be punished with rigorous imprisonment for life and with fine which shall not be less than one lakh rupees and may extend to five lakh rupees.” आपने सज़ा का प्रावधान भी इतना किया है। आपने देखा होगा कि गो तस्कर की हत्या हो गई, तो 302 में मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं वह लोग 302 के मुलजिम बने कि नहीं बने? जब तक वह जिंदा था तो 307 था, लेकिन जैसे ही दो दिन बाद, उसकी मृत्यु हुई वह 302 में कन्वर्ट हो गया। 302 में चार-चार, पांच-पांच महीने बाद, उनको जमानत हुई। कानून हमारे पास है लेकिन हम इस कानून का भी दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसका परिणाम क्या होगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, इसको समझिये और समझने के बाद कानून को इस ढंग से लाइये। केवल और केवल गो तस्करों को दंड देने के नाम पर, आप सब लोगों को इसकी गिरफ्त में लेकर, जिस ढंग से सोच रहे हो, उसका परिणाम बहुत खतरनाक आएगा। अगर आपकी पुलिस ने उपयोग किया न, तो आप और मैं दोनों भी कुछ नहीं कर सकेंगे। माथे पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकेगा।

आप ऐसा कानून बना रहे हो, दो व्यक्ति मिलकर भीड़ की परिभाषा में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी को अपराधी से बचाने के लिए कोई आगे आएगा? इस कानून के बनने के बाद कोई किसी को बचाने के लिए दो कदम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी आगे बढ़ाएगा? अपराधी बेखौफ अपराध करने को स्वतंत्र होंगे, क्योंकि उनको रोकने-टोकने वाला बड़ा अपराधी माना जाएगा। अगर किसी ने रोका या टोका तो वह उससे भी बड़ा अपराधी बन जाएगा, वह तो शायद इतना बड़ा अपराध नहीं होगा। पुलिस चप्पे-चप्पे पर मौजूद रहेगी? ऐसे में रंगे हाथ पकड़े गए अपराधी को भी मौक़े से सुरक्षित भाग जाने को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर किसी अपराधी को जनता ने पकड़ भी लिया, तो आपके इस कानून के पास होने के बाद, वह कहेगा कि जाने दो, जो होना है सो हो गया, हम क्यों इस चक्कर में पड़ें। इसका मतलब, उस अपराधी को पकड़ने के लिए, समाज भी अब तक जो करता था, उसके भी हाथ बांधकर आप खड़ा कर दोगे। वास्तव में अपराधी को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। अपराधी को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा और पीड़ित लोग अपराधियों के रहम पर जिंदगी गुजारेंगे। यह समाज को मध्ययुगी काल में से ले जाएंगे, जहां समाज अपराधी के समक्ष अपने आपको असहाय महसूस करेगा। समाज को देखते भालते हुए विष का घूंट पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भविष्य में इसका खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अगर इस कानून का सही उपयोग किसी ने कर लिया, उसके आधार पर अगर सज़ा दी, तो फिर हम सब लोग इस बात को महसूस करेंगे, कि हमने इस कानून को बनाकर किस प्रकार का काम किया है।

हम समाज में बढ़ते जा रहे व्यापक आक्रोश के कारणों को ठीक पहचान कर, आक्रोश रोकने के उपायों पर विचार नहीं कर रहे हैं, अपितु आक्रोश के परिणामों पर जबरन रोक लगाकर किसी बड़े विस्फोट की भूमिका तैयार कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जब इस प्रकार की स्थिति होगी, तो जो कानून नहीं तोड़ता होगा वह कानून तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक क्षण ऐसा आएगा जब उसे लगेगा कि जो कुछ होना है वह हो जाएगा। अगर अच्छा करते हुए भी गले में फांसी आ रही है तो फिर इसके लिए खुलकर मुकाबला ही कर लो।

पुलिस की लापरवाही, मिलीभगत, कर्तव्यहीनता, असंवेदनशीलता के किस्से अक्सर सुनने में आते रहते हैं, जिसके न्यायालय और विधायिका स्वयं गवाह है। इस कानून के माध्यम से समाज के बड़े हिस्से को प्रताड़ित करने का हथियार भी यदि पुलिस के हाथ लग गया तो पुलिस के प्रति समाज में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्याप्त आक्रोश किस सीमा पर पहुंच जाएगा, जिसका आज अनुमान लगा पाना कठिन है।

यदि समाज की सम्मिलित शक्ति को इस प्रकार खुली चुनौती दी गई, तो उसके परिणाम भयानक होंगे, जिससे हमें डरना चाहिए। अगर आपने यह किया और कोई छोटे-मोटे इस प्रकार के मुक़दमे बन गए तो? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी आईपीसी के अंदर आपको कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि लॉ एंड आर्डर स्टेट का विषय है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की गो तस्करी करने वालों के साथ मेन हैंडलिंग करते हैं या और कोई घटना हो गई जिसका हैंडलिंग...

मैं आज ही बताता हूं। मान लीजिए, वहां दो-तीन हजार लोग होंगे, वह धरने पर बैठे हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिला, कोई पुलिस अधिकारी गया और उनके साथ उसने मारपीट कर दी, तो आप क्या इन दो हजार लोगों को पकड़ लेंगे? कभी कोई ऐसा आंदोलन होता है जिसमें हज़ारों लोग जुलूस में होते हैं, किसी एक आदमी की वजह से कहीं छुट-पुट झगड़ा हो गया, तो क्या उन सारे लोगों को आप मुलजिम बना दोगे? मुलजिम भी ऐसे बनाओगे, तो आप इस कानून के आधार पर क्या लेना चाह रहे हो, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं?

अध्यक्ष जी, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं मॉब की परिभाषा है जिसमें केवल दो व्यक्ति हैं। इसका कोई इंटेशन नहीं कि वह किस इंटेशन से दो व्यक्ति क्या एक्शन कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। लिंचिंग की परिभाषा है उसमें आपने सारे जाति, धर्म, भाषा, भाषी, सबको जोड़कर एक तरह से इसको communal law बनाने का प्रयास किया है। आप किसी समाज विशेष को खुश करने के लिए, यह कानून लाकर, राजस्थान को आग में मत डालो। मेरी विनम्र प्रार्थना है, मत डालो। विचार करो। अगर आपको लगता है कि इस कानून को और परफैक्टली बनाया जा सकता है, तो कोई अभिमान करने की बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि सलेक्ट कमेटी में आप और हम, सब लोग बैठेंगे। सब लोग बैठकर इस कानून को ठीक प्रकार से करेंगे।

हम उस बात में तो आपके साथ हैं कि मॉब लिंचिंग के कारण किसी पर कोई अन्याय हो रहा है, उस आदमी को भी हमारा कानून सज़ा देने में परफैक्ट नहीं है, तो उस कानून को बनाने के लिए तो हम हैं, लेकिन चार-पांच

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घटनाओं के पीछे हम ऐसा सख्त कानून बनाकर, पुलिस के हाथ में देकर राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे मत करो। मेरी फिर प्रार्थना है, शांति से विचार करो। जिद मत करो। इस कानून को बनाने के पहले आप और हम सब, सलेक्ट कमेटी में बैठकर इसके प्रत्येक बिन्दु पर ठीक प्रकार से विचार कर लें। हर सैक्शन पर विचार कर लें। विचार करने के बाद एक कामन कानून बनता है वह लेकर आएं। हम आपके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसे कानून पर हम किसी भी प्रकार सहयोग नहीं करेंगे। आप अगर अपने बहुमत के आधार पर, अपने दम के आधार पर इसको पास भी करा दोगे तो मैं और मेरा दल, मरते दम तक, इस कानून का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉब लिंचिंग की पूर्व में जो घटनाएं हुईं उनकी पुनरावृति राज्य में नहीं हो, इसलिए इस बुराई को रोकने के लिए, मॉब लिंचिंग का विशेष कानून लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो या तीन, अधिक व्यक्तियों के समूह, मिनिमम टू, मैक्सिमम कितना ही हो...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): दो ही है उसमें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो या तीन से भी अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आचार-व्यवहार, इसमें सिर्फ धर्म ही नहीं है। आचार-व्यवहार, नस्ल, राजनैतिक सम्बद्धता के आधार पर कोई कृत्य, हिंसा के कृत्य में सहायता करना और उसके लिए उकसाना या हिंसा का प्रयास करना, मॉब लिंचिंग का अपराध माना जाएगा।

राजस्थान के हर नागरिक का शर्म से सिर झुक गया था, जब यहां राजस्थान में ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थीं। हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आखिर यह ऐसा क्यों हुआ, जो पहले कभी नहीं होता था। आपने बताया कि सैकड़ों, चार या पांच गौ-हत्या के मामलों में मॉब लिंचिंग के केसेज हुए हैं, निश्चित तौर पर इतने ही हुए हैं, लेकिन कुल मिला करके सौ से ज्यादा केसेज हुए हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि 2014 के बाद जितने भी केसेज हुए हैं, टोटल केसेज, उनमें से 86 परसेंट यहां पर हुए हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हर तरह की घटनाएं हुई हैं, सिर्फ गौ-हत्या की ही नहीं हुईं, हर तरह की घटनाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, देश में सबसे शांत माने जाने वाले प्रदेश की पहचान मॉब लिंचिंग में हुई हत्याओं के बाबत यह होने लग गई कि मॉब लिंचिंग की हत्या कहां होती है, कहें कि राजस्थान में होती हैं। अप्रैल, 2017 में क्या हुआ, पहलू खां का क्या हुआ, उसके बेटों का क्या हुआ। पहलू खां की मृत्यु हो गई और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद मॉब-लिंचिंग के द्वारा अकबर की मृत्यु हो गई, हुई कि नहीं हुई? आखिर ठीक है, आज यह आरोप था कि गौ-तस्करी कर रहा था, यह कर रहा था। पुलिस मौजूद थी, पुलिस को देते। आपको मारने का क्या हक था। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि किसी दुकानदार के उसने मुक्का मार दिया तो मॉब लिंचिंग में आ जाएगा। क्यों मार देगा मुक्का, कैसे मार देगा मुक्का? क्या उसको मुक्का मारना अलाउड है? इस तरीके की झापट मारना क्या उसको अलाउड है? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, आसाम, आन्ध्र प्रदेश में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं। हो रही हैं, रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। राजस्थान में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए रोकथाम के लिए यह कठोर और प्रभावशाली कानून लाया गया है।

सर्वप्रथम मणिपुर ने लिया, 19 नवम्बर, 2018 को मणिपुर राज्य के द्वारा लाया गया लेकिन वर्तमान में वहां पर भी यह प्रभावी नहीं हो पाया है। राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य है, जो मॉब लिंचिंग पर कानून बना रहा है। कानून क्यों बना रहा है, इसके लिए मैं आपको एक पढ़कर बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जैसा आपने कहा कि आई.पी.सी. में सारे प्रावधान हैं, सीआर.पी.सी. में सारे प्रोविजंस हैं, उनके जरिये भी काम हो सकता था। अगर उनके जरिये ही काम हो जाता तो फिर ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों होतीं? इन पर प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? क्यों नहीं हो पाती? सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है what we have expressed, we think it appropriate to recommend to the legislature, that is, the Parliament, to create a separate offense for lynching and provide adequate punishment. अगर वही पनिशमेंट जो आई.पी.सी. में था और सीआर.पी.सी. में जो प्रोसीजर था, अगर वह एडिक्वेट होता तो सुप्रीम कोर्ट कभी यह फैसला नहीं देता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट को अधिकार दिया है बनाने के लिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पार्लियामेंट को दिया है तो लैजिस्लेचर कहां जाएगा, यहां का लैजिस्लेचर क्या करेगा। यह तो कान्करेंट में है। वे भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। वे नहीं बना रहे हैं। उन्होंने नहीं बनाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी संयम लोढ़ाजी ने कहा था जेटली साहब ने मना कर दिया कि हम इस पर कानून नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी।

मेरा आपसे यह निवेदन है, देखिये आई.पी.सी. में हर अपराध की सज़ा है, नो-डाउट, हम भी मानते हैं कि है। सीआर.पी.सी. में भी पूरा प्रोसिजर दे रखा है, लेकिन वह सामान्य है। वह सामान्य है और जनरल लॉ है। जनरल लॉ है और सिम्पल इश्यूज पर वह किया, अब सीआर.पी.सी. में आपने कहा कि पांच आदमी हैं। पांच आदमियों का मॉब माना जाता है। हमने ए.जी. की राय ली। गम्भीर अपराध के कारण स्पेशल लॉ बनाने के लिए पूरी की पूरी कवायद की, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 'दो आदमियों' को रेजिस्ट किया कि 'दो आदमियों' को आपने मॉब मान लिया। आप यह बता दें कि एक दुर्बल आदमी खड़ा हुआ है, और दो आदमी, क्या दो आदमी सफिशिएंट नहीं हैं उसको मारने के लिए। वह मॉब नहीं कहलाएगी। अगर वह मॉब नहीं कहलाती तो सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देने की आवश्यकता क्या थी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): फिर तो एक ही बहुत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं सुनना?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो आदमी काफी हैं। एक अकेले व्यक्ति पर हमला करके उसकी हत्या करने के लिए या उसकी ग्रीवियस चोट या हर्ट पहुंचाने के लिए या सिम्पल हर्ट पहुंचाने के लिए दो आदमी काफी होते हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): एक या दो का नहीं, एक भी काफी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मदनजी, एक मिनट, ठहर जाओ। मैं आपको खूब जानता हूं। आप मेहरबानी करके थोड़ा-सा तसल्ली रखो। (व्यवधान) नहीं, तसल्ली रखो।

राज्य सभा के सदस्य, जो जाने माने एडवोकेट हैं, के.टी.एस. तुलसी, उन्होंने राज्य सभा में एक निजी, प्राइवेट बिल पेश किया है, उसमें भी उन्होंने दो आदमी कहा है, दो या दो से अधिक। मणिपुर वाले में भी दो और दो से अधिक था, जो एक्ट आफ वायलेंस था। न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की अध्यक्षता में जो उत्तर प्रदेश का विधि आयोग बना हुआ है उन्होंने भी अपने बिल में साफ-साफ लिखा कि सिर्फ दो या दो से अधिक आदमी, जो वह माडल एक्ट बनाया, उन्होंने बाकायदा माडल एक्ट बनाया। वह लागू हुआ कि नहीं हुआ, वह एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के द्वारा जो माडल एक्ट बनाया गया, वह सारी जगह प्रचारित किया गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात के लिए यह कहे कि क्या दो आदमी सफिशिएंट नहीं होते हैं। दो के बाद में तीन भी आएंगे, चार भी आएंगे, पांच भी आएंगे। व्हाट्सएप का जमाना है, फोन का, मोबाइल का जमाना है, भीड़ इकट्ठी होगी और भीड़ इकट्ठी हो करके कुछ न कुछ अपराध करेंगे तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन बातों को करने से कोई फायदा नहीं है।

जहां तक दूसरी बातें हैं, जो आपने कही हैं, जैसे राठौड़ साहब ने कहा कि एस.सी. की रिकमंडेशन है, केन्द्रीय सरकार कानून बनाएगी। आपने कहा कि केन्द्रीय सरकार बनाएगी। जनाब, 2018 का फैसला है, 17 जुलाई, 2018 का, उसके बाद तक तो, आज तक पार्लियामेंट की उसके बाद तीन सिटिंग्स हो चुकीं, चार सिटिंग्स हो चुकीं। आज तक तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया नहीं है तो क्या हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें। कान्करेंट लिस्ट में है, वे भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। हम क्यों नहीं बनाएं जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, राजस्थान में भी हो रही हैं। हम क्या करें, यह बताइये आप। आपने यह भी कहा कि दुर्बल व्यक्ति कौन है। दुर्बल तो दुर्बल ही होता है। दुर्बल कौन होता है, जो कमजोर होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसमें डेफिनेशन कहां है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके हाथ-पैरों में इतना दम

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं होता, उसके लिए दो आदमी काफी हैं। आपने यह भी कहा कि पी.सी. एक्ट में संशोधन करते हुए एस.सी. ने विशेष कानून बनाया, सब-रुल में प्रोविजन का होगा, राज्य सरकार के, और तो बाकी पता नहीं, क्या-क्या कहा आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने कहा कि पी.पी. आलरेडी खड़ा होता है तो उसको आप वकील क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो। आप बताइये कि क्या उसको अधिकार नहीं है? सरकारी वकील तो खड़ा होगा ही होगा, लेकिन वह अपनी तरफ से प्राइवेट वकील खड़ा कर सकता है। क्या अधिकार नहीं है? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट देने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ बोलने की वजह से अपन यहां पर अपना नाम लिखा दें, और स्पीकर साहब, आप अलाउ कर दें इनको, और फिर ये बोल लेते हैं, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चन्द्रभान सिंहजी बोले कि साक्ष्य को कोई संरक्षण नहीं है। आप एक्ट को पूरा पढ़ लें। साक्षी को पूरा संरक्षण दिया गया है। गांवों की पंचायतों में जो विवाद होता है, इन खाप की पंचायतों ने ही तो तमाशा मचाया है। इन पंचायतों के फैसलों ने ही तो यह सब कुछ किया है। इसी तरीके से अभिनेश महर्षि तो खास बात बोले नहीं, इनका क्या जवाब दें।

बिहारीलालजी बोले कि आई.पी.सी. में पहले से कानून है तो मैं आपका जवाब दे चुका कि आई.पी.सी. के कानून एडिक्वेट नहीं थे। है, सब कुछ है, लेकिन इतनी ज्यादा सख्ती के कानून नहीं थे, जितनी कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, पूरे भारत के हालात देखते हुए। अशोक लाहोटीजी बोले कि राजनीति के लिए लाये हैं। अब इसमें भी राजनीति आ गई। कानून बनाने में भी राजनीति आ गई। राजनीति ने तो आपको पटक कर रख दिया, वह दूसरा बन गया, लाटा। इससे आप गौ-माता को जोड़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गौ-माता का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। गौ-माता नहीं,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसमें तो व्यक्ति से भी कोई घटना होती है तो वे सबसे ज्यादा केसेज हुए हैं, गौ-माता के कितने केस हुए हैं। वाकई सही बात है। अगर कोई गौ-तस्करी करता है तो निश्चित तौर पर उसको रोकना चाहिए। पुलिस को इत्तला करना चाहिए। आप घेरकर खड़े हो जाओ, मारो-कूटो तो मत, उसको भले ही जाने मत दो, लेकिन मारो-कूटो तो मत।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): वह गोली चलाए जब?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी क्या हुआ? कल की ही बात है। मैं कटारिया साहब को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बामनवास में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठें। नोट अलाउड। मंत्री बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं। आप प्लीज बैठें। आप सीखें, आप दूसरी बार एम.एल.ए. हैं, आप प्लीज सीखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बामनवास में क्या हुआ? कल की घटना है। मॉब लिंचिंग से मार दिया गया। प्रतापसिंहजी ने अभी जो किस्सा बताया था कोई लड़के को नंगा करके खूब मारा, मॉब ने मारा। चोर था, डाकू था, कुछ भी था, सब कुछ था, मॉब अगर इकट्ठी होती है तो आप उसको रोक लो, रोककर पुलिस को बुलाओ, वही बात है जो आपने अभी बताया कि साहब, उनको कोई हक नहीं था। होस्टल वालों को ले जाकर सीधे के सीधे देते, उनको हक यह था, उनका कर्तव्य तो यह बनता था कि बाकायदा वह पुलिस को इत्तला करें।

श्री मदन दिलावर क्या बोले वह तो भगवान जाने। चोर और डाकू और यह और वह, इधर-उधर की बातें बोलने से क्या फायदा? यहां कोई चाय की दुकान है क्या?

जैतारण के विधायक बोले कि साहब, यह बिल एक समाज विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें समाज का कोई लेना-देना नहीं है। सामाजिक समरसता बनी रहे, यह भावना जरूर है। धर्म भी है, मैंने बताया न आपको इसमें, धर्म भी है, वंश भी है, जाति भी है, लिंग भी है, जन्म स्थान भी है, जन्म स्थान पर भी विवाद होते हैं। भाषा पर भी विवाद होते हैं। आचार-व्यवहार पर भी विवाद होते हैं। नस्ल पर भी विवाद होते हैं। राजनीतिक संबद्धता पर भी विवाद होते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, राजनीतिक संबद्धता

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के कारण भी मॉब लिंचिंग हो रही है तो आप इसको यह मत समझकर चलिए कि साहब, यह बिल कोई एक विशेष जाति के लिए लाया गया है। मेहरबानी करके अपने, इसी तरीके से रामप्रतापजी कासनियां ने तो कहा, यह तो कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा बोले कि लिंचिंग का कानून लाए हैं लेकिन पुलिस व जिला अधिकारियों के खिलाफ नैग्लिजेंसी और मिस-कंडक्ट के लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि इसमें प्रोविजन है। सैक्शन-27 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार इसके नियम बनाएगी और नियम बनाने के लिए बाकायदा राज्य सरकार इन नियमों में डालेगी और दूसरी बात मैं आपसे और निवेदन कर देना चाहता हूं कि पुलिस एक्ट, 2007 में बाकायदा सब प्रोविजन्स हैं कि पुलिस के अधिकारी की अगर कोई कर्तव्य के प्रति उसकी नैग्लिजेंसी पाई जाती है या मिस-कंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत में कार्यवाही होती है और आई.पी.सी. में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 166 आई.पी.सी. में उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

इसी तरीके से चाहे जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे एस.डी.एम. हो, चाहे यह हो, वह हो, उनके खिलाफ भी 16 सी.सी.ए., 17 सी.सी.ए. का नोटिस दिया जा सकता है, ए.पी.ओ. किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है और 166 आई.पी.सी. में कार्यवाही भी हो सकती है जो सबके खिलाफ है। जो कुछ आपने यहां पर कहा है कि यह नहीं है, वह नहीं है, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें राज्य सरकार के पास दफा 27 में पूरी शक्तियां हैं जो नियम बनाएगी और उन नियमों में, आपके द्वारा जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं, उन शंकाओं को दूर करते हुए उन नियमों को लागू करके, उन नियमों को बनाकर लागू करेंगे। मेहरबानी करके, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि देखिए, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का अनाउंसमेंट था बजट सैशन में कि हम लिंचिंग का बिल भी लाएंगे, हम आनर किलिंग का बिल भी लाएंगे। लोगों के पास काफी वक्त था। 10 जुलाई और आज यह 05 अगस्त हो गई, काफी वक्त था। आप यह कहते हो कि साहब, जनमत जानने के लिए भेजो। जिन-जिन को अपनी ओपिनियन देनी थी, दे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सकते थे, बड़े आराम से दे सकते थे। हम उन पर विचार करते और विचार करके अगर जो अच्छे सुझाव थे तो उनको शामिल करते। किसने मना किया था? आज आप कहते हो कि साहब, जनमत जानने के लिए भेज दो, इसका मतलब है कि आप टलवाना चाहते हो इसको, आगे बढ़ाना चाहते हो। यह शो करना चाहते हो कि साहब, हमने कांग्रेस के द्वारा एक अच्छा जो बिल लाया जा रहा था, जिससे लिंचिंग का यह काम रुक जाता, क्या समझो, उसको रोक दिया हमने।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वारदातों से सामाजिक समरसता पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है और वातावरण में, माननीय अध्यक्ष महोदय, भय और तनाव की स्थिति पैदा होती है इसीलिए लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए यह निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। यह उसी का प्रतिकार है। पीड़ितों को समय पर उपचार मिले, प्रतिकार प्रदान किया जाए, विशिष्ट कानून इसीलिए यह स्पेशल लॉ जो है, वह लाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रोग्रेसिव लॉ है जिसके माध्यम से लिंचिंग जैसी बुराई को आरम्भ से ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कठोर दंड के प्रावधान इसीलिए किये गये हैं कि पीड़ितों को राहत प्रदान करें। यह बात सही है कि जो राठौड़ साहब ने कहा कि साहब, प्रावधान जो है, वह संविधान मतलब, भारतीय दंड संहिता, आई.पी.सी. के क्षेत्राधिकार पर प्रभाव डालते हैं इसलिए संविधान की धारा 254 (2) के अंतर्गत इसको राष्ट्रपतिजी के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपतिजी के पास भेजा जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया जाए? जो पक्ष में हों वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो। We want division. (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: डिवीजन-डिवीजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा कीजिए। डिवीजन कराइए।

श्री अध्यक्ष: मैं दुबारा पूछ लेता हूं। दुबारा पूछ लेता हूं। आराम से। दुबारा पूछ लेता हूं। कोई नहीं, आराम से। मैं दुबारा पूछ लेता हूं, कोई चिंता नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया जाए? जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराइए। We want division. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, बिलकुल आपकी बात सुन ली मैंने। आप खड़े हों, मैं काउंट कर लेता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। मैं फिर दुबारा पूछ लेता हूं। मैं फिर दुबारा पूछ रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

जो पक्ष में हों, वे खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप भी खड़े हैं? आप भी खड़े हैं? जो पक्ष में हों, वे खड़े हो जाएं।

(विधेयक के पक्ष में अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

खड़े हो गये? मैंने काउंट कर लिया, आप बैठें। विराज जाएं। मैंने काउंट कर लिया, बैठें आराम से।

जो विपक्ष में हों, वे खड़े हो जाएं।

(विधेयक के विपक्ष में अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

(श्री अध्यक्ष)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

श्रीमती सूर्यकांताजी। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आप बोल सकते हैं। आप दो मिनट बोलें।

सूचना

डर्वित टैक्सटाइल (जोधपुर) का बंद होना

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सूरसागर से आती हूं वहां पर एक डर्वित टैक्सटाइल है। वह डर्वित टैक्सटाइल काफी वर्षों से बंद पड़ी है और वहां पर लेबर इतने परेशान हैं कि उसके पास के अंदर तालाब जैसा भरा हुआ है। ट्रीटमेंट प्लांट फैक्ट्रियों वालों के हैं नहीं, फैक्ट्रियों का पानी आता है, भैरव नाले का पानी आता है और वह लेबर इतने परेशान हैं और इतनी गंदगी इस तरीके से है कि क्या मालूम वह कैसे जीवन जी रहे हैं अगर आप देखें, मैं सही बता रही हूं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। मैं देखकर आई हूं। मेरे को वहां पर रोना आ गया कि वह किस स्थिति में गुजर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करती हूं कि आप विधान सभा की एक कमेटी बना दें और उद्योग मंत्रीजी से यह कहें कि कमेटी बनाकर उस फैक्ट्री का निर्णय करें। कम से कम 20-25 बीघा के अंदर वह फैक्ट्री है। अब क्या स्थिति है उसकी, उसका मालिक भाग गया, कोई पता ही नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019. श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर के बारे में कहना था अगर कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री अध्यक्ष: इनके बाद। इसके बाद। माननीय मंत्रीजी, इस बिल के पास होने के बाद नागौर के संबंध में स्टेटमेंट होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी?

श्री अध्यक्ष: इस बिल के पास होने के बाद नागौर के संबंध में स्टेटमेंट होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिल के बाद?

श्री अध्यक्ष: बिल के बाद, बिल पास होने के बाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज आप देख रहे हैं सुबह से ही।

श्री अध्यक्ष: आज आपका कष्ट, पुलिस की नौकरी ऐसे ही होती है। पुलिस की नौकरी में सुबह से शाम तक नौकरी करनी पड़ती है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको संरक्षण दे दिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे आप कम से कम आधा घंटे की तो फुर्सत देंगे।

श्री अध्यक्ष: इसके अलावा एजेंडा वही है आपका। बिल के बाद में वही

(श्री अध्यक्ष)

बचा है। इसलिए आपको पुलिस की नौकरी करना है तो थोड़ी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी। विराजो आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): करूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। एक तरफ जहां देश की राज्य सभा आज के दिन को एक ऐतिहासिक दिन में परिवर्तित कर रही है, वहां हमारी राजस्थान विधान सभा आज के दिन एक फालतू के काम लेकर बैठी है। फालतू का काम इसलिए कह रहा हूं कि यह जो कानून विचारार्थ आया है सदन के सामने, इस कानून में ऐसी कौनसी चीज है, जो अभी हमने कानून पास किया, उसमें कवर नहीं हो रही है, सारी चीजें उसमें हैं। केवल एक शब्द जोड़ना था, भाषा। आपने दस चीजें जोड़ दीं, एक चीज और लिख देते विवाह, तो इस कानून में इसका भी सारा काम हो जाता। इसके लिए अलग से एक नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, सदन का समय जाया करने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी अब आया है तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बहु-जातीय विवाह इस देश में कोई नई चीज नहीं है। पौराणिक काल में भी बहु-जातीय विवाह होते रहे हैं और बहुत अच्छे चर्चित बहु-जातीय विवाह, अन्तर-जाति विवाह इस देश में, इतिहास में, महाभारत काल में, रामायण काल में उल्लेखित हुए हैं। सब लोग उससे परिचित हैं। उसको लेकर कभी बहुत ज्यादा कट्टरता, कठोरता नहीं रही। बीच के काल-खण्ड में ऐसा हो गया, उसके कई सारे रहे होंगे। जातिवाद को लेकर भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हममें से अधिकांश बेटियों के बाप होंगे। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा लेकर राजस्थान सरकार चल रही है, भारत सरकार चल रही है। जिस बाप की बेटी घर से बाहर जाती है बिना बताये, उसकी पहली चिन्ता यह होती है कि वह कहां गयी, सुरक्षित है कि नहीं? वह अपनी इच्छा से गयी है कि कोई जबर्दस्ती ले गया है। यह चीजें जानने का बाप को, मां को, भाई को, बहिन को अधिकार है। अपनी इच्छा से गयी है कि कोई जबर्दस्ती लेकर गया है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(15.32 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

वह वास्तव में सही जगह गयी है कि असुरक्षित जगह गयी है और उसका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं, यह तीन-चार चिंताएं हर मां-बाप को होती हैं। इसलिए, उसकी व्यवस्था करना भी सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है। वह व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। हम महीनों तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाते। भगवान जाने, वह लड़की प्रेम से गयी है, वास्तव में प्रेम करके गयी है या बहला-फुसलाकर ले गये और वहां यातना झेल रही है, ऐसे कई केस हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण समाज के सामने हैं। अब तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे मामलों में हेबियस कारपस के सिवाय कोई रास्ता नहीं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। उन पीड़ित मां-बाप को, जिसकी बेटी घर से बाहर गयी है, उनको मदद करने के बजाय इस कानून के माध्यम से हम उनके लिए एक और समस्या पैदा करने जा रहे हैं। सी.आर.पी.सी. की, आई.पी.सी. की और बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें ऐसे केस कवर होते हैं। राजस्थान में ऐसे केस कोई बहुत ज्यादा हैं भी नहीं। गिनती के केस हुए होंगे नहीं होने चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि बेटी सुरक्षित है, स्पष्ट हो जाए कि बेटी अपनी सहमति से गयी है, उसके बाद जोर-जबर्दस्ती नहीं करना चाहिए मां-बाप को भी। ठीक है, पर ऐसे करने वालों को रोकने के लिए सी.आर.पी.सी. की और भी कई धाराएं अपने पास हैं, कई कानून अपने पास हैं और उन धाराओं और कानूनों में हम उनको रोक सकते हैं और अभी भी जो कानून हमने पास किये हैं, उसमें भी उसको कवर कर सकते थे। केवल एक शब्द जोड़ने की आवश्यकता थी। पर फिर भी सरकार अब एक अतिरिक्त कवायद सदन से करवा रही है। अब मर्जी है आपकी, करवाइए लेकिन मैं, सभापति महोदय, फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बेटी के बाप की भी चिन्ता करिए उसके लिए भी इस कानून में कोई प्रावधान करिए। जिस बाप की बेटी गयी है, वह वहां सुखी है कि नहीं, सुखी रहेगी कि नहीं, वह उसका भरण-पोषण कर पाएगा कि नहीं, वह उसको यातना तो नहीं देगा, वह उसको और कुछ तरह से प्रताड़ित तो नहीं करेगा। इसकी चिन्ता, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए और उसके लिए भी इस कानून में कोई प्रावधान डाला जाना चाहिए था, जो नहीं डाला है और केवल एक पक्षीय इस कानून को बनाया है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको फिर एक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बार जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। जनता की राय भी इसमें ली जाए क्योंकि इससे प्रभावित तो जनता ही होने वाली है। इसलिए अच्छा होगा कि इस कानून को अपन थोड़े समय के लिए टालें और पुनर्विचार करने के बाद इसको वापस लें तो ठीक रहेगा। मुझे आपसे इतना ही निवेदन करना है, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन में राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर विचार हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, लोक सभा के चुनाव के पश्चात् जनमानस में अपनी लोकप्रियता खो चुकी सरकार यह सोच रही है कि इस प्रकार के दो-चार कानून बनाकर जनता की नजरों में यह सिद्ध कर दें कि सरकार बड़ी प्रगतिशील सरकार है। प्रगतिशील सोच के उप मुख्य मंत्री का वर्चस्व अभी भी इस सरकार में है। इस प्रकार का एक आडम्बर रचने के लिए यह सरकार दनादन कानून लेकर आ रही है और इन कानूनों का हश्र वही होगा, सभापति महोदय, 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'। यह जो कानून सरकार लेकर आयी है, सभापति महोदय, यह देखने में तो आनर किलिंग का नाम इन्होंने दिया है, पर यह निश्चित तौर पर हस्तक्षेप है हमारी परम्पराओं पर, हमारी मान्यताओं पर क्योंकि सभापति महोदय, आपसे ज्यादा कौन जानता है, विवाह का बंधन, पवित्र बंधन होता है। इसका आधार हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारे मानवीय मूल्य हैं और अब की बात नहीं, सभापति महोदय, अनादिकाल से विवाह का जब भी अनुष्ठान होता है तो वेदों और परम्पराओं के माध्यम से होता है।

सभापति महोदय, इन विवाहों की मर्यादा बनी रहे, इसकी चिन्ता पूर्व में भी हुई और 1954 के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट आया। उस स्पेशल मैरिज एक्ट में एक शिड्यूल-एक दिया गया। उस शिड्यूल के अंदर 37 ऐसे रिश्ते निर्धारित किये गये, जिनमें यह कहा गया कि यह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है यानी इन 37 रिश्तों के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट यह कहता है कि अगर कोई विवाह होगा तो विवाह शून्य होगा, अमान्य होगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसी स्पेशल मैरिज एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि कोई भी शादी हो, तो बच्चा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और बच्ची दोनों वयस्क होने चाहिए, शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए, मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए और इसके साथ यह भी कहा गया कि जो प्रोहिबिटेड रिश्ते शिड्यूल-एक के अंदर दिये हैं, उनमें रिश्ते नहीं होने चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, शायद आपको मालूम होगा कि 1955 में हिन्दू मैरिज एक्ट आया और उससे पहले सभापति महोदय, 1939 में मुस्लिम डिजोल्यूशन आफ मैरिज एक्ट भी आया और मैं निवेदन करना चाहूंगा जो प्रस्तुत विधेयक है, इसके नाम को आप देखिये, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019, परम्परा शब्द इसमें इस्तेमाल किया है। सभापति महोदय, यह जो हिन्दू मैरिज एक्ट है, इस हिन्दू मैरिज एक्ट के सैक्शन-3 को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। सैक्शन-3 कहता है, "In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) the expressions custom and usage signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law" सभापति महोदय, "among Hindus in any local area, tribe, community, group or family:

Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and Provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by the family;" मतलब यह जो सैक्शन-3 है, यह क्या कह रहा है कि जो हमारे कस्टम हैं, जो हमारे यूजेज हैं, जो हमारी परम्पराएं हैं, वह अगर लम्बे समय से चली आ रही हैं तो उसका फोर्स, एक कानून की मान्यता वह प्राप्त करे। सैक्शन-3 के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया गया है और आपने क्या कहा है, आप नाम ही देख लो, राजस्थान सम्मान और परम्परा, यानी विवाह की परम्पराएं जो भी हैं, मंत्री महोदय, जब आप वापस जवाब देंगे तो तब कहेंगे कि राठौड़ साहब ने तो यूं कह दिया था, यूं कह दिया था, मैं इसलिए कहता हूं, सभापति महोदय, अगर इसके नाम को देखो तो यह contrary to the Central Act हैं मतलब जो हमारी परम्पराएं हैं, जिन परम्पराओं को हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सैक्शन 3 मान्यता देता है, वो कहता है एन्फोर्स है वो, enforce in the light of law, इसलिए मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आपको इस पर विचार करना चाहिए।

अब, मंत्री महोदय, आपने इसके उद्देश्य और कारणों के कथन पढ़े होंगे। उद्देश्यों और कारणों के कथन में क्या है, कुटुंब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगौत्र, सभापति महोदय, आप जैसा ज्ञानवान सभापति बैठा हो, सभापति महोदय, आज आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। इसमें सगौत्र शब्द का इस्तेमाल किया है यानी यह जो कानून है यह कानून सगौत्र शादियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। सभापति महोदय, हिन्दू मैरिज एक्ट के अन्दर शिड्यूल फर्स्ट के अन्दर यह जो मैं लिस्ट लेकर आया हूं इस लिस्ट में उन सारी शादियों का जिक्र किया है कि कोई व्यक्ति पिता की विडो से, अपनी बहन से, अपनी भतीजी से, अपने सन की विडो से, सब, उनसे शादी नहीं कर पाएंगे और यह सगौत्र की शादी की बात कर रहे हैं। मतलब कम से कम इस कानून को जो कोई भी पढ़ेगा, आज इतिहास में यह नहीं लिखा जाए कि विधान सभा के अन्दर जानने वाले लोग नहीं थे। इसलिए, मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आपने जो इसमें लिखा है, कुटुंब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगौत्र, अन्तर्-जातीय और अन्तर्-सामुदायिक और अन्तर्-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध दबाव डालने के लिए स्व-नियोजित निकायों द्वारा अवैध अभित्रास के मामलों में अचानक तीव्र वृद्धि हो गई, उसको रोकना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस एक्ट के माध्यम से आप सगौत्र विवाह, स्पेशल मैरिज एक्ट के शिड्यूल फर्स्ट के अन्दर प्रोहिबिटेड विवाह, आप एक तरह से हमारी संस्कृति को गंदला करने का काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति पर चोट करने का काम कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन हैं, इसमें आपकी मंशा क्या थी? विवाह की स्वतंत्रता में जो हस्तक्षेप हो रहा है उसमें कुछ सैल्फ अपाइंटेड बाडीज हैं, जातीय खाप है और जातीय खाप के कुछ सामाजिक संगठन हैं, ये विधि विरुद्ध जमाव करके और उस विधि विरुद्ध जमाव को प्रतिषेध करने के लिए आप विधेयक लेकर आए हो। परन्तु आपने सैक्शन 3 (1) पढ़ा होगा, आप इसको पढ़ो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं सैक्शन 3 (1) पढ़ना चाह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, मतलब अकेला व्यक्ति, या व्यक्तियों का कोई समूह ऐसे किसी विवाह पर, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, इस आधार पर कि ऐसे विवाह से जाति या सामुदायिक परम्परा का अनादर हुआ है या जमाव के भागरूप सभी व्यक्तियों या उनमें से किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति, या कुटुंब या संबंधित परिक्षेत्र के लोगों की बदनामी हुई है, उस पर विमर्श करना, मतलब विचार-विमर्श करना के लिए या उसकी निन्दा करने के लिए, की दृष्टि से इस आशय से जमा या इकट्ठे होंगे, उसको इन्होंने धारा 3 (1) के अन्तर्गत यह अनधिकृत जमाव, विधिविरुद्ध जमाव की संज्ञा दी है, उसको इन्होंने अपराध माना है।

यानी, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई शादी हो रही है, बेटी ने शादी कर ली, पिता विचार-विमर्श कर रहा है कि यह शादी करके आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, समझाइश कर रहा है, यह ह्यूमन कंडक्ट है। आप ह्यूमन कंडक्ट को भी बाधित करने का काम कर रहे हो। यह किस जगह पर आप कानून बना रहे हो, मेरी समझ के परे की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि आपने सैक्शन 3 में यह और इसके बाद और क्या कह रहे हो, ऐसे विवाह जो कानून द्वारा वर्जित नहीं किया गया है, की निन्दा किया जाना वर्जित है, मतलब अगर आपने निन्दा भी कर दी तो भी आपने पाप कर दिया। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, जहां एक ओर मैरिज एक्ट के सैक्शन 3 के अन्दर हमारे कस्टम और यूसेज को कानूनी रूप देने की बात 1955 में कही गई है, जहां एक ओर सगौत्र विवाह को प्रतिषेध किया गया है, शिड्यूल फर्स्ट में शिड्यूल जारी किया गया है और दूसरी तरफ आप इस कानून के माध्यम से उन सब पर उनके कान्ट्रेरी यह लॉ लाना चाहते हो।

मंत्री महोदय, आपका सैक्शन 3(2) है, अवैध जमाव का उल्लेख किया गया है। मतलब कोई भी, उस जमाव में अपरोक्ष रूप से कोई उपस्थित हो गया तो वो दंड का भागी हो जाएगा। यानी, सभापति महोदय, शादी है और शादी के अन्दर परिवार के लोग उस शादी के विरुद्ध में हैं। शादी का टैंट लग गया या शादी के अन्दर परिवार के लोग किसी मोटर में बैठकर आ गये, वो सारे उस अवैध जमाव के दंड भागी हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो पारिवारिक मान्यताएं, परम्पराएं हैं, जो हमारे प्रचलित कस्टम्स हैं, उन पर आप प्रहार करना का काम कर रहे हो और इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर भी मैं समझता हूं जो व्यक्ति परोक्ष रूप से भागीदार नहीं है आपने अपरोक्ष रूप से भी उसको भी शामिल कर लिया। अपरोक्ष, सभापति महोदय, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, धारा 149 में, यह आई.पी.सी. है, यह कहते हैं परोक्ष, अपरोक्ष उसकी व्याख्या की गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को दंड का भागी नहीं बना सकते। इसीलिए मेरा निवेदन है कि 3 (2) में जो आपका शब्द है अपरोक्ष और अप्रत्यक्ष, इसको आपको डिलीट करना चाहिए। इस सैक्शन 3 के अन्दर condemning any marriage मतलब condemning any marriage उसमें भी आपने इसमें दंड का भागी बना दिया। किसी विवाह या परिस्थिति पर विचार करना, विचार का समर्थन करना, मैं समझता हूं, सभापति महोदय, ये किस प्रकार यह तय करेंगे कि मैं विचार कर रहा हूं, मेरा विचार क्या है, इस विवाह का समर्थन भी मेरा विचार हो सकता है। किस प्रकार का डिफेक्ट लॉ आपने बनाया है, निश्चित तौर पर मैं यह निवेदन करूंगा, वैसे तो आपने कभी किसी की मानी ही नहीं, आज एक काला कानून आपने पारित किया है पर आज का काला कानून इस पूरे हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटा पड़ जाएगा क्योंकि पूरा हिन्दुस्तान दूसरी बातों को लेकर जश्न मना रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आपको सोचना चाहिए।

यह जो सैक्शन 4 है, कोई व्यक्ति व्यक्तियों या समूह को सलाह देता है, उसमें पांच साल की सज़ा है सैक्शन 4 में। मैं आपके रिलेवेंट सेन्टेंस पढ़ रहा हूं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर वैयक्तिक या सामूहिक रूप से, खुले रूप से या अन्यथा, सलाह देता है, प्रबोधित करता है या दबाव डालता है, उनकी स्वतंत्रता का संकटापन्न उत्पन्न करना है, वो कृत्य अपराध समझा जाएगा। मैं समझता हूं कि आज कोई किसी को सलाह देता है, काउंसलिंग करता है, आप सारी चीजों को अपराध की लाइन में लेकर आ रहे हो और 4 (2) के अन्दर तो अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है उसको भी आपने दंडनीय मान लिया और धारा 5 में किसी ने धमकी दे दी तो पांच साल की सज़ा। मैं समझता हूं कि आई.पी.सी. की धारा 506 के अन्दर पूरी व्याख्या की गई है। कोई व्यक्ति किसी को किसी भी रूप में धमकी देगा तो उसको दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है, आपने पांच साल की सज़ा तक कर दिया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार इस विधेयक के अन्दर धारा 7 में हत्या हो गई,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हत्या में पांच लाख का जुर्माना, मतलब हत्या तो हत्या है, आप हत्या को भी वर्गीकृत करने का काम कर रहे हो।

मंत्री महोदय, मैं आपसे कहूंगा आपने सैक्शन 11 में क्या किया है। आपने पूरे सैक्शन को नोन-कम्पाउंडेबल बना दिया। इसमें जो कोई भी काम होगा कम्पाउंड नहीं हो सकता। सभापति महोदय, आप और हम सामाजिक प्राणी हैं, आजकल आपने और हमने देखा है कि पेरेंट्स की मर्जी के बिना लड़का-लड़की शादी कर लेते हैं और उस पर परिवार के लोग एतराज करते हैं, चार साल बाद, पांच साल बाद स्थिति-परिस्थितियां बदलती हैं, बच्चों के बच्चा हो जाता है, दादा उसको अपने घर ले आता है। मतलब नोन-कम्पाउंडेबल बना कर आपने पेरेंट्स को उस दायरे से बाहर निकाल दिया कि आप तो सदा के लिए चले गये। दो कालोनीज बन गईं, एक जिसने शादी कर ली चला गया, वो दोबारा कभी घर में नहीं लौटकर आए? कम से कम इसको तो आपको अमेंड करना चाहिए, हर हाल में अमेंड करना चाहिए।

मंत्री महोदय, इसकी धारा 2 (ख) के अन्दर (iv) के अन्दर आपने उत्पीड़न की व्याख्या की है। उसमें मानसिक उत्पीड़न, अब मानसिक उत्पीड़न की क्या व्याख्या है जी? सभापति महोदय, मैंने आज तक कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं देखी, मानसिक उत्पीड़न क्या है, इसका क्या पैमाना है, पर आपने यह मानसिक उत्पीड़न उसमें डाल दिया। मैं समझता हूं कि आपका उद्देश्य तो यह था कि शादी-ब्याह में जातीय खाप जो आती है, जातीय पंचायत जो आती है, वो लोग उनका सामूहिक तौर पर इस प्रकार की हिंसा का काम हाथ में लें और उस काम को करते हैं, उसके अन्दर अगर आप कानून लेकर आओ समझ में आता है। वह तो हो गया पूरा ही मामला। वह भटकाव आ गया। पूरा कानून ही आप अगर कहोगे तो 2 शब्दों में, भटका हुआ कानून है।

सभापति महोदय, हमारे गांवों में कुत्ते कई बार पगला जाते हैं। उसकी कोई उम्मीद नहीं करता कि कहां जाएगा और किसको पकड़कर खाएगा। इस कानून को आप देखें। यह भटका हुआ कानून राजस्थान में क्यों लेकर आ रहे हो? यह मेरे समझ के परे की बात है।

सभापति महोदय, इसकी धारा 2 और 3 में कहा है कि, 'युगल को कुटुंब की किसी भूमि, सम्पत्ति से बेदखल करना भी जुर्म है'। यानी शादी भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर ली और शादी करके उसने कह दिया कि इस जमीन में मेरा इतना हिस्सा है, क्योंकि वह घर से चला गया, मेरे को बेदखल कर दिया, तो माता-पिता को जेल होगी, चक्की पीसेंगे। सभापति महोदय, मैं सही कह रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं। यह एक गंभीर बात है।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, उप नेता प्रतिपक्ष ने आज दिन में स्वीकार किया कि उन्होंने कानून की किताबें पढ़नी चालू कर दीं। मैं चाहता हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक बहुसदस्यीय कमेटी बनाई जाए कि माननीय चूरू के विधायक महोदय बिना किताब पढ़े एलएलएम कैसे पास हो गए? इसकी जांच हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उप मुख्य मंत्री जी, आप सत्ता में हो। कमेटी बनाना आपकी सरकार की आदत है। आपने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में भी कई कमेटियां बनाईं। लेकिन उस कमेटी के टर्म और रेफरेंस के अंदर मेरी बात तो सुनोगे। मैं कइयों को उसके अंदर और शामिल करूंगा। मेरे अकेले को ही नहीं। उप मुख्य मंत्री जी, यह जो सबसे ज्यादा हंस रहे हैं न।

श्री सभापति: संयोजक आपको ही बनाएंगे उसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ठीक है। सभापति महोदय, यह जो बिल लेकर आए हैं, मंत्री जी, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आप सैक्शन 2 और 3 को पढ़ लें। आपने लिखा है कि युगल को कुटुंब की जमीन से ...

श्री सभापति: एक तो आप यह बोलने के दौरान चक्की पीसने का जो एक्शन करते हो, इससे आसन को एतराज है। आप सिर्फ मुंह से बोलिए। आपने साथ में इसको ड्रामेटाइज और कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने यह जो चक्की पीसने की बात की, इसको गंभीरता से आप देखो। यह एक तरह से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने का कानून आप लेकर आ रहे हो।

इसके साथ-साथ सैक्शन 8 में जो पनिशमेंट फार अबेटमेंट, इसकी भी व्याख्या कितनी ही आप निकाल लो। मैं समझता हूं कि यह जो कानून है, इसके पीछे जो मूल भावना थी, आनर किलिंग के नाम से जिस प्रकार समाज के अंदर कुछ विकृतियां आई हैं वहां तक यह कानून रहता तो बहुत अच्छा था। लेकिन इस कानून के जरिए स्पेशल मैरिट एक्ट की धारा 3 के अंदर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारे कस्टम को प्रोटेक्ट किया गया है, हमारी सामाजिक मान्यताओं को प्रोटेक्ट किया गया है, उसके साथ सगौत्रीय विवाह को प्रोटेक्ट करने का काम जो यह कर रहे हैं, यह एक पूरी संस्कृति पर हमला करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यह कानून अगर पास हो गया तो जो थोड़ी-बहुत आशंकाएं रहती हैं, जवान बेटा शादी करके चला गया, वापस लौटकर आ जाए, उसको भी आपने नॉन कंपाउंडेबल बना दिया। उसको भी बंद करने का काम किया है। मंत्री महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है क्योंकि अब सीनियर सिटीजन की दौड़ के अंदर हम ही सबसे पहले भुगतेंगे। आप एक काम कर दो। पहली बार कर दो। आप एक बार इसको सलेक्ट कमेटी में ले जाओ। फिर आपके साथ बैठकर हम विचार कर लेंगे। आप कभी-कभी अपने पड़ौस के अच्छे लोगों की राय भी ले लिया करो ताकि आप वास्तव में सही रास्ते पर चलें। यह भटके हुए कानून से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, आज राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, सरकार प्रदेश में किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंधों को संवैधानिक मान्यता देना चाहती है जिसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक लाया जा रहा है। मेरा विचार है कि ऐसी स्वतंत्रता के विरोध में यहां कोई भी नहीं होगा लेकिन किसी भी माता-पिता का घर कोई धर्मशाला नहीं है। यहां पर अच्छी परवरिश के बाद बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उसके उपरांत मनमर्जी से उचित अथवा अनुचित रूप से घर से भागकर, अनैतिक वैवाहिक संबंध बनाकर, माता-पिता की इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। उनकी वर्षों के मेहनत, बच्चों की परवरिश करने की बेकार हो जाती है।

सभापति महोदय, एक मां बच्चे-बच्ची को कैसे बड़ा करती है? कैसे 9 महीने पेट में रखती है? वह बच्चा बड़ा होने के बाद किसके साथ जाता है? उसकी 15 से 25 साल की एज ऐसी होती है, उसमें बहुत से ऐसे नशीले पदार्थ

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

भी हो गए हैं, कि बच्चे-बच्ची उधर की तरफ आकर्षित होकर इस तरह के विवाह कर लेते हैं। एक बार उनको समझने का मौका भी मिलना चाहिए। समझने के बाद, माता-पिता का हस्तक्षेप उनके ऊपर बिलकुल ही खतम हो जाए, ऐसा कोई माता-पिता नहीं चाहता है।

सभापति महोदय, भारत में ऐसी परम्पराएं रही हैं और हम जो परम्पराए अपना रहे हैं वह विदेशी परम्पराएं अपना रहे हैं। इस कानून को एक बार समझने की जरूरत है। इसको देखने की जरूरत है कि बच्चा-बच्ची के बड़े होने के बाद माता-पिता का कोई हक नहीं रहता है। यह तो हम भी कानूनी तौर पर मानते हैं लेकिन इस तरह का कड़ा कानून लाना वास्तव में बड़ा ही खतरनाक है। इस पर सरकार और माननीय मंत्री महोदय को एक बार सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, बालिग हुई युवती का विवाह चाहे किसी भी रीति, नीति से पूर्ण हो, लेकिन उनके विवाह को तभी मान्यता प्रदान की जाए जब उन दोनों में से किसी एक पक्ष के अथवा दोनों पक्षों के माता-पिता की उपस्थिति वहां अनिवार्य की जाए ताकि विवाह के पश्चात् किसी युवती अथवा युवक के साथ छल, कपट अथवा धोखे की संभावना को टाला जा सके। इस कानून को लाने से पहले जनमत के लिए परिचालित करने की जरूरत है। इस कानून को सोच-समझकर पास करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि इस विधेयक को पास करने से पहले 6 माह तक के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें। इस कानून को पास करने से पहले एक बार सोचें, समझें। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और विशेषकर आदरणीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने धाराओं के माध्यम से इस पूरे एक्ट को, इस पूरे बिल को अध्ययन करने के बाद में यहां पर प्रस्तुत किया।

(श्री अभिनेश महर्षि)

सभापति महोदय, मैं उन सभी बातों पर अपनी सहमति रखते हुए 2-3 बातों के ऊपर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इस बिल में तो कुछ है ही नहीं, फिर इस सदन का इतना समय जाया करने की क्या आवश्यकता थी? इसके अंदर वही बाते हैं, वही 2 आदमियों का जिक्र इसके अंदर किया गया है, जिसके बारे में पहले वाले बिल के अंदर किया गया था। वही कानून है। उसके अंदर सारी की सारी बातें वही हैं। यदि कोई विशेष बात है तो मां-बाप को एक तरह से प्रताड़ित करना वाला यह कानून है, जो आप पास करना वाले हैं।

सभापति महोदय, मां-बाप के घर में बच्चा वापस आ जाए, जिंदगी भर के लिए वह रास्ता बंद करने वाला कानून आप लेकर आए हैं। कठोर से कठोर इसमें 2 आदमियों की बात भी कर दी। धारा 2 की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, सगा-संबंधी लड़के और लड़की को यदि समझाने की कोशिश करेगा तो वह भी अपराधी हो जाएगा। आप यह एक ऐसा काला कानून लेकर आ रहे हैं जिसके तहत जो हमारे संबंध हैं, हमारी परम्पराएं हैं, हमारी संस्कृति है, वह तार-तार हो जाएंगे।

सभापति महोदय, क्या मां-बाप को यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने बच्चे और बच्ची को समझा सकें। क्या उस उम्र के अंदर बच्चे या बच्ची ने कोई निर्णय ले लिया तो सही ही ले लिया? क्या लड़की कभी भटक नहीं सकती? क्या लड़का कभी भटक नहीं सकता? मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वह कानून बनाने वाले लोग हैं, वह चाहे किसी भी मजबूरी के तहत यह कानून बना रहे होंगे, वह चाहे इसके अंदर हां करेंगे, अभी सब जोर-जोर से हां करेंगे, लेकिन अगर उनकी आत्मा के ऊपर हाथ रखकर पूछा जाए कि क्या यह जो कानून आप पास कर रहे हो, उसको मन से पास कर रहो हो, तो वह न करेंगे। बुजुर्ग माननीय सदस्य भी यहां बैठे हुए हैं। यदि उनको अपने लड़के और लड़की के बारे में इस तरह का फैसला लेने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से वह भी न करेंगे लेकिन पता नहीं क्या राजनीतिक मजबूरी है?

(16.00 बजे)

क्या किसी मां-बाप को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी बच्ची को समझा सके? क्या कोई मां जिसने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है, जिसको लाड़-प्यार से पाला है उस मां से आप यह अधिकार

(श्री अभिनेश महर्षि)

छीनना चाहते हैं? उस बाप से यह अधिकार छीनना चाहते हैं? वह अपने बेटे को और अपनी बेटी को समझा नहीं सके। दो आदमी यदि समझाने के लिए थाने में चले गए, यदि उस बेटी ने कोई गलती कर ली और वह घर वापस लौटना चाहती है तो उस बेटी का यह अधिकार भी हम छीनना चाहते हैं? एक कानून को कानून बनाने के नाम पर आप इस सदन का समय जाया करके एक के ऊपर एक ऐसा कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सामाजिक परम्पराओं को तार-तार करने वाला है। आप किसको संरक्षण देना चाहते हैं? मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस तरह के कानून को आप जनमत के लिए परिचालित करें, जनता की भावनाओं को देखें, यह राजस्थान सिर्फ आप लोग सरकार में हो, कहो कि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमने यह अभी-अभी काला कानून पास किया है, एक काला कानून और पास कर देंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो धाराएं इसके अंदर लगाई गई हैं, माननीय सभापति महोदय, वह सारी की सारी धाराएं आईपीसी, सीआरपीसी के अंदर हैं। हमने पहले भी कहा है कि उन धाराओं के तहत माननीय मंत्री महोदय ने बहुत जोरदार शब्दों में कह दिया और हमारे नेता प्रतिपक्ष जब बोले कि किसी ने मुक्का मार दिया, उन्होंने कहा कि मुक्का कैसे मार दिया तो मुक्का मारने के लिए माननीय मंत्री महोदय, आपकी सीआरपीसी, आईपीसी के अंदर वह धाराएं हैं, जिन धाराओं के तहत मुक्का मारने के लिए जो सज़ा है उस सज़ा का प्रावधान है। लेकिन वह मुक्का मारने की सज़ा का प्रावधान उस कानून में इस तरह का कर दिया कि वह मुक्का मारने की सज़ा नहीं देकर एक ऐसी कड़ी सज़ा का आज आपने प्रावधान कर लिया, पता नहीं आप क्या चाहते हैं?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको पुनः पढ़ें और मुझे ऐसा लगता है कि किसी बिना परिवार वाले व्यक्ति ने इस कानून की ड्राफ्टिंग की है, जिसके पास परिवार नहीं है, जो सामाजिक परिवेश में नहीं रहता है, जो व्यक्ति समाज के अंदर रहता है वह अपने बेटा-बेटी सबको समझाएगा। इस कानून में तो माननीय मंत्रीजी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है जो कहने के लिए हो। मुझे तो पता नहीं, मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि राजेन्द्र राठौड़ साहब इस कानून के ऊपर इतना कैसे बोल गए। लेकिन यह पढ़ते हैं और पढ़ने की आदत है और जहां तक एलएलबी पास करने की बात है, एलएलबी पास करने के बाद भी बहुत सारे लोग कानून के ज्ञाता नहीं होते हैं और वह

(श्री अभिनेश महर्षि)

कानून जब उनके जीवन में किसी तरह की कोई घटना घटती है तो वह उस कानून के बारे में और ज्यादा समझ लेते हैं। यही राजेन्द्र राठौड़ साहब के साथ में हुआ था और आज सामने बैठे हुए कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में इस राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध...

श्री सभापति: इनके ज्ञान में और वृद्धि करवाएं क्या?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनके ज्ञान में वृद्धि कराने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की थी, भगवान ने उनकी वैसी ही कर दी। इसलिए जो-जो, जैसा-जैसा कर्म करेगा, फल देगा भगवान, यह तो बरी होकर लौटकर आए, जिन लोगों ने इनको एक साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की थी उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। माननीय सभापति महोदय, आपको भी पता है वह लोग कौन थे, पर मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता हूं।

श्री सभापति: आप तो इनके सहारे ही बोलो।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं पुरजोर शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि यह विधेयक हमारे राजस्थान की संस्कृति को तार-तार करने वाला विधेयक है, यह परिवार के विघटन को बढ़ावा देने वाला विधेयक है, यह हमारी परम्पराओं को तोड़ने वाला विधेयक है। इस विधेयक पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पुनर्विचार करो। अफसरों ने जो लिखकर दे दिया, उसी विधेयक को वैसा का वैसा ही कर दो, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 70-72 सालों के प्रजातांत्रिक इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि एक तरफ तो केन्द्र की सरकार देश की लोक सभा में 70-72 सालों से हम जिस कानून को

(श्री बिहारीलाल)

ढो रहे थे, धारा 370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर आई है, दूसरी तरफ राजस्थान की विधान सभा के इस सदन में राजस्थान की सरकार मॉब लिंचिंग और आनर किलिंग जैसे काले कानून लेकर पास करवाने आई है, इसलिए दोनों मायनों में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रजातांत्रिक इतिहास में। यह जो बिल आप लेकर आए हैं इस बिल में अगर इस आनर किलिंग को पहले बिल में भी शामिल कर लेते तो इतनी कवायद नहीं रहती। वही विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा इसमें भी उल्लिखित नहीं है। जिस बात का उल्लेख उप नेता प्रतिपक्ष ने किया कि इस बिल के माध्यम से सरकार सगौत्र विवाह को मान्यता देने जा रही है। उस पर सेंट्रल एक्ट की बातें कीं, हिन्दू मैरिज एक्ट के प्रावधानों की चर्चा की। उसके हिसाब से यह अमान्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं लॉ की बात के साथ में विज्ञान को जोड़ना चाहता हूं। जेनेटिक्स एक विज्ञान की ब्रांच है और जेनेटिक्स में भी स्यूज जेनेटिक्स, एक ब्रांच है, एडवांस ब्रांच है जिसमें वैज्ञानिक यह कहते हैं कि दो लोगों में विवाह बहुत दूर में करना चाहिए, सगौत्र विवाह निश्चित रूप से विज्ञान की दृष्टि से भी प्रतिषेधित है क्योंकि आने वाली संतति सगौत्र विवाह से बहुत विकृत और उस तरह की होती है और बेहतर जीनोटाइप संतति के लिए स्यूजेनिक्स जेनेटिक्स की एक ब्रांच स्पष्ट कहती है कि सगौत्रीय विवाह बहुत नुकसानदायक है।

इस बिल में आपने लिखा है कि 'आशयित विवाह', यह क्या टर्म है माननीय मंत्रीजी? क्या पंजीयन हो गया है, और विवाह होना शेष है और मन में सोच रखा है कि इससे विवाह करूंगा या करूंगी। केवल पंजीयन को ही माना जाना प्रस्तावित किया जाना चाहिए इस बिल में आपको। विधेयक किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने की अनुमति देता है। इससे कानून का दुरुपयोग होगा इस बात पर भी आपको चिंतन करना चाहिए। दंड आनुपातिक नहीं है, भारतीय दंड संहिता में दिए गए दंड प्रावधानों से अधिक नहीं होने चाहिए और पूरे समूह को दंडित करना, गैर कानूनी असेम्बली की जिसकी आपने बात की है, खाप पंचायत बैठती है, इस पर चर्चा करती है और चर्चा में बैठे हुए सभी लोगों को इसमें दंडित करना, उसमें ऐसे लोग भी होते होंगे जो इस बात के खिलाफ होते होंगे, इस हत्या जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ बात करने वाले भी होते होंगे, कोई समझाने-बुझाने वाले भी होते होंगे, उन लोगों को भी इसमें शामिल करके दंडित करने का प्रावधान किया है, जो

(श्री बिहारीलाल)

लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध का समर्थन नहीं करते, इस बात की भी आपको चिंता करनी चाहिए।

भारतीय परिवार के शताब्दियों से चले आ रहे विधान को तोड़ने और लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला यह बिल आप लेकर आए हैं। सामाजिक ताने-बाने को विखंडित करना वाला यह बिल लेकर आए हैं। जो माता-पिता बच्चों का लालन-पालन करते हैं, बड़ी मेहनत से उस भविष्य की अपनी निधि को संवारते हैं, सजाते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके भविष्य के बारे में निर्णय करने का अधिकार भी उनसे हम छीन लें तो यह कितनी बड़ी विडम्बना होगी?

माननीय मंत्रीजी, आप यह बिल लेकर आए हैं, इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लड़के-लड़कियों से सवर्ण जातियों के लड़के-लड़कियों द्वारा किए गए विवाह में कोई प्रोत्साहन देने का अभिप्राय रखते हैं? क्या विवाह उपरांत उस लड़के या लड़की को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा देकर आरक्षण देने की भी कोई योजना है?

माननीय मंत्रीजी, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर यह बिल लाया गया लगता है। अन्तरजातीय और अन्तरधार्मिक विवाह के लिए पहले से ही कानून बहुत उपलब्ध हैं, उन्हीं की अनुपालना करवाने की हम कोशिश कर लें तो इस तरह के बिल की जरूरत नहीं है। अब आप लेकर आए हैं तो हम सबका आग्रह है कि 5 फरवरी, 2014 को केन्द्र के कानून एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा एक निर्देश दिया गया है, एक सर्कुलर निकला है उसकी पालना तो हमें करनी चाहिए कि कोई भी बिल इस तरह का हम लेकर आएं तो उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन से उस पर विचार आएं, उन चीजों को भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उन पर सुझाव आएं, फिर यह बिल विधान सभा में आए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारा आग्रह है कि सरकार इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करे या प्रवर समिति को भेजकर इस बिल पर निर्णय करे, जल्दबाजी न करें। यह बहुत महत्वपूर्ण, सामाजिक संरचना को तोड़ने वाला बिल है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं देख रहा हूं कि हम कोई भी रायमशविरा देंगे तो माननीय मंत्रीजी को उस बात को हवा में उड़ाना ही है लेकिन फिर भी अपनी बात इस सदन में जरूर रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार इस विधान सभा में चुनकर आने के बाद इस पूरे सत्र में जिस तरह से बिलों की बाढ़ आई है, इस बाढ़ में यह बिल इसी प्रकार लाए जा रहे हैं कट-पेस्ट करके जैसे कभी अपन देखते हैं कि जयपुर शहर में या कई और जगह, जब पीने का पानी गंदा आता है तो पड़ताल होती है तो उसमें निकलता है कि सीवरेज और पानी की लाइन एक ही जगह कट-पेस्ट करके डाल दी गयी है। वह लाइन तो डल जाती है, पर जैसे ही पानी का बूस्टर चलता है तो उसमें सीवरेज का गन्दा पानी आता है। ये बिल ठीक उसी प्रकार से समाज में गन्दगी फैलाने वाले हैं। इन बिलों के माध्यम से मैं यह कह सकता हूं कि चाहे आप आनर किलिंग या मॉब लिंचिंग के बिल लाए हों और चाहे आपने इस बिल का नाम तो यह दिया हो- वैवाहिक सम्बन्धों का बिल, इन बिलों में आपने केवल आईपीसी की धाराओं को तोड़ने-मरोड़ने के प्रयासों के अलावा कुछ नहीं किया।

यदि आप वैवाहिक बिल ही ला रहे थे, उसके लिए तो हमारे यहां पर 1955 में ही हिन्दू विवाह अधिनियम अलग बना हुआ है और मुस्लिम अलग बना हुआ है और उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हिन्दू विवाह अधिनियम इन पर लागू है और मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन पर यह लागू नहीं है, तो यह हिन्दुओं पर लागू है या मुस्लिमों पर लागू है, इस विवाह अधिनियम में यह तो साफ करते आप।

आपने एक जनरल परिभाषा दे दी और यदि इतनी ही ईमानदारी से परिभाषित किया है तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपके माध्यम से मंत्री जी और कांग्रेस के माननीय नेताओं से पूछूंगा कि इस बिल में एक शब्द जो 'सगौत्र' लिखा हुआ है, कौन-सा ऐसा नेता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दे जो कहता हो कि वह अपने बच्चे की शादी सगौत्र में करेगा। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दे। खुद माननीय मंत्री जी यह बिल पास करवाने से पहले हाथ खड़ा कर दें कि मैं मेरे पोते-पोतियों की शादी सगौत्र करूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई निगाह में हो तो बताइएगा आप। कोई अच्छा मामला निगाह में हो तो बताइगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जरूर बताऊंगा मंत्री जी। मुझे पता नहीं था कि आप हिन्दू मान्यताएं छोड़ चुके हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपकी बहन का बेटा-बेटी हो सकता है, आपकी बुआ का बेटा-बेटी ही सकता है, आपके काकाजी का बेटा-बेटी भी हो सकता है, करें न।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सगौत्र और बेटा-बेटी में अंतर है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी समाज का व्यक्ति यह नहीं चाहता कि आनर किलिंग हो, वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर किसी को मृत्यु दंड दिया जाए, वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर किसी समाज विशेष की मीटिंग होकर किसी को दंड या कठोर कारावास दिया जाए। हम कौन-सी सदी की बात कर रहे हैं? हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज हमारी बेटियां केवल हवाई जहाज ही नहीं उड़ा रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। हम उस भारत के नागरिक हैं। हम अब उस भारत की बात कर रहे हैं जो कभी 18वीं सदी की बात करता था और आप यह बिल 21वीं सदी में लाने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, हम आज सौ साल आगे चले गये, लेकिन आज भी हम उन्हीं रूढ़िवादी विचारधाराओं पर बात कर रहे हैं। यह बिल आप युवाओं के लिए लेकर आ रहे हैं। आप उन युवाओं से राय तो कर लेते। आप यह जरूर कर सकते थे कि हमारी कैरियर काउंसलिंग के लिए आप कुछ जन-जागरण का अभियान लेकर आते। निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य होता, लेकिन आप जो मॉब लिंचिंग का बिल ला रहे हैं, उसमें भी वही धाराएं और आनर किलिंग में भी वही धाराएं। आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि आप यह धारा मां-बाप पर लगा रहे हैं? मां-बाप समझा नहीं सकते।

आपने लिख दिया कि अड़चन डालना सम्भाव्य है यानी सम्भावना है तो भी वह मुजरिम है। आपने लिख दिया, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, तब भी वह मुजरिम है। आपने लिख दिया, दो या दो से ज्यादा का इकट्ठा होना, यानी परिवार में कोई इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं तो भी मुजरिम हैं। मंत्री जी, हर बात का तर्क भी होता है और कुतर्क भी। हम यदि कुतर्क करें तो मंत्री जी तर्क देंगे और हम तर्क दे रहे हैं तो मंत्री जी कहेंगे कि नहीं, हम सही हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाए

(श्री अशोक लाहोटी)

सरकार का गृह विभाग अपनी नाकामी छिपाए, आईपीसी की धाराएं आप लागू नहीं कर पाए, राजस्थान में कानून व्यवस्था आप लागू न कर पाए, बजरी माफियाओं को आप रोक नहीं पाए, मुख्य मंत्री जी खुद सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि बजरी माफिया इतना पनप गया है कि राजनेता भी इसमें सम्मिलित हो गये हैं।

आज मैं अख़बार पढ़ रहा था, मुख्य मंत्री कह रहे हैं, कम्पल्सरी रिटायरमेंट कैसे दिया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं, केन्द्र सरकार ने 300 लोगों को दे दिया। आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। न तो राजस्थान में पूर्णकालिक मुख्य मंत्री नजर आ रहे, न पूर्णकालिक गृह मंत्री नजर आ रहे। राजस्थान की जनता पिस रही है। आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के नये-नये बिल ला रहे हैं और बिल के नाम पर केवल और केवल हमारी हिन्दू संस्कृति, हमारे रीति-रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी परम्पराएं, इन पर आप कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मंत्री जी भी सुन लें और कांग्रेस के अन्य नेता भी, ये जो-जो बिल आप ला रहे हैं, सदन में दस-पांच की संख्या ज्यादा होगी आपकी, हाथ खड़े कराकर आप हां कर लेंगे, लेकिन जब राजस्थान की जनता के बीच जाएंगे तो दस-पांच की संख्या में भी आना मुश्किल हो जाएगा। जनता जब देती है तो छप्पर फाड़कर देती है और जब वह आपके ये काले-कारनामे, आपका यह कानून देखेगी तो आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपका थानेदार काम नहीं कर पा रहा, आनर किलिंग ले आओ। आपका एसपी काम नहीं कर पा रहा, बलात्कार की घटनाएं रोक नहीं पा रहा, षड्यंत्र नहीं रोक पा रहा, लूटपाट नहीं रोक पा रहा, मॉब-लिंचिंग का कानून ले आओ। दो-दो लोगों को उसमें फंसा दो।

आप कर क्या रहे हैं? आप राजस्थान के सदन में चर्चा कर रहे हैं। आप चर्चा भी नहीं करवा रहे। आपने कहा कि आप हमें समय पर सुझाव देते। आपने सुझाव मांगे कब? आपने अभी सुझाव मांगे, हम दे रहे हैं। आप इनकारपोरेट करें। आप पांच बड़े नेता बैठकर प्रवर समिति में निर्णय करना वाले हैं, उसमें हम नये लोग नहीं बैठने वाले हैं। हम तो केवल चिंता जाहिर कर रहे हैं जो भी आज हम सदन में देख रहे हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, किस तरह का यह कानून जनता पर थोपा जा रहा है?

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, मैं एक लास्ट घटना आपको बताता हूं, तीन-चार दिन पहले की घटना है। सांगानेर थाने और प्रताप नगर थाने में दो मुकदमे दर्ज होते हैं। एक तरफ एक पंद्रह साल का बच्चा और एक पंद्रह साल की बच्ची। जब मुकदमे दर्ज हुए तो दोनों बच्चे भाग गये। बच्चे के पिता आए कि मुझे पुलिस बार-बार थाने में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है कि उस बच्ची और बच्चे को पकड़कर लाओ जहां पर भी हों। मैं कैसे पकड़ूं, बच्चा-बच्ची दोनों भाग गये। मैंने जब बात की तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि साहब यह तो इतना ही नहीं रुक रहा, समाज कहां जा रहा है आप देखें। इनके फेसबुक अकाउंट्स चैक करें तो इस लड़के का एक हरियाणा के लड़के से और झगड़ा हुआ कि इस लड़की के सम्बन्ध तो पहले मुझ से थे, तू कहां से बीच में पड़ गया। इस तरह का समाज कहां जा रहा है? हम उन्हें रोकने की बजाय, उनकी काउंसलिंग करने की बजाय कहां जा रहे हैं? मां-बाप क्या करें, मां-बाप को जेल में डाल दें? कोई भी नेता अगर हाथ खड़ा करके यह कह दे कि मेरी बच्ची या बच्चा भाग जाए, मेरा पड़ौसी भाग जाए, मेरे गांव का बच्चा भाग जाए, मेरे समाज का बच्चा भाग जाए, मेरे जानकार का बच्चा भाग जाए, मेरे मित्र विधायक के परिवार से यदि कोई भाग जाए तो क्या हम बैठकर आपस में बात भी नहीं करें? आपस में सलाह भी नहीं करें? उन्हें समझाने का प्रयास भी नहीं करें? समझाने के प्रयासों के रीति-रिवाज यदि हमें खतम करना हैं तो माफ कीजिएगा, सभापति महोदय, इस तरह के बिलों की सहमति हाथ खड़े करके सदन के कुछ लोग तो दे सकते हैं, पर राजस्थान की सात करोड़ जनता नहीं देगी। आप चाहे जो कर दें, लोगों को काले पानी की सज़ा भी दी तो भी देश के लोगों ने देश को आजाद करवाकर दम लिया तो इस तरह के कानून यदि आप ला भी सकते हैं तो कभी सरकार बदलने के बाद इन कानूनों को विथड्रा भी हम करेंगे, यह भी मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं एक अंतिम निवेदन कर रहा हूं सरकार के पक्ष के लोगों से कि अभी तक हमने केवल एक ही पक्ष देखा है कि जो बिल अधिकारियों ने पेश कर दिया, सरकार उसे अपने अस्तित्व का सवाल बना लेती है। अभी मंत्री जी ने कहा कि यदि हमने बिल वापस ले लिया और

(श्री अशोक लाहोटी)

जनमत के लिए भेज दिया तो जनता में यह मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पिट गयी। मंत्री महोदय, कांग्रेस नहीं पिट गयी, कांग्रेस की इज्जत बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि पहली बार कांग्रेस हिन्दू सनातन धर्म की संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रही है वर्ना आज एक तरफ सत्तर साल की इस देश की जो जकड़नें थीं, धारा 370 हटाकर भारत का स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ाया गया है। भारत एक निर्भीक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा है, सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ राजस्थान विधान सभा एक ऐसे काले अध्याय का दिन लिख रही है, काले इतिहास में इस दिन को दर्ज करवा रही है, जो मॉब लिंचिंग और आनर किलिंग के नाम पर भारत की कानून की व्याख्या को हम बदलने जा रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सत्र के इस आखिरी बिल में हो सकता है कि सरकार को कुछ सद्बुद्धि आ जाए और प्रवर समिति नहीं तो कम से कम इसमें अमेंडमेंट करने का खुद ही कुछ प्रावधान ले लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक सम्बन्धों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019, इसमें लिखा हुआ है, सगौत्र शादी करने में भी कोई आपत्ति करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। सगौत्र का अर्थ यह होता है कि सगौत्र में जो होते हैं, वे भाई-बहन कहलाते हैं। कहीं भी यदि हमारे गौत्र का व्यक्ति मिलता है तो वह हम से कहता है कि हम तो एक गौत्र के भाई हैं। कहीं भी यदि कोई गौत्र की महिला मिल जाती है तो वह कहती है तू तो मेरा बेटा है, क्योंकि तेरी मां हमारे गौत्र की ही है। ऐसे सम्बन्ध हैं हमारे। यानी एक गौत्र में पैदा होना भाई-बहन का रिश्ता कहलाता है। यह सरकार भाई-बहनों की आपस में शादी कराने पर तुली हुई है। हमारे भारत की संस्कृति और हिन्दू संस्कृति यह अलाउ नहीं करती है। हमारे धर्मग्रन्थों में चाहे गीताजी हो, चाहे रामायणजी हो, चाहे वेद-पुराण हो, सबमें वर्जित किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कांग्रेस रामायणजी का अपमान करना चाहती है, गीताजी का अपमान करना चाहती है, हमारे वेद-पुराणों का अपमान करना चाहती है। यानी इस देश की संस्कृति में इनको विश्वास नहीं है, इस देश की

(श्री मदन दिलावर)

संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहती है, इस देश के ताने-बाने को तोड़ना चाहती है और यह बढ़ावा दे रही है कि सगौत्र शादी करो। सगौत्र शादी करना विज्ञान ने भी निषेध कर दिया है। विज्ञान ने कहा है कि जो सगौत्र शादी होती है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वे मन्द बुद्धि के हो सकते हैं, कम बुद्धि के हो सकते हैं, शरीर में कोई न कोई विकृति आ सकती है और इस प्रकार के अध्ययन हो चुके हैं और अध्ययन के आधार पर उन्होंने भी कहा है कि हिन्दुओं की जो परम्पराएं थीं सगौत्र में शादी नहीं करने की, वह उचित थी और वह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक ठहराई गई है तो फिर क्या विज्ञान को भी झुठलाएंगे? विज्ञान के खिलाफ भी काम करेंगे? मैं समझता हूं कि यह पहली बार देख रहा हूं कि ये धर्म को नहीं मानते, ये भाई-बहन को नहीं मानते, ये विज्ञान को नहीं मानते, ये संस्कृति को नहीं मानते तो फिर ये कहां के जीव हैं, कहां के प्राणी हैं? माननीय सभापति महोदय, ये प्राणी कहां से आए हैं यह सोचना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य श्री अविनाश जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसमें किसी को एतराज नहीं है, कानून इसमें परमिशन देता है। हिन्दू-मुस्लिमों की शादी वैध नहीं है, कानून कह रहा है कि यदि हिन्दू-मुस्लिम आपस में शादी करेंगे तो हिन्दू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और यदि उनको करना है तो पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद वे शादी कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन करने का भी विधान है और उस विधान के आधार पर ही वह धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन, आज उसकी भी पालना नहीं हो रही। यह विधेयक यह कह रहा है कि वह इस कानून की, जो मैरिज एक्ट बना हुआ है, इसकी अवहेलना करते हुए भी शादी करते हैं तब भी यदि कोई आब्जैक्शन करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम हमारे भारतीय कानून को मानने को भी तैयार नहीं हैं। यह मैरिज एक्ट, 1955 है यह इस बात की ताकीद करता है कि हिन्दू-मुस्लिम में शादी नहीं हो सकती और शादी होगी तो इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। पर यहां तो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, ऐसे ही कर लो आप तो, सब खुला है, धर्मशाला है यह तो, यहां तो कुछ भी कर लो। हिन्दू-मुस्लिम की शादी भी वैध मानी जाती है माननीय सभापति महोदय। सैक्युलर लॉ, 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बना

(श्री मदन दिलावर)

था। उसमें है कि यदि उसको शादी करना है तो मैरिज आफिसर के पास जाना पड़ेगा, मैरिज आफिसर नोटिस देगा, 30 दिन का चस्पा करेगा और जिनकी शादी होने वाली है उनके मां-बाप को नोटिस देगा, मां-बाप को आपत्ति है तो वे मैरिज आफिसर के सामने प्रस्तुत होंगे और प्रस्तुत होकर अपनी आपत्ति दे सकते हैं। यदि मैरिज आफिसर के द्वारा आपत्ति मान ली जाती है तो शादी नहीं हो सकती। यहां तो हम वह अवसर भी नहीं देना चाहते। यानी यह भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कानून है, यह धज्जियां उड़ाने वाला विधेयक ये लाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे मन्शा क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे मन्शा क्या है।

श्री सभापति: आपके समझ में आएगी भी नहीं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मुझे कोई षड्यंत्र दिखायी देता है। ये लव-जिहाद को बढ़ावा देने का विधेयक है। मेरे पास 400 लोगों की सूची है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, बिल पास हो रहा है कि इधर क्या हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, वे काम लें, मैं रुक जाऊं। मैं रुक जाऊं, वे अपना काम कर लें?

श्री सभापति: बोलिए, आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह लव-जिहाद को बढ़ावा देने का अवसर दे रहे हैं।

श्री सभापति: बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरे पास 400 शादियों की सूची है, 400 शादियां जो लव-जिहाद करके की गई हैं उनकी सूची है। उन 400 में से 298 में तो हिन्दू-मुस्लिम की शादी हुई है। उस सूची में क्या हुआ कि मुस्लिम ने हिन्दू से शादी की तो उनको मुस्लिम बनना पड़ा।

श्री सभापति: आप सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाते हैं क्या? माननीय सदस्य, आप सामूहिक विवाह सम्पन्न करवाते हैं क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां। उनमें से एक भी मुसलमान

(श्री मदन दिलावर)

हिन्दू नहीं बना, सब हिन्दुओं को मुसलमान बनना पड़ा। यदि ऐसा प्यार था, प्यार ज्यादा ही झलक रहा था, एक-दूसरे पर बहुत ही मर रहे थे तो हिन्दू क्यों नहीं बन जाते फिर? उसका फिफ्टी परसेंट तो बनते। इसका मतलब यह षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र है हिन्दुओं की संख्या कम करने का। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं स्वामी विवेकानन्द की एक बात को उद्धृत करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि यदि एक भी हिन्दू से गैर हिन्दू बनता है तो देश का एक दुश्मन पैदा होता है। एक भी हिन्दू गैर हिन्दू बनता है तो देश का एक दुश्मन पैदा होता है इसलिए षड्यंत्र है। एक हिन्दू लड़की से शादी करके संख्या बढ़ाओ। एक लड़की 500 तक की संतति पैदा करती है। लड़की की लड़की करो तो 500 तक की होती है। यानी एक हिन्दू से मुस्लिम लड़की बनने का मतलब यह हो गया कि देश के 500 दुश्मन पैदा करेगी। आज तक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि कोई भी हिन्दू लड़की ने मुस्लिम से शादी की और उसकी जो संतति हुई वह देशभक्त हुई हो। ऐसा एक भी उदाहरण इस देश में नहीं है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, दिलावर जी कन्फ्यूज कर रहे हैं। हिन्दू-मुस्लिम कह-कहकर कन्फ्यूज कर रहे हैं। कटारिया जी का इंटरवेंशन कराओ साहब। कन्फ्यूज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यही है षड्यंत्र। इसलिए लव-जिहाद करो।

श्री सभापति: आप विराजिये। समाप्त करें। एक ही कैसेट यही है या और भी कोई है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 400 ऐसे केस हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें आप। अनलिमिटेड टाइम थोड़े ही है। माननीय सदस्य दो-दो, पांच-पांच मिनट बोल रहे हैं और आप बोले ही जा रहे हैं। आप समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पांच मिनट और बोलूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट। जहां तक आपने सगौत्र की बात कही है, यह गलती से उद्देश्यों और कारणों में छप गया। सैक्शन 3 में पढ़ लें आप, जिसमें साफ लिखा है कि.....

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमने तो यह पढ़ा है.... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक मिनट सुन लो, आपकी बात की ही सफाई दे रहा हूं। 'कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई भी समूह ऐसे किसी विवाह पर, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है,' यानी हिन्दू लॉ में अगर प्रतिबंधित नातेदारी है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है तो वह इस पर लागू नहीं होगा। सगौत्र वाली बात गलती से उद्देश्यों में छपा है, एक्ट में नहीं छपा वह। एक्ट में कहीं पर भी आपको सगौत्र नहीं मिलेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमने तो वही पढ़ा है, आपके +++ पर नहीं लिखा था कि आपके भाव क्या हैं। क्यों भूल करते हो ऐसी? क्यों लाते हो ऐसा विधेयक? पहले क्यों नहीं पढ़ते हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, संयमित बोलें आप। संयमित बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धीरे बोलूं, कम बोलूं, लिमिट में बोलूं?

श्री सभापति: संयमित बोलिए। जो चाहे सो नहीं। अब समाप्त करें, बहुत हो गया। समाप्त करें। श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री सुमित गोदारा। (व्यवधान) विराजिये आप। विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री सुमित गोदारा। विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) विराजिये। प्लीज, सहयोग करिये आप। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिये, विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं। आसन पैरों पर। विराजिये। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। आसन का निर्देश मानें। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये। प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिए, विराजिए। प्लीज सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: मेरा भी आपसे यही आग्रह है, बहुत अनुरोध है आपसे, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको एहसास नहीं इस बात का, सारा सदन आपका बहुत सम्मान करता है। 1990 में हम आपके साथ थे, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिए अब आप, प्लीज सहयोग करिए। श्री सुमित गोदारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक मिनट, सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बहुत बड़ी बात कह दी। राजस्थान विधान सभा में आप भी कई वर्षो से हैं और...

श्री सभापति: मैं माननीय उपनेता महोदय, एक निवेदन करूं आपसे, अभी पारण की स्टेज आएगी, नहीं-नहीं आप मेरी बात सुनिए, आपके पास विकल्प है, आपके पास विकल्प है। पारण की स्टेज पर आप अपनी सारी बात कहिए न, कौन मना कर रहा है, समाप्त तो होने दें। पारण की स्टेज पर आपको बोलने का अधिकार है, आप पारण की स्टेज पर अपनी बात कह देना। श्री सुमित गोदारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए पहले कह रहा हूं कि मंत्री महोदय पारण की स्टेज से पहले-पहले इसके लिए सरकार से संशोधन लेकर आ जाएं, ये संशोधन से काम नहीं चलेगा, उद्देश्य एवं कारणों का कथन, जिसके कारण से एक्ट लेकर आए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, उसमें आपने बीच में गलत सगौत्र डाला है, जो मैंने पहले पाइंट आउट किया है, जिसको आपने स्वीकार किया है, पूरा एक्ट आपको वापस लेना पड़ेगा, नो-नो ये नहीं चलेगा।

श्री सभापति: वे करेंगे, बिलकुल करेंगे। माननीय उप नेता, बिलकुल करेंगे, आप विराजिए। आप विराजिए, अभी आपके पास आप्शन है। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसका आभार व्यक्त करते हुए आजादी के 75 साल की ओर हम अग्रसर हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, फिर भी हमारा देश आज भी जात-पांत के नाम पर बंटा हुआ है। अभी आज देखो सरकार को विधेयक लाना पड़ रहा है, 75 साल हो रहे हैं लोकतंत्र को मजबूत होते हुए, 18 साल का नागरिक वोट दे सकता है, स्वतंत्र है पर शादी की जब बात आती है तो हम देखते हैं किस तरह हमारे समाज में उस युवा को किस तरह से झेलना पड़ता है। आप यह देखिए कि जब भी कोई इस तरह के युवक युवती शादी करते हैं, अख़बार देखिए कोई ऐसा दिन नहीं होगा, जिस दिन अख़बार भरे हुए नहीं आ रहे, कितने young, educated people are committing suicide, and everyday newspapers are full with this. यह हमारे लिए सोचने का विषय है कि जब कह रहे हैं कि भारत एक प्रगतिशील देश है, विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सामाजिक रूप से हम सब पर यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे देश का युवा नागरिक जो है, वह अपनी इच्छा से शादी कर सके और न सिर्फ शादी कर सके, बल्कि प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी है, सरकार की भी यह जिम्मेदारी रहे कि जब हम कांस्टीट्यूएशन में उसको फ्रीडम देते हैं तो सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मदद करें। ऐसा क्या कारण है कि हम देख रहे हैं आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं कोई ऐसा दिन जब इस तरह के प्रसंग नहीं आते और बड़ा दु:ख होता है कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। मदद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 70 साल में ऐसा बंटा हुआ समाज, ऐसा बंटा हुआ प्रशासन जो शहर में तो कोई एफ्यूलेट लोग करते हैं तो उसमें प्रशासन मदद करता है। पर गरीब युवक और युवती उसके दिल पर क्या बीतती है, ये हम कई प्रसंग देखते हैं

(श्री सुमित गोदारा)

तो मन में बड़ी ठेस पहुंचती है। चाहे कितने ही विधायक बने हों, कितने ही हमारे पास आए हों, पर आज भी हमारे समाज में इस तरह की मानसिकता भरी हुई है, जिसको दूर करने के लिए चाहे सरकार ने प्रयास किए पर उस प्रयास को हम जब सफल मानते, जब आप इसका सबसे प्रमुख बिन्दु, वहां की पुलिस जो इस चीज पर कार्य करती है पुलिस तंत्र को एक इंसानियत, ह्यूमिनिटी टच देते। आप जब भी देखो ऐसे प्रसंग होते हैं तो पुलिस के अधिकारियों की क्या शैली होती है और किस तरह वे कार्य करते हैं।

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस तरह एक्ट लेकर आ रहे हो, पर आप यह भी देखो, हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पर बच्चे जिनके वीडियोज आते हैं, थानागाजी का ऐसा किस्सा था, इसी वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ। ऐसे अनेक प्रसंग हैं और ये सबसे ज्वलंत इश्यू, बर्निग इश्यू, समाज में आप देखो, कितने किस्से हो रहे हैं, इस समय सरकार की तरफ से आज तक इसमें कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। यह हम सबकी, सदन के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। आने वाला यूथ जो देश का भविष्य है सरकार उनके प्रति सजग रहे, सरकार व हमारा प्रयास रहे कि कैसे जो व्यक्ति स्वतंत्र है, उनको हम जहां भी हो सके कानून के दायरे में जो भी मदद कर सकें।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यहां विधेयक लेकर आए हैं समाज और परम्परा के नाम पर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इसमें कहीं न कहीं काउंसलर इन एरिया, जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर ग्रामीण अंचल में बड़ी समस्याएं आती हैं। आप वैवाहिक संबंधों के ऊपर जो लेकर आए हो, तो उसमें प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर काउंसलर बैठाया जाए, कहीं न कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारी जो न सिर्फ पुलिस की, इस तरह से आने वाले समय में बच्चों के ऊपर कोई इस तरह का कोई प्रेशर ना आए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए और इसमें जो कमियां रहीं हैं उन कमियों को सुधार कर आने वाले भारत के, आने वाले युवाओं के लिए हम ऐसा कानून, और हम ऐसे प्रहरी के रूप में रहें कि जिस तरह स्वतंत्र भारत के अपने आपको एहसास कर सकें कि वे अपने निर्णय लेने में अपने विवेक से काम करने में स्वतंत्र है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आज के दिन ये दूसरा बिल जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है "THE RAJASTHAN PROHIBITION OF INTERFERENCE WITH THE FREEDOM OF MATRIMONIAL ALLIANCES IN THE NAME OF HONOUR AND TRADITION BILL, 2019" राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज इससे पहले भी एक बिल इसी सदन द्वारा पारित किया और ये दूसरा विधेयक जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, हमको पता है कि संख्या बल के आधार पर बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को भी पारित करवा लिया जाएगा और राजस्थान के इतिहास में एक और काला अध्याय लिखा जाएगा, जिसमें एक दिन में दो ऐसे कानून पेश कर दिए गए जो हमारे राजस्थान की सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए ये दो विधेयक लाए गए थे। 000

श्री सभापति: जो विषय से संबंधित नहीं, अंकित नहीं होंगे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वाजिब बात है...,

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। माननीय सदस्य विराजिए आप। माननीय सदस्य विषय पर बोलेंगे आप। जो विषय से सम्बद्ध नहीं होगा, अंकित नहीं करूंगा। विराजिए, विराजिए, विषयांतर नहीं होंगे। सिर्फ विषय पर बात करिए। आप अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव की सभा हो वहां पर भाषण देना। यहां बिलकुल अंकित नहीं होगा, सिर्फ विषय पर बात करिए।

श्री अविनाश (जैतारण): सर, थोड़ा सा न्याय करें, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आसन आपसे अपेक्षा रखता है, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिए आप। विराजिए विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, कोई अंकित नहीं होगा, माननीय मदन दिलावर साहब का कोई भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय मदन दिलावर साहब, बहुत वरिष्ठ हैं। आसन, मैं स्वयं और पूरा सदन आपका बहुत सम्मान करता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हर विषय पर आप इस तरह जिद करके आसन का निर्देश मानें आपके और सबके लिए अच्छा है ये, प्लीज सहयोग करें। बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बातें कही हैं, मैं इसी संदर्भ में वापस लौट रहा था, पर चूंकि जब मेरे अलावा कोई अन्य सदस्य अगर इसी परिप्रेक्ष्य में कोई बात करता तो उनको अलाउ कर दिया जाता, लेकिन मैं जूनियर सदस्य हूं इसलिए मुझे हो सकता है कि आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए रोका, फिर भी मैं वापस उसी तरफ लौटता हूं।

श्री सभापति: अनुभव के हिसाब से आपको सलाह दे रहा हूं कि सदन से जो कुछ आप सीखेंगे यहीं सीखेंगे, इसके लिए दुनिया में कहीं कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं है।

श्री अविनाश (जैतारण): ठीक बात है, हुकुम।

श्री सभापति: इस सदन में बैठेंगे, सदन को सुनेंगे और सदन का सम्मान करेंगे, सदन के माननीय सदस्य जो भी अच्छा बोलते हैं उनको आप अपने जेहन में उतारेंगे केवल यही स्कूल है जहां आप सीख सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां जो यहां आप सीखेंगे वहां से जाकर सीखना है आपको। इसलिए जो भी बोलें गंभीरता से बोलें। विषयान्तर नहीं हों। अंकित हो रहा है और इतिहास बन रहा है आपके शब्दों का।

श्री अविनाश (जैतारण): धन्यवाद सभापति महोदय, कुछ बातें जो आपने मुझे बताईं मैं निश्चित रूप से जीवन के आगे के चरण में उनको स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा पर इस सदन में बैठकर अगर उन समस्याओं पर चर्चा करें, जिस विधेयक के ऊपर चर्चा करें जिससे आने वाले समय में इतना तो तय है कि उससे इस प्रदेश का भला होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह विधेयक सरकार के द्वारा लाया गया, अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि इसमें सगौत्र नहीं है तो यह जो बिल के उद्देश्य और कारण बताये गए थे क्या यह हमारे द्वारा प्रिन्ट करवाया गया था? यह आप ही की सरकार द्वारा जो विधेयक हमें दिया गया उसके अन्दर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उद्देश्य

(श्री अविनाश)

और कारण इस विधेयक के बताये गए हैं, 'कुटुम्ब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगौत्र अन्तर-जातीय और अन्तर-सामुदायिक और अन्तर-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध दबाव डालने के लिए स्वनियोजित निकाय द्वारा अवैध अभित्रास के मामलों में अचानक तीव्र वृद्धि हुई है। कई मामलों में, ऐसे निकायों ने हिंसा के उद्दीपन का अवलम्ब लिया है और ऐसे नवविवाहित युगलों या विवाह करने के इच्छुक व्यक्तियों को अभित्रास या हिंसा झेलनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप उनका, उनके घरों तक पीछा किया जाता है और कभी-कभी तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है।' यह इस विधेयक के अन्दर आपके द्वारा लिखा गया और हमें दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिन्दू मैरिज एक्ट के अन्दर क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है जिसमें सगौत्र विवाह हो सकता है? बिलकुल रूप से प्रोहिबिटेड है यह। हिन्दू मैरिज एक्ट के अन्दर ऐसा नहीं हो सकता है। सगौत्र विवाह के अन्दर एक ही जाति की दो उपजातियों के बीच में विवाह करने कानूनन रूप से अपराध है और किसी भी सूरत में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें अन्तर-जातीय विवाह लिखा, इसमें अन्तर-सामुदायिक, अन्तर-धार्मिक विवाह लिखा। इस प्रकार आप जो ये विधेयक लेकर आए हैं मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि लव जेहाद को आगे बढ़ाने का एक काला कारनामा एक बार फिर राजस्थान की यह कांग्रेस सरकार करने जा रही है जिसका जीता-जागता उदाहरण आपका यह विधेयक है। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता जो आज हिन्दुस्तान की संस्कृति को खतम करने पर तुली हुई है दो वयस्कों को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर वैवाहिक स्वतंत्रता के नाम पर अगर आप इस तरीके से खुला विचार देने के लिए छोड़ दोगे तो आज उस मां-बाप पर क्या बीतती है जो नौ महीने एक मां अपने बेटे को कोख में लेकर चलती है, उसको 18 साल तक बड़ा करती है, उसका पालन-पोषण करती है, पढ़ाई का खर्चा देते हैं, उसके रहने-करना का खर्चा देते हैं, पूरी सुख-सुविधाएं उनको प्रदान करते हैं लेकिन अचानक ऐसे विधर्मी लोग जो इस सनातन संस्कृति को खतम करने पर तुले हुए हैं और अचानक से सोशल मीडिया के मार्फत से दो लोगों के बीच में, दो लड़के-लड़की के बीच में सम्पर्क होता है बिना किसी जान-पहचान के और उसके बाद में अचानक वो शादी कर लेते हैं और उस शादी को आपका विधेयक कानूनन मान्यता देने के लिए लाया गया है। मैं इसकी पुरजोर

(श्री अविनाश)

खिलाफत करता हूं, पुरजोर इसका विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर आपने जो कहा है कि मां-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदार उनके ऊपर क्या बीतेगी जब एक अट्ठारह साल का लड़का या लड़की अपने घर परिवार की इज्जत को तार-तार करते हुए अपना घर परिवार छोड़ कर जाएगा और समाज के अन्दर उनकी क्या दिशा होगी, इसके बारे में भी सोचने की ज्यादा जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सज़ा है लेकिन आपने इसके साथ में आर्थिक जुर्माना भी जोड़ा है। यह किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता है और मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के जो कारनामे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि कलेक्टर की जांच अगर पटवारी से करवानी हो तो इस राजस्थान सरकार के कारनामों को देखने से पता लग जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक के अन्दर भी सामाजिक संगठन और खाप पंचायतों द्वारा ऐसे मामलों में अनुशासन के साथ पारिवारिक संरचना को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हत्या जैसा एक संगीन अपराध है उसकी समाज के अन्दर कोई जगह नहीं है, लेकिन आज की तारीख में राजस्थान के परिवेश को अगर देखा जाए, अगर उसके गांव-ढाणी में बैठे हुए लोगों से, उसके बड़े बुजुर्गों से पूछा जाए, आज भी उसके अन्दर जो ये सामाजिक संगठन बने हुए हैं अगर इस प्रकार का कोई न कोई वाकया हो जाता है तो उसके समाधान के लिए आपस में लोग-बाग़ गांव की चौपाल में बैठकर चर्चा करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक धारा-498 दहेज के मामले में एक डिसीजन दिया। उसमें पहले क्या होता था कि दहेज का मुकदमा सीधा ही दर्ज कर लिया जाता था एक लड़की के द्वारा शिकायत दर्ज कराते ही और उसमें वो सीधा ही मुकदमा दर्ज करते और दर्ज करने के बाद चाहे उसका हसबैंड हो, चाहे सास-ससुर, चाहे कोई भी हो, जिन भी मुलजिम का नाम होता उनको गिरफ्तार कर लिया जाता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दहेज का मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद में एक पारिवारिक काउन्सलिंग टीम बनाई जाती है, काउन्सलिंग की जाती है और काउन्सलिंग के मार्फत से अगर उनको लगता है कि नहीं, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाएगा तो वह

(श्री अविनाश)

सामंजस्य बैठाकर उसके बाद वापस उनको उनके घर पर सुरक्षित पहुंचा देते हैं। काउन्सलिंग का काम पहले होता है अगर वो दोनों नहीं मानते तो फिर केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन होता तो मेरा भी आपसे सुझाव है कि कम से कम यह विधेयक लाने से पहले एक ऐसा सुझाव, ऐसी काउन्सलिंग टीम बनायें, ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए जिससे ऐसे जो स्वतंत्रता के नाम पर ये जो विवाह के नाम पर आप ये विधेयक लेकर आये हैं उसके ऊपर भी ऐसी काउन्सलिंग की टीम बने और दोनों व्यक्तियों के, दोनों परिवारों के बीच समझाइश करे।

माननीय मंत्री महोदय, आपने जो कहा है, बिलकुल मैं चाहता हूं कि यह जो विधेयक आप लेकर आए हैं इसको आप लोग पास करवाने से पहले एक बार 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाए और उसके बाद में जो जनता का रुझान होगा, कानूनी विशेषज्ञों की राय होगी और हम सब मिल बैठकर जो राजस्थान की जनता के हित में जो होगा उसके अन्दर निश्चित रूप से हम आपके साथ में रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको 6 महीने के लिए परिचालित किया जाए और इन लाइनों के साथ में कि "दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए।"

मैं बहुत अदब के साथ में आपको निवेदन करता हूं कि इसको 6 महीने के लिए परिचालित किया जाए और माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय से ज्यादा बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपको निवेदन करता हूं क्योंकि यह सत्र अंतिम दौर में पहुंच रहा है और हो सकता है 6 महीने के बाद में जब सत्र होगा, कुछ समय के बाद फिर वापस आपसे मिलेंगे और अपनी बात कहने का, हमारे क्षेत्र की समस्या कहने का मौका मिलेगा।

एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमने यह सुना है इससे पहले भी कि सदन में कही हुई बात पर एक्शन होता है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले 6 महीने में बहुत से ऐसे मेरे क्षेत्र के या राजस्थान की समस्याओं के मुद्दे मैंने रखे हैं लेकिन पिछले 6 महीने के अन्दर एक भी ऐसी कार्यवाही इस सरकार के द्वारा नहीं की गई जिससे हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हुआ इसलिए मुझे लगता है कि इस सदन में

(श्री अविनाश)

कोई बात कहना जायज नहीं होता है या उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो हमें थोड़ी-सी फीलिंग होती है कि ये जो हम नये सदस्य हैं, जनता हमारी ओर देखती है, यदि हमारा विधायक, हमारा प्रतिनिधि अगर विधान सभा के अन्दर बात रखेगा तो जो सरकार बैठी है सरकार के ध्यान में वह बात आएगी और उसका समाधान जल्द से जल्द होगा, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे स्वायत शासन का क्षेत्र हो, चाहे पंचायती राज का क्षेत्र हो, चाहे और भी कई ऐसे जन कल्याणकारी क्षेत्र हो जिसमें हमने बात रखी हो। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम इस बीते बजट सत्र में और उससे पहले भी जो-जो हमने बात रखी, उसका पूर्ण रूप से निस्तारण करें। यही हमारा आना सार्थक होगा। एक बार पुन: मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नैराश्य भाव को छोड़िए। एक दिन में शांती धारीवाल और राजेन्द्र राठौड़ जैसे माननीय सदस्य तैयार नहीं होते। तीस साल का अनुभव होता है। इस सदन ने इनको बहुत सिखाया है तब जाकर अपनी बात रखते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप नये सदस्य हैं, सदन से सीखिए। आपको क्या लगता है माननीय शांती धारीवाल जी और माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी एक दिन में तैयार हो गए? तीस वर्ष यहां तपस्या की है। इस सदन से सीखा है। सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि यह सदन आपके सीखने का एक बहुत-बड़ा क्षेत्र है, सीखिए। दूसरे जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनसे सीखिए। विषयान्तर होकर बात से केवल उत्तेजना पैदा करना आपका उद्देश्य नहीं है और इस सदन में जो भी शब्द कहे जाते हैं वह अर्थ रखते हैं। शब्द ब्रह्म है और इस हाउस में जो भी शब्द अंकित हो रहे हैं उनके अर्थ है। आपने इतनी देर जो कुछ बात की, उसका अर्थ नहीं है क्या? इसलिए जो भी बोलें, सारगर्भित बोलें, विषयान्तर नहीं हों और गंभीरता से बोलें। यह आसन भी अपेक्षा रखता है और यह पूरा सदन भी आपसे अपेक्षा रखता है।

श्री रामप्रताप कासनियां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार आखिर क्या करना चाहती है।

श्री सभापति: यह आपका विषय है ही नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, समाज के अन्दर मर्यादाएं होती हैं। समाज कानून से नहीं चलता।

श्री सभापति: आप और मैं इस चीज से मुक्त हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): समाज मर्यादाओं से चलता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में अगर कोई मित्र, रिश्तेदार थोड़ा बहुत भी कुछ कह दे तो वह भी मुलजिम। आप चाहें कितना ही कठोर कानून बनवा लो जो सामाजिक विचारधारा है, उसको जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आपके यह कानून धरे रह जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप तो किसी भी जाति की बात कर रहे हो, मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में कोई किसी भी जाति का हो, चाहे +++ हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे +++ हो, चाहे सांसी हो, हम सब आपस में चाचा, ताऊ और भाई कहकर बतलाते हैं और उस गांव की लड़की की 100 कोस दूर कहीं भी शादी की हुई है और गांव का कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको बहन या बुआ कहकर 10-20 रुपये देकर उस पर हाथ फेर कर आएगा। कहां आप अंग्रेजों वाली बात करने लग गये। आपको कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। राजस्थान में कौनसे समूह ने आपके पास आकर इस बात की मांग की कि आप एक कानून लाओ। इस तरह के उत्पाती लड़के और लड़कियां कुछ भी कह देंगे, मां-बाप के खिलाफ कह देंगे, भाई के खिलाफ कह देंगे, रिश्तेदार के खिलाफ कोई बात कह देंगे और आप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कारावास देने की बात कर रहे हो। आपके पास धाराएं बहुत बनी हुई हैं। सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं आज भी जो यह कांड हो रहे हैं घरवाले तो हाथ जोड़ते हैं, अगर लड़का और लड़की बालिग है तो कोई कुछ नहीं कहता। उत्तर प्रदेश के विधायक की हालत देखिए। मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून बनाकर आप न कोई समाज का भला कर सकते, न इस प्रांत का भला कर सकते। अभी भी समय है, चेत जाओ। जो आज के यह दोनों बिल हैं, विधेयक हैं, यह आपको ही खाएंगे, यह लिख लो आज। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह कानून सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से बिलकुल ही गलत है। मुझे पता नहीं किस मजबूरी में सरकार इन कानूनों को लेकर आई है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सामाजिक रिश्ते खतम करने का काम मत कीजिए। पशुओं में भी मर्यादाएं हैं। पशुओं की मर्यादा के बारे में अगर मुझे, सभापति महोदय, समय दें तो मैं बिलकुल बता दूंगा। पशुओं में भी सामाजिक बंधन है। आप समाज को बिगाड़ने वाला काम मत करिए। इस तरह के बेहूदा कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, कुछ लड़के या लड़कियां अनावश्यक ही आरोप लगाएंगे कि हम जा रहे थे, रास्ते में हमें फलां रिश्तेदार ने, फलां गांव के आदमियों ने रोक दिया, हमारी शादी में बाधा उत्पन्न कर दी। सभापति महोदय, तो क्या उन्हें गीत गा कर धरेंगे? यानी ऐसे लोगों को माता-पिता घर पर थाली लेकर तिलक तो नहीं निकालेंगे। आप जितने मर्जी आए कानून बना लो, आपके कानून धरे रह जाएंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अंत में मैं हमारी बीजेपी की रीति नीति की बात निवेदन करना चाहता हूं। अगले वंश में जनमे हम, तूफ़ानों में पले बढ़े, खुद को न बिकने दिया..., मैं भूल गया साहब। सोरी, सोरी, आज से कभी बिके नहीं, दुकानों पर कभी सजे नहीं, खुद को न तुलने दिया, ठाठ ठोलते बांटों से, नैनों में कट कर कांटे बने तभी तो नौकरशाहों के सर झुकाकर गुजरे नहीं कभी अफसरवादी मंडी से। सभापति महोदय, सर उठाकर चलते हैं हम कीचड़ वाली पगडंडी पर।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री गौविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, अभी भूलवश +++

(श्री गोविंद राम)

और +++ शब्द यूज़ किये गये हैं, यह रिकार्ड में से हटवा दें प्लीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने +++ शब्द बैन किया हुआ है।

श्री सभापति: यह शब्द हटा दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन।

श्री सभापति: जय श्री राधे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जय श्री राधे।

श्री सभापति: राधे राधे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भगवान श्री कृष्ण और राधा, पूरा देश उनका वंदन करता है, नमन करता है, प्रणाम करता है। मैं इस उद्धरण के माध्यम से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के गौरवशाली अतीत में क्या है, इसकी जड़ों में क्या है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का कोई वैवाहिक संबंध भी नहीं था। संबंध था सिर्फ प्रेम का और उस प्रेम को इस भारत भूमि ने इतना सम्मान दिया कि योगीराज श्री कृष्ण के साथ राधा विराजे। यह हमारी जड़ें हैं। जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं, उस सनातन धर्म में कितने तत्व हैं, कितनी ताकत है, उसकी गहराइयों में जाकर झांकने की चेष्टा कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, हर युग के अपने मूल्य होते हैं। इस मनुष्य जाति ने हर युग में अपने मानदंड बनाये हैं और बदले हैं। कभी लकीर का फकीर मानव समाज नहीं रहा है। मैं आपको महाभारत का उदाहरण दूंगा। श्री कृष्ण की बुआ थी कुन्ती और अर्जुन कुन्ती के पुत्र थे और अर्जुन ने शादी किससे की थी, श्री कृष्ण की बहन से। वह एक अलग युग था, उस युग के अपने मूल्य थे, आज वह मूल्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मनुष्य जाति ने ही यह मूल्य बदले हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आप तो हिन्दू धर्म की बात करते हैं फिर यह जाति क्या है? क्यों नहीं आप जाति तोड़ना चाहते? इस जाति की क्या बुनियाद है, इस जाति का क्या वैज्ञानिक आधार है और इस जाति का क्या इतिहास है? आप सनातन धर्म की 10 हजार साल की संस्कृति के पूरे उद्धरण देख लीजिए, कोई जाति का आपको आधार मिलता है, कोई उद्धरण मिलता है? हम इस 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और 21वीं सदी के इस समाज को जाति विहीन समाज बनाना हमारा लक्ष्य

(श्री संयम लोढ़ा)

होना चाहिये। हमारे महान नेताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो यह कल्पना की थी, उस संविधान के माध्यम से अभिव्यक्त किया था कि हम समता मूलक और जाति विहीन समाज बनाएंगे। आज हम जाति की वकालत कर रहे हैं। आज जब शादी की बात आती है तो हमें दिखता है कि वह फलां जाति का है और जब वोट की बात आती है तब हमें धर्म दिखता है। हम क्यों उस सोच के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहते? माननीय सभापति महोदय, क्या सामाजिक हालात हैं, यह हम नहीं जानते, किस तरीके से पंचायती होती है। किस तरीके से लोगों को कठघरे में खड़ा किया जाता है, किस तरीके से लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है और जो जुर्माना नहीं भरता है, उसको कहा जाता है कि ला अपने गवाह ला और उन गवाहों की गवाही ली जाती है, तब उसको छोड़ा जाता है और वह पैसा नहीं भरे तो जिन्होंने गवाही दी है, उनको पैसा भरना पड़ता है और पैसा नहीं भरा जाता है तो उसके सारे रिश्ते खतम। उसके घर में जो लड़की आ रही है, उनको वापस पीहर भेज दिया जाता है कि जाओ तुम्हारे भी खतम। चारों तरफ से उसकी ऐसी घेराबंदी की जाती है कि वह रिश्ते विहीन हो जाता है और उन्हीं गैर कानूनी ताकतों के आगे उसको घुटने टेकने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपनी जमीन बेचकर पैसा भरना पड़ता है और उस समाज में वापस जगह प्राप्त करनी पड़ती है। इस सदन में जो 200 सदस्य बैठे हुए हैं, कौन नहीं जानता कि लोग पेरेलल कोर्ट बने हुए हैं, पेरेलल थाना बने हुए हैं। वह भारतीय दंड संहिता को नहीं मानते, वह भारत की अदालतों को नहीं मानते, वह फैसला करने वाले लोग बने हुए हैं।

(17.00 बजे)

किस-किस तरह के मानव विरोधी फैसले करते हैं, यह आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूं कि अब तक आपने जो संशोधन दिये, अपने अंदर की आवाज सुनिये और जब यह विधेयक पारित हो तो खड़े होकर एकमत से कहिये कि हम मानवता आधारित समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए सरकार जो कानून लायी है, उसका हम समर्थन करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा। इस देश में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जब जाति और धर्म के आधार पर शादी करने की बात हुई, सहमति हुई, लेकिन उसे स्वीकार किया गया। मैं यह विनती करना चाहता हूं, हमें ऐसा कहा गया है, हमने बुजुर्गों से ऐसा सुना है कि बच्चा कंधे

(श्री संयम लोढ़ा)

से ऊपर आ जाए तो उसको दोस्त समझना चाहिए, दोस्त समझकर उससे व्यवहार करना चाहिए, उससे दोस्त समझकर बात करनी चाहिए। हमारे बच्चों के जीवन में क्या घटित हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या अनुभव हो रहा है? क्या हमारे बच्चों से हमारे ऐसे संबंध नहीं हैं कि वे हमसे शेयर करें, हम उनसे शेयर करें। हम क्यों पुरानी जड़ता पर आधारित विचारों को लेकर चलना चाहते हैं? अभी कोई उदाहरण दे रहे थे कि कौन चाहता है कि बेटी भाग जाए? अपनी बेटी से ऐसा संबंध रखिए कि वह आपको अपने मन की बात बता सके। आप और हम सब जानते हैं, घर जाते हैं, कभी यह देखते हैं कि बच्ची उदास बैठी हुई है तो टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि वह उदास है और जब उसके जीवन के निर्णय का वक्त आता है तो हम ऐसा अपना व्यवहार रखते हैं कि वह बिन बताए घर छोड़कर चली जाती है। सारे अभिभावकों को यह समझना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम अपने बच्चों की भावनाओं को समझेंगे और अपने बच्चों को इतना काबिल तो बनाइए कि अपनी जिंदगी के फैसले वह खुद कर सकें। अपनी जिंदगी के फैसले करने लायक भी हम अपने बच्चों को नहीं समझते, इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंदिरा जी, फिरोज गांधी जी से शादी करना चाहती थीं, नेहरू जी सहमत नहीं थे, पर इंदिरा जी की खुशी के लिए उन्होंने वह रिश्ता स्वीकार किया। यह होता है बाप, ये होते हैं अभिभावक।

माननीय सभापति महोदय, आप, संसदीय मंत्री और हम सब 20 साल पहले की उस घटना के गवाह हैं, जब राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के घर पर हम लोग शादी में गये थे। उनकी बेटी की शादी में गये थे। क्या अशोक गहलोत साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता जाति के संकुचित नजरिये से देखा? क्या उन्होंने धर्म के नजरिये से देखा? उन्होंने देखा कि मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। मुझे खुशी है कि जिस तरह से वे अपनी बेटी के अभिभावक बने, राजस्थान की सारी बेटियों के अभिभावक के रूप में इस कानून के रूप में वे सामने आए हैं कि मैंने मेरी बच्ची का जो हक समझा, मेरी बेटी का जो अधिकार समझा, मेरी बेटी की खुशी को समझा, राजस्थान के सारे अभिभावक अपनी बेटी की खुशी को समझेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल हैं। अभी जो यहां पर बातें कर रहे थे कि पता नहीं, इस एक्ट के माध्यम से धर्म को क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

हो जाएगा? क्या मैं पूछ सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा सदस्य डा. सुब्रहमण्यम स्वामी की सुपुत्री सुहासिनी ने हैदर से शादी नहीं की। क्या उनकी इज्जत घट गयी? क्या इज्जत कम हो गयी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डा. मुरली मनोहर जोशी की बेटी रेणु ने शाहनवाज हुसैन से शादी की।

श्री धर्मनरायण जोशी (मावली): यह गलत है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सुनिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): ये गलत तथ्य रख रहे हैं। गलत तथ्य को हटवाया जाए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): रेणु मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी नहीं, यह गलत तथ्य है। गलत बोल रहे हैं। ये जो कहेंगे, वह सच थोड़े ही है।

श्री सभापति: विराजिए। रिकार्ड में यदि ऐसा नहीं हो तो अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुख्तार नकवी ने क्या सीमा नकवी से शादी नहीं की? क्या उनकी इज्जत घट गयी? क्या सनातन धर्म के मूल्य घट गये? क्या सनातन धर्म की प्रतिष्ठा खतम हो गयी? क्या उदाहरण देते हैं। माननीय सभापति महोदय, अंतर धर्म की बात भी करें। हमारे वरिष्ठ नेता राजेश पायलट साहब के पुत्र के जीवन में भी वह घटना आयी थी। अंतर धर्म की शादी वक्त, क्या उन्होंने अपने बेटे की खुशियों को महत्व नहीं दिया? क्या उस शादी से उनकी इज्जत नहीं बढ़ी? क्या इज्जत कम हो गयी?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए। आपका नंबर आएगा तब अपनी बात कहना आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सारी लड़कियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता विजया राजे सिंधिया को धन्यवाद दूंगा कि वसुंधरा राजे ने जब अंतरजातीय विवाह का निर्णय किया, उन्होंने उसकी सहर्ष स्वीकृति दी और वह शादी हुई। मैं राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे को भी धन्यवाद दूंगा कि अपने बेटे का भी उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। मैं हमारे देवस्थान मंत्री विश्वेन्द्र

(श्री संयम लोढ़ा)

सिंह जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में अंतरजातीय विवाह किया, इन सारे लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया। क्या इससे इज्जत घट गयी? क्या प्रतिष्ठा खतम हो गयी? क्या मान-सम्मान खतम हो गया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करना चाहता हूं कि हम 21वीं सदी में खड़े हुए लोग हैं, जाति और धर्म के संकुचित दायरे में अपने बच्चों को मत बांधिए। उनको अपनी इच्छा का जीवन दीजिए। उनकी काबिलियत को महसूस कीजिए। अगर हमारा बच्चा अपनी जिंदगी में अपने जीवन साथी को चुनने का निर्णय भी नहीं कर सकता तो हमारे ऊपर लानत है। यह हमारे लिए शर्म का विषय है, बच्चों के लिए शर्म का विषय नहीं है। बच्चों की परवरिश इस ढंग से होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी के फैसले वे खुद ले सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो विनती करना चाहूंगा। इस एक्ट में आपने सैक्शन-7 में पीड़ित लड़के/लड़की के परिवार को आपने शामिल नहीं किया। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप उसको भी शामिल करें। सैक्शन-9 में आपने जो पावर एसडीएम और डीएम को दी है, जयपुर में क्या होगा? जोधपुर में क्या होगा? इसलिए आपको मैट्रोपालिटन में एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर पुलिस का नाम सैक्शन-9 में शामिल करना चाहिए और यह सूचना, सैक्शन-9 में देने का प्रावधान आपने सिर्फ एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक रखा है, उसे बढ़ाकर पुलिस थानों को भी इस तरह गैदरिंग की सूचना दी जानी चाहिए, जिससे इस पर पुलिस भी प्रभावी कार्यवाही कर सके। एक बार पुन: आपके माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके निर्णय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जमीनी पीड़ा को समझा है और जो समानान्तर थाने बने हुए हैं, जातियों की समानान्तर कोर्टें बनी हुई हैं, उन कोर्टों के खिलाफ यह हक पीड़ित लोगों को प्रदान किया है, हमारी नौजवान पीढ़ी को प्रदान किया है। मैं आशा करता हूं कि इसके माध्यम से हम एक नया समाज बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का

(श्री गिरधारीलाल)

प्रतिषेध विधेयक, 2019 की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान में सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को सरकार जिस भावना से ला रही है, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने लगातार अपने विचारों से इसे सनातन धर्म से जोड़ने की जो बात कही, निश्‍चित रूप से यह जो विधेयक लाया जा रहा है, सरकार की मंशा आप लगातार देख रहे हैं। जिस तरह समाजों में जाति के नाम पर अलग-अलग खेप बनी हुई हैं। वे आदेश जारी करती हैं। इसमें ज्यादातर कमजोर और गरीब तबके के लोग उस आदेश के शिकार होते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए मैं निश्‍चित रूप से ऐसे विधेयक का सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के पाइंट नंबर 7 सम्मान के नाम पर मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित करना, धारा 7 खण्ड 1 में मृत्य या आजीवन कारावास का प्रावधान, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है, मैं मृत्यु दंड के कारावास को आजीवन कारावास में बदलने की मांग करता हूं क्योंकि यह हमारे संविधान के अनुच्छेद में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने किये हुए कारनामों का एहसास भी नहीं कर पाता। पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में बहुसंख्यक देश मृत्यु दंड के खिलाफ हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस बिल के अनुच्छेद 7 खण्ड 1 में मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज जो बिल पेश हुआ है, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019, सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हिन्दू संस्कृति में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक के संस्कार और जन्म का संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार कितने सारे संस्कार हिन्दू संस्कृति में हैं। विवाह के संस्कार के समय यह माना जाता है कि विवाह केवल दो लोगों के बीच में आपसी संबंध नहीं है। यह दो परिवारों, दो समाज,

(श्रीमती अनिता भदेल)

दो संस्कृतियों के बीच का भी आपसी संबंध है। जब किसी लड़के और लड़की के बीच में संबंध होता है तो वह सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में संबंध नहीं होता है, वह माता-पिता के बीच में भी संबंध होता है और दूसरे नाते-रिश्तेदारों के बीच में भी संबंध होता है। मैं इस बात का विरोध नहीं करती हूं कि वैवाहिक प्रेम विवाह नहीं होने चाहिए क्योंकि नया जमाना है, होने चाहिए। परंतु उसके कुछ दुष्परिणाम हैं, उनकी ओर भी हमें देखना होगा, उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। जो प्रेक्टिकली हम सब महसूस करते हैं, उनकी ओर इंगित करना चाहती हूं।

अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की जो हिन्दू थी, एक मुस्लिम लड़के के साथ उसने शादी कर ली। अच्छी बात है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। माता-पिता ने भी नहीं किया। दो साल उस लड़की को रखने के बाद में उस लड़के ने उस लड़की को कहा, मैंने तेरे को तलाक दे दिया। तुम जाओ, मैं तो दूसरी शादी करूंगा। ऐसी स्थिति में वह लड़की बिल्कुल घर से बाहर हो गई कि वह क्या करे? अभी इस बिल में यह प्रोविजन है कि जो समझाइश करेगा वह भी उतना ही बड़ा अपराधी होगा। मैं आपको बताऊं, यह नोर्मल-सी बात है। समाज में व्यावहारिक बात है और मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं। आपमें से भी बहुत लोगों के पास फोन आता होगा कि हमारी लड़की बहुत छोटी है अबोध है, अभी चली गई, नासमझ है, उसको आप समझा दीजिए। मान लीजिए कि उसको मैंने फोन से समझा दिया तो पुलिस तो मुझको ही ले जाएगी कि आपने कैसे समझा दिया? यदि माता-पिता कोई कह रहा है, आपके पास कोई मां-बाप आए तो आप उसको सीधे हाथ तो लौटा नहीं सकते कि भैया ये कानून है, मैं तो नहीं समझाऊंगा।

सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूं कि यदि हिन्दू मैरिज एक्ट में लड़के की उम्र और लड़की की उम्र डिफाइन है कि इतनी उम्र में भी उनकी शादी तय है तो मेरा निवेदन इस सदन से भी है क्योंकि 18 साल की लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले और उसके बाद में कोई परेशानी खड़ी हो जाए तो जीवन भर वह मां-बाप की लायबिलिटी बनती है और यदि मां-बाप की लायबिलिटी नहीं है तो जो उसके बच्चे हैं, जो उससे पैदा हुए हैं, उन बच्चों को लेकर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर होती है। आत्महत्या करती है निश्चित रूप से। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि लड़के के परिवार वाले भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और लड़की के

(श्रीमती अनिता भदेल)

परिवार वाले भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब वह 6 साल, 7 साल, 8 साल अलग रह लिए माता-पिता से तो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर रहता है, एक टेंशन उनके पास होती है, एक असुरक्षा का भाव उनके पास होता है क्योंकि परिवार दूर हो जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो वह अपने आपको परिवार से दूर कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनको असुरक्षा का भाव पैदा होता है और असुरक्षा के भाव में कोई भी दंपत्ति सुखद जीवन नहीं जी सकता। यह जो शादी की उम्र होती है, इसमें जीवन साथी के साथ एक नया जीवन शुरू होना होता है। ऐसा नहीं है कि 18 साल की लड़की या लड़का अपने आप में पर्याप्त हैं, परफैक्ट हैं, जीवन की मुश्किलों को वह समझ सकते हैं। जीवन की मुश्किलें तो अब उनके सामने आनी होती हैं। जीवन की मुश्किलें जब आनी होती हैं तो ऐसी स्थिति में वह ऐसे घिर जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि अब क्या करना है? शुरुआत के एक दो साल तो आकर्षण के होते हैं, लेकिन एक दो साल आकर्षण के बाद में जब उनको हकीकत पता पड़ती है, कहावत है कि आटे दाल का भाव पता पड़ता है, तब उनको समझ में आता है कि हमने गलती की है या अच्छा किया है? अनेक बार इस तनाव के कारण से लड़का लड़की को छोड़कर चला जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी पिछले दिनों की घटना बताऊं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पहाड़गंज की एक लड़की, इतनी सुन्दर लड़की दसवीं पास कर रही थी। एग्जाम में उसका मिलन हुआ था, उस कक्षा कक्ष में। उस लड़के ने उससे लव मैरिज की। शादी के बाद से अलग रहे। लड़के का कुछ पता नहीं, कहां का रहने वाला है? कौन मां-बाप हैं? किसका बेटा है? क्या परिवार है? लेकिन आजकल का चलन है लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद मेरी कांस्टीट्यूएंसी में किराये के मकान में रहने लगे और एक लड़की पैदा हो गई। उसके बाद में वह लड़का दूसरी लड़की को लेकर रवाना हो गया और व्हाट्एप पर उसको फोटो भेज रहा है कि देख, मैंने तो इससे शादी कर ली और अब तू जा तेरे घर। तू दूसरा कोई कर ले। इतनी परेशानियां समाज में आ रही हैं। यह मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। हकीकत बता रही हूं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहती, नहीं तो नाम भी बता सकती हूं।

श्री सभापति: नाम नहीं लेंगी आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूं। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि18 साल लड़की की उम्र परफैक्ट

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं होती है। इस हिन्दू मैरिज एक्ट में, जनरल कोई रजामंदी से शादी करे, अरेंज शादी हो तो वह 18 साल आप रख सकते हैं लेकिन कोई लव मैरिज करना चाहे तो लड़की की उम्र को बढ़ा देना चाहिए ताकि वह समझदार तो बन सके, दुनिया को जान तो सके। फेसबुक पर उसने उससे मित्रता की। बड़ौदा का रहने वाला लड़का है, लड़की अजमेर की रहने वाली है। फेसबुक पर मित्रता हो गई और दूसरे दिन लड़की चली गई बड़ौदा। पता चला कि तीन साल बाद वापस लौटकर आ रही है क्योंकि अब वह रखना नहीं चाहता है। हमारी परिवार रूपी जो सामाजिक इकाई है। हिन्दू समाज या भारतीय समाज में हमारी परिवार रूपी इकाई इतनी सशक्त है कि इस परिवार के कारण से हिन्दू संस्कृति आज जीवन्त खड़ी है। यही संस्कृति है जो दुनिया में जिंदा है, टिकी हुई है। इस प्रकार के कानून लाकर के हम हिन्दू संस्कृति को तहस नहस न करें क्योंकि हिन्दू संस्कृति को समझने, पढ़ने और इस परिवार रूपी इकाई का अध्ययन करने के लिए विदेशों से लोग यहां आ रहे हैं। जैसा विदेशों में हो रहा है कि पच्चीस साल पर वे एनिवर्सरी मनाते हैं। यहां तो कहते हैं कि एक से विवाह हो गया तो यह सात जन्मों का संबंध है। सात जन्मों तक वही पति रहने वाला है, यह हिन्दू धर्म की मान्यता है। ऐसी मान्यता में हम ऐसे जो प्रेम विवाह हैं, हम उनको रोज टूटते हुए देखते हैं। इन स्थितियों से बचने के लिए कम से कम लड़की इतनी समझदार हो कि वह ऐसी उम्र प्राप्त कर सके कि जब वह इस दुनियादारी को समझ ले तो शादी करने के लिए एक स्टेप आगे उठाए।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहती हूं। अभी अन्तरजातीय विवाह की बात हो रही थी। सरकार ने एक स्कीम चला रखी है 'अन्तरजातीय विवाह योजना'। पांच लाख रुपये इसमें देने का प्रोविजन है। यह जो पांच लाख रुपये मिलते हैं, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है कि एक लड़का जांगिड़ समाज का है, लड़की वाल्मीकि समाज की है। मैंने बोला कि शादी के लिए रजामंद हो तो कहा कि हां हैं। दो साल बाद में, तीन साल बाद में मुझे पता चला कि वह जो बच्चा है, इतना शार्प था कि पांच लाख रुपये येन-केन प्रकारेण मिल जाए तो शादी कर ले क्योंकि धीरे-धीरे किश्तों में मिलते हैं। पांच लाख रुपये मिल जाएंगे तो शादी तोड़ लेंगे। वह उसके घर, मैं मेरे घर, मेरा बिजनस सैट हो जाएगा फिर मैं किसी दूसरी लड़की को ले आऊंगा। ऐसे किस्से भी सुनाई दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय,

(श्रीमती अनिता भदेल)

हर चीज के दो पहलू हैं। उसका सुखद पहलू तो यह है कि इस स्कीम से जो सामाजिक बंधन है, वह टूट रहा है। हम चाहते भी हैं कि सामाजिक बंधन टूटे। यह समाज एकाकार हो, भारतीय समाज एकाकार हो, लेकिन इसका यह जो दुष्परिणाम आ रहा है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगी कि यदि ये स्कीम हमको चालू रखना है तो इस स्कीम में इस तरह से प्रोविजन करें कि दो-ढाई साल में वह पैसा नहीं मिले, कम से कम आठ-दस साल में धीरे-धीरे किश्तों में वह पैसा मिले ताकि जो विवाह बंधन हुआ है, वह दस साल में तो स्थाई बंधन बन जाए।

माननीय मंत्री महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगी कि अनेकों बार, कोई भी विवाह होता है, अभी बहुत सारे उदाहरण दिए, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने लव मैरिज के। पर जो पढ़े-लिखे वर्ग में, हाई क्लास सोसाइटी है, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं वह तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन समाज का जो नीचे का तबक़ा है उसको समझने में अभी 50 साल लगेंगे तो ऐसी स्थिति में समाज में सकारात्मक रूप से बदलाव आए तो समझ में आता है लेकिन फोर्सफुली बदलाव हम नहीं लाएं तो ही अच्छा है। हालांकि मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम सगौत्र में विवाह नहीं करें। यदि सगौत्र में विवाह होने का प्रोवीजन इसमें हो जाए, तो हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 का एक्ट है, उसको हम वायलेंस करेंगे। दूसरा, आपके ऊपर एक आरोप यह भी लगता है कि आप मुस्लिम परम्पराओं को हिन्दू समाज पर भी थोपना चाहते हैं, इसलिए आपने इसका प्रोविजन इसमें किया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि यह बिल लेकर आए हैं, इस बिल में दो-तीन छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। आपने कहा है कि विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव में आपने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई भी समूह ऐसे किसी विवाह पर, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, इस आधार पर कि ऐसे विवाह से जाति या सामुदायिक परम्परा का अनादर हुआ है, या जमाव के भाग रूप सभी व्यक्तियों, या उनमें से किसी व्यक्ति, या कुटुंब या संबंधित परिक्षेत्र के लोगों की बदनामी हुई है उस पर विमर्श करने या उसकी निन्दा करने की दृष्टि से या आशय से किसी भी समय एकत्र, जमा या इकट्ठे नहीं होंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से, यह भाव आपने डाला है, ग्रामीण परिवेश में तो यह होता है। ग्रामीण परिवेश में तो कई बार घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं कि फलां महिला स्वर्ण समाज से थी, एस सी के लड़के के साथ चली गई, उसको आग लगा दी गई। अभी कुछ दिनों पहले बाड़मेर में एक घटना हुई थी। एक महिला किसी एस सी के पुरुष के साथ चली गई थी, उसको जिंदा जला दिया गया। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से हो रही हैं परन्तु उन घटनाओं को हम कैसे रोकें? क्योंकि कोई वयस्क है और 25 साल, 30 साल की महिला है, वह तो समझदार हो सकती है। लेकिन बाकी की चीजों पर आपने प्रोविजन किया है कि कोई भी, किसी भी सोर्स से, आपको पता चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सोर्स से आपको पता चल जाए,कोई गलत ही सूचना दे दे तो उसका आप क्या करोगे?

एक उम्र के बारे में, प्रेम विवाह की उम्र में लड़की की उम्र निश्चित रूप से अधिक होनी चाहिए। लव जिहाद के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। मदन दिलावर जी बात कह रहे थे, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय निवेदन करना चाहूंगी कि कई जगह तो यह ठीक हो सकता है। मैं अजमेर से आती हूं मेरे यहां मोहम्डन बस्तियां भी बहुत हैं इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं। कई बार फोर्सफुली लड़की को यह कहा जाता है, पहले तो उनको आकर्षित करते हैं, फिर शादी होने के बाद सारा जेवर लेकर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि ऐसे प्रकरणों को भी, इसको ठीक कर सकें, कैसे हम इसको व्यवस्थित नियमों में बांध सकेंगे, इतना ही मेरा निवेदन था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 आज यहां प्रस्तुत किया गया है।

सामने मंत्री जी बैठे हैं, यह विधेयक वह लेकर आए हैं, इस विधेयक के माध्यम से वास्तव में हमारी हिन्दू संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं। विवाह बहुत ही पवित्र बंधन होता है। एक जनम नहीं, सात जनम निभाने वाला है। विवाह सम्पन्न होते हैं तो कहते हैं कि यह जोड़ी तो ऊपर से लिखकर आई है, इसलिए यह विवाह हो रहा है। इस विधेयक के अंदर जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इन्होंने कहा है, मैं कोई ओर्थोडोक्स नहीं हूं कि किसी की लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। यहां पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए। उनके वहां हुआ, वहां हुआ, ठीक है। अगर किसी का मन मिलता है, किसी की शादी होती है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या हम लोग इस बारे में खातिरी कर लेंगे कि मन मिला है, कोई फोर्सफुली तो नहीं हो रहा है। इसमें किस तरीके का प्रावधान होगा, कि कोई फोर्सफुल शादी हुई है तो आपने अगर उनको समझाने की कोशिश भी की है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो जाओगे। आप किसी को समझा भी नहीं सकते। इस प्रकार इसके अंदर कानून बनाए जा रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं इसके अंदर यह कहूंगी कि वैवाहिक मामलों में मर्यादा कायम कर सकें ऐसे नियम बनाए जाएं।

(17.25 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रही हूं। यहां सगौत्र की बात आई। The Special Marriage Act,1954 के इस फर्स्ट शिड्यूल के अंदर section 37, इन्होंने कहा कि यह prohibited है, इन रिलेशंस के अंदर शादी नहीं हो सकती। यह हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर हमारे हिन्दू मैरिज एक्ट के अंदर कही है, संशोधन उसके अंदर नहीं करेंगे हम लोग, उसको हम लोग एज-इट-इज रखेंगे, वह सगौत्र नहीं माना जाएगा। आपने अभी कहा। सगौत्र वाला इसके अंदर गलती से छप गया है। लेकिन यह तो आपके उद्देश्य के अंदर आया। उद्देश्य और कारणों का कथन, उसमें आपने लिखा है, कुटुंब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करना के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगौत्र, यह तो इसमें उद्देश्य में लिखा है। अगर अब यह विदड्रा कर रहे हैं तो इस बिल को ही विदड्रा कर लीजिए आप।

माननीय अध्यक्ष जी, उद्देश्य के अंदर लिखा गया है। उद्देश्य के अंदर नहीं लिखते, कहीं संशोधन करना है, किसी एक्ट के अंदर संशोधन करें, धारा के अंदर संशोधन करें, उद्देश्य ही आपके चेंज हो गए। आप उद्देश्य में लिख रहे हो सगौत्र। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसको वायलैट कर रहे हो। हम लोग एक तरफ यह कहते हैं, विवाह के अंदर एक परम्परा चली आ रही है कि चार गौत्र टाल कर हम शादी करेंगे। अब चार गौत्र को टालना,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आप तो कह रहे हैं कि सगौत्र के अंदर ही शादी हो जानी चाहिए। हमारे समाज के सारे रीति-रिवाज हैं, उन सबको तिलांजलि देकर, इस प्रकार के कानून बनाना, जिन क़ानूनों के माध्यम से हमारी संस्कृति जीरो, हमारे धार्मिक संस्कारों का कोई लेना देना नहीं। हमारे सामाजिक ताने बाने को नष्ट करना। इस प्रकार से कानून बनाया जाना, आप बनाओ, अगर दो लोग शादी करना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने यह कहा कि वह तो सगौत्र है, वह भी कर सकते हैं। छूट दीजिए लेकिन उतनी भी मत दीजिए कि जिसमें हमारी सारी सामाजिक परम्पराएं तार-तार हो जाएं, उस प्रकार से तो कम से कम मत दो।

धारा 11 में आपने कहा है कि अपराध को non compoundable बनाया गया है। इसमें लिखा है - all offenses under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable. हम लोग यह कहें कि अगर कोई पहले शादी का विरोध कर रहा था, उसके बाद उनके पेरेंटस में आपस में सहमति हो गई, तो अच्छी बात है। आपने तो कहा non-compoundable होगा। कम से कम इस वर्ड को तो आप इसमें से हटाइये। शादी के समय हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी हों कि उनके माता-पिता की रजामंदी नहीं हो, लेकिन बाद में अगर रजामंदी हो जाती है, तो एक बार विचार कीजिए कि इसमें कैसे हम चेंज करें और इस non-compoundable वर्ड को अपन हटाएं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इनको कहना है कि जब बिल लेकर आए तो माननीय मंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिए था कि इस बिल के अंदर कहीं प्रोवीजन रखते। प्री काउंसलिंग सेंटर हम लोग बनाएं। प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। जैसा कि मुझ से पहले हमारी विधायक बहन ने कहा कि मैरिज हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, अन्तरजातीय विवाह हो गया, लेकिन उसके बाद उस जाति का धर्म, उस जाति की सारी चीजों की पालना करना उस लड़की के लिए शायद मुश्किल हो जाता है। बाद में आपस में नहीं बन पाती है। जब नहीं बन पाती है तो उसके बाद टूटन हो जाती है। यह सारी चीज़ें अगर शादी से पहले, प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स बने, कालेजेज के अंदर बने, और स्थानों पर बने जिससे प्री मैरिज काउंसलिंग हो जाए। शादी से पहले उनकी काउंसलिंग हो जाए कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो, इन-इन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चीजों को थोड़ा ध्यान में रख लो। शादी के समय तो एक अच्छा अट्रेक्शन लग रहा है, लेकिन उसके बाद किन-किन परिस्थितियों से तुमको गुजरना पड़ेगा, अगर उसकी काउंसलिंग हो जाए तो बहुत हद तक तलाक और यह सारी चीजें होती हैं, उससे बचा जा सकेगा। इससे लव मैरिज के भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बहुत सी बार लव मैरिज के परिणाम, कई बार सोचते हैं कि लव मैरिज होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके परिणाम बहुत गलत आते हैं। 20-25 परसेंट भी सक्सेसफुल रेट नहीं है उसकी। इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि हम लोग इसके बारे में क्या सोच सकते हैं।

आपने धारा 4 के तहत कहा है, स्वतंत्रता को संकटापन्न करना, आपने इसके अन्दर कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या जो दबाव डालता है, उनकी स्वतंत्रता का संकटापन्न करने के कृत्य करता हुआ समझा जाएगा। यानी सलाह देता है या प्रबोधित करता है या दबाव डालता है, अब इन तीनों चीजों को तो हम लोग एक लाइन में नहीं ले सकते, माननीय अध्यक्षजी। क्या सलाह देना बुरी बात है? अगर हमारी बेटी या हमारे परिवार की या जिसको हम जानते हैं, ऐसी बच्ची अगर कोई गलत कदम उठाती है तो क्या उसको सलाह देना बुरा हो जाएगा? उसको सलाह देना भी आपने तो उसके साथ में ले लिया। दबाव डालना एक बात हो गई, सलाह देना दूसरी बात हो गई। सलाह देने को इसके अन्दर आपने डाल दिया कि वह दण्डनीय होगा, अगर किसी ने किसी को सलाह दे दी। अगर आप एज-ए जन प्रतिनिधि, कोई आपके पास आए कि मेरी बेटी कहीं भाग गई और कोई लड़का उसको लेकर चला गया है तो क्या आप उसे सलाह देंगे तो वह भी बुरा मान लेंगे। यानी वह भी दण्डनीय हो जाएगा। तो कम से कम कानून तो पढ़ लें कोई, जो रखते हैं इस विधेयक को बन कर रखते हैं, एज-इट-इज आप इसमें ले आते हो कि इसको पारित कर दो। थोड़ा तो सोचिये कि यह सलाह देना आप, हम सबका फर्ज है। समाज के अन्दर अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसको सलाह देना हम सबका फर्ज है। उसे सलाह देते हैं तो यह अच्छी बात है कि हम सलाह दे रहे हैं लेकिन हम उस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं यह कहूंगी कि आज हम लोगों ने, जो केन्द्र सरकार ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आई, अब उसके अन्दर उन्होंने जेंडर जस्टिस दी, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया। वहां पर कांग्रेस ने उसका विरोध किया। आज यहां पर आप इस प्रकार का बिल ला रहे हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति तार-तार हो रही है। आप इस हिन्दू मैरिज एक्ट को, जिस हिन्दू मैरिज एक्ट के अधीन सारी चीजें आपने लिखी हैं। आप इस प्रकार का बिल पास करवाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम समाज के अन्दर अच्छा मैसेज दें, माननीय अध्यक्षजी, मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से इस तरीके के जो कानून लाए जाते हैं, कानून के अन्दर थोड़ी सी हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म, अपने रीति-रिवाज को, अपने संस्कारों को इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखें। इतना भी हम लोग न उड़ें कि लोग तो बहुत प्रोग्रेसिव हो गये। इतना प्रोग्रेसिव भी मत हो जाइये। हमारी, आपकी सबकी बेटियां हैं। हम सब समाज का एक हिस्सा हैं। समाज के हिस्से के अन्दर रहते हुए हम सबको सामाजिक, हर तरीके की मर्यादाओं का पालन करना होता है। उन मर्यादाओं का पालन करते हुए हमारे यहां पर अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाए, कुछ होती है तो हम लोग उसको स्वीकार करते हुए भी समझाने की पहले कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस प्रकार का जो यह बिल लेकर आए हैं, इस बिल के अन्दर बहुत सारी जो बातें हैं, मैं बहुत विस्तार से इसके अन्दर नहीं जा रही हूं, लेकिन इसमें जो यह कहा गया है कि अनबेलेबल, अब यह नोन-बेलेबल वाली चीज जो आ रही है कि अगर आप कोई जमावड़े में खड़े हैं, मतलब अगर कहीं कोई ऐसा विरोध हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई सामान्यत: आकर गांव का व्यक्ति वहां पर आकर खड़ा हो गया तो उसके ऊपर भी केस हो जाएगा, उसको भी अन्दर कर देंगे। उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो इस बिल के अन्दर कुछ चीजों को आप देखिये।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि इसके अन्दर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर अगर किसी ने किसी को बोल दिया तो वह वहां पर हो गया, लेकिन थोड़ा-सा इसको विचार करें। मैं यही चाहूंगी कि इस बिल के अन्दर कुछ संशोधन, जो बहुत जरूरी हैं, वे संशोधन आप जरूर करें। ताकि उसकी जो मूल भावना है, हम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लोग उस मूल भावना के अनुरूप रहें, वह ठीक होगा। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए छह माह के लिए आप परिचालित करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो सारे नियम हैं, जिनको रिलैक्स करने के लिए अध्यक्ष की पावर है, उसका उपयोग लेते हुए, मैं माननीय संसदीय मंत्री से कहूंगा कि दो बिल प्रस्तुत करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कीमतों में वृद्धि को देखते हुए राजस्थान विधान सभा के सदस्यों और अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते और सुविधाएं एवं पेंशन भोगी सदस्यों की पेंशन और सुविधाएं अपर्याप्त प्रतीत होती हैं। इसलिए वेतन भत्तों, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि में यथोचित वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1956 की धारा 2, 3, 3 (क), 4, 4 (क), 4 (घ), 5 (छ), 8, 8 (ख), 8 (ग) और 9 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

पूर्वोक्त अधिनियम में दो नई धाराएं, अर्थात् धारा 4 (ड) और ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अभी प्रस्ताव रखें। उसको विचार में लेंगे। दोनों बिल आप इंट्रोड्यूस कर दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह पूरा कर दें?

श्री अध्यक्ष: अभी खाली दोनों बिल इंट्रोड्यूस करना है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं इंट्रोड्यूस क्या पूरा ही, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों बिलों का टाइटल बोल दें, प्लीज। दोनों बिल का टाइटल, मंत्री वाला भी बोलें।

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 ... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर्स के, कीमतों के वर्तमान स्तर को देखते हुए मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, मंत्रियों और राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों को देय विद्यमान वेतन, सत्कार व अन्य भत्ते अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं उनमें संशोधन के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप प्रस्तुत करें, राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को प्रस्तुत करता हूं। इसी तरह से उसमें भी, दोनों में।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा वाला बिल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे, सैकण्ड वाला।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार।

खंड 2 से 15 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 15 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 2 से 15 स्वीकार किये गये।

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय सदस्य, कोई बोलना चाहेंगे नहीं इसमें अब। आपने जस्टिफाई कर दिया, वह दुबारा जस्टिफाई थोड़े ही करना है। प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

प्रभारी मंत्री, राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया लाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खंड-2 से 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड- 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड-2 से 5 स्वीकार किये गये।

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

माननीय मंत्रीजी आप कोई सेलीएंट फीचर बताना चाहें तो बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सेलीएंट फीचर यह है साहब, सरकार की मंशा यह है कि यहां से हम सारे माननीय सदस्य जब भी विदा हों तो खुशी-खुशी विदा हों। सबकी जेब भरी रहें और आराम से इत्मीनान से जो कुछ बाजार से खरीदना चाहें, वह बाजार से खरीदें। बच्चों को जितनी जेब खर्ची देना चाहें, उतनी दें।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 पर आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार इस सदन में आया और आज यह इस सत्र का अंतिम दिन है। मैंने इस सदन में बहुत सी गलतियां भी की होंगी, चूंकि मैं पहली बार आया, मुझे नियमों और परम्पराओं का इतना ज्ञान भी नहीं रहा लेकिन फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, मैं आज सभी का हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी गलतियों को भी अनदेखा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया होगा लेकिन फिर भी मुझे कई बार यह फील हुआ कि मुझे इस भाषा का प्रयोग यहां पर नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मैं इस सदन में उन सबसे जिनका भी दिल दुखा हो, क्षमा याचना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा-सा मैं चूंकि, मुझे एक ज्ञापन सुबह मिला तो मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2018, लेवल-2, उसके अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया कि जितनी विज्ञप्ति पदों की

(श्री बलजीत यादव)

निकाली, उतने पद भरे नहीं गये हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो अभ्यर्थी है, उसका कई सब्जैक्ट में चयन हो गया। बार-बार वह लिस्ट आती है तो उन्हीं का नाम आ जाता है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया, उनके नाम को हटाकर वह वापस लिस्ट जारी की जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस सर, अब मैं मुद्दे पर बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ज्ञापन मिला था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह क्या है? आपको बोलना इस बिल पर है और कहां बोल रहे हैं? नहीं ऐसे नहीं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं इस बिल के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्षजी, आप बातों में लगे हुए थे तो मैं सिट्टा सेंक लूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बचाने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया, इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन एक बात मैं इस सदन में और भी रखना चाहता हूं कि इस दुनिया में मां-बाप से ज्यादा कोई भी किसी को प्यार नहीं कर सकता, कोई भी उससे ज्यादा किसी का भला नहीं सोच सकता। रोज हमारे पास केस आते हैं कि साहब, मेरी बच्ची चली गई, मेरा बेटा घर से चला गया और, माननीय अध्यक्ष महोदय, वही दो महीने बाद वह बच्ची का फोन आता है रोते हुए कि मेरे को बहला-फुसलाकर कोई ले गया और अब वह लड़का मुझे अकेला छोड़कर चला गया, उस स्थिति में क्या तो उस लड़की की हालत होती है और क्या उस परिवार की हालत होती है?

सम्माननीय सदस्या अनिताजी ने जो बात रखी कि 18 साल विवाह के लिए उम्र तय की हुई है लेकिन मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं कि यदि कोई लव मैरिज करे तो कम से कम उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए ताकि उसको अपने बारे में सोचने-समझने की शक्ति और ज्यादा डवलप हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से यह बताना चाहता हूं और मेरे बहुत सारे साथी यह जानते होंगे कि हमारे ही बहुत

(श्री बलजीत यादव)

सारे परिचितों से हम यह सुनते हैं कि बहुत से लोगों की ऐसी एक विकृत मानसिकता होती है कि जो किसी लड़की को इमोशनल करके उससे शादी कर ली और फिर कुछ समय बाद उसको अपने हाल पर छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली और फिर उसको बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, इसलिए मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ऐसा भी आप कुछ सोचें कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे?

(17.46 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

जो मां-बाप, जिस मां ने नौ महीने तक पेट में रखा और जिस पिता ने पेट काटकर उसको जवान किया, उसके बारे में कम से कम ऐसा तो भाव नहीं होना चाहिए कि अपनी औलाद को समझाने तक का उनके पास अधिकार नहीं हो। कोई भी मां-बाप अगर उसका बेटा गलत दिशा में जाता है तो उसको समझाता है और वह उसके भले के लिए समझाता है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि कई बार कुछ ज्यादा अच्छा करने के प्रयास में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे बहुत गलत हो जाता है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस तरह का कोई बिल भी लेकर आएं जिससे कि वह समाज का ताना-बाना जो सारा बिखर रहा है और लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए।

मैं ऐसा समझता हूं कि जानते सब लोग हैं लेकिन हमारे यहां पर यह वोट की राजनीति भी एक ऐसी हो गई कि बहुत सी चीजों पर तो चाह कर भी आदमी बोल नहीं पाता है लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरी बात किसी को ठीक नहीं लगे कि इन परम्पराओं से देश चलता आया है और हमारी परम्पराएं गौरवशाली हैं, दुनिया उनका अनुकरण करती है। हम आधुनिकता की तरफ दौड़ते-दौड़ते, दूसरों की नकल करते-करते कहीं हमारा जो गौरव है, उनको न खो दें, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो जातियां हैं, यहां पर सभी माननीय सदस्य विराजमान हैं, मुझे लगता है कि शास्त्रों में कहीं पर भी जातियों का वर्णन नहीं है। कहीं पर भी वेदों में, कहीं पर भी किसी भी जाति का वर्णन नहीं है। हम लोगों ने हमारे अनुकूल जातियों का निर्माण किया। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज कौनसी जाति है, आज जातियां केवल, पक्ष और विपक्ष के सारे माननीय सदस्य बैठे हैं, जातियां केवल मुझे यह लगता है कि चुनाव तक रह गई हैं। केवल चुनाव तक के लिए जातियां हैं, चुनाव लड़ने के लिए जातियां हैं। अमुक को टिकट इसलिए देओ कि वह अमुक जाति का है। मुझे लगता है कि बाकी सारी जातियां, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, चन्द्रगुप्त कौनसी जाति के थे, यानी कहीं कोई पूछता था क्या? माननीय सभापति महोदय, मछुआरे की बेटी से राजा शांतनु विवाह कर रहा है, क्योंकि बड़ा पुत्र भीष्म था, मछुआरे की बेटी ने सोचा कि अगर भीष्म शादी करेगा तो राजा उसी का बेटा बनेगा। उस मछुआरे की बेटी ने यह शर्त रखी कि मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा, वह राजा होगा। हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। महाभारत के उस भीष्म ने जीवन भर का व्रत लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। कहां शादियों का हमारे यहां पर रिवाज है। हमारे यहां गन्धर्व विवाह है। रामायण, महाभारत काल से गन्धर्व विवाह है। कहां जातियों से बंधे हुए हैं, परन्तु विकृति है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। अभी हमारे अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, हमारे यहां विकृति है। मैं ऐसी एक बहन को जानता हूं जो आठवीं में पढ़ती थी, अंदर मकान में किरायेदार रहता था, उसको लेकर भाग गया, 9 साल तक उसको रखा, तीन बच्चे-बच्चियां हो गये और वह छोड़कर चला गया। आज वह बहन तीन बच्चों के साथ परेशान है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, वह इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता। कानून से कोई काम होता तो हमारे देश में इतने सारे कानून बन

(श्री धर्मनारायण जोशी)

गये और कानून से अगर सारी व्यवस्था होती तो सारी परिस्थितियां ठीक हो जातीं।

माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे ऐसे-ऐसे रिवाज हैं। हमारे झाड़ोल कोटड़ा से आने वाले माननीय सदस्य आज यहां नहीं हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आदिवासी क्षेत्र में ऐसी परम्परा है कि शादी हो जाती है, भागकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 20-20, 25-25 साल के बेटे -बेटी हो जाते हैं, और बेटे-बेटी की शादी तब होती है, जब वह वापस शादी करते हैं। आज भी अखबारों में उनके फोटो आते हैं कि बेटे-बेटी मां-बाप की शादी करवा रहे हैं, क्योंकि अगर मां-बाप की शादी नहीं होगी तो बेटे-बेटी को मान्यता नहीं मिलेगी। यह परम्परा आज भी हमारे समाज में है। आज आदिवासी क्षेत्र में ऐसी परम्परा है। इसरो तो अभी पैदा हुआ 100 साल पहले अमेरिका बताता है, उसके पहले तो हमारे सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सारा का सारा। महाभारत में था ग्रहण कब हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए कानून की जहां तक स्थिति है। हमारे दो-तीन पुलिस अधिकारी, जो पूर्व में रहे हुए हैं, वह यहां माननीय सदस्य बने हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कानून ऐसा मत बनाइए कि एक पुलिस वाले को मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया। उसको कहा कि जो भी आए, कहना जूते खोलकर अंदर जाओ। वह सबको कहने लगा कि जूते खोलकर अंदर जाओ। एक आदमी बिन जूते के आया, उसको भी ऐसा कहा कि जूते खोलकर अंदर जाओ। उसने कहा कि मेरे जूते ही नहीं है। पुलिस वाले ने उसको कहा कि वापस घर जाओ और पहन कर आकर खोल कर फिर अंदर जाओ। यानी यह कानून की स्थिति है।

भारत सरकार ने वे 1200 कानून समाप्त किये, जिन कानूनों का कोई उपयोग नहीं था, अनुपयोगी कानून थे। परन्तु मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी का धार्मिक मामला नहीं है। 134 साल की कांग्रेस, 53 साल पहले 1966 में लोक सभा चल रही थी, गुलजारीलाल नन्दा गृह मंत्री थे, इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं, गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध के लिए आन्दोलन चल रहा था। बाहर लाठीचार्ज हुआ, हजारों साधु मरे, वहां से कांग्रेस का पराभव हुआ। माननीय करपात्री जी ने श्राप दिया, वहां से कांग्रेस का पराभव चालू हुआ। यह कानून जो बना रहे हो, कहीं कांग्रेस का पराभव यहां चालू नहीं हो जाए।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है, यह किसी का धार्मिक मामला नहीं है। न हिन्दू का मामला है, न मुस्लिम का मामला है, परन्तु आज मेरे पास पचासों ऐसी बेटियां आती हैं कि मुझे दो साल बाद छोड़ दिया, हमारे पास क्या उपाय है? इस कानून में यह व्यवस्था भी करिये कि जो लव-मैरिज कर रहा है, वह करे, कोई जाति बन्धन नहीं है, परन्तु दो साल बाद उसको छोड़े तो उस बेटी की क्या स्थिति बनेगी? इसकी व्यवस्था इस कानून में करिये। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

प्रभारी मंत्री, बोलिए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री सभापति: उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री सभापति: नहीं-नहीं, इस बिल पर ही तो बोलना है आपको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मतलब वक्ता सब खत्म हो गये?

श्री सभापति: वक्ता सारे हो गये पूरे।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापतिजी, माननीय अध्यक्षजी ने नागौर की घटना को लेकर स्टेटमेंट देने के लिए कह रखा है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जिस देश में हम रहते हैं, आर्य जाति की दो शाखाएं चलीं। एक तो जर्मनी में गयी और एक भारत में आयी। लेकिन जर्मनी में जो गयी, वह लगातार प्रोग्रेस करती रही और भारत में आने वाली जातियां आज भी संकीर्णता में सिमटी हुई हैं। यह बिल इसीलिए लाया गया है कि हम इस संकीर्णता से दूर जाएं। समाज के दो वयस्कों द्वारा अपनी सहमति से अन्तरजातीय, अन्तर-सामुदायिक, अन्तर-धार्मिक या कुटुम्ब जातीय समुदाय या धर्म के सम्मान की रक्षा के नाम पर जाति पंचायतों के आदेशों से ऐसे युगल, उनके कुटुम्ब या उनके रिश्तेदारों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने, उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने, उन्हें गांव या क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर करने तथा पूजा-स्थल, सार्वजनिक स्थान, कुओं, सामुदायिक सुविधा इत्यादि के प्रयोग करना से वंचित करने का दण्ड दिये जाने और उन्हें अपनी भूमि से बेकब्जा किये जाने की घटनएं यहां पर आए दिन होती रहती हैं। पिछले वर्षों में ऐसे वैवाहिक संबंधों में..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा, विराजिए। माननीय सदस्य का कोई भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मनरायण जोशी (मावली): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, पिछले वर्षों में ऐसे वैवाहिक संबंधों में अवरोध डालने, धमकी देने और उनकी हत्या तक कर देने के मामलों में वृद्धि हुई है। सामाजिक समरसता और भाईचारे के लिए यह सब चीजें घातक हैं। यद्यपि धमकी या हिंसा के कृत्य भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध हैं, जिनके लिए दण्ड का प्रावधान भी है। फिर भी वर्तमान परिवेश में और संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए ऐसे अपराधों पर नियन्त्रण करने, अपराधियों को दंडित करने के लिए यह पृथक से प्रावधान लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आज का युग बदल गया। आज आधुनिक युग में इस प्रकार का पुरातनपंथी व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जमाना कहां पहुंच गया? माननीय सभापति महोदय, आज का युवा घुटने के पास फटी हुई जीन्स के मुंह मांगे दाम देने को तैयार होता है और पहले फटी हुई को तो ढंकते थे, आज फटी हुई जीन्स का प्रदर्शन किया जाता है। यह आधुनिकता का ही प्रभाव है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारा देश आज जब चांद पर दस्तक देने जा रहा है, परन्तु यह कटु सत्य है कि देश में आज भी कई कुरीतियां हमारे विकास की राह में अवरोधक बनकर खड़ी हुई हैं। लोग कानून व अधिकारों के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं। युवा जागरूक हैं तथा अपने संवैधानिक अधिकारों के उपयोग के प्रति सजग हैं। प्रचलित मान्यताएं सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाजों से मेल नहीं खातीं। इस टकराव के कारण परम्परा के विरुद्ध किये गये कार्यों के प्रति खाप पंचायतें आनर किलिंग जैसी आपराधिक घटनाएं घटित करती रहती हैं। राजस्थान भी ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच वर्षों में 71 प्रकरण खाप पंचायतों के विरुद्ध उनके द्वारा जारी अवैध फरमानों के संबंध में दर्ज किये गये हैं। प्रकरण प्रेम-प्रसंग, पारिवारिक मतभेदों के भी होते हैं। मां-बाप कई बार विरोध करते हैं कि इस लड़की के साथ शादी मत कर। यह लड़की तेरे काबिल नहीं है। तेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं। लैला कोई सुंदर औरत नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी ने कहा मजनूं से, कि यह तो कोई सुंदर नहीं है, तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? उसने कहा कि लैला को देखने के लिए मजनूं की नजर और नजरिया चाहिए पिताजी।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: इनको पता नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मतलब यह है कि यहां पर जितने भी भाषण हुए उनमें यह कहा गया कि, साहब, माता-पिता से कन्सल्टेशंस हों, माता-पिता से ये हो, वो हो तो माता-पिता से कन्सल्टेशंस होते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी, वह जो लैला पर पत्थर मारने वाले थे न, वो ये थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई बार यह देखा गया है कि लड़का यह कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं पिता जी। पिता जी मना कर देते हैं। वो उनको मनाने की कोशिश करता है, वो नहीं मानते हैं तो झगड़ा होता है। लड़की अपने बाप से कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं लेकिन वो नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कभी न कभी बात बैठ भी जाती है। आज भी अगर कोई वयस्क लड़का या लड़की भाग जाते हैं और अगर वो पुलिस की इमदाद लेना चाहते हैं तो वो लड़की को बरामद करते हैं और बरामद करके यहां तक करते हैं कि उस लड़की को नारी शाला में भेज देते हैं। नारी शाला में भेज देते हैं दस रोज के लिए, सात रोज के लिए और फिर बाद में उसके बयान करवाते हैं। वह कहती है मैं वयस्क हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं या मैं मेरे पिता जी के पास जाना चाहती हूं जहां उसकी इच्छा होती है वहां पर चले जाते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आज भी है वह बात। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बोले, उन्होंने ट्विस्ट करके बात को कही है।

इसी तरीके से मैं आपसे सगौत्र की बात कहता हूं। पिछले पांच वर्षों में दस आनर किलिंग की घटनाओं ने हमारे प्रदेश की जनता को शर्मसार किया है। इन आपराधिक घटनाओं में अन्तर-जातीय विवाह करने वाले चार लड़के आठ लड़कियों की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। हाल ही में श्रीगंगानगर में एक 17 वर्षीय युवती जो शामिल है, उसके परिवार के ही छह व्यक्तियों ने उसको मार डाला। सिरोही में भी इसी वर्ष एक लड़की के परिजनों ने उसके द्वारा किसी अन्य जाति के युवक को पसंद करने के कारण अपनी लड़की को ही नहीं बल्कि उस लड़के को भी मार डाला। सही है यह बात?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सही है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो हां तो भरो। अपनी लड़की को भी मार डाला और जबरन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दाह संस्कार भी कर दिया, यह भी सही है? मौजूदा कानून-व्यवस्था इन घटनाओं को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अन्तर-जातीय और अन्तर-धार्मिक, अन्तर-सामुदायिक विवाह करने वाले युवकों का या विवाह की इच्छा रखने वाले वयस्कों को कानून से संरक्षण प्राप्त हो और उन्हें धमकी देने वाले और नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाने की व्यवस्था हो।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में कहीं पर भी सगौत्र शब्द काम में नहीं लिया गया है सिर्फ उद्देश्यों और कारणों में यह लिख दिया गया है। हिन्दू लॉ में जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दे रखी है, इसमें धारा 3 में लिखा हुआ है, जहां पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दे रखी है वहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। हिन्दू लॉ में है, ये प्रोविजन है तो इसलिए वो लागू नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि इस सगौत्र शब्द जो उद्देश्यों और कारणों में लिखा हुआ है इसको डिलीट किया जाए, मैं यह आपसे प्रस्ताव रखता हूं। यह कभी भी एक्ट का पार्ट नहीं रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय।

श्री सभापति: बोलने दें उनको, अपनी बात पूरी करने दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह कभी भी एक्ट का पार्ट नहीं रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके न तो आप खुद कन्फ्यूज्ड ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान) बोलने तो दें उनको। अंकित नहीं हो रहा है किसी का। प्लीज सहयोग करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह मानकर चलता हूं कि आप कन्फ्यूज्ड नहीं हों लेकिन इस शब्द को लेकर के आप जनता को कन्फ्यूज्ड करना चाहते हो, वो आप सफल नहीं हो पाओगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल कमीशन आफ वुमन ने एक बिल तैयार किया था 2010 में, 2010 में इसी बात को, आनर किलिंग पर ही उन्होंने बिल तैयार किया था, हमने उसकी स्टडी करके भी इस बिल को तैयार करने की कोशिश की है। ठीक इसी तरीके से विधि आयोग ने वर्ष 2012 में एक रिपोर्ट प्रेषित की थी जिसमें कि एक माडल प्रारूप बिल का तैयार किया गया था, हमने उसको भी अच्छी तरह से देखा है और उसको भी इसमें सम्मिलित करने का पूरा प्रयत्न किया है। निशिकांत दुबे जो लोक सभा के बहुत ही लोकप्रिय सदस्य रहे हैं, उन्होंने एक निजी बिल लोक सभा में प्रस्तुत किया था, वो भी इन्हीं लाइनों पर था तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो कन्फ्यूजन इन लोगों ने किया है मैं उनके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए सगौत्र शब्द जो उद्देश्यों और कारणों में लिखा गया है मैं उसको डिलीट किया जाए, यह आपसे निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, जैसा मैंने आपको बताया वैवाहिक अपराधों के लिए दंड के प्रावधान क्यों किये गये हैं? वैवाहिक अपराधों के लिए दंड के प्रावधान इसलिए किये गये हैं कि आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. में जो कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं उनको इनसफिशिएंट माना गया, उनको एडिक्वेट नहीं माना गया इसलिए यह बिल लाया गया और चूंकि इन दिनों में पूरे हिन्दुस्तान में इस तरह की घटनाएं प्रबल रूप से सामने आई हैं तो उनको रोकने के लिए कि किसी प्रकार से उनको शुरुआत में ही रोक दिया जाए इसलिए बिल को लाना सरकार ने आवश्यक समझा है और मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात को अनाउंस भी किया था कि हम आनर किलिंग का बिल लाएंगे। जब मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस किया था तो उसी वक्त से जनता को, जो-जो लोग इसमें अमेंडमेंट चाहते थे या जो-जो लोग अपनी बात को शामिल करवाना चाहते थे, ऐसे जो भी सुझाव देना चाहते थे, उनसे मेरा यह निवेदन है कि वह वक्त पर क्यों नहीं दिया? आज जब यह बिल पास होने के वक्त में आप अमेंडमेंट देते हो या जनमत जानने के लिए कहते हो तो आज यह बात सरकार स्वीकार नहीं करती इस बात को लेकर।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

(श्री सभापति)

को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 6 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 7-प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड7 में उप-खण्ड (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है या कठोर आजीवन कारावास से,' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 8 से 13 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 से 13 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड - 8 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

(18.10 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है इस विधेयक को पारित करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में बहुत से विधेयक पारित हुए हैं। सरकार की तरफ से कई बार संशोधन भी आए हैं। विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 265 से लेकर 268 तक संशोधन, प्रस्तुतीकरण की क्रिया, प्रतिक्रिया भी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, पहला मौका है जब उद्देश्य, कारण और कथन के अंदर एक इस प्रकार के शब्द को लिख दिया गया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। ''सगौत्र'' शब्द माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि यह त्रुटिवश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आ गया। आपने यह भी स्वीकार किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के सैक्शन 3 का जो शिड्यूल फर्स्ट है, उसमें जिन 'सगौत्रों' को वैवाहिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है, शादी होने पर शून्य करार दिया गया है, इनकी मंशा उनको इसमें शामिल करने की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, कंजूमर एक्शन ग्रुप वर्सेज स्टेट आफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 425 (2007), यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, एक तमिलनाडु का इसी प्रकार का मामला गया और उसमें एम्स और आब्जेक्ट्स के अंदर बिना संशोधन किए दोनों का प्रतिकूल था, एक्ट के प्रोविजो कुछ और कह रहे थे और एक्ट की धाराएं कुछ और कह रही थीं। जो मूल रूप से एक्ट के एम्स और आब्जेक्ट्स रखे गए थे, उद्देश्य और कारणों का कथन, इसका आशय कुछ और था। इस मामले में कंजूमर एक्शन ग्रुप वर्सेज स्टेट आफ तमिलनाडु के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि किसी भी कानून को उसके उद्देश्य और कारणों के कथन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेजिस्लेटिव कानून का प्रिएम्बल और उसके उद्देश्य और कारणों को अलग नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक निर्णय केरला एसईबी वर्सेज इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1976, एससीजी 466 इसके अंदर भी यही किया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इसमें भी केरल का एक कानून जिसमें एम्स और आब्जेक्ट्स और जो कानून के प्रोविजन्स हैं, दोनों कनफ्लिक्ट कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने उस कानून को नल एंड वोइड किया। अध्यक्ष महोदय, यह कानून कांकरेंट लिस्ट का सब्जैक्ट है। यह महामहिम राष्ट्रपति की कंसर्न के लिए जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें तो यह सिखाया गया है कि कानून किस उद्देश्य के साथ लाया गया, इसके कारण और कथन के लिए सरकार क्यों कानून लेकर के आई, इसके बारे में आप लिखते हो। जब तक यह शब्द 'सगौत्र' इसमें रहेगा, अध्यक्ष महोदय, यह कोई फौरी बात नहीं है कि मंत्री महोदय ने कह दिया कि मैं इसको संशोधित करता हूं। इनको लिखित में देना पड़ेगा। सर्कुलेट करना पड़ेगा कि कौनसी लाइन के अंदर, यह लिखेंगे उद्देश्यों और कारणों के कथन के अंदर, पंक्ति दूसरी के अंदर, इस शब्द के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बाद में यह पढ़ा जाए। तब यह लिखित के अंदर हमें सर्कुलेट होगा। यह हमारा अधिकार है सदन के सदस्य के रूप में। लिखित में आने के बाद हम इसे पढ़ेंगे और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह कोई चने की फसल नहीं, जो आप काट लोगे। यह कोई कोटा के अंदर आपकी भवानी मंडी की सब्जी मंडी नहीं है, जहां आप कुछ भी फैसला कर दोगे। यह कानून है। कानून बारीकियों से बनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह दूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप भवानी मंडी का नाम ले रहे हो। वसुंधरा जी की कांस्टीट्यूएंसी में है। आप खिलाफ हो उनके। यह सब जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह हमारी नेता हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह यहां सदन में नहीं हैं तो कम से कम ऐसा तो मत कहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह हमारी नेता हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई नेता बदल लिए आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने सुबह मेरी बात को प्रारम्भ किया था, बिल पर बोलने के लिए जब मैं खड़ा हुआ था तो मैंने और मेरे बाद में दिलावर साहब ने इस शब्द की व्याख्या की थी। कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप हाउस एडजोर्न करके, अधिकारियों के साथ बैठक करके, क्योंकि मैंने आज तक उद्देश्यों और कारणों के कथन में कभी संशोधन देखा नहीं। आपको सदन से माफी मांगनी चाहिए कि आपने हमारा समय जाया किया। इस पूरे कानून को वापस लेना चाहिए वर्ना इसका हिस्सा हम बनें, प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसका हिस्सा अपने को बनना है कि नहीं बनना है, यह आप देख लें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रश्न उठाया। उसके बाद मैंने स्वयं ने जो लीगल है, उन सबसे चर्चा की है। 'सगौत्र' कोई वर्ड कानून में नहीं है। सोशल पारलेज में 'सगौत्र' वर्ड है। इसलिए इससे यह मैसेज जाए, उस मैसेज को रोकने के लिए मंत्री जी ने कहा कि हम डिलीट कर रहे हैं वर्ना

(श्री अध्यक्ष)

कानून में वह लिखा हुआ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि कानून की दृष्टि से जो उद्देश्य और उसमें लिखा हुआ है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन कॉमन आदमी को मैसेज जाए, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने विलोपित है। मैं समझता हूं कि अब इसमें कुछ नहीं है। श्री राजेन्द्र जी गुढ़ा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। इस पर सुबह से बहस चल रही है। पक्ष और विपक्ष में सभी लोगों ने अपने विचार रखे। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाह रहा हूं कि झुंझुनूं जिला राजस्थान में महिला शिक्षा में नंबर वन पर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर आप जानकारी करेंगे तो यह जो लव मैरिज की घटनाएं हैं, इस तरह की जो शादियां हैं, यह सबसे ज्यादा झुंझुनूं जिले में हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसका रिजल्ट यह है कि यदि किसी लड़के की शादी नहीं होती है और उसकी उम्र निकल गई तो डी.जे. बजाने लग जाता है और महीने, दो महीने में उसके साथ कोई लड़की चली जाती है। जो बसों के अंदर कंडक्टर चलते हैं, ख़लासी हैं, ट्रकों, डंपरों पर जो चलते हैं, वह लड़कियां ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं लव मैरिज के बिल पर ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के अंदर जो एक कानून बनाया था कि दलित की बच्ची यदि किसी जनरल से या किसी गैर दलित से शादी कर लेगी या गैर दलित, दलित में शादी कर लेगा तो उसको 5 लाख रुपये देंगे। मेरे जिले के अंदर दलितों की लड़कियों से 5-5 लाख के चक्कर में, कम से कम साढ़े 3 सौ बच्चियां ले गए। उधर से एक भी बच्ची इधर नहीं आई। बच्चियां सारी दलितों की जा रही हैं। यह एक बड़ी सामाजिक दिक्कत हो गई। इससे जो दलितों के बच्चे हैं वह कुंवारे फिरेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इससे शेखावाटी के अंदर जो स्थिति बन रही है, वह अलग है। पहले जो शादी होती थी या अरेंज मैरिज से जो शादी होती है, उसमें बड़ भतई, भतई, बड़ी जुहारी, छोटी जुहारी, बारात शामिल होते थे। इसमें यदि

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

बच्चा और बच्ची के बीच में कोई अनबन भी हो जाए और बच्ची के साथ अन्याय हो तो जो सारे के सारे लोग जुहारी लेने वाले, सही बात के लिए बच्ची के साथ खड़े हो जाते थे। उस बच्ची को हर तरह से सपोर्ट मिलता था।

अध्यक्ष महोदय, इन मामलों में अब जो स्थितियां बन रही हैं, लड़के लड़कियों को ले गए और जो वापस लड़कियां आ रही हैं छोड-छोड़कर के, बच्चे हो गए, उनकी इतनी बड़ी तादाद हो रही है कि उनके लिए हमारे जिले में, मेरे गुढ़ा में तो कोई न कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। समाज कल्याण वालों को कुछ करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हकीकत में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मेरे से पहले जो कई लोगों ने कहा कि उम्र 18 साल से 25 साल करनी चाहिए या इसको और बढ़ाना चाहिए। जो फैसले मां-बाप करते हैं या दूसरे लोग करते हैं, उनके रिजल्ट ज्यादा बढ़िया हैं। कोई बच्चा डाक्टर बन गया, बच्ची डाक्टर बन गई, वह शादियां करते हैं तो इसमें किसी को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा तो आपसे निवेदन है कि यह जो घटनाएं हो रही हैं और इनके जो दुष्परिणाम हैं, जो लड़के महीने में 100 रुपये नहीं कमाते हैं, उन्होंने 3-3 शादियां कर लीं। वे उन बच्चों का कहां से लालन-पालन करेंगे? इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से समाज में बदलाव हो रहे हैं, यह सब नैचुरल है। वैदिक काल में भी कोई जाति प्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से समाज चलता था। लड़का, लड़की आपस में पसंद करते थे। शादियां हो जाती थीं। शादी-विवाह 2 परिवारों का बंधन है। दो आत्माओं का मिलन है। यही समाज की मान्यता है, समाज इसी को मानकर चल रहा है। जिस तरीके से स्मार्ट फोन, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन का विस्तार होना, यह नैचुरल चीज है, हम इन सब चीजों को रोक नहीं पाएंगे। मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि सरकार ने समय रहते हुए इस बिल पर चर्चा की और यह

(श्री जगदीश चन्द्र)

बिल सदन में आप लेकर आए। सगौत्र है, गौत्र है, स्पेसिफिक हिन्दू मैरिज एक्ट बना हुआ है, जिसके साथ हमारे रीति-रिवाज से शादी ब्याह होते रहते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले बना हुआ कानून आज के जमाने में वह प्रासंगिक नहीं है। उसमें भी बदलाव की जरूरत है। मैं माब लिंचिंग के सम्बन्ध में कुछ बोलना चाह रहा था। 2006 में एक जजमेंट आया था, प्रकाश सिंह वर्सेज स्टेट आफ यूनियन आफ इंडिया का, जिसमें पुलिस के बारे में कुछ चीजें मेंशन की हुई थीं। उसमें एक क्लाज था, जजमेंट के क्लाज नम्बर 6 पर, जिसमें जस्टिस ने पुलिस कम्पलेंट आथोरिटी के बारे में चर्चा उन्होंने की थी, जिसमें कहा था कि पुलिस कम्पलेंट आथोरिटी हर स्टेट में एस्टेब्लिश होनी चाहिए ताकि इन सब घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहे और इनको रोकने में मदद कर पाए।

जिस विषय पर चर्चा हुई है निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार यह कानून लेकर आई है, बिल लेकर आई है। यह समय की बहुत जरूरत है और मुझे लगता है कि इस कानून का उपयोग कर हम इन चीजों को आने वाले समय में समाज में रोक पाएंगे। आनर किलिंग की घटनाएं, मैं देख रहा था अख़बार कल, राजस्थान में करीब दस से बारह आनर किलिंग की घटनाएं एक साल में घटित हुई हैं। हमारे बगल के प्रदेश हरियाणा में आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। कभी खाप पंचायत के माध्यम से, कभी कबीले के माध्यम से ये घटनाएं घटती रहती हैं। जो जजमेंट था, तहसीम पूनेवाला, उसमें जजमेंट में भी एक साइटेशन दिया हुआ था कि उसमें वाहिनी शक्ति, एक खाप पंचायत के द्वारा, उस पंचायत की उसमें चर्चा की हुई थी। खाप पंचायत के लोग जो मानसिकता, जिस तरीके का वातावरण आज गांव में है, उस गांव में निश्चित रूप से कोई न कोई नुकसान हो रहा है लेकिन समय रहते हुए हम इन सब चीजों में सुधार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा, सारा डिस्कशन हो चुका है, आपने मुझे मौका दिया और मैं बिल के समर्थन में अपना समर्थन दे रहा हूं और मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इतना शानदार बिल पेश किया ताकि आने वाली घटनाएं हैं उनको हम रोक पाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे, सुझाव भी थे, आपत्तियां भी थीं और कुछ कुंठाएं भी थीं। मन में कुंठाएं इस प्रकार की पैदा हो जाती हैं कि जिस विचारधारा को आप पसंद नहीं करते, उसमें आप विचलित हो जाते हैं और विचलित होकर कोई न कोई ऐसा बिन्दु तलाश करते हो जिससे जनता में उस बात को फैलाया जाए। जैसे 'सगौत्र' एक शब्द आ गया। उसको डिलीट करने के लिए भी निवेदन कर दिया और यह भी कह दिया कि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वह बिल का पार्ट नहीं है, वह बिल का पार्ट हो सकता है लेकिन एक्ट जो पास किया जा रहा है उसमें 'सगौत्र' शब्द नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने सुप्रीम कोर्ट के दो-दो प्रसंग यहां रखे हैं, दो-दो चीजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं जिस प्रकार से ये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लीगली कोई गलत नहीं है। मैं फिर दुबारा कह रहा हूं, लीगली उसमें कोई गलती नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जाने दो फिर।

श्री अध्यक्ष: उसमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन क्योंकि बिल अल्टीमेटली साधारण आदमी की समझ के लिए लाया जाता है। इस बिल का उद्देश्य है कि साधारण आदमी को यह कंफ्यूजन नहीं हो कि 'सगौत्र' का मतलब यह है। इसलिए उसको मंत्रीजी ने लार्जर इंटरेस्ट में डिलीट करने का किया, बाकी कानून के अंतर्गत उसमें कोई गलती नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसका पार्ट नहीं है तो डिलीट नहीं करें। अगर डिलीट करना है तो विधिवत रूप से लिखित के अंदर संशोधन मूव करें।

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो रहने दो, इसका पार्ट रहने दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह एक्ट का पार्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह एक्ट का पार्ट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ... (व्यवधान) आप इतने सीनियर सदस्य हैं, आप इतने सीनियर सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर करो ही मत।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रहने दो फिर।

श्री अध्यक्ष: आप इतने सीनियर सदस्य हैं। (व्यवधान) कोई तकलीफ नहीं। चूंकि आपने अपने एप्रिहेंशन रेज किए हैं, आपकी एप्रिहेंशन के हिसाब से इस बिल का कोई सम्बन्ध शादियों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। यह बिल केवल मात्र आनर किलिंग को रोकने के लिए है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करें। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि 'सगौत्र' जो वर्ड है, ऐसा कोई लीगली वर्ड नहीं है। ऐसा कानून की दृष्टि से गलत नहीं है लेकिन समाज में मैसेज जाना चाहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए हटा रहे हैं इसको, बस। (व्यवधान) प्लीज बस हो गया। आप बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ऐसे कैसे हटा रहे हैं? प्रक्रिया होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अध्यक्ष की रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं माफी चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नाराज न हों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने रूलिंग सब देख ली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की सम्पत्ति है, ऐसे घर की खेती थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह दिनांक 18 नवम्बर, 1957 की अध्यक्षीय रूलिंग है। कोई भी बात मैं बिना रूलिंग के नहीं कह रहा हूं। आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया लेकिन कॉमन आदमी को भी कानून की जानकारी होनी चाहिए, यह बिल इस उद्देश्य से लाए हैं कि कम से कम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में समाज को

(श्री अध्यक्ष)

समाचार मिले, यह समाचार नहीं मिले कि यह कानून से सगौत्र शादियों को रोका जा रहा है, यह उद्देश्य नहीं है इस बिल का। इसलिए यह कंफ्यूजन दूर करने के लिए मंत्रीजी ने कहा, वैसे यह Aims and Object are not the part of the bill, this is the decision of the Speaker ruling. मेरी रूलिंग नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्रीजी अपना जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर अगर यह एक्ट का पार्ट होता तो जैसे मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया है, मैं डेफिनेटली इसके लिए भी अमेंडमेंट मूव कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें और आप रोक भी नहीं सकते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने पर न तो हमने मुस्लिम लॉ को छेड़ा और न हिन्दू लॉ को छेड़ा। हिन्दू लॉ के किसी भी कानून को छेड़ा नहीं। जो उन्होंने प्रोविजन्स दे रखे हैं, उनके अलावा यह बिल लाया गया है।

दो वयस्क व्यक्ति के मध्य अन्तरजातीय, अन्तरसमुदाय और अन्तर धार्मिक विवाहों के सम्बन्ध में जो घटनाएं घटती हैं इसलिए इस विधेयक को लाया गया है। मेरा निवेदन यह है कि धमकियां मिलती रहती हैं, लगातार मिलती रहती हैं और उन धमकी देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो, उसके लिए इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी इतनी मदद नहीं कर पाती जितनी कि यह विधेयक मदद कर पाएगा। विटनेसेज का जहां तक सवाल है, माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि विटनेसेज का क्या होगा। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, चन्द्रभान सिंहजी, गायब हो गए, उन्होंने कहा कि विटनेसेज का क्या होगा?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मैं यही हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विटनेसेज को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरा प्रोटेक्शन है उनको, पूरी सुरक्षा दी गई है, जो पीड़ित हैं और साथियों का बाकायदा शैल्टर का प्रोविजन भी किया गया है। इसी तरीके से इस बिल में पुलिस अधिकारी अपनी कोई नेग्लीजेंस दिखाता है, किसी तरीके का कोई मिस कंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्यवाही करने का भी है। आईपीसी की

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

166 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी कार्यवाही की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है, सीसीए रूल्स में 16 और 17 में एपीओ किया जा सकता है, सस्पैंड किया जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है, वगैरह-वगैरह सब चीजें हैं। अब जो कम्पनसैट करने के लिए बात है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लव जिहाद का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत गलत परम्परा है। प्लीज, आई हैव टू नेम इट। आखिरी दिन, Don't compel me, I'll name you. आप सीनियर आदमी होकर इंटरवीन कर रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो कम्पनसैट करना वाली बात है, कम्पनसैट करने का भी इसमें प्रोविजन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करने चाहता हूं कि वह राजीव गांधी की सरकार थी जिसने 18 साल के लड़के को मतदान का अधिकार दिया था, 18 साल के लड़के को और वह कांग्रेस की सरकार थी जिसने अन्तरजातीय विवाह करने के लिए चाहे वह अनुसूचित जाति की लड़की हो और लड़का चाहे सवर्ण हो, चाहे सवर्ण लड़की हो और अनुसूचित जाति का या जनजाति का लड़का हो, तो 5 लाख रुपये देने का कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत परम्परा है, आप सीनियर आदमी हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 18 साल के लड़के को सिर्फ मतदान का ही अधिकार नहीं दिया था बल्कि सम्पत्ति रखने का भी अधिकार दिया था। हम तो उन लोगों को जो वयस्क हो चुके हैं, उनको अपनी मर्जी से चलने देना चाहते हैं, वह अपनी मर्जी से काम करें, वह अपनी मर्जी से अपनी च्वाइस के हिसाब से सामान खरीदें, लड़की पसंद करें, लड़का पसंद करें, वगैरह-वगैरह। जो कुछ भी काम करना चाहें, करें। (व्यवधान) चूंकि मुझे आपका किस्सा याद है, जब आपने अपने पिताजी से इजाजत मांगी थी तो पिताजी ने आपको डांट कर बैठा दिया था और आप चुपचाप बैठ गए थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

माननीय मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे नागौर के सम्बन्ध में।

शासकीय वक्तव्य

नागौर में बालिका की मृत्यु से जनाक्रोश

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नागौर में एक छात्रा की हॉस्टल में मृत्यु हो गयी। दिनांक 03.08.2019 को वीरेन्द्र पुत्र किसनाराम निवासी मांडपुर तहसील खींवसर जिला नागौर ने उनकी पुत्री बिन्दु, जो सर्वोदय नर्सिंग कालेज, नागौर में नर्सिंग का अध्ययन कर रही थी, वहीं हास्टल में रह रही थी। हत्या के सम्बन्ध में थानाधिकारी कोतवाली को रिपोर्ट पेश की कि जिसमें प्रकरण संख्या 386/2019 जुल्म दफा 302, 201, 120 बी आईपीसी में दर्ज कर तफ्तीश थानाधिकारी मुकुट बिहारी द्वारा शुरू की गयी। रिपोर्ट में निम्न बातें लिखी गयीं व आरोप भी लगाये गये:

लड़की के पिता ने रिपोर्ट में लिखवाया कि दिनांक 02.08.2019 की शाम 8 बजे कालेज के निदेशक के भतीजे धर्मेन्द्र ने मेरी पुत्री के फोन नम्बर 9588989829 से फोन किया कि वह अपनी माता से बात करना चाहती है। फिर इस नम्बर से धर्मेन्द्र ने एक लड़की से बात करवायी, परंतु वह आवाज बिन्दु की नहीं थी। आधे घंटे बाद धर्मेन्द्र ने अन्य फोन नम्बर से फोन किया कि बिन्दु फांसी खाने की कोशिश कर रही है। हमने कहा कि हम लोग कालेज आ रहे हैं तो धर्मेन्द्र ने कहा कि रात हो गयी है, आप सुबह आ जाइएगा। थोड़ी देर बाद फोन आया कि बिन्दु ने फांसी खा ली।

मैं व मेरे परिजन अन्य गांव वालों के नागौर आने के पहले ही कॉलेज निदेशक पुखराज ने पुलिस व मुझे बिना सूचना दिये मेरी पुत्री की लाश नागौर हास्पिटल में लाकर मोर्चरी में रखवा दी। पुलिस जब कालेज के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मौके पर गयी तो बिन्दु के कमरे से फोन जब्त किया जिसमें नम्बर वगैरह सब डिलीटेड थे। जब हमने कालेज निदेशक पुखराज व धर्मेन्द्र से उक्त घटना के बारे में पूछताछ की तो कभी तो बार-बार कथन बदलकर के बात कर रहे थे और कोई संतोषजनक जवाब वे नहीं दे रहे थे। हमने सुबह मोर्चरी में लाश को देखा तो बिन्दु की आंखें खुली हुई थीं, मुंह बंद था और अंडरवियर व लैगिंग पहनी हुई थी और एक फटी हुई पजामी पहनी हुई थी जो कि बिन्दु की नहीं थी।

उसकी गर्दन के दोनों तरफ चिह्न करके फांसी का रूप दिया गया। बिन्दु की मृत्यु फांसी से नहीं हुई, बल्कि पुखराज, धर्मेन्द्र व अन्य लोगों ने मिलकर के मेरी पुत्री के साथ संगीन अपराध कारित किया है जिसे छिपाने की नीयत से बिन्दु की हत्या की गयी है। पूर्व में भी इनके द्वारा मेरी बच्ची को परेशान करने की बात मुझ से कही गयी थी। मैंने इन्हें ओलमा भी दिया तो कहा गया कि आइंदा इस तरह की कोई शिकायत आपके सामने नहीं आएगी। आज दिनांक 05.08.2019 तक मृतका सुश्री बिन्दु की लाश पोस्टमार्टम करवाने हेतु जेएलएन अस्पताल, नागौर की मोर्चरी में रखी हुई है।

आज दिनांक 05.08.2019 को जेएलएन अस्पताल, नागौर में 400-500 व्यक्ति एकत्रित हैं जो मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी व मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड एम्स, जोधपुर द्वारा करवाए जाने व मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल, नागौर से विधायक श्री मोहन राम चौधरी, मकराना से विधायक श्री रूपाराम, भोपालगढ़ से विधायक श्री पुखराज गर्ग, मेड़ता से विधायक श्रीमती इन्दिरा देवी व पूर्व आईपीएस श्री सवाई सिंह चौधरी का समर्थन प्राप्त है।

रेंज महानिरीक्षक, अजमेर ने नागौर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया है। मौके पर रेंज महानिरीक्षक, अजमेर, जिला कलेक्टर, नागौर व पुलिस अधीक्षक, नागौर मृतका के परिजनों व अन्य पक्षकारों से घटना तथा अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे हैं। मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने हेतु तैयारी कर ली गयी है। प्रकरण में एफआईआर में आरोपित पुखराज व धर्मेन्द्र को पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया है। उनसे गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एफआईआर थी, वह तो परिवार ने दी थी। सवाल यह है कि यह जो बात आ रही है, इसकी सच्चाई का आखिर अब तक, यह घटना दो तारीख से लेकर पांच तक आ गयी। क्या पुलिस अभी तक यह वैरिफाई नहीं कर सकी कि उसकी डैड बाडी को कैसे उतार लिया गया? वह फांसी खाने की तैयारी कर रही है, अब यह तो उनका वर्जन है, पर सच्चाई क्या है? क्या उसके फांसी खाने के बाद उस डैड बाडी को उतारने का अधिकार प्रशासन को था? बिना पुलिस की उपस्थिति के या बिना पुलिस को बुलाए या बिना पुलिस को सूचना दिये क्या कोई इस प्रकार का कृत्य कर सकता है? इसका मतलब यह है कि उसने कानून तो वैसे ही तोड़ा है। इतना वह अनजान तो नहीं है। फांसी लगा ली थी तो पुलिस को बुलाया जा सकता था न, इसमें दिक्कत क्या थी? फांसी तो उसने खा ही ली थी। वैरिफाई हो जाता, लेकिन यह तो एकदम प्रूफ है कि संस्था के लोगों ने ही उसे मारने के बाद फांसी का नाटक करके उस बाडी को ले जाकर के मोर्चरी तक पहुंचा दिया है। ऐसे में अब उन्हें बुलाकर के उनसे पूछताछ करना, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। फिर इसे दो जातियों का रंग देने का जो प्रयास किया गया है। मैंने सवेरे भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, अगर हम थोड़ी-सी भी चूक करेंगे तो ठीक नहीं होगा। न्याय चाहिए, अगर वह सच है तो है और अगर यह सच है तो है। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि उस एरिया में विद्वेष फैलेगा। उसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं इस विषय को कोई हाइलाइट करना के लिए या अपना नाम अख़बार में नाम छपवाने के लिए नहीं उठा रहा, मैं यह कह रहा हूं कि कानून के तहत डैड बॉडी को उतारने का अधिकार उनका नहीं था। उन्होंने अगर उतारकर हास्पिटल पहुंचाया तो संदेह में वे अपनेआप आ गये। इसके लिए आप उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं कि नहीं? यह बताएं।

इतने दिन हो गये। सवेरे हमने बात कर ली। अभी तक पुलिस इस पर नहीं पहुंच पायी कि हुआ क्या है। अगर इस तरह से बात करेंगे तब तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। हमने सवेरे आपके सामने विषय रख दिया। अब तक तो क्या कार्यवाही की, यह आ जाना चाहिए था। कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं, यह गलत है या सही, अभी तक भी धरना लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अभी जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उनको पूछताछ के लिए तलब किया है जबकि तीन दिन से पांच हजार आदमी वहां बैठे हैं मोर्चरी के सामने तो पुलिस ने अभी तक उनसे पूछताछ की ही नहीं क्या? फिर इतने दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? जब स्पष्ट है कि बिना परिवार से पूछे, बिना परिवार को बुलाए, बिना पुलिस को बुलाए, उस बाडी को उतारकर ले जाकर वहां मोर्चरी में डाल दिया उन्होंने। वे दोषी हैं या नहीं? सरकार इसे स्पष्ट करे न।

अभी पूछताछ के लिए बुलाया है तो फिर चार दिन तक क्या किया इन्होंने? इसका मतलब सरकार की मंशा नहीं है कि दोषियों को सज़ा मिले। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ अत्याचार हुआ। उसकी निर्मम हत्या की गयी, उसे मारा गया और फिर ले जाकर के उसे मोर्चरी में डाला गया। उन अभियुक्तों को बचाने के लिए ही पुलिस और सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए कि उसकी कार्यवाही करने की नीयत है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री मुकेश कुमार भाकर।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): अध्यक्ष जी, मैंने सुबह भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। चार दिन से उसके परिजन वहां धरना लगाए बैठे हैं और जातीय द्वेषता फैलने की स्थिति वहां है। मैं आदरणीय मंत्री जी और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत होती है और क्यों बिना प्रशासन के फांसी से उतारकर उन्हें मोर्चरी ले जाया जाता है? इस बात के लिए जो भी दोषी हैं, किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं हो, लेकिन जिन्होंने यह कृत्य किया है, संगीन अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और उच्च स्तरीय जांच की घोषणा मंत्री जी यहां करें, मैं यह मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी वहां धरने में था। मैंने कई धरने देखे हैं और इस प्रकार की जो मैंने घटना देखी, उसमें सबसे पहले यही सामने आता है कि पुलिस इतनी निष्क्रिय थी, पुलिस शायद यही चाहती है कि उस अपराधी को बचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपराधी को बचाने की कोशिश की जाती है तो जातीय रंग दे दिया जाता

(श्री रूपा राम)

है। इससे एक अपराधी के साथ उसकी जाति के लोग जो सीधे-सादे, भोले-भाले होते हैं, उसके साथ हो जाते हैं। इससे कई जातियों के बीच में सामंजस्य और शांति बिगड़ रही है उससे साफ लग रहा हैं कि इन लोगों की, पुलिस की या सरकार की मन्शा नहीं है। मैंने भी यह कहा कि जब उसने फांसी लगाई तो उसको वहां से हास्पिटल में कैसे ले गये। इसलिए आप इस मामले को गम्भीरता से सुनिये, गम्भीरता से लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मुद्दा है, एक बच्ची की जान चली जाती है। हमारे यहां कोटा या जहां भी बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहां उनकी जिम्मेदारी ठहराई जाती है चाहे वह बच्चा घर में जाकर फांसी खा ले और यहां एक हास्टल में बच्ची खत्म हुई है तथा उसके बाद जो मुलजिम है वह अपनी ताकत का किस तरह से उपयोग कर रहा है कि उसने एक जाति को कर लिया। सर, मैं वहां गया तो वहां पर मालियों और जाटों के दोनों गुट के बीच में एक मीटिंग थी। उन लोगों ने कहा कि हम धरना दे रहे हैं तो मैंने कहा कि मरा तो इनके है, फिर आप क्यों धरना दे रहे हो? आपके तो कोई अभी तक मरा ही नहीं है। यह सही घटना बता रहा हूं क्योंकि वह अपराधी आदमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसकी जांच करवा लीजिये, उसका पिछला रिकार्ड जांच में देख लीजिये, उसका रिकार्ड है वह भी इस तरह का है कि वह संदिग्ध आदमी है और चारित्रिक रूप से भी वह ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह हॉस्टल में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ में गलत सम्बन्ध पैदा करता है और उनका शोषण करता है। आप इसको गहराई से ले जाइये और इसके पिछले कई सालों का रिकार्ड दर्ज कीजिये, इसका रिकार्ड मालूम कीजिये। आपको पता है कि जब किसी की बेटी चली जाती है और यहां तक कि उसकी बेटी के बारे में गलत-गलत शब्द सोशल मीडिया में आ रहे हैं, मैंने उन लोगों को कहा कि कल आपकी बेटी भी जा सकती है और जाने के बाद में उसका चरित्र क्या था, कैसा था, उस पर अंगुली उठाई जाती है न कि मुलजिम को पकड़कर अन्दर किया जाता है। साफ लिखा है फिर भी तीन दिन हो गये उसके बाद में आज मुलजिम को पूछने के लिए बुलाया है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इसमें सख्त कार्यवाही होगी, नागौर जिले में शांति होगी, जातियों में आपस में तालमेल और शांति बनी रहेगी। अपराधी अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन सिंह चौधरी। एक मिनट।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष जी, इस मामले में मेरी नागौर के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई तो उनका जवाब बड़ा अजीब सा लगा। आला अधिकारी यह बोलते हैं कि हम ऐसे-कैसे किसी को पकड़कर ले जाएं। अध्यक्ष जी, एक छोटी सी चोरी होती है उसमें जिसकी मर्जी, गरीब को घर से उठाकर ले जाते हैं और यहां पर एक बच्ची की आत्महत्या या हत्या जो भी है, लेकिन पुलिस यह जवाब देती है, आला अधिकारी यह जवाब देते हैं कि हम किसी को कैसे उठाकर ले आएं, 302 का मामला है। हकीकत है 302 का मामला है और एक मां-बाप की बच्ची गई है, वहां पर लोग तीन दिन से धरने पर बैठे हैं और आज दिन तक वहां की पुलिस बिल्कुल नाकारा है तथा जो बड़े अधिकारी हैं वे एक स्पष्ट सोच के साथ काम कर रहे हैं कि इस केस के अन्दर हमें उस परिवार की मदद नहीं करना है तो मेरी इल्तजा आपके माध्यम से मंत्री जी से है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने जिस तरह बताया और नागौर जिले में जो घटना हुई है वह वास्तव में एक चिंता का विषय है क्योंकि जब से सदन चल रहा है तब से इस तरह की घटनाएं पूरे राजस्थान में दो-तीन बार हुईं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस तरह से इस घटना को जातीय रूप से अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस के बयान आ रहे हैं और लोगों की मांग है कि किस तरह से बच्ची का शव है उसको उतारकर मोर्चरी पहुंचाया तो आज हम आप लोगों से मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाकर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कर इस मामले का खुलासा होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उस बच्ची की मौत हुई थी। मैं आपसे सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से इसकी जांच की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन राम चौधरी।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, कल रूपा राम जी और हम वहां साथ ही थे। हमने दोनों पक्षों से बात की, समाज के जो लोग इकट्ठे हुए वे भी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई को यह

(श्री मोहन राम चौधरी)

केस दिया जाए। उधर लड़की के परिजन भी यही चाहते हैं कि यहां की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, यहां पर हमें न्याय नहीं मिल सकता इसलिए इसको सीबीआई को दिया जाए। मेरा यह निवेदन है कि उसको सीबीआई को दे दिया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया कि आज पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया। मंत्री जी, 2 अगस्त की घटना है और जिला मुख्यालय की घटना है। पुलिस की भूमिका पर संदेह की सूई इसलिए घूमती है कि 2 अगस्त के बाद वहां लगातार 4-4, 5-5 हजार आदमी बैठे हैं, धरना दे रहे हैं तो गिरफ्तारी तो दूर, पूछने का भी आप कह रहे हो कि अब उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है इसलिए पहली बात तो मैं यह कहता हूं कि आप वहां की पुलिस से इस जांच को हटाओ। नम्बर एक बात।

नम्बर दो बात, अध्यक्ष महोदय, हैंगिंग हुई या नहीं हुई पर बिना पुलिस के हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस डैड बाडी को लिया तो लिया क्यों? क्योंकि एमएलसी केस है इसलिए या तो पुलिस की तहरीर के साथ डैड बाडी जाती है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि डैड बाडी किस स्थिति, परिस्थिति में उतारी गई और किस प्रकार उस डैड बाडी को हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में लिया जो अब तक उनके कब्जे में है। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, आजकल आम बात हो गई कि जब कभी भी किसी तरह की घटनाएं होती हैं तो जो अपने आपको समाज के अगुवा कहते हैं, दोनों तरफ से उठकर इस प्रकार का सामंजस्य बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपके आईजी साहब भी आज पधारे हैं। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं आप यह महसूस करते होंगे, एक मैं ही नहीं कह रहा हूं, सत्ता के साथ बैठे माननीय सदस्यों ने एक के बाद एक आपसे सवाल पूछे, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, आप किसी उच्च अधिकारी, एडिशनल डीजीपी स्तर के अधिकारी को वहां पर भेजिये कि वे उन सबसे बात करें और सबके साथ-साथ इसका इन्वेस्टिगेशन वहां की लोकल पुलिस से हटवाकर सीबीआई को दिलायें और सीबीआई को नहीं दिलायें तो कम से कम एक टास्क फोर्स बना दें ताकि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। एक मिनट, श्री विजयपाल मिर्धा।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने नागौर का यह मुद्दा उठाया है, मैं भी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जो भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनसे आप जांच करवाएं। जैसे पूर्व में प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने भी कहा कि आप जिससे भी या सीबीआई से जांच करवायें और जो बच्ची के माता-पिता हैं उनको न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें बात कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। नहीं, बैठें आप। विषय की गम्भीरता को समझें, बैठें प्लीज। माननीय सदस्या, बैठें। विषय की गम्भीरता को समझें आप। बैठें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और खासतौर पर प्रतिपक्ष के नेता ने जांच के ऊपर जो शक जाहिर किया है और जिस प्रकार से यह घटना घटी है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दोराय नहीं कि यह कानून से हटकर कुछ काम हुए हैं। उसको सीधे मोर्चरी में ले जाना, पुलिस को इत्तिला नहीं देना, यह सब कुछ है और यहां तक बिलकुल सही है लेकिन अनुसंधान जारी है। हमें अनुंसधान के नतीजे तक, अनुसंधान किस नतीजे तक पहुंचता है तब तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। यह बात जरूर है कि कुछ लैप्स हो सकती है, वह आगे की बात है, जिसकी लैप्स होगी वह सज़ा पाएगा इसमें कोई दोराय नहीं है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विश्वास रखना चाहिए कि इस मामले में सरकार के द्वारा हरचन्द कोशिश यह की जाएगी कि उस परिवार को न्याय मिले। इसीलिए बड़े अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डालते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि जांच सीआईडी (सीबी) के द्वारा करवायी जाएगी और पर्सनली एडीजी खुद स्वयं इस प्रकरण को देखेंगे और नतीजे तक पहुंचने में उनको वक्त नहीं लगेगा, मुझे इस प्रकार का संदेश है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अजमेर के सम्बन्ध में स्टेटमेंट देंगे। माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय मंत्री जी, दूसरा स्टेटमेंट। चर्चा समाप्त कर दी। प्लीज।

किशनगढ़ (अजमेर) में धर्म परिवर्तन से स्थानीय लोगों में तनाव

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देवनानी जी का था साहब, देवनानी हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप यहां टेबल पर स्टेटमेंट रख दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं टेबल पर रख देता हूं।

लिखित वक्तव्य

(माननीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री द्वारा अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।)

(माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र के कार्यों का लेखा-जोखा

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबकी अनुमति से, जो सदन, हमारा सत्र समाप्ति की स्टेज पर है, मैं उचित समझता हूं कि हमारे सत्र की जो उपलब्धियां हैं उनके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करूं।

पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में सदन में लिए गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण -

सत्र समीक्षा -

पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का द्वितीय सत्र, जो दिनांक 27 जून, 2019 से प्रारम्भ हुआ था, आज दिनांक 05 अगस्त, 2019 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रहा है। इस बजट सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 05 अगस्त, 2019 तक कुल 179 घंटे से अधिक सदन की बैठक हुई।

बधाई सन्देश - सदन द्वारा दिनांक 27 जून, 2019 को श्री ओम बिरला के लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामय पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने पर सदन द्वारा उन्हें बधाई दी गई।

प्रश्न - इस सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 7292 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 7277 प्रश्न स्वीकृत किये गये। स्वीकृत प्रश्नों में तारांकित प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

3220 एवं अतारांकित प्रश्न 4057 हैं। कुल 477 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 222 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। इसी तरह 599 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। श्री मदन दिलावर एवं श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य, विधान सभा द्वारा आधे घंटे की चर्चा भी उठाई गई।

प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत 273 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से 64 माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई एवं मंत्रीगणों द्वारा 22 विषयों पर राज्य सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई।

प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत प्राप्त 190 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं/पढ़ी हुई मानी गईं जिनमें से 75 सूचनाओं के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई।

प्रक्रिया के नियम-119 के अंतर्गत लोक हित के विषय संबंधी प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम-119 के अंतर्गत लोक हित के विषय के अंतर्गत 02 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से एक प्रस्ताव राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए प्रेषित किया गया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

प्रतिदिन शून्यकाल में माननीय सदस्यों को ज्वलंत समस्याओं और विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर उनके द्वारा दी गई पर्चियों आदि के आधार पर दिया गया, 55 माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई पर्ची के आधार पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। यहां यह भी उल्लेख करना है कि पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषयों पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है, फिर भी पर्ची के माध्यम से उठाए गये 14 विषयों पर तत्काल राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई।

प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उक्त नियम के अंतर्गत 639 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं उनमें से 284 के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं। इनमें से 28 प्रस्ताव सदन

(श्री अध्यक्ष)

में संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य-सूची में सूचीबद्ध किये गये।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-2020 पर सामान्य वाद-विवाद एवं अनुदानों की मांगों पर विचार

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-2020 सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर 4 दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ, जिसमें 106 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। सदन में कुल 23.13 घंटे वाद-विवाद हुआ। विभिन्न विभागों से संबंधित 16 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हेतु 8 दिवस नियत किये गये। अनुदान की मांगों पर 3521 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से 2871 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 650 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। अनुदानों की मांगों पर विभिन्न तिथियों को हुई चर्चा में कुल 353 सदस्यों ने भाग लिया।

विधायी कार्य

वर्तमान सत्र में कुल 15 विधेयक पुरःस्थापित किये जाकर 15 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 175 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 34 अग्राह्य किये गये तथा 141 संशोधन ग्राह्य किये गये।

गैर सरकारी संकल्प

वर्तमान सत्र में कुल 20 गैर सरकारी संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 19 ग्राह्य किये गये तथा 01 अग्राह्य किया गया एवं 05 गैर-सरकारी संकल्प सूचीबद्ध किये गये। सूचीबद्ध संकल्पों पर कुल 08 संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई, उसमें से 07 ग्राह्य किये गये तथा 01 अग्राह्य किया गया। श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पर सदन में चर्चा की गई, जो अधूरी रही।

याचिकाएं

सदन में 19 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं।

(श्री अध्यक्ष)

विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

सत्र में जन लेखा समिति के कुल 28 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

राज्य में किसानों के कर्जे, पेयजल एवं बिजली की स्थिति पर विचार

राज्य में किसानों के कर्जे की स्थिति पर दिनांक 28 जून, 2019 को सदन में विचार किया गया, जिसमें 22 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कुल 04 घंटे 29 मिनट का समय लिया गया।

राज्य में पेयजल की स्थिति पर दिनांक 8 जुलाई, 2019 को सदन में विचार किया गया, जिसमें 52 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कुल 5 घंटे 27 मिनट का समय लिया गया।

राज्य में बिजली की स्थिति पर दिनांक 9 जुलाई, 2019 को सदन में विचार हुआ, जिसमें 50 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कुल 6 घंटे 17 मिनट का समय लिया गया।

अन्त में मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा सहयोग देने पर धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री एवं विभिन्न दलों के नेताओं, सभापति तालिका के सदस्यों, मुख्य सचेतक तथा सभी माननीय सदस्यों का उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी हूं। इस अवसर पर मैं विधान सभा के अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके द्वारा सत्र कार्य में दिये गये सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन्यवाद देना चहूंगा। इसके साथ ही सभा की कार्यवाही के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मीडियाकर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यहां की बहस को जनता तक पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया।

अंत में, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपने कठोर व्यवहार के कारण क्षमाप्रार्थी हूं। आशा करता हूं कि हम सदन की गरिमा को आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.56 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019

राजसमन्द में मछली विक्रय के अनुज्ञा-पत्र

154. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमंद में कितने व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों को मछली विक्रय करने की अनुज्ञा (लाइसेंस) जारी किये गये हैं? अवैध रूप से मछली विक्रय करने वालों के विरुद्ध विगत 6 माह में क्या कार्यवाही की गयी? कितने व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों को अवैध मछली विक्रय के लिए पकड़ा गया एवं चालान बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजसमंद में खुले रूप से अवैध मछली व्यवसाय की शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विगत 6 माह में कितने प्रकरण बनाये गये एवं उनमें क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमंद जिले में व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों को मछली विक्रय करने की अनुमति हेतु खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के अन्तर्गत खाद्य अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन) जारी नहीं किये गये हैं।

राजसमंद जिले में विगत 6 माह में अवैध रूप से मछली विक्रय करने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण इस संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(2) राजसमंद जिले में खुले रूप से अवैध मछली व्यवसाय की कोई भी शिकायत लिखित अथवा मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत विगत 6 माह में शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही संबंधी सूचना शून्य है।

वल्लभनगर में तहसील व नायब तहसील में रिक्त पद

458. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में वर्तमान में कहां-कहां तहसील एवं नायब तहसील स्थापित हैं? प्रत्येक में कौन-कौनसी पंचायतें हैं तथा वर्तमान में कौन-कौन पद स्वीकृत होकर कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? तहसीलवार, नायब तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने एवं नायब तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा नई नायब तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में तहसील वल्लभनगर, भीण्डर, कानोड एवं उप तहसील कुरावड़ (तहसील गिर्वा) कार्यरत है। पंचायतों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है तथा तहसील/नायब तहसीलवार स्वीकृत पदों व कार्यरत कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) कार्मिकों का पदस्थापन एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में उदयपुर जिले से उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

नई उप तहसील खोलने संबंधी निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न संख्या 467

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 468

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 469

(स्थगित)

बसेड़ी में नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने की कार्ययोजना

470. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता द्वारा नए संस्कृत विद्यालय खोलने एवं संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नए संस्कृत विद्यालय खोलने एवं संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बसेड़ी के प्रस्ताव द्वारा मनरूप का पुरा एवं बसेड़ी ग्राम में नवीन संस्कृत विद्यालय खोले जाने की मांग की गयी है।

श्री राम दरबार आश्रम, बामनी नदी व निधारा प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की मांग ग्रामवासियों द्वारा की गयी है।

इसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, छाहर, बसेड़ी को प्रवेशिका विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, धौर्र को प्रवेशिका विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की मांग ग्रामवासियों द्वारा की गयी है।

(राज्य शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

धौर्र एवं श्री राम दरबार आश्रम बामनी नदी में स्थित संस्कृत विद्यालय क्रमोन्नति के लिए निर्धारित विभागीय मापदण्ड पूर्ण नहीं करते हैं।

विभागीय परिपत्र में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न होने/वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण न तो नवीन विद्यालय खोले गये हैं और न ही क्रमोन्नत किये जा सके हैं।

(2) निर्धारित मापदण्ड में वर्णित प्रावधान को पूरा करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुण के आधार पर नवीन विद्यालय खोलना एवं क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

हनुमानगढ़ में स्पिनफैड औद्योगिक इकाई को पुन: प्रारम्भ करने की योजना

471. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या हनुमानगढ जिला मुख्यालय पर स्थित स्पिनफैड औद्योगिक इकाई को वर्ष 2016-17 में बन्द किया गया है? यदि हां, तो उक्त औद्योगिक इकाई को किन कारणों से बन्द किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इकाई में शेष रहे श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सरकार द्वारा अन्य दूरस्थ दूसरे जिलों के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भिजवाया गया है? क्या सरकार उक्त भिजवाये गये अल्प वेतन श्रमिकों को इनके गृह जिले में प्रतिनियुक्ति या पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्पिनफैड (मील) की भूमि, इमारत एवं समस्त मशीनरी वर्तमान में भी सरकार के अधीन है? हनुमानगढ़ जिला क्षेत्र कपास उत्पादन में अग्रणी होने के कारण क्या सरकार उक्त बन्द स्पिनिंग मिल को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्पिनफैड की घाटे में चल रही सभी इकाइयों गुलाबपुरा, गंगापुर एवं हनुमानगढ़ की उत्पादन प्रक्रिया बंद होने की स्थिति में इन

(उद्योग मंत्री)

इकाइयों को दिनांक 22.07.2017 से विधिक रूप से बंद किये जाने की स्वीकृति मंत्रीमण्डलीय आज्ञा दिनांक 21.11.2016 के क्रम में जारी की गयी है।

(2) जी हां। गृह जिले में स्थित विभाग/संस्थाओं में रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर एवं सहमति से प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति की जाती है।

(3) स्पिनफैड इकाई हनुमानगढ़ की भूमि, इमारत एवं समस्त मशीनरी स्पिनफैड के अधीन है। प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के आदेश क्र. प.6(38)प्र.सुं./अनु-3/2017 दिनांक 05.01.2018 से सहकारी विभाग की समस्त संस्थाओं की परिसम्पत्तियों के विक्रय हेतु गठित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्थाई समिति द्वारा समस्त परिसम्पत्तियों के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है।

बन्द स्पिनिंग मील पुन: चलने की संभावना नहीं है।

अजमेर में विधवा पेंशन के लम्बित आवेदन

472. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में विगत 6 माह से विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विकलांगता पेंशन के कितने आवेदन लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सभी श्रेणियों में स्वीकृत पेंशनधारियों की पेंशन समय पर प्राप्त नहीं हो रही है? यदि हां, तो ऐसे कितने पेंशनधारी हैं जिन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पेंशनधारियों को प्रतिवर्ष अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है?

(5) क्या यह भी सही है कि यदि पेंशनधारी अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र समय पर नहीं दे पाता, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पिछले 6 माह से अजमेर शहर में विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विशेष योग्यजन पेंशन का कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(2) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विगत 6 माह से अजमेर शहर में विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/विशेष योग्यजन पेंशन का कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(3) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत सभी पात्र पेंशनधारियों को सामान्यतः प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(4) जी हां। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करवाये जाने का प्रावधान है।

(5) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करवाये जाने का प्रावधान है। वार्षिक सत्यापन के अभाव में पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो जाती है तथा पेंशनर द्वारा स्वयं ई-मित्र कियोस्क एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार/भामाशाह कार्ड के आधार पर वार्षिक सत्यापन करवाये जाने पर पेंशन पुनः प्रारम्भ हो जाती है।

बाड़मेर के बंद पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पुन: खोलने की कार्ययोजना

473. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में कितने सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिटी डिस्पेंसरी हैं, जिन पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलबध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में पर्याप्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के उपरान्त भी कई उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद पड़े हैं? यदि हां तो

(श्री मेवाराम जैन)

जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम नहीं होने से बंद पड़े हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में ऐसे कई उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर स्वीकृत पद से ज्यादा एएनएम प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बंद पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त एएनएम की नियुक्ति कर उनको खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 94 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 762 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 सिटी डिस्पेंसरी जिन पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, की नाम सहित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में 58 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत नहीं हैं। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नजदीक के उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। एएनएम रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग में नर्सिंग संवर्ग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, जिसकी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् बाड़मेर जिले में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में गैर खातेदारी से खातेदारी देने का अभियान

474. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गैर खातेदारी से खातेदारी देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ऐसे जो काश्तकार हैं जो राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज हैं एवं उक्त कितने वर्षों से दर्ज हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार काश्तकारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का अभियान चलाकर काश्तकारों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) काश्तकार को गैर खातेदारी से खातेदारी देने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आबंटन) नियम, 1970 एवं राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र एफ 1(15)राजस्व/पुनर्वास/2019 दिनांक 06.10.2009 में प्रावधान किये गये हैं। प्रति संलग्न है।

(2) तहसील ब्यावर में कुल 343 गैर खातेदार करीब 25-30 वर्षों से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

(3) गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का राज्य स्तरीय अभियान चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु ऐसे गांवों में जहां इस प्रकार के प्रकरण अधिक संख्या में लम्बित हैं उनका त्वरित गति से निष्पादन करवाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र दिनांक 02.08.19 से निर्देश दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में पर्यटक स्थलों का विकास

475. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कितने पर्यटन स्थल हैं? सरकार उक्त के विकास हेतु क्या विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजा डूंगर बराण्डा भील की छतरी पर विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पर्यटन महत्व के स्थल उदय विलास महल, जूना महल, गैब सागर, राजकीय संग्रहालय इत्यादि हैं।

बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

थानागाजी में टाडा/माडा योजनान्तर्गत आवंटित बजट

476. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के जनजाति, आदिवासी माडा/टाडा क्षेत्र के लिये किन-किन योजना, उप योजना मदों से गत 5 वर्षों के दौरान कितनी-कितनी राशि का बजट किन-किन कार्यों के लिए आबंटित किया गया? विभिन्न विभागवार आबंटित बजट, व्यय व शेष राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के टाडा/माडा चयनित जनजाति आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत 5 वर्षों के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र के माडा/टाडा चयनित क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रहीं? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में माडा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लिए विगत पांच वर्षों में राशि 358.67 लाख आबंटित किये गये जिसके विरुद्ध राशि 300.34 लाख रु. व्यय किया गया। आबंटित बजट व्यय तथा शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी माडा क्षेत्र में जनजाति आदिवासी

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

(3) विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में आवंटित राशि का उपयोग किया जाकर भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

10 ग्रामों में सी.सी. रोड, 1 हैण्डपम्प स्थापित, 2 एनीकट निर्माण कराया गया। 1 एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल मल्लाणा का निर्माण कराकर वर्तमान में 250 छात्र व छात्राओं को शिक्षा के लिए लाभान्वित किया जा रहा है तथा 200 छात्राओं को छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि, 97 छात्राओं को आर्थिक सहायता एवं लगभग 2700 छात्राओं को पोशाक व स्टेशनरी दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उप खण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

477. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो प्रदेश में किन-किन उपखण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय अब तक स्थापित नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बून्दी जिले में स्थित केशोरायपाटन, लाखेरी में अब तक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 से पूर्व प्रदेश के 289 उपखण्ड मुख्यालयों में से 114 उपखण्ड मुख्यालय राजकीय महाविद्यालय विहीन थे, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में 114 उपखण्ड मुख्यालयों में से 28 उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है, जिनकी सूची परिशिष्ट-02

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

पर संलग्न है। शेष महाविद्यालय विहीन 86 उपखण्ड मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में बून्दी जिले के केशोरायपाटन में निजी क्षेत्र में 02, लाखेरी में 01 महाविद्यालय संचालित है जिनकी सूची परिशिष्ट-04 संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 131 के तहत वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जाएंगे। बजट घोषणा की प्रति परिशिष्ट-05 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर में सीमेंट प्लांट की स्थापना

571. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा नागौर तथा जोधपुर जिले में किन-किन कंपनियों को किस-किस स्थान पर सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 1 जनवरी, 2014 से 10 जुलाई, 2019 तक अनुमति दी गयी? कंपनी के नाम एवं स्थानवार सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा नागौर तथा जोधपुर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 10 जुलाई, 2019 तक किसी भी सीमेन्ट कम्पनी को प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी गयी है। तथापि रीको द्वारा 01 जनवरी, 2014 से 10 जुलाई, 2019 तक की अवधि में केवल नागौर में मैसर्स अम्बूजा सीमेंट लि. को ग्राम रूपासर, ईनाणा, भडाणा, मारवाड़-मूंडवा व खेरवार में 2340.17 बीघा भूमि का आबंटन दिनांक 02.02.2018 को स्वयं के सीमेंट प्लांट की Captive Mining हेतु किया गया है।

चौमूं में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. राशि का व्यय

572. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई को सीएसआर में राशि व्यय करने की अनिवार्यता है? यदि हां, तो सीएसआर के क्या-क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित जैतपुरा कालाडेरा व मण्डा-भिण्डा में स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीएसआर में राशि व्यय की गयी है? यदि हां, तो किस-किस औद्योगिक इकाई द्वारा कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक आधार पर नैटवर्थ 500 करोड़ रुपये या अधिक अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5

(उद्योग मंत्री)

करोड़ रुपये या अधिक हो, सीएसआर के दायरे में आती हैं। ऐसी सभी कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शेडयूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

यह उल्लेखनीय है कि सीएसआर व्यय की सूचना सीएसआर कम्पनियों द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही प्रेषित की जाती है तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर फण्ड की मानिटरिंग हेतु राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 की प्रति परिशिष्ट-1 तथा शेडयूल-VII की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र में चौमूं में स्थित मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उनके द्वारा सीएसआर के तहत किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर में संचालित आरा मशीनें

573. श्री वाजिब अली (नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में कितनी आरा मशीन संचालित हैं? संचालित आरा मशीनों में कितनों के पास सरकार द्वारा स्वीकृति (लाइसेंस) हैं? कितनी आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही आरा मशीनों पर गत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर अधीनस्थ क्षेत्र में 23 अवैध आरा मशीन का संचालन होना पाया जाने पर संचालनकर्ताओं के विरुद्ध The Rajasthan Forest Produce

(उद्योग मंत्री)

(Establishment and Regulation of Saw Mills) Rules 1983 के अनुसार कार्यवाही की जाकर माननीय न्यायालय में इस्तगासे प्रस्तुत किये गये। उक्त सभी प्रकरणों में आरा मशीन संचालन हेतु अनुज्ञापत्र नहीं पाये गये।

(2) बिन्दु संख्या-1 की सूचना अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत 23 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की गयी तथा शेष 13 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त 23 प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में कार्यवाही विगत 5 वर्षों में की गयी है। साथ ही क्षेत्र में पदस्थापित स्टाफ द्वारा भी नियमित गश्त कर अवैध आरामशीन संचालन होना पाया जाने पर तत्परता से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

पुष्कर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

574. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितनी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं? उक्त में से कितनी इकाइयां कार्यशील हैं एवं कितनी बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार के उद्योग आधार मैमोरेण्डम पोर्टल (https://udyogaadhaar.gov.in) पर उपलब्ध सूचना अनुसार पुष्कर में शून्य वृहद, 4 मध्यम, 220 लघु व 675 सूक्ष्म उद्यम इकाइयां पंजीकृत हैं।

उक्त इकाइयों के वर्तमान में कार्यशील होने/बन्द होने की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या 575

(स्थगित)

दिव्यांगता के प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया

576. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा दिव्यांगता को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

(2) उपरोक्त दिव्यांगता के कितने-कितने प्रतिशत पर विभिन्न राजकीय लाभ प्रदान किए जाते हैं?

(3) दिव्यांगता हेतु प्रमाण-पत्र बनवाये जाने की क्या प्रक्रिया है?

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने दिव्यांग हैं?

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शिविरों के माध्यम से दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें विभिन्न राजकीय लाभ दिये जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत दिव्यांगता की 21 श्रेणियां हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पात्रतानुसार/नियमानुसार राजकीय लाभ देय है।

(3) दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निदेशालय विशेष योग्यजन के पोर्टल पर पंजीयन करवाकर चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणीकरण उपरान्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित आनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(4) निदेशालय विशेष योग्यजन के पोर्टल पर रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के 2057 विशेष योग्यजनों के पंजीयन के प्रमाण किया गया, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**दिव्यांगता की श्रेणी**	**प्रमाणित विशेष योग्यजनों की संख्या**
1	Autism Spectrum Disorder (स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार)	50
2	Blindness (अंधता)	85
3	Cerebral palsy (सेरेब्रलपाल्सी)	1

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र. सं.	दिव्यांगता की श्रेणी	प्रमाणित विशेष योग्यजनों की संख्या
4	Chronic Neurological Conditions (चिरकालिक तंत्रिका दशाएं)	28
5	Dwarfism (बौनापन)	2
6	Hearing Impairment (deaf and hard of hearing) श्रवण शक्ति ह्रास (बधिर एवं ऊंचा सुनना)	63
7	Hemophilia (हिमोफिलिया)	1
8	Intellectual Disability (बौद्धिक दिव्यांगता)	15
9	Locomotor Disability (गति विषयक दिव्यांगता)	1748
10	Low-vision (निम्न दृष्टि)	15
11	Mental Illness (मानसिक रूग्णता)	36
12	Speech and Language disability (अभिवाक् एवं भाषा दिव्यांगता)	1
13	Thalassemia (थैलेसीमिया)	12
	कुल	**2057**

(5) विशेष योग्यजनों के चिन्हीकरण हेतु निदेशालय, विशेष योग्यजन के पोर्टल पर पंजीयन का कार्य निरन्तर जारी है। विभिन्न योजनाओं के तहत नियमानुसार राजकीय लाभ दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा तहसील परिक्षेत्र में अकालग्रस्त ग्राम

577. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नोखा तहसील परिक्षेत्र में गत पांच वर्षों में कौन-कौनसे गांव अकालग्रस्त हुए हैं? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में गत 5 वर्षों में अकालग्रस्त गांवों को क्या-क्या राहत कहां-कहां व कितनी राशि की पहुंचायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नोखा तहसील में गत पांच वर्षों में वर्ष 2017 (खरीफ फसल संवत 2074) में 50 ग्राम एवं वर्ष 2018 (खरीफ फसल संवत 2075) में 57 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये। अभावग्रस्त ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त तहसील के अभावग्रस्त ग्रामों में खरीफ फसल संवत 2074 में 1466.03 लाख रुपये तथा खरीफ फसल संवत 2075 में 590.22 लाख रुपये कृषि आदान अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध करायी गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नि:शक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

578. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नि:शक्तजनों के कल्याणार्थ कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं तथा उसके क्या मानदण्ड हैं?

(2) नि:शक्तजनों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में कितनी धनराशि का प्रावधान कर व्यय की गयी व कितना लक्ष्य प्राप्त किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा नि:शक्तजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित योजनाएं तथा उनके मापदण्ड परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन जो स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं, ऐसे विशेष योग्यजनों को 5.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है एवं अधिकतम राशि 50,000 रु. या ऋण का 50 प्रतिशत जो भी दोनों में कम हो, अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है। उक्त योजना अन्तर्गत विगत चार वर्षों में मूल बजट

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रावधान, व्यय की गयी राशि, आबंटित लक्ष्य एवं लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल बजट	व्यय राशि (लाखों में)	आबंटित लक्ष्य	लाभान्वितों की संख्या
2015-16	800.01	492.98	1630	1531
2016-17	600.01	492.24	1300	1533
2017-18	600.01	470.87	1600	1364
2018-19	500.01	359.84	1600	1103

(3) राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 का निर्माण कर राजस्थान राजपत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को प्रकाशन करवाया गया है। उक्त नियमों में विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान किया गया है। विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उक्त योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लाक स्तरीय कार्यालय के ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है ताकि पात्र विशेष योग्यजन को उक्त योजनान्तर्गत ब्लॉक स्तर पर लाभान्वित किया जा सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना के चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

579. श्री अमर सिंह (बयाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना में रूपवास एवं बयाना सी.एच.सी. में महिला गायनिक चिकित्सक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सी.एच.सी. पर उक्त चिकित्सकों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र बयाना में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ

(श्री अमर सिंह)

एवं अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में से चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को पुन: अपनी मूल पोस्टिंग वाले स्थान पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के रूदावल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की सी.एच.सी., पी.एच.सी. व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त चल रहे उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का एक पद स्वीकृत है जिस पर वर्तमान में महिला चिकित्सक (गायनी एमएस) कार्यरत है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का एक पद स्वीकृत है जो कि वर्तमान में रिक्त है। उक्त रिक्त पद को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सक से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के पद कब-कब से रिक्त हैं, की चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बयाना के चिकित्सा संस्थानों में कोई भी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास में कार्यरत चिकित्सकों में से एक चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डीप, सवाईमाधोपुर में कार्य व्यवस्था के तहत कार्यरत है।

कार्य की अधिकता एवं स्टाफ की उपलब्धता तथा परिस्थिति के अनुसार स्टाफ के कार्य व्यवस्था सम्बन्धित निर्देश सक्षम स्तर से जारी किये जाते हैं।

(4) ग्राम रूदावल पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाएगा।

(5) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रकिया तथा चिकित्सा अधिकारी दन्त के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से यथासम्भव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, जिसकी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

विभाग में पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के चिकित्सालयों में स्वच्छता सर्वेक्षण

580. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सालयों व निजी चिकित्सालयों का स्वच्छता सर्वेक्षण की तरह निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक किन-किन निजी चिकित्सालयों का कब-कब निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी संस्थान निर्धारित मानक पर खरे उतरे हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे व नहीं, तो किन-किन निजी/राजकीय चिकित्सालयों के विरुद्ध किस-किस धारा में प्रकरण दर्ज किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वास्थ्य संस्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कायाकल्प कार्यक्रम राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु लागू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों को साफ तथा संक्रमण मुक्त रखना है ताकि प्रदेश की जनता को उत्तम सेवाएं प्रदान की जा सकें। भारत सरकार द्वारा लागू की गयी गाइडलाइन में निजी अस्पतालों के स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु प्रावधान नहीं है। अत: निजी अस्पतालों का स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। सभी संस्थान निर्धारित मानक पर खरे नहीं उतरे हैं और जो संस्थान गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

गाइडलाइन में मानकों पर खरे नहीं उतरने पर दण्ड का प्रावधान नहीं है। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों पर संस्थान प्रभारी का ध्यान आकर्षित कर उन्हें दूर करने हेतु कहा जाता है तथा सतत प्रक्रिया के रूप में निर्धारित समय सीमा के आधार पर अगले निरीक्षण में पुन: असेसमेन्ट करवाया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अत: किसी भी राजकीय चिकित्सालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बसेड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

581. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता द्वारा ग्राम पंचायत उमरेह व बिलौनी में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के अन्तर्गत पंचायत समिति बसेड़ी का पूर्ण एवं पंचायत समिति बाड़ी का आंशिक क्षेत्र आता है।

ग्राम पंचायत उमरेह पंचायत समिति बाड़ी एवं ग्राम पंचायत बिलौनी पंचायत समिति बसेड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्राम पंचायतों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनंसख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति बाड़ी एवं बसेड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाएगा।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

महिलाओं व बालिकाओं को नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण

582. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं व बालिकाओं के उपयोग हेतु सैनिटरी नैपकिन मुफ्त वितरण की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभी तक भी उक्त का वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट भाषण वर्ष 2015 में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली बालिकाओं के लिये नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना लायी गयी है।

उक्त घोषणा की पालना में योजना के प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2015 से राजस्थान के चयनित 7 जिलों यथा: दौसा, धौलपुर, झालावाड़, चूरू, टोंक, सिरोही एवं डूंगरपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण प्रारम्भ किया गया। योजना में प्रत्येक बालिका को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क वितरित किये जाने का प्रावधान है।

योजना के द्वितीय चरण में महिला दिवस के अवसर पर दिनांक 8 मार्च, 2016 से प्रदेश के सभी 33 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की सभी किशोरी बालिकाओं को एवं विद्यालय नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष की आयु की बीपीएल बालिकाओं के लिए नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण प्रारम्भ किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से ग्रामीण क्षेत्र की विद्यालय नहीं जाने वाली 10-19 आयु वर्ष की सभी बालिकाओं (बीपीएल एवं नोन बीपीएल) को लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान में योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की 19.06 लाख किशोरी बालिकाओं को एवं विद्यालय नहीं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जाने वाली 10 से 19 वर्ष की आयु की 1.63 लाख किशोरी बालिकाओं कुल 20.69 लाख किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 72 में निम्नानुसार घोषणा की गयी:-

राज्य सरकार 15 से 45 आयुवर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं में मैन्स्ट्रूअल हाईजीन स्कीम प्रारम्भ करने की घोषणा करती है। योजना में स्टेक होल्डर सेन्सेटाइजेशन के साथ सैनेटरी पेड का वितरण किया जाएगा। विद्यालयों/महाविद्यालयों, आगंनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्नपूर्णा भण्डार के माध्यम से सैनेटरी पैड उपलब्ध करवाये जाएंगे।

(2) जी हां। इस हेतु वित्त विभाग से बजट स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

ई.एस.आई. चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

583. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ईएसआई के कितने चिकित्सालय व डिस्पेन्सरियां कहां-कहां संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर ईएसआई की कोई भी डिस्पेन्सरियां व चिकित्सालय संचालित नहीं हैं? क्या सरकार उक्त जिलों में ईएसआई की डिस्पेन्सरियां और चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश के ईएसआई चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ईएसआई योजना के 4 अस्पताल व 74 डिस्पेन्सरियां संचालित हैं, जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश के 8 जिलों में ईएसआई स्कीम की कोई भी डिस्पेन्सरी व अस्पताल संचालित नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जुलाई, 2016 से सम्पूर्ण राज्य को अधिसूचित किये जाने के कारण नये/पुराने अधिसूचित क्षेत्र में चिकित्सालय/औषधालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्तर से ही खोला जाना है, जिसके लिए 3 अधिकारियों की कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाकर राज्य में 25 औषधालय एवं 3 चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर द्वारा निगम मुख्यालय को भिजवाये गये हैं, जिसकी सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में 4 ईएसआई अस्पताल संचालित हैं, जिनमें चिकित्सा अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत व रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार की मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत दवा वितरण की बकाया राशि

584. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय-विक्रय समितियों के द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 2011 से किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी दुकानें संचालित की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों का संचालन कितने दिनों तक किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत दवा वितरण केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही थी? उक्त राशि कब तक दी जानी थी? प्रत्येक केन्द्र को राशि कब दी गयी? तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दवा वितरण केन्द्रों को सरकार की ओर से बकाया सहायता राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विलम्ब होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में सहकारिता भण्डार एवं क्रय-विक्रय समितियों द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से निम्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर दुकानों का संचालन किया गया :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थानों का नाम	संचालित की गई दुकानों की संख्या
राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर	7
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजीतगढ़	2
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डेला	2
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाचरियावास	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नीमकाथाना	4
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीमाधोपुर	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाटूश्याम जी	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रींगस	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़ सेठान	1

(2) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के सफल संचालन एवं चिकित्सा संस्थानों में आने वाले रोगियों को दवा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.07.2012 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवा वितरण केन्द्र विभाग को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त निर्णय की पालना में प्रबन्ध निदेशक आरएमएससी द्वारा रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग को उनके विभाग के द्वारा संचालित दवा वितरण केन्द्र चिकित्सा विभाग को संभलवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् जिला अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वी.सी. में इन दवा वितरण केन्द्रों के कार्यकाल बढ़ाये जाने के कारण दिनांक 31.03.2013 तक इन दवा वितरण केन्द्रों की कार्य अवधि बढ़ाई गयी। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सीकर जिले में उक्त दुकानों के संचालन चिकित्सा संस्थान के सामने अंकितानुसार अवधि तक रहा:-

चिकित्सा संस्थान का नाम	संचालित अवधि
राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर	02.10.2011 से सितम्बर 2013 तक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थान का नाम	**संचालित अवधि**
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतगढ़	02.10.2011 से 01.08.2014
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला	02.10.2011 से 28.11.2014
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाचरियावास	02.10.2011 से 03.12.2014
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीमकाथाना	02.10.2011 से 31.03.2015
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीमाधोपुर	02.10.2011 से 24.11.2014
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़	02.10.2011 से 31.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाटूश्यामजी	02.10.2011 से 31.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर	02.10.2011 से नवम्बर 2012
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोसल	02.10.2011 से अगस्त 2015
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस	02.10.2011 से 06.10.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ सेठान	02.10.2011 से नवम्बर 2012

(3) वर्तमान में दवा वितरण केन्द्रों को कोई राशि नहीं दी जा रहीं है मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग/क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित दवा वितरण केन्द्रों को दिनांक 02 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2013 तक प्रति दवा वितरण राशि रुपये 25,000/- प्रति माह की दर से बजट आबंटित किया गया।

सीकर जिला सहकार उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय-विक्रय समितियों द्वारा संचालित दवा दुकानों को निम्न तिथि को राशि आबंटित की गयी:-

चिकित्सा संस्थान का नाम	**राशि आबंटन दिनांक**
राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर	16.03.2013, 29.10.2013, 07.10.2014, 24.03.2015, 21.03.2017, 31.03.2017
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतगढ़	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाचरियावास	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थान का नाम	**राशि आबंटन दिनांक**
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीम का थाना	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013, 07.03.2013 एवं 13.03.2014
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीमाधोपुर	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाटूश्यामजी	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोसल	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ सेठान	12.07.2012, 02.01.2013, 26.02.2013 एवं 07.03.2013
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर	उक्त केन्द्र का 01.04.2012 से 30.11.2012 तक का भुगतान सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्‌वारा शपथ पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण निदेशालय से प्रीआडिट नहीं होने के कारण बिल पारित नहीं हो सका। बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर का 01.04.2012 से 30.11.2012 तक का भुगतान सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्‌वारा शपथ पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण निदेशालय से प्रीआडिट नहीं होने के कारण बिल पारित नहीं हो सका। बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शेष संचालित दवा केन्द्रों का प्रदत्त स्वीकृति अनुसार समय सीमा (31.03.2013 तक) का किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में पर्यटन विकास हेतु विशेष पैकेज

585. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बूंदी शहर में पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए यहां के सौन्दर्यीकरण हेतु विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

नवलगढ़ में पर्यटन विकास सम्बन्धित कार्य

586. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में पर्यटन विकास से संबंधित क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पर्यटक स्थल का विकास किये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में लोहार्गल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि रु. 150.00 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर राशि रु. 25.00 लाख कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम के पीडी खाते में हस्तान्तरित किये गये हैं।

(पर्यटन मंत्री)

(2) बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन

587. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना की शुरुआत की गयी थी? यदि हां, तो कब व इसके क्या उद्देश्य थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को किन-किन तीर्थ स्थानों की कब-कब यात्रा कराई गयी और उसमें सरकार द्वारा कितनी धनराशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो उक्त योजना हेतु आवेदन लेना कब से प्रारम्भ किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2013 -14 से प्रारम्भ की गयी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2013 के उद्देश्य बिन्दु संख्या-2 पर अंकित है। योजना, 2013 परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के तहत गत दो वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार यात्राएं कराई गयी, जिनमें व्यय भी सम्मिलित है। विवरण परिशिष्ट-2, 3 एवं 4 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2019 वर्तमान में अस्तित्व में होकर संचालित है, जिसके संचालन हेतु आनलाइन आवेदन दिनांक 08 जुलाई, 2019 से 28 जुलाई, 2019 तक आमंत्रित किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य पर्यटन विकास निगम की होटलों का संचालन

588. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग का वर्तमान में लोगो क्या है? गत वर्ष क्या था? इस परिवर्तन के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य एवं बाहर कहां-कहां होटलों का संचालन करता है? इनकी क्षमता कितने-कितने कमरे की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरों की बुकिंग प्रतिशत का वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में सुधार के लिए नीतियों में क्या परिवर्तन किए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग के वर्तमान लोगो की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। गत वर्ष प्रयोग में लाये गये विभागीय लोगो की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

"पधारो म्हारे देश" से पारम्परिक राजस्थानी आतिथ्य सत्कार की भावना जुड़ी होने के कारण इस लोगो को पुन: प्रयोग में लाया जा रहा है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में संचालित कुल 27 होटल/मोटल/कैफेटेरिया की सूची मय कमरों की संख्या परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम होटलों का रूम आक्युपेन्सी प्रतिशत वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा रूम आक्युपेन्सी बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिंचित क्षेत्र विकास हेतु संचालित योजनाएं

589. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(1) प्रदेश में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष सहित विगत पांच वर्षों में किये गये धनराशि का प्रावधान, व्यय एवं लक्ष्य से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया? यदि नहीं, तो कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कोई कारगर कदम उठा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत निम्न परियोजना क्षेत्रों में कार्य करवाये जा रहे हैं:-

1. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना
2. अमर सिंह सब ब्रांच परियोजना
3. गंगनहर परियोजना फेज-प्रथम
4. गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय
5. भाखड़ा नहर परियोजना
6. बीसलपुर परियोजना
7. चम्बल परियोजना कोटा

(2) परियोजनाओं की सूचना परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के पश्चात् गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं में केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय साधनों से ही कार्य जारी रखने से कार्यों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(4) जी हां। सरकार सिंचित क्षेत्र विकास हेतु राज्य निधि से उपरोक्तानुसार 6 परियोजना क्षेत्रों में पक्के खालों का निर्माण कार्य करवा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव

590. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2018 तक जोधपुर जिले में नये राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उसमें से कितने राजस्व गांव घोषित हुए तथा घोषित होने वाले शेष कौन-कौनसे गांव सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर में मजरे ढाणियां व छितराई आबादी को नये राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो राजस्व गांव बनाने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2018 तक जोधपुर जिले में 34 नये राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए जिनमें से 33 नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जा चुके हैं तथा 01 ग्राम घोषित करना अभी शेष है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जोधपुर में मजरे ढाणियां व छितराई आबादी को नये राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर से राज्य सरकार को प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने के पश्चात नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाते हैं।

राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल नहरों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

591. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2012-13 में चंबल की नहरों की रिपेयरिंग हेतु 1274 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय कर कुल कार्य का कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है? वर्ष 2012-

(श्री भरत सिंह कुनदनपुर)

13 से प्रतिवर्ष व्यय की गयी राशि व करवाये गये कार्यों का सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। चम्बल परियोजना के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में 1274 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी थी। उक्त योजना पर वर्ष 2012-13 से माह जून 2019 तक राशि रुपये 219.88 करोड़ व्यय किये जाकर 224 कि.मी. लम्बाई में नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया है। वर्ष 2012-13 से माह जून, 2019 तक व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं करवाये गये/प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

592. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में चरागाह के रूप में दर्ज भूमि का न तो आबंटन हो सकता है, न कब्जे का नियमन हो सकता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किस-किसका कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि पर कब-कबसे कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चरागाह भूमि अन्य प्रयोजनार्थ आबंटित नहीं की जा सकती है। यदि चरागाह भूमि का आबंटन प्रस्तावित किया जाता है, तो सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के तहत चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर उतनी ही अन्य सिवायचक भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में दर्ज किये जाने के उपरान्त ही आबंटन किया जा सकता है। विधान सभा क्षेत्र बानसूर में चरागाह भूमि के अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को परिपत्र दिनांक 11.09.2017 द्वारा अवैध कब्जेधारियों को बेदखल करने के लिए धारा 91 के तहत कार्यवाही की कठोरता से पालना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसकी निरन्तरता में विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 20.05.2019 भी जारी किया गया है। परिपत्र दिनांक 11.09.2017 एवं 20.05.2019 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महुवा के टाडा/माडा योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्राम

593. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकार द्वारा टाडा/माडा योजना में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुवा के कौन-कौनसे ग्राम उक्त योजनाओं में सम्मिलित हैं? ग्रामों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रामों में विगत पांच वर्षों में क्या-क्या विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा टाडा/माडा क्षेत्रों में योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। संचालित योजनाओं की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुवा में माडा योजनान्तर्गत ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) महुवा विधान सभा में विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 में विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये गये तथा वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 में जो कार्य स्वीकृत किये गये जिनकी सूचना निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र. सं.	**वर्ष**	**कार्य का नाम**	**राशि (लाखों में)**
1.	2016-17	रा.आ.छा. उकरूंद मे मरम्मत कार्य	7.58
2.	2016-17	रा.जा.आ.वि. नयागांव महुवा में आधारभूत सुविधाओं हेतु	65.36
3.	2017-18	नवीन जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास मौनापुरा पंचायत समिति महुवा की बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य	14.22
		योग	**87.16**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रखने के प्रावधान

594. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? आदेशों, अधिसूचनाओं व निदेशों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रखने के लिए उक्त क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए भूमि के क्रय पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. धारा-42 (ख)
2. धारा-42 (खख)
3. धारा-43 (2)

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

4. धारा-46 (क)

5. धारा-49 (क)

6. धारा-175

7. धारा-183 (ख)

(धाराओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

राजस्थान भू राजस्व (Allotment of Land for Agricultural Purposes) नियम, 1970 के नियम 6(3) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की कृषि भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही आबंटित की जा सकती है।

(2) अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए एवं उक्त क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए भूमि के क्रय पर प्रतिबंध लगाने के सरकार द्वारा निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

1. धारा-42 (ख)

2. धारा-42 (खख)

3. धारा-43 (2)

4. धारा-46 (क)

5. धारा-49 (क)

6. धारा-175

7. धारा-183 (ख)

(धाराओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

राजस्थान भू राजस्व (Allotment of Land for Agricultural Purposes) नियम, 1970 के नियम 6(3) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की कृषि भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही नामान्तरण की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में टाडा/माडा योजना में ग्रामों को सम्मिलित करने की कार्ययोजना

595. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में कौन-कौनसे वर्ग समूह को सम्मिलित किया हु आ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए टाडा-माडा योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो इसमें कौन-कौनसे जिले सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमावर्ती एवं पिछडे जिले बाड़मेर-जैसलमेर को भी उक्त योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव में निवासरत अनुसूचित जनजाति को आधार मानकर उक्त योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के तहत आने वाले वर्ग समूह की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे- संविधान के अनुच्छेद 275(1), विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, सेन्ट्रल सैक्टर योजना एवं जन कल्याण निधि योजना आदि योजनाएं। इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र हेतु जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2018 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

<u>अनुसूचित क्षेत्र</u> - राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 8 जिलों की 45 तहसीलों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 8 जिलों में बांसवाडा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ सम्पूर्ण जिले, उदयपुर की 9 पूर्ण तहसीलें एवं तहसील

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

गिर्वा के 252 ग्राम तहसील वल्लभनगर के 22 व तहसील मावली के 4 ग्राम, सिरोही जिले के आबूरोड तहसील एवं पिण्डवाड़ा तहसील के 51 ग्राम, राजसमन्द जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 ग्राम तथा पाली जिले की बाली तहसील के 33 ग्राम सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।

माडा- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हों व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है। अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा, माडा क्लस्टर, बिखरी, सहरिया) में आने वाले क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के गांव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण उक्त जिलों को विभाग द्वारा संचालित माडा व माडा क्लस्टर योजना मे सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र माडा एवं माडा क्लस्टर क्षेत्र अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किए जाते हैं, उन्हें विभाग द्वारा संचालित बिखरी योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।

(4) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को आधार मानकर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति उपरांत अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित क्षेत्र - माडा योजना में लाभ हेतु उनके गांवों का चयन किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र - माडा योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आधार मानकर क्षेत्र विकास एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एस.सी./एस.टी. व ओ.बी.सी. बहुल क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान

596. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती इन्द्रा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में एसटी, एससी व ओबीसी बहुल क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु सरकारी महाविद्यालय खोलने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो संबंधित प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास जनजातीय बहुल क्षेत्र है तथा उक्त क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलना राज्य सरकार की एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके तहत नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाते हैं।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर प्रदेश में एसटी, एससी व ओबीसी बहुल क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सत्र 2013-14 से सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, बामनवास संचालित है, जिसमें सत्र 2018-19 में कुल 240 विद्यार्थी (60 छात्र एवं 180 छात्राएं) अध्ययनरत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सत्र 2013-14 से राजकीय महाविद्यालय, बामनवास संचालित है।

तारानगर में राजकीय बालिका महाविद्यालय के भवन का निर्माण

597. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (तारानगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तारानगर शहर में राजकीय बालिका महाविद्यालय का नवीन भवन कब स्वीकृत हुआ एवं उक्त हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आज तक उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जिससे छात्राओं का अध्ययन बाधित हो रहा है? उक्त हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

(3) क्या उक्त भवन पूर्ण करने की अवधि दिनांक 03.02.2018 थी जो समाप्त हो चुकी है तथा भवन अभी तक भी पूर्णतया तैयार नहीं हुआ है? इस हेतु कौन-कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त भवन कब तक पूर्ण हो जाएगा तथा उक्त हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय कन्या महाविद्यालय, तारानगर के नवीन भवन निर्माण हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2014 को राशि रुपये 300.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है परन्तु इससे छात्राओं का अध्ययन बाधित न हो यह सुनिश्चित करते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय, तारानगर का संचालन प्रारम्भ से ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन के दक्षिणी भाग में किया जा रहा है। इस भवन में अध्ययन कार्य नियमित रूप से संचालित है।

(3) जी हां। प्राचार्य से प्राप्त सूचनानुसार संवेदक द्वारा भवन निर्माण की धीमी प्रगति के लिए अनुबंध अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एलडी काटी जा रही है। परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-सरदारशहर ने राजकीय कन्या महाविद्यालय, तारानगर के भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने की संभावित तिथि 30.09.2019 बतायी गयी है। परिशिष्ट 03-संलग्न है।

विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-सरदारशहर / संवेदक से सम्पर्क कर भवन निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्राप्त राशि

598. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 11वीं एवं 12 वीं योजना में मदवार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त राशि में से किस-किस मद में कितनी राशि का उपयोग किस-किस सक्षम स्वीकृति की अनुपालना में किस निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि के उपभोग का व्यय विवरण सक्षम स्तर तक भेजा जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक भेज दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को 11वीं योजना में प्राप्त स्वीकृतियां कुल राशि रु. 1479.60 लाख प्राप्त हुई है। मदवार स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 12वीं योजना में कुल प्राप्त स्वीकृतियां भिन्न-भिन्न मदों में कुल राशि रु. 942.31 लाख प्राप्त हुई है। मदवार स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त राशि के उपभोग मदवार स्वीकृति व निविदा प्रक्रिया दर विश्लेषण आदि की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। उक्त राशि के उपभोग का व्यय विवरण सक्षम स्तर (यूजीसी, नई दिल्ली) को प्रेषित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

599. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अधिसूचना के तहत यहां पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो कब से व उक्त के लागू नहीं होने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन को की मेज पर रखें।

(2) इन्जीनियरिंग कालेज, कोटा एवं राज्य के अन्य इंजीनियरिंग कालेजों में भविष्य निधि की क्या-क्या योजनाएं प्रचलन में हैं और उनका किस प्रकार प्रबन्धन किया जा रहा है? समान पेंशन योजना के लिए सरकार द्वारा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

क्या कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक इसे लागू करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विश्वविद्यालय के संघटक इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, कोटा में पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की विधवाओं को भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन योजना बन्द कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विश्वविद्यालय द्वारा उक्त को पुन: चालू रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कर्मचारियों की पेंशन योजना हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, अपितु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 32 में "विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों में विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, उपादान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा, जो वह उचित समझे" बाबत प्रावधान विहित है।

(2) इन्जीनियरिंग कालेज कोटा (वर्तमान में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आमेलित) में दिनांक 1.1.2004 से पूर्व नियुक्ति कार्मिकों हेतु अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू है जिसका प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कर्मचारी भविष्य निधि रेगुलेशन, 2011 के अन्तर्गत किया जा रहा है। दिनांक 1.1.2004 या इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत नवीन पेंशन योजना (NPS) लागू है। विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में दिनांक 1.1.2004 से पूर्व नियुक्त नियमित कार्मिकों हेतु सी.पी.एफ. भविष्य निधि योजना एवं दिनांक 1.1.2004 व इसके पश्चात नियुक्त नियमित कार्मिकों हेतु NPS भविष्य निधि योजना लागू है एवं इसका प्रबन्धन NSDL (National Securities Depository Ltd.)/PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार की परिवर्तित नीति अनुसार विभाग द्वारा वर्तमान में समान पेंशन योजना लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

(3) तत्कालीन इंजीनियरिंग कालेज, कोटा के कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का प्रबंधन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किया जाता था जिसके अन्तर्गत भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्मिकों की सेवानिवृत्त होने पर अथवा उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी विधवाओं को पेंशन राशि दी जाती थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2006 की अनुपालना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों की पी.एफ. राशि विश्वविद्यालय को लौटा दी गयी थी, जिसके पश्चात् भविष्य निधि संगठन द्वारा दिनांक 08.03.2007 को इस संदर्भ में जन सूचना प्रकाशित की गयी जिसके अनुसार पेंशन के दावे स्वीकार नहीं किये जाते हैं। अतएवं भविष्य निधि संगठन द्वारा पी.एफ. राशि विश्वविद्यालय को लौटाये जाने के पश्चात् पुन: पेंशन चालू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से विश्वविद्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-1

लिखित वक्तव्य

किशनगढ़ अजमेर में धर्म परिवर्तन से स्थानीय लोगों में तनाव

श्रीमती ज्योति दरयानी, ईसाई महिला मंगलवार को ईसाई धर्म का सत्संग करती है। विभिन्न धर्मों के लोग स्वेच्छा से भाग लेने आते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराने या किसी प्रकार का प्रलोभन आदि देने की पूर्व में कभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

23.7.19 को श्रीमती ज्योति दरयानी व अन्य सत्संग सुन रहे थे। कुछ लोग शराब के नशे में आए, उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया, अपशब्दों का प्रयोग किया, तोड़-फोड़ की। श्रीमती दरयानी की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 256/2019 धारा 452, 336, 504, 323, 143 भा.दं.सं. में थाना मदनगंज पर दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

श्री पवन माली ने श्रीमती दरयानी के विरुद्ध रिपोर्ट दी, ईसाई धर्म के कुछ लोग उसकी पत्नी व पुत्र-पुत्री पर धर्म परिवर्तन का कुछ समय से दबाव बना रहे हैं। आज भी पुन: दबाव बनाया। इस पर प्रकरण संख्या 257/2019 धारा 295 भा.दं.सं. में थाना मदनगंज पर दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

अनुसंधान में पाया कि श्रीमती ज्योति दरयानी केवल मंगलवार को सत्संग करती हैं, जबरन धर्म परिवर्तन न तो करवाया, न ही इस बाबत उत्प्रेरित किया।

प्रकरण संख्या 257/2019 के परिवादी पवन माली की पत्नी श्रीमती रूकमणी ने जबरन धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है।

उपस्थित अन्य महिलाएं श्रीमती चन्दा देवी तेली, श्रीमती रेखा राजपूत ने भी जबरन धर्म परिवर्तन की बात झूठी बताई।

अफवाह फैलाकर धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने वाले 10 व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें परिवादी पवन माली भी शामिल है को धारा 108 दंड प्रक्रिया संहिता में नेक चाल चलन के लिए पाबन्द कराने के लिए इस्तगासा कोर्ट में पेश किया गया।

सत्य यह है कि पवन माली ने शराब के नशे में झूठी अफवाह के आधार पर भीड़ इकट्ठी कर महिलाओं पर हमला किया व स्वयं की पुत्री पर ईंट फेंककर मारी।

अत: कोई धर्म परिवर्तन की कोशिश नहीं हुई एवं कोई धर्म परिवर्तन हुआ।

श्रीमती ज्योति दरयानी पवन माली की पत्नी व पुत्री तथा पड़ौसियों सहित 8 लोगों के बयान तथा जिनका धर्म परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया था, उनके 164 सीआरपीसी के बयानों में भी धर्म परिवर्तन के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।